www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

मार्च, 2026 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- ऑपरेशन किया
- भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता क्षेत्र में शामिल हुआ
- रैट होल माइनिंग
- AI शिखर सम्मेलन 2026
- आई टी नियमों में संशोधन और एआई विनियमन 2026
- वंदे मातरम्
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025
- PAIMANA वेब पोर्टल
- 16वां वित्त आयोग और राज्य

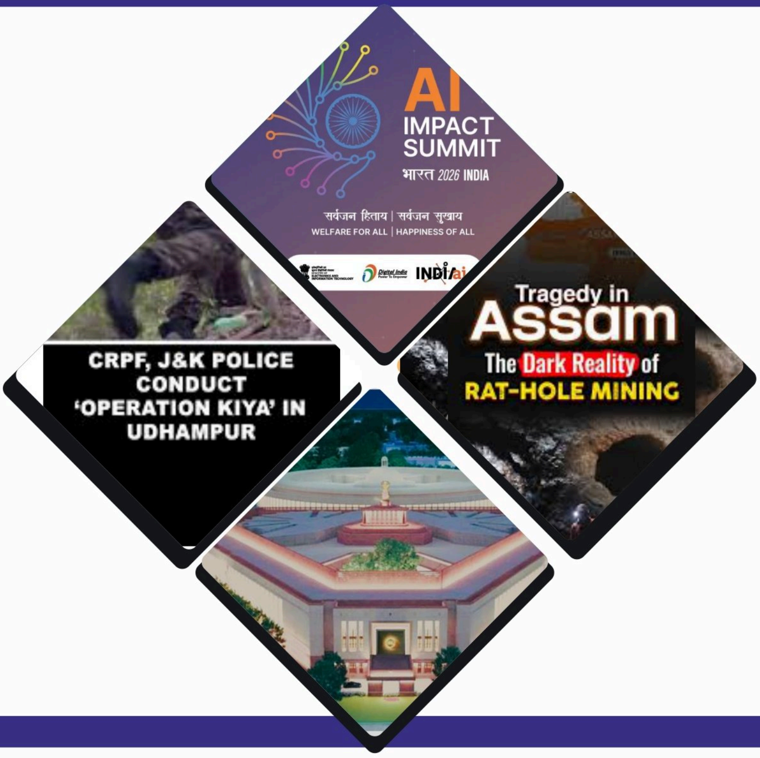

Gist of

THE HINDU | pib | The Indian EXPRESS | Kurukshetra | YOJANA

Raghav Publication House

RACE IAS®
Since 2010

RACE IAS

सिविल सेवा परीक्षा 2026

ADMISSION OPEN FOR NEW SESSION 2026-27

"सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई"

ANNOUNCEMENT FOR NEW FACE TO FACE (OFFLINE) BATCH

UTKARSH PROGRAM
(3 Years Course)
for **IAS/PCS**
After 10+2 (Intermediate)

FOUNDATION COURSE
for **GRADUATES**
with **SANKALP PROGRAM**
GENERAL STUDIES PRE CUM MAINS

इण्टर के बाद करें
उच्च प्रशासनिक सेवा IAS / PCS की तैयारी

With Library facility, Complete Study Material, & Test Series

IAS/PCS MAINS SPECIAL BATCH

OPTIONAL SUBJECT

PUBLIC ADMINISTRATION | HISTORY
POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY

Public Ad., Polity & Governance

By Dr. Rajesh Shukla

ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिये
RACE IAS मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

GET IT ON Google Play
Download from Windows Store

KANPUR CENTRE : CALL: 9044327779, 7355556256

CALL : 7388114444, 9044137462, 8917851448

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

Join our Telegram Channel raceiaslucknow | Follow us on : | www.raceias.com

अनुक्रमणिका

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) -- 1
16वां वित्त आयोग -- 2
भारत-अमेरिका व्यापार और ऊर्जा धुरी --- 3
भारत में आर्द्रभूमि का संरक्षण --- 3
अपहरण -- 4
ऑपरेशन किया ---5
सभासार पहल --6
भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ -- 7
भारत टैक्सी --8
रोके जा सकने वाला कैंसर -- 9
रैट-होल माइनिंग ---10
प्रोजेक्ट होप -- 11
डार्क स्काई रिज़र्व --12
ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस: डिप्लोमेसी से इम्प्लीमेंटेशन तक --13
फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) --14
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) -- 15
सोडियम-आयन बैटरी -- 15
वात्सुजी टेटसुरो और 'बीइंग-इन- बीचनेस ' का दर्शन --- 16
अवैध खनन --17
भारत में बांझपन --18
संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौता ---19
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 --20
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन ---23
START और नई START संधि --24
लोक को हटाना सभा अध्यक्ष --25
आईटी नियम संशोधन और एआई विनियमन (2026) ---27
सेशल्स --27
मैंग्रोव क्लैम --28
डिजिटल शासन --- 29
संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता --- 30
प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक संबंध -- 31
रक्षा कर्मियों द्वारा पुस्तकों पर नियम --32
महाद्वीपीय मेंटल भूकंप ---33
'वंदे मातरम' ---34
बी-रेडी मूल्यांकन ---35
आईटी नियम संशोधन 2026 --36
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 ---37
आयुष्मान सहकार योजना ---38
PAIMANA वेब पोर्टल --39
16वां वित्त आयोग और राज्य --40
डिजिटल गोपनीयता और डेटा संप्रभुता -- 41
आगे की पुनर्कल्पना का रोडमैप --42
भारत की विदेश नीति को फिर से तैयार करना ---43

RACE IAS

काम पर महिलाओं की सुरक्षा ---- 44
कोरम संवेदन ---- 45
62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC 2026) ---- 46
महिला-नेतृत्व वाली अक्षय ऊर्जा (डीआरई) ---- 47
भारत में जजों के खिलाफ शिकायतें ---- 48
विमुक्त जनजातियाँ (DNTs) ---- 49
कॉपर क्रंच ---- 50
ग्रीन स्टील की ओर बदलाव: भारत का डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप ---- 52
ग्रेट निकोबार परियोजना ---- 53
भारतीय वैज्ञानिक सेवा (ISS) ---- 54
क्रिएटिव इंडस्ट्रीज ---- 55
पीएम राहत योजना ---- 56
सीबीडीसी-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ---- 57
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) ---- 58
प्राइवेसी बनाम ट्रांसपेरेंसी ---- 59
संसदीय विशेषाधिकार और समिति ---- 60
ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) ---- 61
भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल ---- 62
भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ---- 63
कृषि में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था ---- 64
न्यायपालिका में विविधता ---- 65
केंद्र-राज्य संबंध ---- 66
जेन Z और डेमोक्रेटिक जुड़ाव ---- 68
चुनाव आयोग (ईसीआई) बनाम सुप्रीम कोर्ट ---- 69
US टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स ---- 70
बंधुआ मजदूरी ---- 71
जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) ---- 72
न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना और नफ़रत भरे अपराध ---- 73
राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति ---- 73
सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ---- 74
नारी शक्ति वंदन अधिनियम ---- 75
वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) ---- 76
लापीस लाजुली ---- 77
पीएम मोदी का इज़राइल का राजकीय दौरा ---- 78
दोहरा कराधान बचाव अभिसमय (DTAC) ---- 79
ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन ---- 80
केरलम ---- 81
हरा अमोनिया ---- 82
महिलाएं, बिज़नेस और कानून ---- 83
समुद्री श्रम सम्मेलन (एमएलसी), 2006 ---- 84
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0) ---- 85
किशोर मानसिक स्वास्थ्य ---- 86
पश्चिम एशिया नीति ---- 87
सोशल मीडिया का रेगुलेशन और सेफ हार्बर ---- 88
NCERT की किताबों को याद करना ---- 89

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

प्रसंग

18वीं लोकसभा (2024–2029) के शुरू होने के साथ, **MPLADS** फंड के सही इस्तेमाल पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। यह स्कीम ज़मीनी स्तर पर विकास के लिए एक ज़रूरी टूल बनी हुई है, हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसे लागू करने की कुशलता और फंड मैनेजमेंट को लेकर इसकी लगातार जांच हो रही है।

योजना के बारे में

- **लॉन्च:** दिसंबर 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्थापित; 1994 में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को ट्रांसफर कर दिया गया।**
- **नेचर:** एक **सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो** पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा फंडेड है।
- **सालाना हक:** हर MP को **हर साल ₹5 करोड़ दिए जाते हैं** (पांच साल के कार्यकाल में कुल ₹25 करोड़)।
- **नॉन-लैप्सेबल नेचर:** फंड नॉन-लैप्सेबल होते हैं। अगर किसी खास साल में कोई एलोकेशन इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे MP के टर्म के अंदर अगले सालों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है।

कार्यान्वयन ढांचा

- **भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:** * **MP** स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर विकास के कामों की सिफारिश करता है।
    - डिस्ट्रिक्ट **अथॉरिटी** (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/मजिस्ट्रेट) टेक्निकल मंज़ूरी, लागू करने वाली एजेंसी की पहचान और काम पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी लचीलापन:**
    - **लोकसभा के सभी MP:** अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में कामों की सिफारिश करें।
    - **राज्यसभा MP:** अपने चुने हुए राज्य के एक या ज़्यादा ज़िलों में कामों की सिफारिश कर सकते हैं।
    - **नॉमिनेटेड सदस्य:** देश भर के किसी भी जिले में काम चुन सकते हैं।
- **राष्ट्रीय एकता: सांसदों को** राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने तय चुनाव क्षेत्र या राज्य के बाहर **हर साल ₹25 लाख** तक खर्च करने की छूट है ।

प्रदर्शन और चुनौतियाँ

- **उपयोग के रुझान:**
    - **हाई परफॉर्मर:** तेलंगाना, सिक्किम और केरल जैसे राज्यों ने फंड का अच्छा इस्तेमाल दिखाया है।
    - **पिछड़े राज्य:** उत्तराखंड, त्रिपुरा और झारखंड जैसे राज्य पहले से ही कम एब्जॉर्प्शन रेट से जूझ रहे हैं।
- **महत्वपूर्ण मुद्दे:**
    - **काम पूरा होने में देरी:** काम की सलाह और असल में काम पूरा होने के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है, कुछ इलाकों में काम पूरा होने की दर 50% से भी कम बताई गई है।
    - **मॉनिटरिंग गैप:** रियल-टाइम ट्रैकिंग और सही इम्पैक्ट असेसमेंट की कमी से अक्सर सही एसेट नहीं बन पाता है।
    - **एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें:** डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लेवल पर फंड मंज़ूर करने में देरी से अक्सर समय पर काम पूरा होने में रुकावट आती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेहतर मॉनिटरिंग:** ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए प्रोजेक्ट माइलस्टोन और फंड फ्लो की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** मंज़ूरी प्रोसेस में तेज़ी लाने और क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के टेक्निकल विंग्स को मज़बूत करें।
- **पब्लिक अकाउंटेबिलिटी:** सोशल ऑडिट और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दें ताकि यह पक्का हो सके कि बनाए गए एसेट्स असल कम्युनिटी की ज़रूरतों के हिसाब से हों।
- **समय पर फंड रिलीज़:** MoSPI और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के बीच प्रोसेस को आसान बनाना ताकि पिछले सालों के बचे हुए बैलेंस के लिए "वेट टाइम" कम से कम हो।

निष्कर्ष

MPLADS लोकल डेवलपमेंट के लिए एक खास ज़रिया बना हुआ है, जो मैक्रो-पॉलिसी और माइक्रो-ज़रूरतों के बीच के अंतर को कम करता है। इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ़ फंड देने से ध्यान हटाकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को समय पर और अच्छे से पूरा करने पर होना चाहिए जो सीधे तौर पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं।

16वां वित्त आयोग

प्रसंग

आर्टिकल 280 के तहत , फाइनेंस कमीशन (FC) को केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल रिसोर्स के बंटवारे की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें भारत के फिस्कल फेडरलिज्म को आकार देने में अहम हैं, जो एक डेवलपिंग इकॉनमी की जरूरतों और अलग-अलग राज्यों की मांगों के बीच बैलेंस बनाती हैं।

ऊर्ध्वाधर विचलन

डिविज़िबल पूल का वह हिस्सा जो राज्यों में बांटा जाता है।

- **अभी का एलोकेशन:** हिस्सा **41% पर बना हुआ है** , जो 15वें फाइनेंस कमीशन द्वारा तय स्टेटस को बनाए रखता है।
- **इफेक्टिव शेयर:** 41% के आंकड़े के बावजूद, असल ट्रांसफर अक्सर कम होता है क्योंकि "डिविजिबल पूल" में सेस और सरचार्ज जैसे कुछ कलेक्शन शामिल नहीं होते हैं।

क्षैतिज हस्तांतरण: वितरण मानदंड

हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन यह तय करता है कि खास सोशियो-इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक मेट्रिक्स के आधार पर 41% हिस्सा अलग-अलग राज्यों में कैसे बांटा जाएगा।

मानदंड	**भारांक परिवर्तन**	**दलील**
आय दूरी	कम हुआ (45% → **42.5%**)	यह राज्यों को कम इनकम लेवल वालों को इनाम देने के बजाय फिस्कल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बढ़ावा देता है।
जनसंख्या	**बढ़ा हुआ**	इसका मकसद ज़्यादा आबादी वाले राज्यों की ज़रूरतों को पूरा करना है, और ज़्यादा ग्रोथ वाले राज्यों को सज़ा देने से बचना है।
क्षेत्र	कम (15% → **10%**)	कम डेंसिटी वाले ज्योग्राफिकली बड़े राज्यों के प्रति झुकाव को कम करता है।
वन आवरण	**10%** (अपरिवर्तित)	यह इकोलॉजिकल योगदान और जंगल की ज़मीन को बनाए रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहचानता है।
जीडीपी योगदान	**नए मानदंड**	ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट और प्रोडक्टिविटी वाले राज्यों को इनाम देने के लिए "टैक्स एफर्ट" को बदला गया।

मुख्य चिंता: सेस और सरचार्ज

सेस और सरचार्ज पर बढ़ती निर्भरता है ।

- **"सिकुड़ता" पूल:** अभी, केंद्र सरकार अपने कुल रेवेन्यू का लगभग **11% इन इंस्ट्रूमेंट्स से इकट्ठा करती है।**
- **बंटवारे से बहिष्कार: अनुच्छेद 270** के तहत , ये संग्रह विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से केंद्र द्वारा रखे जाते हैं।
- **असर:** इससे राज्यों का असल हिस्सा कुल टैक्स रेवेन्यू के सिर्फ़ **89% में से 41% रह जाता है।**

प्रमुख वित्तीय अवधारणाएँ

डिवोल्यूशन प्रोसेस को समझने के लिए, सरकार द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले लेवी के प्रकारों के बीच अंतर करना ज़रूरी है:

- **टैक्स:** आम लोगों की भलाई के लिए इकट्ठा किया गया आम रेवेन्यू; राज्यों के साथ शेयर करना ज़रूरी है।
- **सेस (आर्टिकल 270): यह एक खास मकसद** के लिए लगाया जाने वाला टैक्स है (जैसे, कृषि कल्याण सेस या एजुकेशन सेस)। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल सिर्फ़ उसी खास मकसद के लिए किया जाना चाहिए।
- **सरचार्ज (आर्टिकल 271): मौजूदा टैक्स के ऊपर** एक **एक्स्ट्रा टैक्स** (टैक्स पर टैक्स), जो आमतौर पर ज़्यादा इनकम वालों पर लगाया जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिविज़िबल पूल को बढ़ाना:** राज्यों की तरफ से यह मांग बढ़ रही है कि सेस और सरचार्ज का एक हिस्सा डिविज़िबल पूल में शामिल किया जाए ताकि सही मायने में फिस्कल फेडरलिज़्म पक्का हो सके।
- **नतीजे पर आधारित इंसेंटिव:** भविष्य के कमीशन को "GDP कंट्रीब्यूशन" मेट्रिक को और बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि यह पक्का हो सके कि इससे इंडस्ट्रियल और खेती वाले राज्यों के बीच असमानता न बढ़े।
- **ट्रांसफर में स्थिरता:** यह पक्का करना कि केंद्र सरकार टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसे मनमाने बदलावों को कम से कम करे जो राज्यों के अनुमानित रेवेन्यू स्ट्रीम पर असर डालते हैं।

निष्कर्ष

16वें फाइनेंस कमीशन ने आबादी के उतार-चढ़ाव की मुश्किलों को समझते हुए आर्थिक प्रदर्शन को इनाम देने की तरफ एक बदलाव दिखाया है। हालांकि, सेस और सरचार्ज का स्ट्रक्चरल मुद्दा उन राज्यों के लिए एक रुकावट बना हुआ है जो देश के रेवेन्यू में ज़्यादा बराबर हिस्सा चाहते हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार और ऊर्जा धुरी

प्रसंग

बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक और ट्रेड टेंशन के दौर के बाद, जिसमें US ने इंडियन सामान पर कुल **50% टैरिफ लगाया था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी, 2026 को एक बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया** । यह एग्रीमेंट इंडिया की एनर्जी सोर्सिंग और ट्रेड पोजीशनिंग में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव दिखाता है।

2026 ट्रेड डील के मुख्य नतीजे

- **टैरिफ में कमी:** भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 50% से घटाकर **18% कर दिया गया है** ।
    - अगस्त 2025 में लगाई गई **25% सज़ा वाली "रूसी तेल पेनल्टी"** को हटाना शामिल है ।
- **इकोनॉमिक सेंटिमेंट:** इस डील से इंडियन इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त रैली आई। **अडानी ग्रुप के स्टॉक्स** (एंटरप्राइजेज, पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी) में **7%–13% की तेज़ी देखी गई** , क्योंकि उनका एक्सपोर्ट-लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था।
- **कमिटमेंट्स: खबर है कि भारत ने 2030 तक US से $500 बिलियन** से ज़्यादा की एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का सामान खरीदने का कमिटमेंट किया है ("मिशन 500" पहल)।

रणनीतिक धुरी: रूस-वेनेजुएला बदलाव

US टैरिफ में राहत की एक खास शर्त यह है कि भारत **रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करने या रोकने पर सहमत हो** , जो यूक्रेन विवाद के बाद बहुत बढ़ गया था।

- **विकल्प:** भारत को रूसी बैरल की जगह **अमेरिकी** और **वेनेजुएला के** कच्चे तेल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वेनेज़ुएला तेल की तकनीकी चुनौतियाँ:**
    - **विस्कोसिटी और डेंसिटी:** वेनेज़ुएला का क्रूड ऑयल "बॉटम हैवी", गाढ़ा और सेमी-सॉलिड (टार जैसा) होता है।
    - **केमिकल बनावट:** इसकी खासियत है ज़्यादा एसिडिटी और ज़्यादा मेटल (वैनेडियम/निकेल) और नाइट्रोजन कंटेंट।
    - **रिफाइनरी रिस्क:** ज़्यादातर भारतीय सरकारी रिफाइनरियां हल्के, मीठे क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज़्ड हैं। एडवांस्ड "कॉम्प्लेक्स" रिफाइनिंग या सटीक ब्लेंडिंग के बिना भारी वेनेज़ुएला तेल को प्रोसेस करने से **इक्विपमेंट में जंग लग सकता है** और कैटलिस्ट पॉइज़निंग हो सकती है।
- **रिफाइनिंग का फ़ायदा: रिलायंस इंडस्ट्रीज़** और **नायरा एनर्जी** जैसी बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनियां दुनिया भर में उन कुछ कंपनियों में से हैं जो इन भारी ग्रेड को अच्छे से प्रोसेस कर सकती हैं।

राजनीतिक आरोप और विवाद

इस डील की कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में घरेलू विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है:

- **"समझौते" का आरोप:** विपक्षी नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री ने "बहुत ज़्यादा दबाव" में डील पर साइन किया, और आरोप लगाया कि US ने **"एपस्टीन फाइल्स"** और US में चल रहे **SEC/अडानी केस से जुड़े "लीवरेज" का इस्तेमाल किया।**
- **खेती से जुड़ी चिंताएँ:** आलोचकों का कहना है कि इस डील से US के खेती के सामान ज़ीरो या कम टैरिफ पर भारत आ सकते हैं, जिससे शायद भारतीय किसानों के फायदे "बेच दिए जाएँगे"।
- **सॉवरेनिटी डिबेट:** तेल पॉलिसी में बदलाव को आलोचक रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के बारे में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का "सरेंडर" बता रहे हैं।

निष्कर्ष

2026 की ट्रेड डील से भारतीय एक्सपोर्टर्स को तुरंत राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का रास्ता साफ होगा। हालांकि, रिफाइनरियों को हेवी क्रूड के हिसाब से ढालने में आने वाली टेक्निकल रुकावट और "कंसेशन" पर राजनीतिक तूफ़ान से लगता है कि इस डील को लागू करना जितनी घरेलू चुनौती होगी, उतनी ही डिप्लोमैटिक भी होगी।

भारत में आर्द्रभूमि का संरक्षण

प्रसंग

वर्ल्ड वेटलैंड्स डे (2 फरवरी, 2026) के मौके पर , भारत सरकार ने इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड्स की लिस्ट में दो नई जगहों को जोड़ने की घोषणा की, जिन्हें आमतौर पर **रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है** । इससे भारत में कुल **98 साइट्स हो गई हैं** , जो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हैं।

नए रामसर स्थल (2026)

1. **पटना बर्ड सैंक्चुअरी (उत्तर प्रदेश):** अपने नाम के बावजूद, यह बिहार में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है। यह भारत के सबसे छोटे बर्ड सैंक्चुअरी में से एक है और माइग्रेटरी पक्षियों के लिए सर्दियों में रहने की एक ज़रूरी जगह है।
2. **थारिडांड वेटलैंड (गुजरात): कच्छ इलाके** में मौजूद यह वेटलैंड, लोकल ग्राउंडवॉटर लेवल को बनाए रखने और सूखे इलाके की खास बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है।

वेटलैंड्स को समझना: मुख्य अवधारणाएँ

RACE IAS

- **वर्ल्ड वेटलैंड्स डे:** यह हर साल **2 फरवरी को** ईरान के रामसर में 1971 में रामसर कन्वेंशन पर साइन होने की याद में मनाया जाता है।
- **इकोटोन: वेटलैंड्स इकोटोन** का एक क्लासिक उदाहरण हैं , जो दो अलग-अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटी (ज़मीन और पानी) के बीच एक ट्रांज़िशन ज़ोन है। क्योंकि इनमें दोनों एनवायरनमेंट की स्पीशीज़ होती हैं, इसलिए इनमें अक्सर हाई बायोडायवर्सिटी होती है, इस चीज़ को **"एज इफ़ेक्ट"** के नाम से जाना जाता है ।

संकट: चुनौतियाँ और गिरावट

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट **डॉ. सौम्या स्वामीनाथन** ने वेटलैंड्स को **"नेशनल पब्लिक गुड" के तौर पर क्लासिफाई करने की वकालत की है,** और पर्यावरण के गंभीर संकट पर रोशनी डाली है:

- **खत्म होते इकोसिस्टम:** पिछले 30 सालों में भारत ने **अपने** लगभग 40% वेटलैंड्स खो दिए हैं ।
- **गिरावट:** बचे हुए वेटलैंड्स में से **50%** तेज़ी से खराब हो रहे हैं।
- **मुख्य कारण:** * बिना ट्रीटमेंट वाले इंडस्ट्रियल और खेती के सीवेज का निकलना।
    - प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों पर कंस्ट्रक्शन से अतिक्रमण।
    - ठोस कचरे का जमा होना।
- **प्रदूषण के संकेत: E. coli बैक्टीरिया और केमिकल पॉल्यूटेंट** का ज़्यादा लेवल , खासकर गंगा नदी बेसिन में देखा गया है, जो इन इकोसिस्टम से मिलने वाले नैचुरल फिल्ट्रेशन के खत्म होने का संकेत है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

भारत के फ़ेडरल स्ट्रक्चर में वेटलैंड्स और वाइल्डलाइफ़ समेत पर्यावरण की सुरक्षा एक साझा ज़िम्मेदारी है:

- **समवर्ती सूची:** पर्यावरण और जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा **समवर्ती सूची** (एंट्री 17A और 17B) के तहत हैं।
- **42वां संशोधन (1976):** इन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उन पर कानून बनाने की अनुमति मिल गई।
- **अनुच्छेद 51ए (जी):** वन, झील, नदियाँ और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का **मौलिक कर्तव्य** है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कम्युनिटी के नेतृत्व में संरक्षण:** ऊपर से नीचे के नियम से आगे बढ़कर स्थानीय समुदायों को "समझदारी से इस्तेमाल" के तरीकों में शामिल करना।
- **स्टैंडर्ड मैपिंग:** सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके रियल-टाइम "वेटलैंड इन्वेंटरी" बनाना ताकि आगे अतिक्रमण को रोका जा सके।
- **इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट:** वेटलैंड्स को अलग-थलग पानी की जगहों के तौर पर नहीं, बल्कि बड़े हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ज़रूरी हिस्सों के तौर पर देखना, ताकि शहरों में बाढ़ से बचाव पक्का हो सके।

निष्कर्ष

क्लाइमेट चेंज के खिलाफ नेचुरल बफर और लैंडस्केप की ज़रूरी "किडनी" के तौर पर, वेटलैंड्स बहुत ज़रूरी हैं। 98 रामसर साइट्स तक पहुंचना एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन अब फोकस लीगल डेज़िग्नेशन से हटकर एक्टिव इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पर होना चाहिए।

अपहरण

प्रसंग

दिल्ली में **807 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है** , यानी **रोज़ाना औसतन 27 मामले** । नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है, क्योंकि इस छोटे से समय में **137 बच्चों का** पता नहीं चल पाया है, जिसमें किशोर लड़कियों की तरफ़ ज़्यादा झुकाव है।

समाचार के बारे में

संकट की परिभाषा: किडनैपिंग एक स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस बन गया है, जहाँ क्रिमिनल ग्रुप सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को फिरौती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ज़बरदस्ती मज़दूरी या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए किडनैप करते हैं।

प्रमुख डेटा रुझान (2015–2026):

- **कमज़ोरी का अंतर:** किशोर लड़कियां (12-18 साल) मुख्य टारगेट हैं; जनवरी 2026 में, **137** लापता नाबालिगों में से 120 लड़कियां थीं।
- **लंबे समय का बैकलॉग:** 2015 से 2025 के बीच, दिल्ली में लगभग **5,559 बच्चे** लापता हुए, जिनमें से लगभग 700 का अभी भी कोई पता नहीं है।
- **रिकवरी की चुनौतियाँ: रिकवरी रेट अभी भी कम है,** पिछले दस सालों में नेशनल कैपिटल में लगभग **11% लापता बच्चे बिना किसी सुराग के रह गए हैं।**
- **ज्योग्राफिक हॉटस्पॉट:** दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन हब में आबादी की ज़्यादा संख्या और माइग्रेशन से मिली गुमनामी की वजह से ज़्यादा रेट देखने को मिलते हैं।

संगठित अपहरण के पीछे के कारण

- **ट्रैफिकिंग नेटवर्क:** अपहरण से घरेलू गुलामी और जिस्म के व्यापार के लिए गैर-कानूनी बाज़ार मिलते हैं (जैसे, 2024 में बच्चों को ज़बरदस्ती मज़दूरी के लिए पड़ोसी राज्यों में ले जाने वाले इंटरस्टेट गैंग पर कार्रवाई)।

RACE IAS

- **आर्थिक तंगी:** गरीबी की वजह से नाबालिग काम के लिए घर से भाग जाते हैं, जिससे वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे ट्रांज़िट पॉइंट पर ट्रैफिकर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं।
- **टेक्नोलॉजी से लालच देना:** अपराधी सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम/फेसबुक) का इस्तेमाल करके किशोरों को "हनी-ट्रैपिंग" या धोखाधड़ी वाले जॉब/मॉडलिंग ऑफर देकर फंसाते हैं।
- **निगरानी में कमी:** ज़्यादा आबादी वाले इलाकों और झुग्गी-झोपड़ियों (जैसे, निज़ामुद्दीन और जहांगीरपुरी) में अक्सर CCTV कवरेज की कमी होती है, जिससे आपराधिक गतिविधियों के लिए "डार्क स्पॉट" बन जाते हैं।
- **घरेलू ट्रिगर:** खराब घरेलू माहौल और घरेलू हिंसा की वजह से अक्सर "भागने वाले" मामले सामने आते हैं, जिन्हें ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट जल्दी से पकड़ लेते हैं।

सुरक्षा निहितार्थ और चुनौतियाँ

- **अंतर-राज्यीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे:** तस्कर पीड़ितों को राज्य की सीमाओं के पार इतनी तेज़ी से ले जाते हैं कि पुलिस तालमेल नहीं रख पाती, जिससे उनका पता लगाने में बहुत देरी होती है।
- **रिसोर्स की कमी:** दिल्ली की **एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTU)** पर केस की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उन्हें स्टाफ की भी बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स:** गैंग अब डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन (Signal) और नकली लाइसेंस प्लेट वाली चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
- **पहचान मिटाना:** अपराधी बरामद पीड़ितों को नई पहचान देने के लिए **आधार कार्ड जैसे नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं** , जिससे कानूनी और माता-पिता की पहचान में रुकावट आती है।

मौजूदा ढांचा और पहल

- **ऑपरेशन मुस्कान/मिलाप:** दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया डेडिकेटेड रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन ड्राइव।
- **ZIPNET (ज़ोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क):** उत्तर भारतीय राज्यों में लापता लोगों की जानकारी शेयर करने के लिए एक रियल-टाइम डेटाबेस।
- **फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS):** AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल अलग-अलग शेल्टर होम में मौजूद बच्चों से लापता बच्चों का मिलान करने के लिए किया जाता है।
- **ट्रैकचाइल्ड पोर्टल:** यह एक नेशनल डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे कमज़ोर बच्चों के लिए अलग-अलग राज्यों में तालमेल बिठाने में मदद के लिए बनाया गया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **प्रेडिक्टिव पुलिसिंग:** किडनैपिंग हॉटस्पॉट और पीक टाइम की पहचान करने के लिए AI का इस्तेमाल करें ताकि कमज़ोर इलाकों में पेट्रोलिंग को बेहतर बनाया जा सके।
- **AHTUs को मज़बूत करना:** हर ज़िले में साइबर-फ़ोरेंसिक्स और विक्टिम साइकोलॉजी में स्पेशल ट्रेनिंग के साथ एक डेडिकेटेड टास्क फ़ोर्स बनाना।
- **कम्युनिटी इंटीग्रेशन: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs)** और मोहल्ला कमेटियों को अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के तौर पर शामिल करें ।
- **ज़ीरो FIR पोर्टेबिलिटी:** पक्का करें कि किसी लापता व्यक्ति के लिए "ज़ीरो FIR" से सभी नेशनल ट्रांज़िट हब पर तुरंत, ऑटोमैटिक अलर्ट आ जाए।
- **पब्लिक अवेयरनेस:** स्कूलों और झुग्गी-झोपड़ियों में ऑनलाइन ग्रूमिंग और बिना वेरिफ़ाई किए नौकरी के ऑफ़र के खतरों के बारे में खास तौर पर जानकारी दें।

निष्कर्ष

2026 में गुमशुदा लोगों के मामलों में बढ़ोतरी शहरी सुरक्षा में सिस्टम की कमज़ोरी को दिखाती है। ऑर्गनाइज़्ड किडनैपिंग से निपटने के लिए रिएक्टिव ट्रेसिंग से एक प्रोएक्टिव, टेक-ड्रिवन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो बिना किसी रुकावट के इंटर-स्टेट कोऑपरेशन और कम्युनिटी विजिलेंस के ज़रिए ट्रैफिकिंग नेटवर्क को खत्म करे।

ऑपरेशन किया

प्रसंग

जम्मू और कश्मीर के उधमपुर ज़िले के बसंतगढ़ इलाके में आतंकवाद के खिलाफ़ एक बड़ी लड़ाई हुई। पाकिस्तान के **जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन के भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की घुसपैठ की खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया शुरू** किया।

ऑपरेशन किया के बारे में

परिभाषा: ऑपरेशन किया एक इंटेलिजेंस पर आधारित, जॉइंट काउंटर-टेररिज्म मिशन है जिसे इंडियन सिक्योरिटी ग्रिड ने जम्मू इलाके के घने, ऊंचाई वाले जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ट्रैक करने और खत्म करने के लिए शुरू किया है।

प्रमुख विशेषताएं:

- **सिनर्जाइज्ड कमांड:** यह ऑपरेशन आर्मी की **व्हाइट नाइट कॉर्प्स** (खासकर **CIF डेल्टा**), **जम्मू और कश्मीर पुलिस (JKP)** और **CRPF की मिली-जुली कोशिश है** ।
- **टैक्टिकल सटीकता: इस मिशन में ड्रोन और डॉग स्क्वॉड समेत एडवांस्ड सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया, ताकि जोफर जंगल** में एक नैचुरल गुफा में आतंकवादियों को फंसाया जा सके , और आखिर में

RACE IAS

कैलिब्रेटेड फायरपावर और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके।

मुख्य परिणाम (फरवरी 2026):

- **कमांडरों को बेअसर करना:** दो टॉप पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें एक हाई-रैंकिंग JeM कमांडर, जिसकी पहचान **रुबानी (उर्फ अबू माविया) के रूप में हुई** , शामिल था।
- **हथियारों की बरामदगी:** सुरक्षा बलों ने **US में बनी M4 कार्बाइन** , AK-सीरीज़ राइफलें और "युद्ध जैसे सामान" समेत एडवांस हथियार बरामद किए, जिससे पता चलता है कि आतंकवादियों के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे।

ऑपरेशन का महत्व

- **विदेशी मॉड्यूल में रुकावट:** अबू माविया जैसे लंबे समय से एक्टिव कमांडरों का खात्मा डोडा-उधमपुर-कठुआ सर्किट में एक्टिव आतंकी ग्रुप्स की लीडरशिप के लिए एक बड़ा झटका है।
- **स्ट्रेटेजिक एरिया पर कब्ज़ा:** बसंतगढ़ जंगल में नेचुरल गुफाओं और "डार्क स्पॉट्स" से आतंकवादियों को बाहर निकालकर, फोर्स ने ज़रूरी घुसपैठ के रास्तों पर फिर से कंट्रोल पा लिया है।
- **इंटर-एजेंसी सिनर्जी:** यह ऑपरेशन "सीमलेस कोऑर्डिनेशन" के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, जो दिखाता है कि लोकल पुलिस से मिली रियल-टाइम इंटेलिजेंस को असरदार तरीके से टैक्टिकल मिलिट्री सफलता में कैसे बदला जा सकता है।

क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ

- **मुश्किल इलाका:** बसंतगढ़ और रामनगर तहसीलों की घनी हरियाली और कुदरती गुफाएं छिपने की ऐसी जगहें देती हैं, जिन्हें पारंपरिक हवाई निगरानी से पता लगाना मुश्किल होता है।
- **सर्दियों में फिर से उभरना: किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी-I** जैसे पैरेलल ऑपरेशन, खराब मौसम और बर्फ से ढके इलाकों का इस्तेमाल बेस बनाने के लिए आतंकवादियों की कोशिशों के बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं।

निष्कर्ष

ऑपरेशन किया भारतीय सुरक्षा बलों के "टेरर-फ्री जम्मू और कश्मीर" के कमिटमेंट को दिखाता है। मुश्किल भौगोलिक हालात में बड़े टारगेट को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज़ करके, यह ऑपरेशन क्रॉस-बॉर्डर खतरों के खिलाफ अंदरूनी स्थिरता बनाए रखने में जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड के असर को और मज़बूत करता है।

सभासार पहल

प्रसंग

सभासार **इनिशिएटिव ने** काफ़ी रफ़्तार पकड़ी है, **1.11 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों ने** इस AI-इनेबल्ड टूल को अपनाया है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में राज्यसभा को बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन को सफलतापूर्वक ऑटोमेट कर दिया है, जो डिजिटल ग्रासरूट गवर्नेंस में एक मील का पत्थर है।

समाचार के बारे में

सभासार क्या है?

14 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया , सभासार एक AI-पावर्ड वॉइस-टू-टेक्स्ट और मीटिंग समराइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म है। इसे ग्राम सभा और पंचायत की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से ऑटोमैटिकली स्ट्रक्चर्ड **मिनट्स ऑफ़ मीटिंग्स (MoM) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

शामिल संगठन:

- **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR):** पॉलिसी को दिशा देने और उसे लागू करने वाला नोडल मंत्रालय।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): इंडियाएआई मिशन** के माध्यम से तकनीकी आधार प्रदान करता है ।
- **नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC):** इसे सुरक्षित डेटा स्टोरेज और सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

वर्कफ़्लो:

1. **रिकॉर्डिंग:** ग्राम सभा की कार्यवाही ऑडियो या वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती है।
2. **अपलोड:** अधिकारी सभासार पोर्टल पर फ़ाइल अपलोड करने के लिए **ई-ग्रामस्वराज क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हैं।**
3. **प्रोसेसिंग:** AI स्पीच को ट्रांसक्राइब करता है और ज़रूरी फ़ैसलों, एक्शन पॉइंट्स और रिज़ॉल्यूशन की पहचान करता है।
4. **आउटपुट:** चुनी हुई भाषा में एक अच्छी तरह से फ़ॉर्मेट की हुई, स्ट्रक्चर्ड समरी बनाई जाती है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **AI और NLP ट्रांसक्रिप्शन:** यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके चर्चा को स्ट्रक्चर्ड मिनट्स में बदलता है, जिससे यह पक्का होता है कि कोई भी ज़रूरी बातचीत छूट न जाए।
- **मल्टीलिंगुअल सपोर्ट (भाषिणी): भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म** के साथ इंटीग्रेटेड , यह ग्रामीण भारत में भाषाई अंतर को कम करने के लिए **13 भारतीय भाषाओं** (हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी सहित) को सपोर्ट करता है।
- **सिक्योर डेटा गवर्नेंस:** यह पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल वाले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (**इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल**) के अंदर काम करता है। यह **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2025 का सख्ती से पालन करता है** , जिससे यह पक्का होता है कि कोई भी डेटा थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ शेयर न किया जाए।

RACE IAS

- **गवर्नेंस एनालिटिक्स:** इससे मिनिस्ट्री को देश भर में मीटिंग की फ्रीक्वेंसी, अटेंडेंस ट्रेंड और प्रस्तावों का स्टेटस ट्रैक करने में मदद मिलती है।

महत्व

- **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र:** आम नागरिकों के लिए रिकॉर्ड को ज़्यादा आसान और वेरिफ़ाई करने लायक बनाकर ग्राम सभाओं के "डायरेक्ट डेमोक्रेसी" पहलू को बढ़ाता है।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी:** हाथ से लिखे रिकॉर्ड रखने से जुड़े मैनुअल वर्कलोड और गलतियों को काफी कम करता है।
- **ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी:** स्टैंडर्ड डिजिटल रिकॉर्ड मीटिंग के बाद मिनट्स में बदलाव को रोकते हैं, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है।
- **सोच-समझकर फ़ैसला लेना:** यह पिछले प्रस्तावों का एक सर्च किया जा सकने वाला डिजिटल रिपॉजिटरी देता है, जो गांव के विकास के लिए डेटा-ड्रिवन प्लानिंग में मदद करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** डिजिटल लिटरेसी की कमी को दूर करने के लिए पंचायत अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देना।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** "शैडो एरिया" में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ताकि हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग की आसानी से अपलोडिंग हो सके।
- **पूरा इंटीग्रेशन:** रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए सभासार और **पंचायत NIRNAY पोर्टल** के बीच पूरे डेटा स्ट्रीम इंटीग्रेशन को प्राथमिकता देना ।

निष्कर्ष

सभासार पहल ग्रामीण प्रशासन में एक बड़ा बदलाव दिखाती है, जो "पेपर-हैवी" से "AI-रेडी" गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। **इंडियाAI मिशन का फ़ायदा उठाकर** , सरकार ने न सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन को मॉडर्न बनाया है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के संवैधानिक अधिकार को भी मज़बूत किया है।

भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ

प्रसंग

फरवरी 2026 में, भारत ऑफिशियली **BRICS सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज़ (BCIC) में शामिल हो गया** । इस स्ट्रेटेजिक कदम को भारत के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (**DPIIT**) और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (**UNIDO**) के बीच साइन किए गए एक **ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट के ज़रिए पक्का किया गया।** नेशनल **प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) को** BCIC के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए भारत का नोडल सेंटर बनाया गया है।

समाचार के बारे में

BRICS सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज़ (BCIC) क्या है?

BCIC एक मल्टीलेटरल, पब्लिक-प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जिसे **UNIDO के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है** । यह BRICS और BRICS प्लस देशों में मैन्युफैक्चरिंग फर्मों और MSMEs को इंटीग्रेटेड सपोर्ट देने वाले "वन-स्टॉप सेंटर" के तौर पर काम करता है।

- **स्थापना:** वियना में UNIDO हेडक्वार्टर में लॉन्च किया गया (अप्रैल 2025)।
- **फाउंडेशन: नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स भागीदारी (PartNIR)** के तहत समर्थित ।
- **मुख्य उद्देश्य: इंडस्ट्री 4.0** टेक्नोलॉजी (AI, IoT, बिग डेटा) और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अपनाने में तेज़ी लाकर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ।

नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) की भूमिका: भारत की नोडल एजेंसी के तौर पर, NPC, DPIIT की पॉलिसी गाइडेंस के तहत काम करते हुए, कैपेसिटी-बिल्डिंग की पहल को लीड करेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आसान बनाएगी, और UNIDO के टेक्निकल सपोर्ट के ज़रिए MSMEs को प्रोडक्टिविटी गैप को कम करने में मदद करेगी।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल सपोर्ट:** ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन को जोड़कर मैन्युफैक्चरर्स को " **भविष्य की फैक्ट्रियों** " में बदलने में मदद करता है ।
- **पार्टनरशिप और मैचमेकिंग:** यह भारतीय कंपनियों को बड़े BRICS+ नेटवर्क के अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स और संभावित बिज़नेस पार्टनर्स से जोड़ता है।
- **मार्केट इंटेलिजेंस:** मार्केट एक्सेस, ऑपरेशन्स को बढ़ाने और छोटे बिज़नेस के इंटरनेशनलाइज़ेशन पर एडवाइज़री सर्विस देता है।
- **सस्टेनेबल प्रैक्टिस:** ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए महत्व

- **MSME एम्पावरमेंट:** भारत का MSME सेक्टर (GDP में ~30% का योगदान) अक्सर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा लागत से जूझता है। BCIC दुनिया भर में सबसे अच्छे तरीकों के लिए एक सब्सिडी वाला, स्ट्रक्चर्ड रास्ता देता है।
- **ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन:** इससे भारतीय कंपनियां मज़बूत BRICS सप्लाई चेन में और गहराई से जुड़

RACE IAS

पाएंगी, जिससे ज़रूरी इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए गैर-सदस्य देशों पर निर्भरता कम होगी।

- **आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया:** ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की इनोवेशन-ड्रिवन ग्रोथ को बढ़ाकर इन मिशन को सीधे सपोर्ट करता है।
- **डिप्लोमैटिक लीडरशिप: ग्लोबल साउथ के इंडस्ट्रियल एजेंडा** के एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर भारत की भूमिका को मज़बूत करता है , खासकर जब BRICS ब्लॉक बढ़ रहा है।

निष्कर्ष

BCIC में भारत का आना, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर में "डिजिटल डिवाइड" को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। UNIDO की एक्सपर्टीज़ और BRICS देशों के मिले-जुले रिसोर्स का इस्तेमाल करके, भारत अपने MSME सेक्टर को **नई इंडस्ट्रियल क्रांति को लीड करने के लिए तैयार कर रहा है** , जिससे यह पक्का होगा कि "मेक इन इंडिया" का मतलब "इनोवेट इन इंडिया" भी है।

भारत टैक्सी

प्रसंग

फरवरी 2026 में, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री **अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी को** ऑफिशियली लॉन्च किया । यह पहल भारत का पहला कोऑपरेटिव-सेक्टर राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद **"सहकार से समृद्धि"** (सहयोग के ज़रिए खुशहाली) के विज़न के तहत डिजिटल मोबिलिटी लैंडस्केप को ड्राइवर-ओन्ड मॉडल की ओर ले जाना है।

भारत टैक्सी के बारे में

परिभाषा:

भारत टैक्सी प्राइवेट एग्रीगेटर मॉडल (जैसे ओला और उबर) का एक देसी, कोऑपरेटिव-लेड विकल्प है। इसे ड्राइवर- ओन्ड और ड्राइवर-लेड एंटरप्राइज़ के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर ही मुख्य स्टेकहोल्डर और मालिक भी हैं।

मुख्य संस्थागत विवरण:

- **परिचालन इकाई:** सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल)।
- **रजिस्ट्रेशन: मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002** (6 जून, 2025 को स्थापित) के तहत रजिस्टर्ड ।
- **सपोर्ट: अमूल, IFFCO और NAFED** समेत आठ बड़ी कोऑपरेटिव्स का सपोर्ट ।
- **नोडल मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय।

तुलना: भारत टैक्सी बनाम प्राइवेट एग्रीगेटर्स

विशेषता	**भारत टैक्सी**	**ओला / उबर / रैपिडो**
नमूना	**सहकारी / चालक-स्वामित्व वाली**	निजी / एग्रीगेटर-आधारित
आयोग	**0% (शून्य कमीशन)**	प्रति सवारी 20% – 30%
ड्राइवर की स्थिति	**"सारथी" (मालिक/हितधारक)**	संविदात्मक गिग कार्यकर्ता
सर्ज प्राइसिंग	**पूरी तरह से सर्ज-फ्री**	गतिशील (चरम के दौरान उच्च उछाल)
प्लेटफ़ॉर्म शुल्क	फ़्लैट डेली फ़ीस (लगभग ₹30)	प्रतिशत-आधारित प्रति सवारी
राजस्व प्रवाह	पूरा किराया ड्राइवर के पास रहता है	हर किराए से कमीशन काटा जाएगा

प्रमुख विशेषताऐं

- **"सारथी ही मालिक" मॉडल:** हर ड्राइवर कोऑपरेटिव में शेयरहोल्डर है। लॉन्च के दौरान, टॉप परफॉर्मर्स को इस ओनरशिप प्रिंसिपल को पक्का करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिए गए।
- **ज़ीरो-कमीशन और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग:** बिचौलिए का कमीशन हटाकर, प्लेटफॉर्म का अनुमान है कि यात्रियों के लिए किराया **30% तक सस्ता होगा** , जबकि ड्राइवरों के लिए ज़्यादा टेक-होम पे पक्का होगा।
- **मज़बूत सोशल सिक्योरिटी: रजिस्टर्ड सारथियों के लिए ₹5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस** और **₹5 लाख का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस** , साथ ही रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन भी देता है।
- **सुरक्षा और डिजिटल इंटीग्रेशन:** * भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** (डिजिलॉकर, उमंग) के साथ इंटीग्रेटेड।
  - बड़े ट्रांज़िट हब पर 35 फ़िज़िकल असिस्टेंस बूथ के साथ **दिल्ली पुलिस** से सीधा लिंक ।
- **महिला सशक्तिकरण: "सारथी दीदी"** और **"बाइक दीदी"** जैसी खास पहलों में पहले ही 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवर शामिल हो चुकी हैं।
- **नॉन-एक्सक्लूसिविटी:** ड्राइवर एक ही समय में दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आज़ाद हैं, जिससे यह पक्का होता है कि वे किसी एक एल्गोरिदम में "फंस" न जाएं।

महत्व

- **अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का एम्पावरमेंट:** गिग वर्कर्स को खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट लेबर से इज़्ज़तदार, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की ओर ले जाता है।
- **मार्केट मोनोपॉली में रुकावट: यह आत्मनिर्भर भारत** के साथ तालमेल बिठाते हुए, विदेशी फंडेड एग्रीगेटर्स के लिए एक घरेलू, गैर-शोषणकारी विकल्प प्रदान करता है।
- **स्केलेबल कोऑपरेटिव मॉडल:** यह साबित करता है कि कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को मॉडर्न, हाई-टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म इकॉनमी में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
- **आर्थिक असर:** दिल्ली-NCR और गुजरात में अपने दो महीने के पायलट फेज़ के दौरान, प्लेटफॉर्म ने ड्राइवरों को सीधे **₹10 करोड़ से ज़्यादा की रकम बांटी।**

निष्कर्ष

भारत टैक्सी का कमर्शियल लॉन्च भारत के कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक बड़ा मील का पत्थर है। ज़ीरो-कमीशन मॉडल के ज़रिए ड्राइवर की भलाई और पैसेंजर की किफ़ायत को प्राथमिकता देकर, भारत टैक्सी शहरी मोबिलिटी को फिर से परिभाषित करना चाहता है। सरकार अगले **तीन सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस सर्विस को बढ़ाने की योजना बना रही है**।

रोके जा सकने वाला कैंसर

प्रसंग

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) और **इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के किए** गए एक बड़े ग्लोबल एनालिसिस **नेचर मेडिसिन** (3 फरवरी, 2026) में छपी रिपोर्ट में कैंसर के बदले जा सकने वाले कारणों पर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी दी है। यह स्टडी पब्लिक हेल्थ में एक बड़ा बदलाव दिखाती है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि 10 में से लगभग **4** कैंसर के मामले "बुरी किस्मत" या जेनेटिक्स की वजह से नहीं होते, बल्कि ऐसे मामलों से जुड़े होते हैं जिन्हें रोका जा सकता है।

मुख्य निष्कर्ष: 40% रोकथाम की संभावना

एनालिसिस में **185 देशों** और **36 तरह के कैंसर के डेटा की जांच की गई** , और **30 मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स की पहचान की गई** ।

- **ग्लोबल बर्डन: 2022 में सभी नए कैंसर के मामलों में से** लगभग **37.8% (7.1 मिलियन)** इन रोके जा सकने वाले कारणों से जुड़े थे।
- **टॉप 3 वजहें:** 1. **तंबाकू स्मोकिंग:** सबसे बड़ी वजह, दुनिया भर में सभी नए मामलों में से **15% के लिए ज़िम्मेदार।** 2. **इन्फेक्शन: 10% (2.3 मिलियन मामले)** के लिए ज़िम्मेदार , जिसमें HPV, हेपेटाइटिस B/C, और *H. पाइलोरी* शामिल हैं । 3. **शराब पीना: 3% से ज़्यादा** (700,000 मामले) से जुड़ा ।
- **कंसन्ट्रेटेड रिस्क:** रोके जा सकने वाले सभी मामलों में से लगभग आधे सिर्फ़ तीन तरह के होते हैं: **लंग कैंसर, पेट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर** ।

प्राथमिक जोखिम कारक

स्टडी में 30 "बदलने वाले" एलिमेंट्स को चार मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है:

वर्ग	**प्राथमिक कारक**
मेटाबोलिक / लाइफस्टाइल	हाई बॉडी मास इंडेक्स (मोटापा), फिजिकल इनएक्टिविटी, और ठीक से ब्रेस्टफीडिंग न होना।
व्यवहार	तंबाकू का इस्तेमाल (स्मोकिंग और स्मोकलेस/सुपारी) और शराब का सेवन।
पर्यावरण	वायु प्रदूषण (PM2.5) और अल्ट्रावॉयलेट (UV) रेडिएशन का संपर्क।
व्यावसायिक	13 खास कार्सिनोजेन्स (जैसे, एस्बेस्टस, कोयला खदान की धूल, या कुछ केमिकल्स) के संपर्क में आना।
संक्रमणों	नौ खास एजेंट, जिनमें सबसे खास **HPV** (सर्वाइकल), ***H. पाइलोरी*** (पेट), और **हेपेटाइटिस B/C** (लिवर) हैं।

जेंडर असमानता: पुरुषों को ज़्यादा जोखिम क्यों होता है

स्टडी की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक यह है कि रोके जा सकने वाले रिस्क के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच काफी अंतर है:

- **पुरुष (45.4% रोके जा सकते हैं):** पुरुषों में होने वाले लगभग 2 में से 1 कैंसर को रोका जा सकता है। स्टडी किए गए 185 देशों में से 126 में पुरुषों के लिए तंबाकू सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो पुरुषों में होने वाले सभी कैंसर के **23.1% मामलों में योगदान देता है।**
- **महिलाएं (29.7% रोकी जा सकती हैं):** महिलाओं में होने वाले लगभग 3 में से 1 कैंसर को रोका जा सकता है। महिलाओं के लिए, **इन्फेक्शन** (खासकर HPV) दुनिया भर में सबसे बड़ा बदलाव वाला रिस्क फैक्टर है।

ऑटोफ़ैगी " और उपवास की भूमिका

रिपोर्ट और उसके बाद हुई मेडिकल चर्चाओं में **ऑटोफैगी** , जो शरीर का नैचुरल "रीसाइक्लिंग" मैकेनिज्म है, को रोकथाम के लिए एक ज़रूरी बायोलॉजिकल टूल के तौर पर हाईलाइट किया गया है:

- **प्रक्रिया:** ऑटोफैगी (मतलब "खुद खाना") शरीर को खराब ऑर्गेनेल और गलत तरीके से बने प्रोटीन को

पहचानने, तोड़ने और रीसायकल करने में मदद करती है, जो नहीं तो DNA म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं।

- **फास्टिंग ट्रिगर:** न्यूट्रिशनल रोक, जैसे कि **इंटरमिटेंट फास्टिंग ,** ऑटोफैगी को शुरू करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है ।
- **ट्यूमर सप्रेशन:** 2026 में हुई स्टडीज़ से पता चलता है कि ऑटोफ़ैगी के रेगुलर साइकिल , बढ़ते ट्यूमर को "भूखा" रखने और नॉर्मल सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं।

पश्चिमी गोलार्ध:

WHO इस बात पर ज़ोर देता है कि कोई "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" स्ट्रैटेजी नहीं है:

- **वैक्सीनेशन:** कम आय वाले इलाकों के लिए HPV और हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन को बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
- **रेगुलेटरी एक्शन:** ईस्ट एशिया और यूरोप में तंबाकू कंट्रोल और शराब पर ज़्यादा सख्त रेगुलेशन ज़रूरी है।
- **एयर क्वालिटी:** शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाना अब उतना ही ज़रूरी माना गया है जितना कि नॉन-स्मोकर्स में लंग कैंसर को रोकने के लिए तंबाकू कंट्रोल।

निष्कर्ष

2026 की नेचर मेडिसिन स्टडी एक चेतावनी और उम्मीद दोनों का काम करती है। हालांकि दुनिया भर में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन तंबाकू छोड़ने और रुक-रुक कर उपवास करने जैसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव और साफ़ हवा और सबके लिए वैक्सीनेशन के लिए सरकार की कोशिशों को मिलाकर **लाखों मामलों से बचा जा सकता है ।**

रैट-होल माइनिंग

प्रसंग

ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक गैर-कानूनी कोयला खदान में हुए भयानक धमाके और उसके बाद खदान गिरने से "रैट-होल" माइनिंग का मुद्दा फिर से देश भर में चर्चा में आ गया है। दस साल से कोर्ट में बैन होने के बावजूद, यह तरीका अब भी लोगों की जान ले रहा है, जो जियोलॉजी, संवैधानिक कानून और आर्थिक तंगी के बीच के मुश्किल मेल को दिखाता है।

हालिया अपडेट (फरवरी 2026)

- **बढ़ती मौत की संख्या: 8 फरवरी, 2026** तक , मिनसिनगाट-थांगस्को माइन ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर **27 हो गई है** ।
- **घटना:** 5 फरवरी को, कोयले की परतों को तोड़ने के लिए डायनामाइट से धमाका किया गया, जिससे 350 फीट गहरे मीथेन गैस के पॉकेट में आग लग गई। NDRF और SDRF के बचाव अभियान में संकरी, भूलभुलैया जैसी सुरंगों में पानी भरने और मिट्टी खिसकने की वजह से रुकावट आई है।
- **कानूनी कार्रवाई:** राज्य पुलिस ने दो खदान मालिकों और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर **MMDR एक्ट** और गैर-कानूनी तरीके से विस्फोटक रखने का आरोप लगाया है।

तकनीकी संदर्भ: "रैट-होल" क्यों?

जैंतिया , खासी और गारो हिल्स में कोयला **पतली परतों** (अक्सर 2 मीटर से कम मोटी) में पाया जाता है।

- **आर्थिक रुकावट:** स्टैंडर्ड "ओपन-कास्ट" माइनिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी पतली परतों तक पहुँचने के लिए भारी "ओवरबर्डन" (मिट्टी और चट्टान) को हटाना बहुत महंगा है।
- **तरीका:** इसके बजाय, माइनर्स एक सीधा गड्ढा (100–400 फीट गहरा) खोदते हैं और फिर सिर्फ़ 3–4 फीट ऊँची, पतली, आड़ी सुरंगों में फैल जाते हैं। मज़दूरों को पेट के बल रेंगना पड़ता है या कुल्हाड़ी से हाथ से कोयला निकालने के लिए उकड़ू बैठना पड़ता है, जो बिल में चूहों जैसा दिखता है।

संवैधानिक और कानूनी जटिलता

6th शेड्यूल फैक्टर: मेघालय भारतीय संविधान के **छठे शेड्यूल के तहत चलता है, जो आदिवासी ज़मीन के अधिकारों और आम कानूनों की रक्षा करता है।**

- **प्राइवेट ओनरशिप:** बाकी भारत के उलट, जहाँ मिनरल्स राज्य के होते हैं, मेघालय में ज़मीन और उसके नीचे के मिनरल्स पर अक्सर **प्राइवेट लोगों या ग्रुप्स का मालिकाना हक होता है** ।
- **रेगुलेटरी कन्फ्यूजन:** यह खास स्टेटस एक "ग्रे ज़ोन" बनाता है, जहाँ राज्य सरकार को फेडरल माइनिंग कानूनों (जैसे माइंस एक्ट, 1952) को लागू करने में मुश्किल होती है, बिना आदिवासी ऑटोनॉमी का उल्लंघन किए। इस कन्फ्यूजन का अक्सर गैर-कानूनी ऑपरेटर फायदा उठाते हैं।

न्यायिक प्रतिबंध:

- **NGT बैन (2014):** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनवायरनमेंटल डैमेज और ज़्यादा मौत की दर की वजह से इस प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया।
- **सुप्रीम कोर्ट (2019):** इसने "साइंटिफिक माइनिंग" को फिर से शुरू करने की इजाज़त तो दी, लेकिन खतरनाक रैट-होल तरीकों पर बैन को बरकरार रखा। इसके बावजूद, एक फॉर्मल साइंटिफिक माइनिंग पॉलिसी की कमी ने गैर-कानूनी रैट-होल को बने रहने दिया है।

प्रभाव: पर्यावरण और मानवीय लागत

- **एसिड माइन ड्रेनेज (AMD):** जब कोयले में मौजूद सल्फर पानी और हवा के साथ रिएक्ट करता है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है।
    - *उदाहरण:* कोपिली **और लुखा नदियाँ चमकीली नारंगी/नीली हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक (pH 3 जितना कम) हो** गई हैं, जिससे

वे "मृत" नदियाँ बन गई हैं और मछलियों को ज़िंदा रखने या पीने का पानी देने में नाकाम हो गई हैं।

- **"ब्लैक लंग" और हेल्थ:** मज़दूर, जो अक्सर **बाहर से आए मज़दूर या बच्चे होते हैं** , बिना प्रोटेक्टिव गियर के लंबे समय तक कोयले की धूल के संपर्क में रहने की वजह से सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस से परेशान हो जाते हैं।
- **आर्थिक निर्भरता:** हज़ारों परिवारों के लिए कोयला ही मुख्य इनकम है। बागवानी या टूरिज्म में **रोज़ी-रोटी के दूसरे तरीकों के बिना** , यह बैन असल में स्थानीय लोगों के जीने के एकमात्र साधन को ही अपराध बना देता है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **सैटेलाइट सर्विलांस:** दूर-दराज के जंगली इलाकों में नई माइन ओपनिंग का पता लगाने के लिए रियल-टाइम सैटेलाइट और ड्रोन डेटा का इस्तेमाल करना।
- **कोऑपरेटिव माइनिंग:** छोटे ज़मीन मालिकों को कोऑपरेटिव बनाने के लिए बढ़ावा देना ताकि रेगुलेटेड, साइंटिफिक और सुरक्षित ओपन-कास्ट माइनिंग को आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद बनाया जा सके।
- **अल्टरनेटिव इकॉनमी: मेघालय की बायोइकॉनमी और टूरिज्म** में इन्वेस्ट करना ताकि वर्कफोर्स को खतरनाक "ब्लड कोल" लेबर से दूर किया जा सके।

निष्कर्ष

2026 की त्रासदी इस बात पर ज़ोर देती है कि सिर्फ़ कोर्ट का बैन रैट-होल माइनिंग को नहीं रोक सकता। जब तक राज्य **सोशियो-इकोनॉमिक खालीपन को दूर नहीं करता** और राज्य और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच **रेगुलेटरी ओवरलैप को साफ़ नहीं करता** , तब तक मेघालय की पहाड़ियों को गैर-कानूनी डायनामाइट से तोड़ा जाता रहेगा।

प्रोजेक्ट होप

प्रसंग

अगस्त 2025 में , भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया: **प्रोजेक्ट HOPE (हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन)।** लद्दाख के ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान में मौजूद , यह रिसर्च स्टेशन भारत के आने वाले **गगनयान मिशन और 2040** तक चांद पर किसी भारतीय को उतारने के लंबे समय के लक्ष्य के लिए एक ज़रूरी रिहर्सल का काम करता है ।

प्रोजेक्ट HOPE के बारे में

यह क्या है? प्रोजेक्ट HOPE एक "मार्स एनालॉग" रिसर्च स्टेशन है, जो धरती पर एक ऐसी जगह है जो दूसरे ग्रह पर रहने की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को दोहराता है। यह भारत का पहला फुल-स्केल, क्रू वाला सिमुलेशन माहौल है जिसे यह टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इंसान और उपकरण बहुत ज़्यादा अकेलेपन में कैसे ज़िंदा रहते हैं।

मुख्य विवरण:

- **डेवलपर:** इसे **प्रोटोप्लेनेट** (बेंगलुरु की एक स्पेस-टेक फर्म) ने **ISRO के ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट सेंटर (HSFC) के साथ मिलकर बनाया है** ।
- **स्थान :** त्सो **कार झील** लद्दाख में है , जो लेह से लगभग 150 km दूर है ।
- **ऊंचाई:** ~4,500 मीटर (14,500 फीट), जिससे हवा पतली और ऑक्सीजन का लेवल कम (हाइपोक्सिक माहौल) होता है।
- **हैबिटेट:** इसमें दो आपस में जुड़े हुए मॉड्यूल हैं - **फोबोस** (एक 8-मीटर का लिविंग हैबिटेट) और **डीमोस** (एक 5-मीटर का यूटिलिटी मॉड्यूल), जिनका नाम मंगल के चांद के नाम पर रखा गया है।

लद्दाख ही क्यों ?

लद्दाख को कई खास वजहों से धरती पर सबसे ज़्यादा "मंगल ग्रह जैसी" जगहों में से एक माना जाता है:

- **इलाका:** चट्टानी, बंजर ज़मीन और खारा पर्माफ्रॉस्ट, मंगल ग्रह की सतह की जियोलॉजिकल बनावट से काफी मिलते-जुलते हैं।
- **एटमॉस्फियर:** पतली हवा और हाई UV रेडिएशन लेवल स्पेससूट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक नेचुरल लैब देते हैं।
- **जलवायु:** तापमान में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव **—35°C से -25°C तक** —मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले थर्मल स्ट्रेस को दिखाता है।
- **बायोलॉजिकल पैरेलल:** साइंटिस्ट्स का मानना है कि त्सो कार बेसिन मंगल ग्रह जैसा ही है जैसा वह **2 अरब साल पहले था** , जब वहां अभी भी लिक्विड पानी था और शायद माइक्रोबियल जीवन भी था।

उद्देश्य और अनुसंधान

प्रोजेक्ट HOPE का मुख्य फोकस सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि **इंसानी पहलू है** :

- **साइकोलॉजिकल स्टडीज़:** "आइसोलेशन स्ट्रेस" की मॉनिटरिंग और यह कि छोटे क्रू लंबे समय तक मेंटल हेल्थ और टीम डायनामिक्स को कैसे बनाए रखते हैं।
- **बायोमेडिकल रिसर्च:** जीनोमिक और एपिजेनेटिक स्टडी करना ताकि यह देखा जा सके कि इंसान का शरीर रियल-टाइम में ज़्यादा ऊंचाई और कम ऑक्सीजन के हिसाब से कैसे ढलता है।
- **ऑपरेशनल ट्रेनिंग:** "एक्स्ट्रा-वेहिकुलर एक्टिविटी" (EVA) प्रोटोकॉल की टेस्टिंग, जिसमें एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स भारी गियर में काम करते हैं ताकि मंगल की सतह पर काम करने जैसा महसूस हो।
- **लाइफ सपोर्ट टेस्टिंग:** क्लोज्ड-लूप एनवायरनमेंट में फूड ग्रोथ और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम को वैलिडेट करना।

भारत के लिए महत्व

- **गगनयान की तैयारी: HOPE से मिले डेटा से भारत की पहली ह्यूमन** स्पेसफ्लाइट के लिए प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है , जिससे यह पक्का होता है कि एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट के आइसोलेशन के लिए तैयार हैं।
- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन:** यह रिसर्च भारत के प्लान किए गए स्पेस स्टेशन (2035 तक बनने की उम्मीद) के डिज़ाइन और अंदरूनी आर्किटेक्चर के बारे में बताती है।
- **ग्लोबल पहचान:** इस प्रोजेक्ट के साथ, भारत उन खास देशों (जैसे US और रूस) के ग्रुप में शामिल हो गया है जो बड़े पैमाने पर एनालॉग रिसर्च फैसिलिटी चलाते हैं, जिससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में उसकी भूमिका और बढ़ गई है।

निष्कर्ष

लद्दाख के रेगिस्तान की खामोशी को इंसानियत की अगली बड़ी छलांग के लिए एक "साइलेंट रिहर्सल" में बदल देता है। आज हिमालय की चुनौतियों पर काबू पाकर, भारत कल चांद और मंगल ग्रह पर रहने के लिए साइंटिफिक बुनियाद बना रहा है।

डार्क स्काई रिज़र्व

प्रसंग

डार्क स्काई रिज़र्व सुरक्षित इलाके हैं जहाँ आर्टिफ़िशियल लाइट पॉल्यूशन को पूरी तरह से कम किया जाता है ताकि रात में कुदरती अंधेरा माहौल बना रहे। ये जगहें हाई-प्रिसिज़न **एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेशन , रात में रहने वाले जंगली जानवरों की सुरक्षा और एस्ट्रो -टूरिज़्म** के बढ़ते सेक्टर के लिए ज़रूरी हैं ।

चर्चा किए गए मुख्य स्थान

1. टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला (TAO)

- **स्थान:** सेरो चाजनंतोर की चोटी , अटाकामा रेगिस्तान, **चिली** ।
- **ऊंचाई:** ~5,640 मीटर (दुनिया की सबसे ऊंची परमानेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी)।
- **साइंटिफिक एज:** बहुत ज़्यादा ऊंचाई और सूखी हवा (कम वॉटर वेपर) इसे **इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करने में मदद करती है** जो आमतौर पर एटमॉस्फियर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है और कम ऊंचाई से दिखाई नहीं देती।

2. हान्ले , लद्दाख (भारत)

- **स्टेटस:** भारत का पहला **डार्क स्काई रिज़र्व (HDSR)** , 2022 के आखिर में बनाया जाएगा।
- **ऊंचाई:** चांगथांग वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के अंदर ~4,500 मीटर ।
- **हालात:** बोर्टल **-1** आसमान (अंधेरे और साफ़पन के लिए सबसे अच्छी रेटिंग), कम नमी, और हर साल 300 से ज़्यादा साफ़ रातें।
- **सुरक्षा के उपाय:** इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेटरी (IAO) के चारों ओर 22 km का दायरा "डार्क कोर" के तौर पर तय किया गया है **।**
  - **लाइट मैनेजमेंट:** लोग वार्म-टोन वाले LED बल्ब, लैंप शेड और ब्लैकआउट पर्दे इस्तेमाल करते हैं।
  - **गाड़ियों पर रोक:** "स्काई ग्लो" को रोकने के लिए रिज़र्व के अंदर हाई-बीम हेडलाइट्स और रात में बिना वजह गाड़ी चलाना मना है।

हान्ले का बुनियादी ढांचा (IAO)

हान्ले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेटरी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा-रे एस्ट्रोनॉमी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। खास टेलिस्कोप में शामिल हैं:

- **हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप (HCT):** एक 2-मीटर ऑप्टिकल-इंफ्रारेड टेलीस्कोप।
- **MACE (मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट):** दुनिया का सबसे बड़ा हाई-एल्टीट्यूड गामा-रे टेलिस्कोप (BARC द्वारा डिज़ाइन किया गया)।
- **ग्रोथ-इंडिया:** कुछ समय के लिए होने वाली कॉस्मिक घटनाओं (जैसे, सुपरनोवा) की स्टडी के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा।

डार्क स्काई रिज़र्व का महत्व

- **एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च:** यह सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को दूर की गैलेक्सी या डार्क मैटर सिग्नेचर से आने वाली हल्की रोशनी का पता लगाने के लिए एक "क्लीन" डेटा एनवायरनमेंट देता है।
- **एस्ट्रो -टूरिज्म: गांववालों को "एस्ट्रोनॉमी एंबेसडर"** के तौर पर ट्रेनिंग देकर लोकल इकॉनमी को बढ़ावा देता है, जो प्रोफेशनल टेलिस्कोप (जैसे, 8-इंच डॉब्सोनियन) का इस्तेमाल करके स्टारगेज़िंग टूर कराते हैं ।
- **इकोलॉजिकल बचाव:** रात में रहने वाले जंगली जानवरों (जैसे तिब्बती भेड़िया और काली गर्दन वाले सारस) की बायोलॉजिकल लय को बचाता है, जो आर्टिफिशियल रोशनी से बिगड़ जाती है।
- **कल्चरल हेरिटेज:** पारंपरिक आसमानी ज्ञान और तारों के बारे में देसी ज्ञान को बचाकर रखता है।

निष्कर्ष

हानले और अटाकामा जैसे डार्क स्काई रिज़र्व कंज़र्वेशन में एक "साइलेंट रेवोल्यूशन" दिखाते हैं। वे साबित करते हैं कि "हमारे पर्यावरण के आखिरी 50% हिस्से " को बचाकर, हम कटिंग-एज स्पेस साइंस और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के बीच के गैप को कम कर सकते हैं।

RACE IAS

ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस: डिप्लोमेसी से इम्प्लीमेंटेशन तक

प्रसंग

बेलेम (नवंबर 2025) में **COP30** में ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव आया। **"ग्लोबल मुटिराओ " (सामूहिक प्रयास के लिए एक तुपी-गुआरानी शब्द) के नाम से मशहूर इस समिट का मकसद छोटी-मोटी बातचीत से असल दुनिया में इसे लागू करने की ओर बढ़ना था। हालांकि, इसे "प्रोसिजरल आशावाद" के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने औपचारिक रूप से 1.5°C** के ज़्यादा तापमान बढ़ने के जोखिम को स्वीकार किया, जबकि कानूनी रूप से ज़रूरी फॉसिल-फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने से पीछे हट गया।

वैश्विक जलवायु शासन के बारे में

यह क्या है? क्लाइमेट गवर्नेंस ट्रीटी (जैसे पेरिस एग्रीमेंट), घरेलू कानूनों और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसे ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने और क्लाइमेट के ज़रूरी असर के हिसाब से ढलने के लिए दुनिया भर की कोशिशों को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वर्तमान आर्किटेक्चर:

- **डुअल-ट्रैक सिस्टम:** ऑपरेशन **CMP** (क्योटो प्रोटोकॉल) और **CMA** (पेरिस एग्रीमेंट) के बीच बंटे हुए हैं, जिनकी अक्सर बिना किसी ज़रूरी आखिरी डेस्टिनेशन के डिप्लोमैटिक मूवमेंट बनाए रखने के लिए आलोचना की जाती है।
- **आम सहमति से वीटो:** क्योंकि फैसलों के लिए लगभग 200 देशों के बीच आम सहमति की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़ाइनल टेक्स्ट को अक्सर सभी पार्टियों को खुश करने के लिए हल्का कर दिया जाता है, इकोलॉजिकल ज़रूरत के बजाय पॉलिटिकल इज़्ज़त बचाने को प्राथमिकता दी जाती है।
- **ग्लोबल मुटिराओ फ्रेमवर्क:** COP30 का खास तरीका, सिविल सोसाइटी, आदिवासी ग्रुप और युवाओं को शामिल करते हुए, अपनी मर्ज़ी से, नीचे से ऊपर की ओर मोबिलाइज़ेशन पर ज़ोर देता है, जो सिर्फ़ सरकार के आदेशों से आगे बढ़कर है।

डेटा और सांख्यिकी

- **रिकॉर्ड एमिशन: 2024 में ग्लोबल एमिशन 57.4 $GtCO_2e$** के पीक पर पहुंच गया ; G20 देशों में भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई।
- **फाइनेंस गैप:** जबकि डेवलप्ड देशों ने **2035 तक अडैप्टेशन फाइनेंस को तीन गुना बढ़ाकर $120 बिलियन करने का वादा किया है** , डेवलपिंग देशों की असल ज़रूरत **हर साल $2.4–$3 ट्रिलियन होने का अनुमान है** ।
- **टेम्परेचर पाथ:** मौजूदा ग्लोबल पॉलिसी के हिसाब से सदी के आखिर तक **2.8°C गर्मी बढ़ेगी , जो 1.5°C की लिमिट से कहीं ज़्यादा है।**
- **अडैप्टेशन डेफिसिट:** 2022 में अडैप्टेशन के लिए सिर्फ़ ~$32 बिलियन दिए गए, जिससे दुनिया के सबसे कमज़ोर समुदाय काफ़ी कम सुरक्षित रह गए।

शासन में चुनौतियाँ

- **"इम्प्लीमेंटेशन डिज़ीज़":** देश अक्सर बड़े-बड़े वादे करते हैं (जैसे भारत का **500 GW नॉन-फॉसिल टारगेट**) जिन्हें ट्रांसमिशन में रुकावटों या बिना साइन किए पावर एग्रीमेंट की वजह से देश में देरी का सामना करना पड़ता है।
- **विकास बनाम स्थिरता:** रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जैसे कि **ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (2024-25)** , अक्सर जैव विविधता और कार्बन सिंक की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ संघर्ष करती हैं।
- **कोयले पर निर्भरता:** ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने 2032 तक **80 GW की नई कोयला क्षमता को मंज़ूरी दी है** , जिससे लंबे समय तक डीकार्बोनाइज़ेशन की समयसीमा मुश्किल हो गई है।
- **शॉर्ट-टर्मिज़्म:** क्लाइमेट डिज़ास्टर, जैसे **2024 वायनाड लैंडस्लाइड** , को अक्सर सिस्टम में गवर्नेंस सुधार के लिए कैटलिस्ट के बजाय अलग-थलग इमरजेंसी के तौर पर मैनेज किया जाता है।

COP30 की प्रमुख पहलें

- **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): यह $125 बिलियन का** एक खास फंड है । इसे देशों और वहां के लोगों को जंगलों को बनाए रखने के लिए हर हेक्टेयर एक तय रकम (लगभग $4/साल) देने के लिए बनाया गया है।
- **ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर (GIA):** टेक्निकल सपोर्ट और रिपोर्टिंग के ज़रिए देशों को घरेलू पॉलिसी को 1.5°C मिशन के साथ अलाइन करने में मदद करने के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म।
- **बेलेम मिशन 1.5°C: नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs)** के अगले साइकिल को ज़्यादा भरोसेमंद और साइंस-बेस्ड बनाने के लिए एक हाई-लेवल पहल।
- **पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना : 10 मिलियन घरों को** सोलराइज़ करने के लिए भारत का घरेलू प्रयास, जो डीसेंट्रलाइज़्ड ग्रीन एनर्जी के लिए एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर काम कर रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बाइंडिंग रोडमैप:** "वॉलंटरी एनकरेजमेंट" से खास, टाइम-बाउंड फॉसिल-फ्यूल फेज-डाउन शेड्यूल की ओर शिफ्ट होना।

RACE IAS

- **फाइनेंशियल रिफॉर्म:** ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज़ के बजाय **कम ब्याज वाले, लंबे समय के क्लाइमेट लोन** देने के लिए ग्लोबल आर्किटेक्चर को फिर से डिज़ाइन करना ।
- **सबनेशनल एम्पावरमेंट: शहर और राज्य सरकारों को अडैप्टेशन की कोशिशों को लीड करने के लिए ज़्यादा पावर देना, क्योंकि वे** हीटवेव और बाढ़ की फ्रंट लाइन पर हैं ।
- **नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन:** हर बड़े अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट में "ब्लू-ग्रीन" इंफ्रास्ट्रक्चर (मैंग्रोव और अर्बन फॉरेस्ट) को इंटीग्रेट करना।

निष्कर्ष

बेलेम में COP30 ने एक उलझन को सामने लाया: दुनिया में सहयोग के लिए पहले से कहीं ज़्यादा प्लैटफ़ॉर्म हैं, लेकिन एमिशन बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान समिट के "डिप्लोमैटिक थिएटर" से हटकर **खरबों डॉलर का तेज़ी से फाइनेंस जुटाने** और मौजूदा नेचुरल इकोसिस्टम की पूरी तरह से सुरक्षा पर होना चाहिए।

फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA)

प्रसंग

5 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में भारत सरकार, नागालैंड सरकार और **ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) के बीच एक अहम तीन-तरफ़ा समझौते पर साइन किए गए** । इस समझौते से **फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बनाई गई** , जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे नागालैंड के छह पूर्वी ज़िलों को मज़बूत बनाने के लिए बनाया गया है, साथ ही राज्य की क्षेत्रीय एकता भी बनाए रखी गई है।

त्रिपक्षीय समझौते के बारे में

यह क्या है? FNTA एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव और टेरिटोरियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। यह पूर्वी नागालैंड इलाके को काफी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है। छठी अनुसूची वाले इलाकों के उलट, यह नागालैंड के खास कॉन्स्टिट्यूशनल माहौल के लिए खास तौर पर बनाया गया एक **खास अरेंजमेंट है।**

शामिल पक्ष:

- **भारत सरकार:** गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
- **नागालैंड सरकार:** मुख्यमंत्री के नेतृत्व में।
- **ENPO: आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों** (कोन्याक , संगतम , चांग, खियामनियुंगन , यिमखियुंग , तिखिर , फोम और सुमी) का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय ।

भौगोलिक कवरेज: प्राधिकरण छह पूर्वी जिलों को नियंत्रित करता है: **तुएनसांग, मोन, किफिरे , लोंगलेंग , नोक्लाक और शामटोर ।**

मुख्य उद्देश्य

- **रीजनल इक्विटी:** पूर्वी नागालैंड में डेवलपमेंट की कमी और आर्थिक अनदेखी से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना।
- **बढ़ी हुई ऑटोनॉमी:** स्थानीय आदिवासी प्रतिनिधियों को फ़ैसले लेने की शक्ति देना।
- **शांति और स्थिरता:** राज्य की मांग के लिए एक डेमोक्रेटिक विकल्प देना, जिससे राजनीतिक अलगाव कम हो।

FNTA की मुख्य विशेषताएं

- **प्रशासनिक संरचना:**
  - **लेजिस्लेटिव बॉडी:** यह **49 सदस्यों वाली बॉडी है,** जिसमें **40 सीधे चुने हुए सदस्य** और **9 सदस्य गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं** ।
  - **मिनी-सेक्रेटेरिएट: एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव हब, जिसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी** रैंक का सीनियर अधिकारी हेड करता है ।
- **शक्तियों का हस्तांतरण:**
  - FNTA के पास **46 खास विषयों** (खासकर विकास और भलाई से जुड़े, जैसे खेती, ग्रामीण विकास और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर) पर अधिकार होगा।
- **वित्तीय स्वायत्तता:**
  - **डायरेक्ट फंडिंग:** केंद्र से एक तय सालाना एलोकेशन, जिसमें MHA शुरुआती लागत उठाएगा।
  - **प्रोपोर्शनल शेयरिंग:** इलाके के लिए राज्य के डेवलपमेंट का खर्च **आबादी और एरिया के आधार पर शेयर किया जाएगा** ।
- **संवैधानिक सुरक्षा:**
  - यह समझौता साफ़ तौर पर यह पक्का करता है कि **आर्टिकल 371(A)** पूरी तरह से बना रहे। यह नागा रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और ज़मीन के मालिकाना हक को बाहरी दखल से बचाता है।
- **अंतरिम प्रकृति:**
  - यह व्यवस्था शुरू में **10 साल के समय के लिए तय की गई है** , जिसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इसका रिव्यू किया जाएगा।

महत्व

- **एसिमेट्रिक फ़ेडरलिज़्म:** यह राज्य की सीमाओं में बदलाव किए बिना अलग-अलग क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा करने में भारतीय संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है।
- **सबको साथ लेकर चलने वाला शासन:** यह राज्य की राजधानी से ध्यान हटाकर ज़मीनी स्तर पर ले जाता है, जिससे "लोगों पर ध्यान देकर प्लानिंग" हो पाती है।

RACE IAS

- **सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी:** म्यांमार के साथ स्ट्रेटेजिक बॉर्डर शेयर करने वाले इलाके को स्थिर करता है, जो भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ अलाइन है** ।

निष्कर्ष

FNTA का बनना नागा पॉलिटिक्स में एक "बीच का रास्ता" है, जो ENPO की अलग राज्य की पुरानी मांग और नागालैंड की एकता की ज़रूरत के बीच बैलेंस बनाता है। जैसा कि लोकल नेताओं ने बताया, यह एग्रीमेंट पूरे इलाके में बदलाव की तरफ "एक एडमिनिस्ट्रेटिव सफ़र की शुरुआत" है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

प्रसंग

इंटरनेशनल **स्पेस स्टेशन (ISS) को 2030** में कंट्रोल्ड डी-ऑर्बिट के लिए शेड्यूल किया गया है । इस मैनूवर के नतीजे में एक दूर के समुद्री इलाके में प्लान्ड री-एंट्री होगी, जो लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में तीन दशकों से ज़्यादा समय से लगातार इंसानी बसावट का अंत होगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में

यह क्या है? ISS एक मॉड्यूलर, हमेशा क्रू वाली स्पेस लैबोरेटरी है। यह **माइक्रोग्रैविटी रिसर्च** , डीप-स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और इंसानी शरीर पर स्पेस के लंबे समय के असर की स्टडी के लिए एक खास माहौल का काम करता है।

में प्रारंभ:

- **ज़ार्या (1998):** रूस द्वारा लॉन्च किए गए पहले मॉड्यूल ने असेंबली प्रोसेस शुरू किया।
- **एक्सपीडिशन 1 (2000):** लगातार बसावट नवंबर 2000 में शुरू हुई और तब से यह टूटी नहीं है।

इंटरनेशनल पार्टनरशिप: यह स्टेशन पांच बड़ी स्पेस एजेंसियों के बीच मिलकर किया गया काम है:

- **नासा** (यूएसए)
- **रोस्कोस्मोस** (रूस)
- **ईएसए** (यूरोप)
- **जाक्सा** (जापान)
- **सीएसए** (कनाडा)

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

उद्देश्य:

- **साइंटिफिक खोज:** ऐसी रिसर्च करें जो धरती पर नामुमकिन है, जिसमें फ्लूइड फिजिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक शामिल हैं।
- **डीप स्पेस गेटवे: चांद और मंगल** पर भविष्य के मिशन के लिए लाइफ-सपोर्ट सिस्टम और रेडिएशन शील्डिंग का टेस्ट ।
- **ग्लोबल सहयोग:** साझा शासन और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता के ज़रिए शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **मॉड्यूलर डिज़ाइन:** दर्जनों अलग-अलग लॉन्च और सैकड़ों घंटों के स्पेसवॉक (EVAs) से बनाया गया।
- **एक-दूसरे पर निर्भरता:** स्टेशन एक साथ मिलकर काम करता है; उदाहरण के लिए, रूसी सेगमेंट प्रोपल्शन/पोजीशनिंग देता है, जबकि अमेरिकी सेगमेंट ज़्यादातर बिजली देता है।
- **शेयर्ड गवर्नेंस:** इसे एक मुश्किल कानूनी फ्रेमवर्क (इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट) से मैनेज किया जाता है, जो 15 देशों में फैला हुआ है।

नियोजित डी-ऑर्बिट

जैसे-जैसे स्टेशन का मेन स्ट्रक्चर पुराना होता जा रहा है, NASA और उसके पार्टनर्स ने इसे रिटायर करने के प्लान को फाइनल कर लिया है:

- **US डिऑर्बिट व्हीकल (USDV): NASA ने स्पेसएक्स को एक खास "स्पेस टग" (ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर आधारित) बनाने के लिए** चुना है , ताकि 450 टन के स्टेशन को सुरक्षित रूप से एटमॉस्फियर में ले जाया जा सके।
- **टारगेट लोकेशन: बचे हुए टुकड़ों को** साउथ पैसिफिक में **पॉइंट नीमो** की ओर भेजा जाएगा , जो धरती पर सबसे दूर की जगह है, जिसे अक्सर "स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान" कहा जाता है।
- **बदलाव:** इसका मकसद रिसर्च को नए, कमर्शियली चलने वाले स्पेस स्टेशनों पर ले जाकर LEO की मौजूदगी में "गैप" से बचना है।

महत्व

ISS स्पेस में अब तक बना सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसके 4,000+ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अलावा, इसकी सबसे बड़ी विरासत वह **ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है** जिसने यह बताया कि अलग-अलग देश इंसान के लिए सबसे मुश्किल माहौल में एक साथ कैसे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।

सोडियम-आयन बैटरी

प्रसंग

भारत अभी अपनी नेशनल बैटरी स्ट्रैटेजी को फिर से देख रहा है। लिथियम-आयन बैटरी से जुड़े **ज़रूरी मिनरल्स पर निर्भरता** , इम्पोर्ट की कमज़ोरियों और सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, सोडियम-आयन टेक्नोलॉजी घरेलू बाज़ार के लिए एक बड़े विकल्प के तौर पर उभरी है।

सोडियम-आयन बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में

यह क्या है? सोडियम-आयन बैटरी (SiBs) रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हैं जो चार्ज कैरियर के तौर पर **सोडियम आयन (Na^+) का इस्तेमाल करते हैं** । हालांकि वे लिथियम-आयन बैटरी की तरह ही "रॉकिंग-चेयर" सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन वे कोर मटीरियल के तौर पर सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ज़्यादा मात्रा में और आसानी से मिलने वाला एलिमेंट है।

यह काम किस प्रकार करता है?

RACE IAS

- **चार्जिंग:** सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए **कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं** , जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से गुज़रते हैं।
- **डिस्चार्जिंग:** आयन कैथोड में वापस चले जाते हैं, और स्टोर की हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं।
- **खास हिस्सा:** लिथियम-आयन बैटरी के उलट, जिनमें एनोड करंट कलेक्टर के लिए महंगे कॉपर की ज़रूरत होती है, सोडियम-आयन बैटरी दोनों इलेक्ट्रोड के लिए **एल्यूमीनियम का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे खर्च और कम हो जाता है।**

मुख्य विशेषताएं और लाभ

- **कम मटीरियल रिस्क:** सोडियम हर जगह मौजूद है (जो आम नमक या सोडा ऐश से मिलता है), जिससे लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कम मिलने वाले मिनरल पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है।
- **बेहतर सुरक्षा: इन बैटरियों में थर्मल रनअवे (आग)** का खतरा कम होता है । खास बात यह है कि इन्हें **0% चार्ज पर डिस्चार्ज किया जा सकता है** ताकि सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज किया जा सके।
- **मैन्युफैक्चरिंग कम्पैटिबिलिटी:** मौजूदा लिथियम-आयन प्रोडक्शन लाइनों को सिर्फ़ थोड़े-बहुत बदलावों के साथ सोडियम-आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडैप्ट किया जा सकता है, जिससे इंडस्ट्री के लिए एंट्री की रुकावट कम हो जाएगी।
- **भारत के लिए स्ट्रेटेजिक सूटेबिलिटी:** घरेलू कच्चे माल का इस्तेमाल करके, भारत ज़्यादा एनर्जी सॉवरेनिटी हासिल कर सकता है और बड़े पैमाने पर ग्रिड स्टोरेज की ज़रूरतों को सपोर्ट कर सकता है।
- **कॉस्ट एफिशिएंसी:** लंबे समय के अनुमान बताते हैं कि सामान की भरमार और आसान ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की वजह से कॉस्ट काफी कम हो जाएगी।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

- **कम एनर्जी डेंसिटी:** सोडियम आयन लिथियम आयन से बड़े और भारी होते हैं। इसलिए, SiBs अभी कम स्पेसिफिक एनर्जी देते हैं, जिससे वे **लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए कम सही हैं** ।
- **टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी:** यह टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती कमर्शियलाइज़ेशन फेज़ में है; मैच्योर लिथियम-आयन मार्केट की तुलना में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन और साइकिल-लाइफ में सुधार अभी भी जारी हैं।
- **प्रोसेस की मुश्किल:** सोडियम-आयन केमिस्ट्री **नमी के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है** , इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ज़्यादा सख्त वैक्यूम और सुखाने की कंडीशन की ज़रूरत होती है।
- **एप्लिकेशन की दिक्कतें:** अभी, ये इनके लिए सबसे सही हैं:
  - स्टेशनरी ग्रिड स्टोरेज।
  - दोपहिया और तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा)।
  - कम दूरी की शहरी मोबिलिटी।

निष्कर्ष

भारत के लिए, सोडियम-आयन टेक्नोलॉजी सिर्फ़ एक केमिकल विकल्प से कहीं ज़्यादा है; यह **एनर्जी ट्रांज़िशन को डी-रिस्क करने का एक स्ट्रेटेजिक टूल है** । हालांकि यह हाई-परफॉर्मेंस EVs में लिथियम-आयन की जगह तुरंत नहीं ले सकता है, लेकिन इसकी सेफ्टी और कॉस्ट-इफेक्टिवनेस इसे स्टेशनरी स्टोरेज और हल्की गाड़ियों के मास-मार्केट इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक ज़रूरी चीज़ बनाती है।

वात्सुजी टेटसुरो और 'बीइंग-इन- बीचनेस ' का दर्शन

प्रसंग

जापानी दार्शनिक **वात्सुजी टेटसुरो को** आज की फिलॉसफी में एक मज़बूत, नॉन-वेस्टर्न एथिकल फ्रेमवर्क देने के लिए बड़े पैमाने पर दोबारा देखा जा रहा है। उनका काम खुद के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सोच के लिए एक ज़रूरी विकल्प के तौर पर काम करता है, जो हमारे अंदरूनी सामाजिक और इकोलॉजिकल कनेक्शन पर ज़ोर देता है।

वात्सुजी के बारे में टेटसुरो

वह कौन था:

- **वात्सुजी टेटसुरो (1889–1960):** 20वीं सदी के एक जाने-माने जापानी दार्शनिक और नैतिकतावादी।
- **ब्रिज-बिल्डर:** पश्चिमी अस्तित्ववाद (नीत्शे, कीर्केगार्ड, हाइडेगर और हेगेल) के साथ गहराई से जुड़ने वाले पहले जापानी विद्वानों में से एक।
- **बुनियादी काम:** *फ़ुडो* (क्लाइमेट और कल्चर) और *रिनरिगाकु (एथिक्स)* के लेखक , जिन्होंने जापानी एनवायरनमेंटल और रिलेशनल एथिक्स के आधार बनाए।

मूल दर्शन

पश्चिमी स्व की आलोचना: वात्सुजी ने **एटमाइज़्ड, ऑटोनॉमस व्यक्ति** के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया । उन्होंने तर्क दिया कि वेस्टर्न एथिक्स ने गलती से एक कल्चरल रूप से खास यूरोपियन सब्जेक्ट को यूनिवर्सल बना दिया, और सोशल और इकोलॉजिकल जुड़ाव को ध्यान में नहीं रखा ।

निंगेन ' (इंसान) की अवधारणा :

- **एटिमोलॉजी: जापानी में, इंसान (** *निंगेन* **)** शब्द में दो कैरेक्टर होते हैं: "व्यक्ति" और " बीचनेस " (*आइडा*)।
- **बीच में होना :** इंसान अलग-थलग यूनिट नहीं हैं, बल्कि दूसरों, इतिहास और प्रकृति के साथ रिश्तों से बने हैं।

- **दोहरी प्रकृति:** स्वयं **एक साथ व्यक्तिगत और सामूहिक है** - एक ही समय में एकल इकाई और बहुवचन समग्रता का एक हिस्सा।

खालीपन और आत्म-निषेध:

- **महायान बौद्ध धर्म** से प्रेरणा लेकर , वात्सुजी ने **खालीपन (शून्यता)** के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया , यह विचार कि स्वयं का कोई निश्चित, स्वतंत्र सार नहीं होता है।
- **नैतिक ज़रूरत:** असली ज़िंदगी के लिए "सेल्फ़-नेगेशन" ज़रूरी है, जहाँ इंसान अपने ईगो को दबाकर एक " बीच का माहौल " बनाता है जहाँ दूसरे लोग फल-फूल सकें।

नैतिकता का जीवंत अभ्यास (रिनरिगाकु): वात्सुजी ने एथिक्स को एब्स्ट्रैक्ट नैतिक नियमों के तौर पर नहीं, बल्कि इस स्टडी के तौर पर फिर से डिफाइन किया कि इंसान रिश्तों के हिसाब से कैसे जीते हैं। नैतिक मूल्यों को ठोस सामाजिक तरीकों, साझा परंपराओं और सामुदायिक जीवन से उभरते हुए देखा जाता है।

आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता

- **एनवायर्नमेंटल क्राइसिस: यह** प्रकृति में हमारे बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जुड़ाव पर ज़ोर देकर एंथ्रोपोसेंट्रिज़्म (इंसानों पर ध्यान देने की आदत) का मुकाबला करता है।
- **मेंटल हेल्थ और अकेलापन:** यह खुद का एक "रिलेशनल" नज़रिया देता है जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक समाजों की वजह से होने वाले अकेलेपन और अकेलेपन से लड़ता है।
- **डीकोलोनियल फिलॉसफी:** वेस्टर्न यूनिवर्सलिज़्म को चुनौती देती है और प्लूरल एथिकल परंपराओं के लिए एक सही फ्रेमवर्क देती है।
- **सोशल एथिक्स:** सिर्फ़ ईगो की तरफ़ आज की चाहत के बजाय कम्युनिटी, दया और आपसी ज़िम्मेदारी को प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष

वात्सुजी टेटसुरो की " बीच में " की फिलॉसफी 21वीं सदी के लिए एक ज़रूरी नज़रिया देती है। "मैं" से "बीच में" पर फोकस करके, उनका काम हमारे आपस में जुड़े होने की गहरी समझ के ज़रिए दुनिया भर के संकटों को हल करने का एक रास्ता दिखाता है।

अवैध खनन

प्रसंग

मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक गैर-कानूनी **रैट-होल कोयला खदान** में हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 18 मज़दूर मारे गए। इस हादसे ने बैन माइनिंग के तरीकों के बने रहने, कानून लागू करने वालों की नाकामी और बिना नियम के कोयला निकालने की इंसानी कीमत पर देश भर में बहस फिर से शुरू कर दी है।

अवैध खनन संकट के बारे में

रैट-होल माइनिंग क्या है? गैर-कानूनी माइनिंग में बिना वैलिड लाइसेंस के या कोर्ट के बैन को तोड़कर खनन करना शामिल है। नॉर्थईस्ट इंडिया में, यह मुख्य रूप से **रैट-होल माइनिंग के तौर पर दिखता है** , जो एक पुराना और खतरनाक तरीका है जिसमें माइनर कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों या सीधे गड्ढों में पतली, आड़ी सुरंगें (3–4 फीट ऊंची) खोदते हैं।

मुख्य रुझान और डेटा:

- **लगातार उल्लंघन: 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के बैन** के बावजूद , 2026 तक मेघालय में लगभग **30,000 गैर-कानूनी रैट-होल माइन मौजूद हैं।**
- **आर्थिक पैमाना:** एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर साल गैर-कानूनी तरीकों से लगभग **6 मिलियन टन** कोयला निकाला जाता है।
- **सर्विलांस गैप:** डेटा से पता चलता है कि राज्य सरकारें संदिग्ध माइनिंग एक्टिविटी के बारे में **सैटेलाइट से मिलने वाले लगभग 87% अलर्ट** (माइनिंग सर्विलांस सिस्टम) को नज़रअंदाज़ कर देती हैं।
- **कमज़ोर वर्कफ़ोर्स:** माइनर्स आम तौर पर असम या नेपाल से आए प्रवासी मज़दूर होते हैं, जो बिना मैप वाली, बिना स्ट्रक्चर वाली सुरंगों में काम करके **हर दिन ₹1,500–₹2,000 कमाते हैं।**

अवैध खनन के निहितार्थ

- **जान का नुकसान:** वेंटिलेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट की पूरी कमी के कारण अक्सर इमारतें गिरती हैं और ज़हरीली गैस के धमाके होते हैं। 2026 के थांग्स्कू धमाके के बारे में शक है कि यह बिना साइंटिफिक तरीके से डायनामाइट के इस्तेमाल की वजह से हुआ था।
- **पर्यावरण का नुकसान:** "एसिड माइन ड्रेनेज" (AMD) आस-पास के पानी के सोर्स को ज़हरीला बना देता है।
  - *उदाहरण:* कोपिली **नदी का** पानी चमकीला नीला/नारंगी हो गया है और इसका **pH 2-3 तक कम हो गया है** , जिससे पानी में रहने वाले सभी जीव-जंतु खत्म हो गए हैं।
- **रेवेन्यू लीकेज:** गैर-कानूनी कामों में रॉयल्टी और टैक्स को नज़रअंदाज़ किया गया; अकेले उत्तर प्रदेश में 2025 की एक रिपोर्ट में **₹784 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की पहचान की गई** ।
- **ऑर्गनाइज़्ड क्राइम को फंडिंग:** प्रॉफ़िट अक्सर लोकल "कोल माफ़िया" के पास जाता है, जो इस फंड का इस्तेमाल क्रिमिनल सिंडिकेट को बढ़ावा देने और पॉलिटिकल असर डालने के लिए करते हैं।
- **इकोलॉजिकल अस्थिरता:** बिना वैज्ञानिक तरीके से खुदाई से ज़मीन धंसती है। 2025 में, **झरिया (झारखंड) में कई घर** बंद पड़ी खदानों में गैर-कानूनी तरीके से कचरा निकालने की वजह से गिर गए।

RACE IAS

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

- **पॉलिटिकल-क्रिमिनल गठजोड़:** खदान मालिक अक्सर असरदार लोग होते हैं, जिससे "एग्जीक्यूटिव की उदासीनता" होती है, जहाँ कमिटी की रिपोर्ट को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- **मुश्किल इलाका:** कई जगहें दूर, घने जंगलों वाली पहाड़ियों में छिपी हुई हैं, जहाँ ड्रोन और सैटेलाइट की विज़िबिलिटी कम है और NDRF के लिए फिजिकल एक्सेस में देरी होती है।
- **सामाजिक-आर्थिक निर्भरता: ईस्ट** जैंतिया हिल्स जैसे इलाकों में , गैर-कानूनी माइनिंग की मज़दूरी खेती से **3 गुना ज़्यादा है** , जिससे यह हज़ारों परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी का मुख्य ज़रिया बन गया है।
- **टेक्नोलॉजिकल बायपासिंग:** हालांकि माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS) अलर्ट ट्रिगर करता है, लेकिन ग्राउंड-लेवल स्टाफ की कमी के कारण कई जगहों पर **कोई केस नहीं होता है ।**
- **कानूनी कमियां:** माइनर्स अक्सर यह कहकर ताज़ा गैर-कानूनी कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं कि यह "प्री-बैन" स्टॉक है, जो हाल ही में हाई कोर्ट की सुनवाई में कानूनी बहस का एक बड़ा मुद्दा था।

की गई पहल

- **माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS):** एक सैटेलाइट-बेस्ड टूल जिसे लीगल लीज़ के 500m के अंदर बिना इजाज़त ज़मीन की कटाई का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ड्राफ्ट MMDR अमेंडमेंट बिल 2026:** इसमें कड़ी सज़ा देने और गैर-कानूनी माइनिंग को **स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर कैटेगरी में रखने के लिए कानून का प्रस्ताव है** ।
- **जस्टिस कटेकी कमेटी:** कोर्ट का बनाया हुआ पैनल जो नॉर्थईस्ट में एनवायरनमेंट को ठीक करने और गैर-कानूनी कोयले के ट्रांसपोर्ट को रोकने पर नज़र रखता है।
- **एक्स-ग्रेटिया रिलीफ:** आपदा पीड़ितों के परिवारों को तुरंत आर्थिक मुआवज़ा (कुल ₹5 लाख तक) दिया जाता है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **सैटेलाइट-टू-एक्शन मैंडेट: पुलिस के लिए MSS अलर्ट पर 48 घंटे** के अंदर एक्शन लेने की कानूनी ज़रूरत बनाएं , नहीं तो लापरवाही के लिए जांच का सामना करना पड़ेगा।
- **साइंटिफिक माइनिंग की ओर बदलाव:** सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले रेगुलेटेड, सुरक्षित माइनिंग तरीकों में बदलाव को तेज़ी से आगे बढ़ाएं।
- **वैकल्पिक आजीविका: खतरनाक श्रम पर स्थानीय निर्भरता को कम करने के लिए मेघालय बायोइकोनॉमी (2024–2026)** और इको-टूरिज्म में निवेश करें ।
- **स्मार्ट लॉजिस्टिक्स: IoT सेंसर** , स्मार्ट वेब्रिज और GPS-ट्रैक वाले ट्रक लगाएं ताकि यह पक्का हो सके कि बिना वेरिफाइड डिजिटल ट्रांजिट पास के कोई कोयला न जाए।
- **स्पेशलाइज़्ड ज्यूडिशियरी:** कानूनी रुकावट को खत्म करने और कोयला सिंडिकेट को तुरंत सज़ा देने के लिए फास्ट-ट्रैक एनवायरनमेंटल कोर्ट बनाएं।

निष्कर्ष

2026 में 18 जानें जाने से यह याद आता है कि पॉलिटिकल विल और टेक्नोलॉजी-बैक्ड एनफोर्समेंट के बिना बैन बेअसर हैं। भारत को **रिएक्टिव, कम्पनसेशन-बेस्ड मॉडल से** एक **प्रोएक्टिव, सेफ्टी-फर्स्ट स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ना होगा** जो "ब्लड कोल" इकोनॉमी को सस्टेनेबल, साइंटिफिक तरीकों से बदल दे।

भारत में बांझपन

प्रसंग

भारत में इनफर्टिलिटी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बनकर उभरी है। एक्सपर्ट्स तेज़ी से एक बड़े बदलाव पर ज़ोर दे रहे हैं: मेंटल हेल्थ को अब सिर्फ़ रिप्रोडक्टिव फेलियर का नतीजा नहीं माना जाता, बल्कि इसे सभी जेंडर पर असर डालने वाला एक मुख्य फिज़ियोलॉजिकल ड्राइवर माना जाता है।

समाचार के बारे में

परिभाषा: इनफर्टिलिटी का मतलब है कि 12 महीने तक रेगुलर, बिना सुरक्षा के संबंध बनाने के बाद भी कपल कंसीव नहीं कर पाते। हालांकि, पुराने ज़माने में इसे पेट्रियार्कल नियमों की वजह से "महिलाओं का मुद्दा" माना जाता था, लेकिन 2026 के डेटा से पता चलता है कि पुरुष और महिला दोनों ही कारणों में लगभग बराबर हिस्सा है।

मुख्य रुझान और डेटा:

- **राष्ट्रीय प्रसार:** लगभग **15-20% भारतीय जोड़े** (लगभग 30 मिलियन) वर्तमान में बांझपन का सामना कर रहे हैं, और शहरी केंद्रों में यह अधिक सांद्रता है।
- **गिरता TFR:** भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) गिरकर **1.9 हो गया है** , जो लाइफस्टाइल और इनवॉलंटरी इनफर्टिलिटी, दोनों की वजह से 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है।
- **पुरुष कारक वृद्धि:** अब पुरुषों में **40-50% मामले हैं** , जिसका मुख्य कारण पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और तनाव से जुड़ी शुक्राणु की गुणवत्ता में गिरावट है।
- **IVF बूम:** भारतीय IVF मार्केट के **2029 तक अरबों तक पहुंचने का अनुमान है** , जो मेडिकल मदद की मांग में बढ़ोतरी को दिखाता है।

बढ़ती इनफर्टिलिटी के कारण

- **पेरेंटहुड में देरी:** करियर को प्राथमिकता देने और फाइनेंशियल स्थिरता की चाहत ने पहली बार माता-पिता बनने वालों की औसत उम्र को बायोलॉजिकल प्राइम से आगे बढ़ा दिया है।
- **एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन: हवा और पानी में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स (EDCs)** के संपर्क में आने से हार्मोनल हेल्थ खराब हो रही है; दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी में गिरावट अब स्पर्म मोटिलिटी में कमी से जुड़ी हुई है।
- **लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां:** सुस्त रूटीन और प्रोसेस्ड डाइट की वजह से **PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) एक महामारी बन गई है** , जिससे पांच में से एक भारतीय महिला प्रभावित है।
- **क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस: काम की जगह पर दबाव से** हाई कोर्टिसोल लेवल HPA एक्सिस को रोकता है, जिससे सीधे ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में रुकावट आती है।
- **बिना इलाज के इन्फेक्शन:** ग्रामीण इलाकों में, STIs और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) से जुड़ी गलत सोच की वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसे रोका जा सकता है।

चुनौतियां

- **सामाजिक कलंक:** महिलाओं को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और पहचान के बिखराव का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अपमानजनक लेबल बने रहते हैं।
- **अत्यधिक लागत:** 2026 में एक औसत आईवीएफ चक्र की लागत **₹1.5-3 लाख के बीच है** , फिर भी 90% से अधिक भारतीय बीमा पॉलिसियां अभी भी बांझपन कवरेज को बाहर रखती हैं।
- **पुरुषों में इनफर्टिलिटी पर चुप्पी:** मर्दों के सिस्टम के नियम अक्सर पुरुषों को जल्दी स्क्रीनिंग कराने से रोकते हैं, जिससे महिलाओं में डायग्नोसिस में देरी होती है और गैर-ज़रूरी इनवेसिव टेस्टिंग होती है।
- **साइकोलॉजिकल फीडबैक लूप्स:** कंसीव न कर पाने का स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल साइकिल बनाता है, जिसमें एंग्जायटी सफल इम्प्लांटेशन की संभावना को और कम कर देती है।
- **रेगुलेटरी गैप:** टियर II और III शहरों में तेज़ी से बढ़ रहे क्लीनिकों में अक्सर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या ट्रांसपेरेंट सक्सेस रेट की कमी होती है।

सरकारी पहल

- **ART और सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट:** 2025 की सख्त गाइडलाइंस क्लिनिक रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाती हैं और डोनर्स को शोषण से बचाती हैं।
- **बजट 2026 हेल्थ फोकस:** क्रोनिक इनफर्टिलिटी के साइकोलॉजिकल असर को दूर करने के लिए रीजनल मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट (जैसे, NIMHANS-2) को अपग्रेड करने का प्रस्ताव।
- **प्रोजेक्ट संजीवनी :** कई राज्यों में ज़मीनी स्तर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी फैलाने के लिए मिलकर किया गया प्रयास।
- **राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री:** ART के नतीजों को ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, जिससे यह पक्का हो सके कि क्लीनिक मरीज़ों को ईमानदारी से सक्सेस रेट दें।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मेंटल हेल्थ को शामिल करना:** काउंसलिंग हर IVF और ART साइकिल का एक ज़रूरी, नॉन-ऑप्शनल हिस्सा होना चाहिए।
- **इंश्योरेंस शामिल करना:** IRDAI को मिडिल क्लास परिवारों की फाइनेंशियल बर्बादी को रोकने के लिए स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इनफर्टिलिटी के लिए पार्शियल कवरेज को ज़रूरी बनाना चाहिए।
- **कार्यस्थल संवेदनशीलता:** कॉर्पोरेट्स को "फर्टिलिटी लीव" पॉलिसी अपनानी चाहिए और मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए एग-फ्रीजिंग बेनिफिट्स को सपोर्ट करना चाहिए।
- **मेल-सेंट्रिक कैंपेन:** पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को कमतर आंकना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि दोनों पार्टनर का एक साथ टेस्ट हो।
- **कम्युनिटी एजुकेशन: ASHA वर्कर्स का** इस्तेमाल करके गांव के लोगों को यह बताना कि इनफर्टिलिटी एक इलाज लायक मेडिकल कंडीशन है, न कि कोई मोरल फेलियर।

निष्कर्ष

इनफर्टिलिटी के लिए जेंडर-न्यूट्रल, होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है जो एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव साइंस और सहानुभूति रखने वाली सोशल कहानियों के बीच के गैप को कम करे। शरीर की तरह ही मन का भी इलाज करके, भारत फर्टिलिटी केयर को चुपचाप दुख सहने के बजाय सम्मान की यात्रा में बदल सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौता

प्रसंग

फरवरी 2026 में, भारत और अमेरिका ने एक **अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट (ITA) के लिए एक अहम फ्रेमवर्क की घोषणा की** । इसे "अर्ली हार्वेस्ट" डील कहा जाता है, इसका मकसद लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड के झगड़ों को सुलझाना और आपसी मार्केट एक्सेस देना है, जबकि दोनों देश एक बड़े **बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) की दिशा में काम करते हैं** । इस डील को ऊंचे

RACE IAS

टैरिफ के समय के बाद ट्रेड टेंशन को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डील के तौर पर देखा जा रहा है।

समाचार के बारे में

परिभाषा:

ITA एक टेम्परेरी, आउटकम-ओरिएंटेड ट्रेड पैक्ट है जिसे तुरंत कमर्शियल फायदे देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टैरिफ रीअलाइनमेंट, नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने और दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करता है।

प्रमुख चालक (2025-26):

- **स्ट्रेटेजिक डी-एस्केलेशन:** इस डील से 10 महीने का डेडलॉक फिर से शुरू हो गया है, जिसमें प्यूनिटिव ड्यूटी की वजह से कुछ भारतीय सामानों पर असरदार टैरिफ **50% तक पहुंच गया था।**
- **रेसिप्रोकल टैरिफ:** बैलेंस्ड ट्रेड पक्का करने के लिए US "रेसिप्रोकल टैरिफ" पॉलिसी (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257) के तहत अलाइनमेंट।
- **जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट:** सप्लाई चेन की मज़बूती बढ़ाने और तीसरे पक्षों (खासकर चीन) की नॉन-मार्केट आर्थिक नीतियों का मुकाबला करने के लिए " फ्रेंडशोरिंग " की ओर एक झुकाव।
- **एनर्जी ट्रांज़िशन:** भारत ने अपनी एनर्जी खरीद को US की तरफ मोड़ने का वादा किया है, जिससे रूस के कच्चे तेल पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

अंतरिम व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण और प्रभाव
टैरिफ कटौती (भारत)	**सभी US इंडस्ट्रियल सामान** और खेती-बाड़ी के कई तरह के प्रोडक्ट (इथेनॉल बाय-प्रोडक्ट, ट्री नट्स, फल, वाइन और स्पिरिट) पर ड्यूटी खत्म करना या कम करना ।
टैरिफ रीसेट (अमेरिका)	US **18% का रेसिप्रोकल टैरिफ रेट लागू करेगा** (जो पहले 50% के पीक से कम है), जिससे इंडियन टेक्सटाइल, लेदर और मशीनरी के लिए कॉम्पिटिटिवनेस वापस आ जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा राहत	**एयरक्राफ्ट पार्ट्स** , स्टील और एल्युमीनियम से जुड़े आइटम पर US सेक्शन 232 टैरिफ हटाना ; भारतीय **ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए प्रेफरेंशियल कोटा** ।
गैर-टैरिफ बाधाएं	**ICT सामान और मेडिकल डिवाइस** के लिए रोक वाली इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को आसान बनाने , साथ ही छह महीने के अंदर टेस्टिंग और स्टैंडर्ड को एक जैसा करने का वादा किया है।
उत्पत्ति के नियम	ट्रेड में फ़ायदे मुख्य रूप से भारत और US को मिलें, यह पक्का करने के लिए मिलकर तय किए गए नियम, जिससे तीसरे देश को "गलत इस्तेमाल" करने से रोका जा सके।
डिजिटल व्यापार	आने वाले BTA में भेदभाव वाले डिजिटल तरीकों को दूर करने और बड़े डिजिटल नियमों के लिए रास्ता बनाने का वादा।

रणनीतिक प्रतिबद्धताएँ और प्रौद्योगिकी व्यापार

- **$500 बिलियन खरीदने का इरादा: भारत** अगले पांच सालों में **$500 बिलियन की US एनर्जी (LNG, कोकिंग कोल), एयरक्राफ्ट, ज़रूरी मिनरल और टेक्नोलॉजी** खरीदने का इरादा रखता है ।
- **AI और हार्डवेयर हब: दोनों देश ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) और डेटा सेंटर्स के लिए हार्डवेयर के** ट्रेड को काफ़ी बढ़ाएंगे , जिससे भारत ग्लोबल टेक वैल्यू चेन्स में एक पसंदीदा पार्टनर बन जाएगा।
- **इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट:** एक्सपोर्ट कंट्रोल, इनबाउंड/आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, और ज़रूरी मिनरल्स (लिथियम, कॉपर, निकल) के लिए अलग-अलग सोर्स को सुरक्षित करने में सहयोग।

पश्चिमी गोलार्ध

- **BTA का रास्ता:** ITA पूरे **बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक नींव का काम करता है** , जो डीप डिजिटल ट्रेड नियमों और खेती-बाड़ी तक पूरी पहुँच जैसे मुश्किल मुद्दों से निपटेगा।
- **रेगुलेटरी कन्वर्जेंस:** "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" को बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल रेगुलेशन और कन्फर्मिटी असेसमेंट को एक साथ लाने के लिए लगातार बातचीत।
- **सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन: मेक इन इंडिया** पहल के तहत भारत को "असेंबली" से "डीप मैन्युफैक्चरिंग" की ओर ले जाने के लिए 18% टैरिफ विंडो का फायदा उठाना ।

निष्कर्ष

US-इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट लेन-देन की रुकावट से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की ओर एक बड़ा बदलाव है। सज़ा देने वाले टैरिफ में कटौती करके और $500 बिलियन के बड़े प्रोक्योरमेंट का रास्ता खोलकर, यह एग्रीमेंट आपसी रिश्तों को स्थिर करता है और नई ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद नोड के तौर पर भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

एआई इम्पैक्ट समिट 2026

प्रसंग

फरवरी 2026 में, नई दिल्ली ने **इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 को होस्ट किया** , जो ग्लोबल साउथ में हुआ पहला ग्लोबल AI

RACE IAS

समिट था। 100 से ज़्यादा देशों के हिस्सा लेने के साथ, इस समिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक डेवलपमेंट-ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया, जो "डायलॉग से डिलीवरी" की ओर बढ़ रहा था।

समाचार के बारे में

फ्रेमवर्क: यह समिट तीन बुनियादी पिलर्स, या **सूत्रों** (लोग, ग्रह और तरक्की) पर आधारित है, जिन्हें **सात चक्रों** पर आधारित वर्किंग ग्रुप्स के ज़रिए एक्शन में लाया जाता है, जिन्हें ठोस पॉलिसी और लागू करने के नतीजे देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य बातें:

- **स्थान:** भारत मंडपम , नई दिल्ली (16-20 फरवरी, 2026)।
- **लीडरशिप:** 15-20 सरकार के हेड और 50+ इंटरनेशनल मिनिस्टर शामिल हुए।
- **लोगो का सिंबॉलिज़्म: इसमें अशोक चक्र को** एथिकल गवर्नेंस के कोर के तौर पर दिखाया गया है , और न्यूरल नेटवर्क फ्लेयर्स AI की भाषाओं और जगहों पर बदलाव लाने वाली पहुंच को दिखाते हैं।

तीन सूत्र (आधार स्तंभ)

- **लोग:** ह्यूमन-सेंट्रिक AI को बढ़ावा देना जो अधिकारों की सुरक्षा करे, कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान करे, और सर्विसेज़ तक सभी की बराबर पहुँच पक्का करे।
- **प्लैनेट:** एनर्जी बचाने वाले कंप्यूट, रिसोर्स का सही इस्तेमाल, और क्लाइमेट को बनाए रखने वाले एप्लिकेशन के ज़रिए पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ AI को आगे बढ़ाना।
- **प्रोग्रेस:** ग्लोबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को तेज़ करने के लिए इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना।

सात चक्र (विषयगत कार्य समूह)

चक्र	महत्व और फोकस क्षेत्र
मानव पूंजी	नौकरी जाने के झटकों को रोकता है; स्किलिंग के ज़रिए वर्कफ़ोर्स में आसानी से बदलाव लाता है; भारत को ग्लोबल AI टैलेंट हब बनाता है।
सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश	यह पक्का करता है कि महिलाओं, किसानों और भाषाई माइनॉरिटी तक फ़ायदा पहुँचे; ऐसे AI को बढ़ावा देता है जो अलग-अलग पहचान को दिखाता है और डेटा बायस को रोकता है।
सुरक्षित और विश्वसनीय AI	ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए जनता का भरोसा बनाता है; सेफ्टी टेस्टिंग और ऑडिटिंग टूल्स तक डेमोक्रेटिक एक्सेस देता है।
विज्ञान	हेल्थ, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर में तेज़ी से सफलता मिलती है; मिलकर काम करने वाले, ओपन साइंस के ज़रिए नॉर्थ-साउथ रिसर्च के बीच के अंतर को कम करता है।
लचीलापन, नवाचार और दक्षता	"फ्रगल AI" को बढ़ावा देता है—हल्के, एनर्जी बचाने वाले, और टिकाऊ सिस्टम जो कम रिसोर्स वाले माहौल में ढल सकें।
AI संसाधनों का लोकतंत्रीकरण	"बिग टेक" के दबदबे से आगे बढ़कर डेटा, कंप्यूट और मॉडल तक पहुंच बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को दूर करता है।
आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI	न्याय दिलाने और हेल्थकेयर जैसे पब्लिक इंटरेस्ट सेक्टर में AI कैपेबिलिटी को ऐसे नतीजों में बदलता है जिन्हें मापा जा सके।

प्रमुख पहल और प्रमुख कार्यक्रम

- **AI पिच फेस्ट (UDAAN):** नए स्टार्टअप दिखाए गए, खासकर वे जो महिलाओं और दिव्यांगों के चलाए जा रहे हैं । परिवर्तनकर्ता .
- **किसान ई- मित्र :** एक वॉइस-बेस्ड AI चैटबॉट जो किसानों को रीजनल भाषाओं में सपोर्ट करता है, रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा सवालों को हैंडल करता है।
- **भारत-विस्तार:** एग्रीस्टैक और ICAR प्रैक्टिस को जोड़ने वाला एक मल्टीलिंगुअल डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म (2026-27 के यूनियन बजट में पेश किया गया)।
- **रिसर्च सिंपोजियम:** 18 फरवरी को होगा, जिसमें ग्लोबल साउथ के रिसर्चर्स के AI इम्पैक्ट में फ्रंटियर काम पर फोकस किया जाएगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ग्लोबल नॉर्म सेटिंग :** एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स से "स्टैंडर्डाइज़्ड AI सेफ्टी" और इंटरऑपरेबल गवर्नेंस मैकेनिज्म में बदलाव।
- **मल्टीलेटरल सहयोग:** दुनिया भर में नेशनल क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी प्लान में AI को इंटीग्रेट करने के लिए **ENACT इनिशिएटिव का** इस्तेमाल करें ।
- **विकसित भारत 2047:** AI के इस्तेमाल को भारत के लंबे समय के विज़न के साथ जोड़ें, जो डिजिटल रूप से मज़बूत, टेक्नोलॉजी से चलने वाला विकसित देश बनना है।

निष्कर्ष

इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल AI गवर्नेंस में एक स्ट्रेटेजिक कन्वीनर के तौर पर भारत के उभरने को दिखाता है ।

RACE IAS

ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को सेंटर में रखकर और सिर्फ़ "इनोवेशन" के बजाय "इम्पैक्ट" पर फ़ोकस करके, यह समिट ज़िम्मेदार AI के लिए एक रोडमैप देता है जो सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बैलेंस करता है।

प्रकृति-आधारित समाधान

प्रसंग

दिल्ली में (5-7 फरवरी, 2026) **TREESCAPES 2026 कांग्रेस के खत्म होने पर** नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NbS) सेंटर स्टेज पर आ गया । इस इवेंट ने क्लाइमेट रेजिलिएंस में एग्रोफॉरेस्ट्री की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। साथ ही, **UNEP स्टेट ऑफ़ फाइनेंस फॉर नेचर 2026** रिपोर्ट ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में बड़े गैप की चेतावनी दी, जिसमें बताया गया कि नेचर प्रोटेक्शन पर खर्च किए गए हर $1 के लिए, $30 नेचर-नेगेटिव एक्टिविटीज़ पर खर्च किए जाते हैं।

नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NbS) के बारे में

परिभाषा:

NbS ऐसे काम हैं जिनसे समाज की चुनौतियों – जैसे क्लाइमेट चेंज, फ़ूड सिक्योरिटी और पानी की सुरक्षा – को असरदार और सही तरीके से हल करने के लिए कुदरती या बदले हुए इकोसिस्टम को बचाया, सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया और ठीक किया जाता है। ये इंसानों की भलाई और बायोडायवर्सिटी दोनों के लिए एक साथ फ़ायदे देते हैं।

मुख्य डेटा और आँकड़े (2025-26):

- **शमन क्षमता:** NbS, ग्लोबल वार्मिंग को $2°C$ से नीचे रखने के लिए 2030 तक ज़रूरी कॉस्ट-इफेक्टिव CO_2 मिटिगेशन का **37%** तक दे सकता है ।
- **फाइनेंस गैप:** 2026 UNEP रिपोर्ट से पता चलता है कि नेचर-नेगेटिव और नेचर-पॉजिटिव खर्च का **अनुपात 30:1 है** , और नेचर-नेगेटिव खर्च सालाना **$7.3 ट्रिलियन तक पहुंच रहा है।**
- **इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत:** क्लाइमेट और ज़मीन को ठीक करने के टारगेट को पूरा करने के लिए, ग्लोबल NbS इन्वेस्टमेंट को 2030 तक 2.5 गुना बढ़ाकर **$571 बिलियन सालाना करना होगा।**
- **भारत का ग्रीन कवर:** भारत **दुनिया भर में जंगल के एरिया में 9वें नंबर पर है; जंगल और पेड़** इसके ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग **25.17%** हिस्सा हैं ।
- **एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावना:** पेड़-आधारित सिस्टम पहले से ही भारत के नेशनल कार्बन स्टॉक का **19.3% हिस्सा हैं।**

प्रकृति-आधारित समाधानों की आवश्यकता

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** NbS बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। भारत का **एक पीईडी मां के नाम** कैंपेन (2025) के तहत दिसंबर 2025 तक **262.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है** , ताकि नेशनल सिंक को बढ़ाया जा सके।
- **आपदा का खतरा कम करना:** मैंग्रोव और वेटलैंड प्राकृतिक बफर का काम करते हैं। **MISHTI पहल** ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय समुदायों को चक्रवाती तूफान से बचाती है।
- **वॉटर सिक्योरिटी:** वाटरशेड और शहरी वेटलैंड्स को ठीक करने से ग्राउंडवॉटर रिचार्ज बेहतर होता है। बेंगलुरु में, जक्कुर झील जैसी मौसमी झीलों को फिर से ज़िंदा करने से वॉटर टेबल में सुधार हुआ है और बाढ़ का खतरा कम हुआ है।
- **सस्टेनेबल आजीविका:** इकोसिस्टम को ठीक करने से नौकरियां मिलती हैं। **MGNREGS** प्रोग्राम अब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (NRM) पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो तालाबों से गाद निकालने और पेड़ लगाने से रोज़गार देता है ।
- **खाद्य सुरक्षा:** एग्रोफॉरेस्ट्री मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाती है। 2025 की ICAR स्टडी में पाया गया कि एक एकड़ के एग्रोफॉरेस्ट्री फार्म ने नौ सालों में **154.5 मेगाग्राम CO_2 के बराबर इकट्ठा किया और साथ ही खाने का प्रोडक्शन भी बनाए रखा।**

प्रकृति-आधारित समाधानों की चुनौतियाँ

- **स्टैंडर्डाइज़ेशन की कमी:** खराब प्रोजेक्ट डिज़ाइन से " ग्रीनवाशिंग " हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में कुछ पेड़ लगाने के कामों की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि उनमें मोनोकल्चर में दूसरी तरह की किस्में (जैसे, यूकेलिप्टस) लगाई गईं, जिनसे ग्राउंडवाटर कम होता है।
- **फाइनेंसिंग की दिक्कतें: ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट और लिक्विडिटी रिस्क की वजह से, अभी** कुल NbS इन्वेस्टमेंट का सिर्फ़ **10% ही** प्राइवेट सेक्टर से आता है।
- **मुश्किल गवर्नेंस:** फॉरेस्ट, वॉटर और शहरी डिपार्टमेंट के बीच ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र, **अरावली ग्रीन वॉल जैसे प्रोजेक्ट्स को रोक देता है** , जो चार राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात) में फैला हुआ है।
- **शहरी डिस्कनेक्ट:** NbS को अक्सर "ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर" के मुकाबले सेकेंडरी माना जाता है। पुरानी बाढ़ों के बावजूद, कई शहर अभी भी नेचुरल नीले-हरे फ्लडप्लेन को ठीक करने के बजाय कंक्रीट ड्रेन को प्रायोरिटी देते हैं।
- **टेक्निकल कमियां:** तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मैंग्रोव को ठीक करने का काम पहले भी फेल हो चुका है, क्योंकि ऊपर की तरफ पानी के बहाव में बदलाव को डिजाइन में शामिल नहीं किया गया था।

की गई पहल

- **NbS के लिए IUCN ग्लोबल स्टैंडर्ड :** 8 क्राइटेरिया का एक फ्रेमवर्क जो यह पक्का करता है कि प्रोजेक्ट्स

RACE IAS

सस्टेनेबल हों और लोगों और धरती दोनों को फायदा पहुंचाएं।

- **अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट:** जून 2025 में शुरू किया गया ताकि रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए उत्तर-पश्चिम भारत में **6.45 मिलियन हेक्टेयर** खराब ज़मीन को ठीक किया जा सके।
- **डिजिटल CAMPA सुधार: डिजिटल APO पोर्टल (2025)** शुरू करना ताकि मुआवज़े के लिए दिए गए जंगल लगाने के फंड और कामों की ट्रांसपेरेंसी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग पक्की हो सके ।
- **ENACT पहल:** भारत द्वारा समर्थित एक ग्लोबल पार्टनरशिप, जो NbS को नेशनल क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी प्लान में शामिल करके उन्हें तेज़ करेगी।

पश्चिमी गोलार्ध

- **इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन: पीएम गति** में "ब्लू-ग्रीन" इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करें **शक्ति** फ्रेमवर्क और **स्मार्ट सिटीज मिशन** (जैसे, रेन गार्डन और बायोस्वेल)।
- **ग्रीन फाइनेंस को अनलॉक करना: सॉवरेन फॉरेस्ट बॉन्ड** डेवलप करें और कार्बन क्रेडिट मार्केट का इस्तेमाल करें, जिसके 2032 तक भारत में काफी बढ़ने का अनुमान है।
- **समुदाय के नेतृत्व वाला शासन: ग्राम सभाओं** और महिलाओं के नेतृत्व वाली जल समितियों को सशक्त बनाना (जल संसाधन मंत्रालय से) जीवन मिशन) लोकल वेटलैंड और जंगल को ठीक करने के लिए है।
- **विज्ञान-आधारित निगरानी: मेरी** का उपयोग करें **LiFE पोर्टल (2026)** और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके लगाए गए पौधों और ठीक किए गए इकोसिस्टम के बचने और सेहत को ट्रैक किया जाएगा।
- **एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ाना : साउथ एशियन एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस 2026** के रोडमैप को लागू करना ताकि भारत के **$7 बिलियन के** लकड़ी के इंपोर्ट बिल को कम किया जा सके और छोटे किसानों को सपोर्ट किया जा सके।

निष्कर्ष

नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस, नेचर से लड़ने से लेकर उसके साथ पार्टनरशिप करने तक का बदलाव दिखाते हैं। हालांकि फंडिंग की कमी और स्टैंडर्ड तरीके से लागू करने में रुकावटें बनी हुई हैं, लेकिन अरावली रेस्टोरेशन और बड़े पैमाने पर " एक " जैसे भारतीय इनिशिएटिव्स कामयाब हो रहे हैं। पीईडी मां के " नाम " कैंपेन एक मज़बूत पॉलिटिकल विल दिखाता है। फाइनेंस गैप को कम करके और लोकल कम्युनिटी को सेंटर में रखकर, इंडिया अपने नेचुरल कैपिटल को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ़ अपने सबसे मज़बूत डिफेंस में बदल सकता है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

प्रसंग

डिजिटल एडिक्शन और माता-पिता के झगड़े से जुड़ी गाजियाबाद में तीन बहनों की दुखद आत्महत्या ने देश भर में एक ज़ोरदार बहस फिर से छेड़ दी है। इस घटना ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला है कि वह स्क्रीन एडिक्शन के बढ़ते पब्लिक हेल्थ संकट से निपटने के लिए नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी बैन लगाने पर विचार करे।

समाचार के बारे में

परिभाषा: बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन में रेगुलेटरी रोक शामिल है, जो एक तय उम्र (आमतौर पर 16) से कम उम्र के लोगों को डिजिटल अकाउंट रखने से रोकती है। यह सरकारी ID या बायोमेट्रिक डेटा के ज़रिए उम्र वेरिफिकेशन का बोझ टेक कंपनियों पर डालता है।

मुख्य सांख्यिकी :

- **बड़ा यूज़र बेस:** 2026 तक भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर **400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र होंगे।**
- **टीनएजर्स का दबदबा:** ASER **रिपोर्ट (2025-26)** से पता चलता है कि **90% से ज़्यादा** भारतीय टीनएजर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं।
- **हेल्थ वॉर्निंग:** इकोनॉमिक **सर्वे 2025-26** ने ऑफिशियली "कंपल्सिव स्क्रॉलिंग" को युवाओं के लिए एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता बताया है।
- **जेंडर डिवाइड:** एक बड़ा अंतर बना हुआ है, सिर्फ़ **33.3%** महिलाओं ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है, जबकि **57.1%** पुरुषों ने।
- **समय की खपत:** 61% शहरी बच्चे **रोज़ाना 3 घंटे से ज़्यादा** ऑनलाइन बिताते हैं, और कई तो 6 घंटे से भी ज़्यादा समय बिताते हैं।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की ज़रूरत

- **बहुत ज़्यादा लत से लड़ना:** एल्गोरिदम से चलने वाले कंटेंट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से व्यवहार में जानलेवा बदलाव आ सकते हैं, जैसा कि 2026 के गाजियाबाद मामले में देखा गया था, जिसमें टास्क-बेस्ड डिजिटल गेम्स शामिल थे।
- **मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन: ज़्यादा इस्तेमाल लगातार 15-24 साल के** लोगों में एंग्जायटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज से नाखुशी के बढ़ते रेट से जुड़ा है ।
- **साइबर-ग्रूमिंग की रोकथाम: एक्सेस पर रोक लगाने से नाबालिगों का डिजिटल शिकारियों और AI** चैटबॉट के साथ नुकसानदायक बातचीत का खतरा कम हो जाता है ।
- **खुद को नुकसान पहुंचाने के संक्रमण को कम करना:** बैन से वायरल "चैलेंज" या ऐसे कामों का फैलना कम होता है जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।
- **पढ़ाई पर ध्यान वापस लाना:** चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जनवरी 2026 में कहा था कि "लगातार

स्क्रॉलिंग" से स्टूडेंट्स का ध्यान और सोचने-समझने की क्षमता कम हो रही है।

सोशल मीडिया पर बैन लगाने की चुनौतियाँ सोशल मीडिया पर बैन लगाने की चुनौतियाँ: सोशल मीडिया पर बैन लगाने की चुनौतियाँ। सोशल ...

- **टेक्निकल पोरसिटी:** बच्चे अक्सर **VPN** (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करके पाबंदियों को बायपास करके पाबंद ऐप्स या कंटेंट एक्सेस करते हैं।
- **प्राइवेसी और सर्विलांस रिस्क: ज़रूरी ID लिंकिंग के ज़रिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट को** लागू करने से बड़े पैमाने पर सरकारी सर्विलांस का रिस्क पैदा होता है।
- **डिजिटल लाइफलाइन का नुकसान: भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने** वाले क्वीर और दिव्यांग लोगों समेत पिछड़े युवा , अपने आस-पास के माहौल में न मिलने वाले कम्युनिटी सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं।
- **जेंडर असमानता को बढ़ाना:** उम्र की सख्त शर्तें, पुरुष-प्रधान माहौल में परिवारों को महिलाओं के इंटरनेट एक्सेस पर और रोक लगाने का बहाना दे सकती हैं।
- **"डार्क" प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन:** बैन से यूज़र्स मॉडरेटेड प्लेटफॉर्म (जैसे इंस्टाग्राम) से टेलीग्राम जैसे अनमॉडरेटेड , एन्क्रिप्टेड जगहों पर जा सकते हैं, जहाँ एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट फलता-फूलता है।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- **ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम आयु कानून:** X और TikTok जैसे प्लेटफार्मों पर सख्त **अंडर-16 प्रतिबंध** लागू करने वाला पहला राष्ट्र , भारी कॉर्पोरेट जुर्माना द्वारा समर्थित।
- **सिंगापुर का ऐप स्टोर कोड:** ऐप स्टोर को रेगुलेट करने पर फोकस करता है ताकि डाउनलोड होने से पहले सख्त एज रेटिंग और वेरिफिकेशन लागू हो सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **देखभाल की ज़िम्मेदारी:** पूरी तरह बैन से बदलाव करके बिग टेक को उनके एल्गोरिदम में "सेफ़्टी-बाय-डिज़ाइन" के लिए कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार ठहराना।
- **इंडिपेंडेंट रेगुलेशन:** स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेसी से आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म कम्प्लायंस की देखरेख के लिए डिजिटल सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट बॉडी बनाएं।
- **लोकलाइज़्ड रिसर्च:** अलग-अलग भारतीय डेमोग्राफिक्स और इलाकों में सोशल मीडिया के खास असर को समझने के लिए लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज़ को फंड करें।
- **डिजिटल लिटरेसी:** बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करने के लिए स्कूल के सिलेबस में पूरी डिजिटल नागरिकता शामिल करें।
- **डेमोक्रेटिक इन्क्लूजन:** यह पक्का करें कि युवाओं की आवाज़ उनके डिजिटल अधिकारों के बारे में पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो।

निष्कर्ष

एक सीधा बैन कुछ समय के लिए कंट्रोल का भ्रम दे सकता है, लेकिन यह डिजिटल नुकसान के सिस्टमिक टेक्निकल और सोशल कारणों को हल करने में नाकाम रहता है। भारत को बिग टेक को कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड अपनाने के लिए मजबूर करके और एक हेल्दी मीडिया इकोलॉजी को बढ़ावा देकर बैलेंस बनाना होगा जो बच्चों को उनके डिजिटल अधिकारों से वंचित किए बिना उनकी सुरक्षा करे।

START और नई START संधि

प्रसंग

न्यू **START** (स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी) ऑफिशियली बिना किसी अगले एग्रीमेंट के खत्म हो गई। 1969 में SALT। नेगोशिएशन शुरू होने के बाद से 50 से ज़्यादा सालों में पहली बार, दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस के न्यूक्लियर हथियारों पर **कोई कानूनी लिमिट नहीं है।**

पृष्ठभूमि: START का विकास

START फ्रेमवर्क कोल्ड वॉर की ज़रूरत से पैदा हुआ था, जिसमें हथियारों के "अनलिमिटेड जमाव" से "बातचीत से कमी" की ओर शिफ्ट होना था।

- **START I (1991):** USA और USSR के बीच साइन की गई यह संधि (USSR के खत्म होने से कुछ महीने पहले) असल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करने वाली पहली संधि थी (हर एक के पास 6,000 तक) न कि सिर्फ़ उनकी बढ़त पर रोक लगाने वाली।
- **न्यू START (2010):** इस पर प्रेसिडेंट ओबामा और मेदवेदेव ने साइन किए थे , इसने लिमिट को और कम कर दिया। यह 2011 में लागू हुआ, इसकी शुरुआती लाइफ 10 साल थी।
- **एक्सटेंशन (2021):** अपने पहले बड़े डिप्लोमैटिक कामों में से एक में, प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन एक बार के, **पांच साल के एक्सटेंशन** (ज़्यादा से ज़्यादा मंज़ूर) पर सहमत हुए, जिससे यह समय-सीमा फरवरी 2026 तक बढ़ गई।

न्यू स्टार्ट के प्रमुख प्रावधान

इस संधि ने हर पक्ष पर तीन "सेंट्रल लिमिट्स" लगाईं:

1. **1,550 तैनात स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स:** असली बम तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार हैं।
2. **700 डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम:** जिसमें ICBMs (इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल), SLBMs (सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल), और हेवी बॉम्बर शामिल हैं।

3. **800 डिप्लॉयड और नॉन-डिप्लॉयड लॉन्चर:** मेंटेनेंस या स्टोरेज में शामिल कुल क्षमता।

वर्तमान संकट

ट्रीटी का "बेइज़्ज़ती भरा अंत" वेरिफ़िकेशन में नाकामी और बदलती जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की वजह से हुआ:

- **2023 में सस्पेंशन:** यूक्रेन के लिए US सपोर्ट का हवाला देते हुए, रूस ने फरवरी 2023 में पार्टिसिपेशन को "सस्पेंड" कर दिया। हालांकि उसने नंबर लिमिट में रहने का वादा किया, लेकिन उसने **ऑन-साइट इंस्पेक्शन** और डेटा एक्सचेंज रोक दिए, जिससे वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो गया।
- **रूस का आखिरी ऑफर: सितंबर 2025 में, व्लादिमीर पुतिन ने एक साल के** इनफॉर्मल "पॉलिटिकल कमिटमेंट" का प्रस्ताव रखा, अगर अमेरिका भी ऐसा ही करता है तो वे New START लिमिट्स को मानेंगे।
- **US की स्थिति (2026):** ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रीटी को खत्म होने दिया, प्रेसिडेंट ने कहा, *"अगर यह खत्म होती है, तो खत्म हो जाएगी। हम बस एक बेहतर एग्रीमेंट करेंगे।"*
  - **चीन फैक्टर:** US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि 21वीं सदी के किसी भी हथियार कंट्रोल में **चीन को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए** , जिसका हथियार भंडार 2020 से तीन गुना बढ़ गया है (अब अंदाज़ा है कि यह 600+ वॉरहेड है)।
  - **टेक्नोलॉजिकल बदलाव:** US सिर्फ़ अटैक करने वाले वॉरहेड की संख्या गिनने के बजाय मिसाइल डिफेंस ("गोल्डन डोम") की तरफ़ जा रहा है।

चुनौतियाँ और वैश्विक जोखिम

- **न्यूक्लियर वैक्यूम:** इंस्पेक्शन के बिना, "सबसे खराब हालत के अंदाज़े" मिलिट्री प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे, जिससे शायद एक नई, महंगी हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी।
- **मल्टीपोलैरिटी :** रूस का कहना है कि अगर चीन को शामिल किया जाता है, तो NATO के सहयोगी (UK और फ्रांस) को भी बातचीत में शामिल होना चाहिए।
- **NPT का कम होना:** नॉन-न्यूक्लियर देशों का कहना है कि यह चूक **NPT के आर्टिकल VI का उल्लंघन करती है** , जो न्यूक्लियर ताकतों को हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करता है, जिससे शायद दूसरे देशों को "न्यूक्लियर बनने" के लिए बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

न्यू START के खत्म होने से दोनों देशों के बीच "कोल्ड वॉर-स्टाइल" वाले हथियारों पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब फोकस इस बात पर है कि क्या अबू धाबी या जिनेवा में एक **तीन-तरफ़ा फ्रेमवर्क (US-रूस-चीन)** बनाया जा सकता है, या दुनिया बिना रोक-टोक के न्यूक्लियर विस्तार के दौर में जा रही है।

लोक को हटाना सभा अध्यक्ष

प्रसंग

विपक्षी **इंडिया ब्लॉक ने लोकपाल** को हटाने के लिए महासचिव को औपचारिक नोटिस दिया **सभा स्पीकर ओम बिरला । 118 MPs** के साइन वाले इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर ने "पूरी तरह से एकतरफ़ा तरीके से" काम किया है, खास तौर पर विपक्ष के नेता को बोलने का समय न देने और बजट सेशन के दौरान आठ विपक्षी सदस्यों को सस्पेंड करने का ज़िक्र किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

स्पीकर को हटाने का काम कुछ खास आर्टिकल के तहत होता है, जो यह पक्का करते हैं कि ऑफिस हाउस के प्रति जवाबदेह बना रहे:

- **आर्टिकल 94(c):** इसमें कहा गया है कि स्पीकर को हाउस ऑफ़ द पीपल के **उस समय के सभी सदस्यों की मेजॉरिटी से पास किए गए प्रस्ताव से हटाया जा सकता है** ।
- **आर्टिकल 96:** यह बताता है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे **अध्यक्षता नहीं करेंगे** , हालांकि उन्हें कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

हटाने की प्रक्रिया

मनमाने ढंग से हटाने से रोकने और चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए यह प्रोसेस सख्त है:

1. **नोटिस अवधि:** लोक के महासचिव को लिखित में **14 दिन पहले** अनिवार्य रूप से नोटिस देना होगा सभा .
2. **मंज़ूरी की जांच:** नोटिस की जांच सेक्रेटेरिएट (या डिप्टी स्पीकर/चेयरपर्सन का पैनल) करता है ताकि यह पक्का हो सके कि उसमें **खास आरोप हैं** और उसमें बदनाम करने वाली भाषा नहीं है।
3. **हाउस की इजाज़त:** 14 दिन खत्म होने के बाद, हाउस में प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के लिए, कम से कम **50 सदस्यों को** अपनी जगह पर खड़े होकर उसका समर्थन करना होगा।
4. **चर्चा और वोटिंग:** अगर इजाज़त मिल जाती है, तो प्रस्ताव पर **10 दिनों के अंदर चर्चा और वोटिंग होनी चाहिए** ।

"बहुमत" की आवश्यकता

प्रस्ताव को **इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए** । सिंपल मेजॉरिटी (मौजूद और वोट करने वालों की मेजॉरिटी) के उलट, इफेक्टिव मेजॉरिटी की गिनती ऐसे की जाती है:

प्रभावी बहुमत = (सदन की कुल संख्या – रिक्तियों) का 50% से अधिक

*उदाहरण: अगर हाउस में 543 सीटें हैं और 3 खाली हैं, तो असरदार संख्या 540 है। प्रस्ताव को पास होने के लिए **271 वोटों की ज़रूरत होगी।***

कार्यवाही के दौरान स्पीकर के अधिकार

निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, संविधान प्रस्ताव पर विचार किए जाने के दौरान स्पीकर को ये सुरक्षा उपाय देता है:

- **भागीदारी: स्पीकर को** कार्यवाही **में बोलने और हिस्सा लेने का** अधिकार है ।
- **नॉन-प्रेसाइडिंग स्टेटस:** वे स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते या सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उनकी जगह डिप्टी स्पीकर (या चेयरपर्सन के पैनल का कोई सदस्य) अध्यक्षता करता है।
- **वोटिंग का अधिकार:** आम सेशन के उलट, जहाँ स्पीकर के पास सिर्फ़ टाई होने पर ही "कास्टिंग वोट" का अधिकार होता है, उन्हें हटाने की कार्रवाई के दौरान, वे **सिर्फ़ पहली बार** (एक आम सदस्य के तौर पर) वोट कर सकते हैं, लेकिन टाई तोड़ने के लिए वोट **नहीं कर सकते ।**

वर्तमान स्थिति (फरवरी 2026)

ऐतिहासिक रूप से, **लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष सभा को कभी भी पद से नहीं हटाया गया है** । जबकि विपक्ष के पास प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के लिए ज़रूरी 50 सदस्य हैं, मौजूदा NDA सरकार के पास **293 सीटों की आरामदायक बहुमत है** , जिससे असल में हटाया जाना मुश्किल है। इस कदम को आम तौर पर संसदीय व्यवहार के बारे में विपक्ष की शिकायतों के एक सांकेतिक दावे के तौर पर देखा जा रहा है।

आईटी नियम संशोधन और एआई विनियमन (2026)

प्रसंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधिकारिक तौर पर **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया। ये नियम, जो 20 फरवरी, 2026** को लागू होने वाले हैं , डीपफेक और AI-आधारित गलत सूचना की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए "सिंथेटिक रूप से उत्पन्न सूचना" (SGI) के लिए पहला औपचारिक नियामक ढांचा पेश करते हैं।

प्रमुख संशोधन (2026)

- **ज़रूरी AI लेबलिंग:** * प्लेटफॉर्म को यह पक्का करना होगा कि सभी सिंथेटिक कंटेंट (AI से बना या बदला हुआ) पर एक **साफ़ और खास लेबल हो** ।
  - **ट्रेसेबिलिटी: इंटरमीडियरीज़ को** कंटेंट को सोर्स प्लेटफ़ॉर्म पर वापस ट्रेस करने के लिए परमानेंट **मेटाडेटा या यूनिक आइडेंटिफ़ायर (प्रोवेंस मार्कर) एम्बेड करने होंगे।**
  - *नोट:* लेबल को स्क्रीन के ठीक 10% हिस्से पर कवर करने के लिए ज़रूरी करने का पिछला प्रस्ताव इंडस्ट्री के फ़ीडबैक के बाद फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन में हटा दिया गया था।
- **ड्रैस्टिक टेकडाउन विंडोज़:**
  - **कानूनी आदेश:** प्लेटफॉर्म को कोर्ट या सरकारी आदेश से फ़्लैग किए गए कंटेंट को **3 घंटे के अंदर हटाना होगा** (पहले यह 36 घंटे था)।
  - **सेंसिटिव कंटेंट :** बिना सहमति के डीपफेक या इंटिमेट इमेजरी को **2 घंटे** के अंदर हटाना होगा (पहले 24 घंटे थे)।
- **यूज़र डिक्लेरेशन:** सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ (SSMIs) को अब यूज़र्स से **यह डिक्लेयर करना होगा** कि उनका कंटेंट अपलोड करते समय AI-जनरेटेड है या नहीं। प्लेटफ़ॉर्म से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे इन डिक्लेरेशन को वेरिफ़ाई करने के लिए टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे।

मुख्य अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

- **सिंथेटिक तरीके से बनाई गई जानकारी (SGI):** इसका मतलब है कोई भी ऑडियो, विज़ुअल, या ऑडियो-विज़ुअल जानकारी जो असली/असली दिखने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से बनाई या बदली गई हो।
  - **छूट:** रूटीन एडिटिंग (कलर करेक्शन, नॉइज़ रिडक्शन), एक्सेसिबिलिटी में बदलाव (ट्रांसक्रिप्शन/ट्रांसलेशन), और अच्छी सोच वाले एकेडमिक या ट्रेनिंग मटीरियल को SGI में **नहीं रखा गया है।**
- **सेफ़ हार्बर (सेक्शन 79):** 2026 का अमेंडमेंट साफ़ करता है कि अगर प्लेटफ़ॉर्म अच्छी नीयत से सिंथेटिक कंटेंट हटाते हैं, तो उन्हें अपनी लीगल इम्यूनिटी **मिलेगी । लेकिन,** अगर वे बिना लेबल वाले SGI को "जानबूझकर इजाज़त देते हैं या प्रमोट करते हैं" या नए 2-3 घंटे के टाइम पीरियड में एक्शन नहीं लेते हैं, तो वे यह प्रोटेक्शन **खो देते हैं ।**

टेकडाउन टाइमलाइन की तुलना

सामग्री श्रेणी	पिछली टाइमलाइन (2021/23)	नई टाइमलाइन (फरवरी 2026)
वैध आदेश (सरकारी /न्यायालय)	36 घंटे	**3 घंटे**
बिना सहमति के डीपफेक / नग्नता	24 घंटे	**2 घंटे**

शिकायत निपटान (सामान्य)	15 दिन	**7 दिन**
तत्काल शिकायतें	72 घंटे	**36 घंटे**

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **"चिलिंग इफ़ेक्ट":** आलोचकों का कहना है कि 3 घंटे का समय प्लेटफ़ॉर्म के लिए गलत इरादे वाले डीपफेक और सही राजनीतिक सटायर या आलोचना के बीच फ़र्क करने के लिए बहुत कम है, जिससे शायद ओवर-सेंसरशिप हो सकती है।
- **वेरिफिकेशन की संभावना:** हालांकि प्लेटफॉर्म को यूज़र की घोषणाओं को वेरिफाई करना होगा, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रियल-टाइम में हाई-क्वालिटी "स्टील्थ" डीपफेक का पता लगाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बनी हुई है।
- **एल्गोरिदमिक बायस:** इन टाइट डेडलाइन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटेड मॉडरेशन टूल अनजाने में रीजनल बोलियों या कल्चरल बारीकियों को "सिंथेटिक" बता सकते हैं।

निष्कर्ष

2026 के IT रूल्स **"सेफ्टी-बाय-डिज़ाइन" की तरफ एक बदलाव दिखाते हैं।** प्रोवेंस और लगभग तुरंत हटाने को ज़रूरी बनाकर, भारत पूरी तरह से रिएक्टिव मॉडरेशन से हटकर AI टूल प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया जायंट्स दोनों के लिए एक्टिव अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम की ओर बढ़ रहा है।

सेशल्स

प्रसंग

फरवरी 2026 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी ने प्रेसिडेंट के नई दिल्ली दौरे के दौरान **जॉइंट विज़न "SESEL" (सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहैंस्ड लिंकेज) की घोषणा की। यह दौरा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है: सेशेल्स की आज़ादी की 50वीं सालगिरह** और **भारत-सेशेल्स के डिप्लोमैटिक रिश्तों के 50 साल** ।

सेशेल्स के बारे में

- **परिभाषा:** एक छोटा आइलैंड डेवलपिंग स्टेट (SIDS) जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर में **115 आइलैंड का एक आइलैंड ग्रुप शामिल है।**
- **भूगोल: 4°–11° S** लैटीट्यूड और **46°–56° E लॉन्गीट्यूड** के बीच ; केन्या से लगभग 1,600 km पूरब में और मेडागास्कर से 1,100 km उत्तर-पूर्व में।
- **पूंजी: विक्टोरिया** , **माहे** के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है , जो सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।

भूवैज्ञानिक वर्गीकरण

- **इनर आइलैंड्स (ग्रेनाइटिक): 40** से ज़्यादा **पहाड़ी, ग्रेनाइटिक आइलैंड्स** (जिनमें माहे , प्रस्लिन और ला डिग्यू शामिल हैं) जिनमें संकरे तटीय मैदान और बीच में हरी-भरी पहाड़ियाँ हैं। ये पुराने गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट के टुकड़े हैं।
- **आउटर आइलैंड्स (कोरलाइन): 70** से ज़्यादा **निचले कोरल एटोल और रीफ़ आइलैंड** जो समतल हैं, ज़्यादातर निर्जन हैं, और समुद्र तल से सिर्फ़ कुछ मीटर ऊपर हैं।
- **सबसे ऊंचा स्थान: मोर्ने सेशेलोइस (905 मीटर)** , माहे पर मोर्ने सेशेलोइस नेशनल पार्क के भीतर स्थित है द्वीप ।
- **नेचुरल हेरिटेज:** दो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर:
  - **एल्डब्रा एटोल:** दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल एटोल, जो बड़े कछुओं के लिए मशहूर है।
  - **वैली डे माई:** प्रस्लिन पर एक प्रागैतिहासिक जंगल यह द्वीप स्थानीय **कोको डे मेर** (दुनिया का सबसे बड़ा बीज) से भरा है।

भारत-सेशेल्स संयुक्त विजन (एसईएसईएल)

2026 की घोषणा सहयोग के पांच मुख्य आधारों पर केंद्रित है:

- **स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज:** भारत ने **USD 175 मिलियन के** पैकेज की घोषणा की, जिसमें शामिल हैं:
  - रुपया-मूल्यवर्गित ऋण रेखा (एलओसी) के रूप में **125 मिलियन अमरीकी डॉलर ।**
  - हाई-इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के लिए डायरेक्ट ग्रांट के तौर पर **USD 50 मिलियन ।**
- **मैरीटाइम सिक्योरिटी और MAHASAGAR:** सेशेल्स को भारत के **MAHASAGAR विज़न (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और** समग्र उन्नति) के "मुख्य स्तंभ" के रूप में फिर से पुष्टि करना। इसमें शामिल हैं:
  - बेहतर जॉइंट सर्विलांस और हाइड्रोग्राफी ।
  - सेशेल्स कोस्ट गार्ड के लिए पेट्रोल शिप *PS ज़ोरास्टर को रिफिट किया जा रहा है।*
  - सेशेल्स **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में** फुल मेंबर के तौर पर शामिल हो रहा है।
- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:** डिजिटल पेमेंट और ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में क्रांति लाने के लिए सेशेल्स में भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का इस्तेमाल करना।**
- **जलवायु और लचीलापन: * बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियों** का कार्यान्वयन ।
  - पावर ग्रिड मैनेजमेंट और **ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए टेक्निकल सहायता** ।

- सेशेल्स, **डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (CDRI) में शामिल हो रहा है** ।
- **स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा:**
    - सस्ती और अच्छी दवाइयों तक पहुंच पक्का करने के लिए **इंडियन फार्माकोपिया** को मान्यता देना ।
    - **10 एडवांस्ड एम्बुलेंस** और **1,000 मीट्रिक टन** अनाज का दान ।

निष्कर्ष

"SESEL" विज़न एक ज़्यादा बड़े, डिजिटल और क्लाइमेट पर फोकस करने वाली पार्टनरशिप की तरफ एक स्ट्रेटेजिक बदलाव का इशारा करता है। एक "समुद्री पड़ोसी" के तौर पर, सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए ज़रूरी बना हुआ है, जबकि भारत इस आइलैंड देश के लिए पसंदीदा डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पार्टनर बना हुआ है।

मैंग्रोव क्लैम

प्रसंग

ICAR–सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) ने कैद में मैंग्रोव क्लैम की ब्रीडिंग को सफलतापूर्वक शुरू करके एक अनोखी ग्लोबल साइंटिफिक उपलब्धि हासिल की है। CMFRI के मैरीकल्चर डिवीज़न में इस सफलता का मकसद तेज़ी से घटते एस्टुअरी रिसोर्स को फिर से ज़िंदा करना और मैंग्रोव कंज़र्वेशन के साथ इंटीग्रेटेड कम्युनिटी-मैनेज्ड एक्वाकल्चर मॉडल को आगे बढ़ाना है।

मैंग्रोव क्लैम के बारे में

- **परिभाषा:** एक इकोलॉजिकली क्रिटिकल बाइवाल्व (मड क्लैम) जो साउथ और साउथईस्ट एशिया के मैंग्रोव और एस्टुरीन इकोसिस्टम का मूल निवासी है।
- **वैज्ञानिक नाम:** *गेलोइना एरोसा* (वैकल्पिक रूप से *गेलोइना के रूप में जाना जाता है एक्सपेंसा* या *पॉलीमेसोडा एरोसा*)।
- **स्थानीय नाम: " कंडल "** के नाम से मशहूर **कक्का "** उत्तरी केरल में एक मशहूर पारंपरिक व्यंजन है, जहाँ यह एक खास व्यंजन है।

आवास और पारिस्थितिकी

- **नीश: यह खास तौर पर इंटरटाइडल मैंग्रोव ज़ोन** में ऑर्गेनिक-रिच, कीचड़ वाले सबस्ट्रेट्स में रहता है ।
- **खारेपन को सहने की क्षमता:** यह बहुत अच्छी यूरीहैलिनिटी दिखाता है , खारे पानी से लेकर लगभग मीठे पानी तक के माहौल में ज़िंदा रह सकता है।
- **बिल खोदने का व्यवहार:** यह एक गहरी बिल खोदने वाली, सेमी- इनफ़ौनल प्रजाति है। बड़े आम तौर पर मैंग्रोव के ज़मीन की तरफ़ पाए जाते हैं, जबकि छोटे ज्वार-भाटे पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं।

मुख्य विशेषताएं

- **जायंट साइज़:** दुनिया के सबसे बड़े मड क्लैम में से एक, जिसके शेल की चौड़ाई **10 cm तक होती है।**
- **फ़िल्टर फीडर:** यह एक बायोलॉजिकल फ़िल्टर की तरह काम करता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और प्लैंकटन को हटाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स रीसायकल होते हैं और पानी की क्लैरिटी बेहतर होती है।
- **इंडिकेटर स्पीशीज़:** इनकी संख्या और सेहत, कोस्टल एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं।
- **रिप्रोडक्टिव ट्रेट:** इसमें बाहरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते; लिंग की पहचान अंदर से **गोनाड के रंग और बनावट से होती है** (जैसे, 34 mm से कम साइज़ के सैंपल में)।

पुनर्स्थापना में सफलता

पहले, इस प्रजाति की खेती में जंगली बीज इकट्ठा करने पर पूरी तरह निर्भर रहने की वजह से रुकावट आती थी। CMFRI की इस कामयाबी ने कैद में "जीवन चक्र को बंद कर दिया है":

1. **इंड्यूस्ड स्पॉनिंग: साइंटिस्ट्स ने** कंट्रोल्ड एनवायरनमेंटल कंडीशन में कैप्टिव ब्रूडस्टॉक में स्पॉनिंग को ट्रिगर किया।
2. **लार्वल डेवलपमेंट:** एम्ब्रियोनिक और लार्वल स्टेज में सफल पालन-पोषण।
3. **स्पैट सेटलमेंट:** स्पॉनिंग के **18वें दिन** तक "स्पैट" स्टेज (वह पॉइंट जहाँ लार्वा सेटल हो जाते हैं और छोटे क्लैम जैसे दिखने लगते हैं) तक पहुँच गए ।

महत्व और अनुप्रयोग

- **सस्टेनेबल एक्वाकल्चर:** यह कम लागत वाली, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एस्टुअरी खेती का रास्ता बनाता है जिसके लिए कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है।
- **इकोसिस्टम रैंचिंग:** हैचरी से बने बीजों को खराब हो चुके मैंग्रोव में "रैंच" (छोड़ा) जा सकता है ताकि कुदरती आबादी को फिर से बसाया जा सके और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाया जा सके।
- **रोज़ी-रोटी की सुरक्षा:** यह मैंग्रोव पर निर्भर तटीय समुदायों, खासकर केरल और भारत के पूर्वी तट पर रहने वाले लोगों को एक स्थिर, हाई-प्रोटीन वाला खाना और इनकम देता है।
- **संरक्षण:** इससे घटते जंगली जानवरों पर बहुत ज़्यादा कटाई का दबाव कम होता है, जो प्रदूषण और बिना सोचे-समझे मछली पकड़ने की वजह से खत्म हो गए हैं।

निष्कर्ष

गेलोइना की सफल कैप्टिव ब्रीडिंग CMFRI द्वारा *इरोसा* **एक्सट्रैक्टिव एक्वाकल्चर की ओर एक बदलाव को दिखाता है** , जहाँ यह प्रजाति असल में उस एनवायरनमेंट को साफ करने और ठीक करने में मदद करती है जिसमें इसे उगाया जाता है। इन हैचरी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड बनाकर, भारत खुद को फूड

सिक्योरिटी को डीप-टियर मैंग्रोव इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के साथ मिलाने में लीडर के तौर पर स्थापित करता है।

डिजिटल शासन

प्रसंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **IT नियम, 2021** में ज़रूरी बदलावों को नोटिफ़ाई किया है । बहस अब सिर्फ़ कंटेंट हटाने से हटकर **कंटेंट के असली होने पर आ गई है** , जिसमें यह ज़रूरी कर दिया गया है कि सभी AI-जनरेटेड या "सिंथेटिकली जीन रेटेड" मीडिया में ट्रेस किए जा सकने वाले डिजिटल टैग या वॉटरमार्क हों ताकि डीपफेक में बढ़ोतरी से निपटा जा सके ।

डिजिटल गवर्नेंस के बारे में

- **परिभाषा:** पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाने के लिए **ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी** जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी (AI, ब्लॉकचेन , क्लाउड) का इस्तेमाल ।
- **कोर शिफ्ट:** "कागज़ी कार्रवाई को डिजिटाइज़ करने" से आगे बढ़कर, समावेशी सर्विस डिलीवरी के लिए नागरिक, राज्य और बाज़ार कैसे बातचीत करते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव लाना।

डेटा और तथ्य

- **आर्थिक असर:** डिजिटल इकॉनमी ने 2025 में भारत की नेशनल इनकम में **13.42% का योगदान दिया; 2030 तक इसके 20% तक पहुंचने का अनुमान है।**
- **इंफ्रास्ट्रक्चर: 97%** से ज़्यादा **गांवों में** मोबाइल कनेक्टिविटी है, जिसे 4.74 लाख 5G टावर सपोर्ट करते हैं।
- **डिजिटल पहचान: 142 करोड़ आधार ID** दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम की रीढ़ हैं।
- **रियल-टाइम पेमेंट:** UPI से **₹24.03 लाख प्रोसेस हुए** एक महीने (जून 2025) में **करोड़ ।**
- **ई-गवर्नेंस स्केल:** 2025 के बीच तक **DigiLocker** 53.92 करोड़ यूज़र्स तक पहुंच जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा फिजिकल पेपरवर्क खत्म हो जाएगा।

भारत में डिजिटल शासन की आवश्यकता

- **डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी पक्का करना:** AI से बने डीपफेक को पब्लिक बातचीत को गलत दिशा में ले जाने से रोकना।
  - *उदाहरण:* **2025 के राज्य चुनावों** में , I4C ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए मनगढ़ंत वीडियो के खिलाफ दखल दिया।
- **जेंडर आधारित साइबर-अब्यूज़ से निपटना:** इस बात पर ध्यान देना कि दुनिया भर में 90% डीपफेक बिना सहमति के पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट होते हैं।
  - *उदाहरण:* 2025 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर डीपफेक शिकायतों में तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- **फाइनेंशियल सिक्योरिटी: ऐसे फ्रॉड को रोकना जहां** रिमोट KYC सिस्टम को बायपास करने के लिए "एनिमेटेड सेल्फी " का इस्तेमाल किया जाता है।
  - *उदाहरण:* 2026 की शुरुआत तक, **5 में से 1 बायोमेट्रिक फ्रॉड की कोशिश में** AI से होने वाले फेस स्वैप शामिल होंगे।
- **सबको साथ लेकर चलने वाली डिलीवरी: BHASHINI प्लेटफॉर्म** के ज़रिए भाषा की रुकावटों को तोड़ना , जो अब 35+ भाषाओं को सपोर्ट करता है।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी:** वेलफेयर में "लीकेज" को कम करना।
  - *उदाहरण:* डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने 2025 में PM-KISAN स्कीम में लाखों "घोस्ट बेनिफिशियरी" को खत्म कर दिया।

चुनौतियां

- **एल्गोरिदमिक ओपेसिटी:** पुलिसिंग या वेलफेयर में इस्तेमाल होने वाले "ब्लैक-बॉक्स" AI सिस्टम में अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, जिससे उनके खिलाफ अपील करना मुश्किल हो जाता है।
- **निगरानी और प्राइवेसी:** नए सिक्योरिटी ऐप्स के तहत बहुत ज़्यादा बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन से सरकार के दखल का खतरा।
- **डिजिटल डिवाइड:** स्ट्रक्चरल असमानता, जहाँ 5G के विस्तार के बावजूद ग्रामीण या बुज़ुर्ग नागरिक सिर्फ़ बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संघर्ष करते हैं।
- **बिग-टेक प्रभुत्व:** कुछ प्लेटफॉर्म अर्ध-संप्रभु शक्तियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (2024-25) सामने आ रहा है** ।
- **ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट:** सोफिस्टिकेटेड साइबर क्रिमिनल्स से आगे रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का लगातार चलने वाला चक्कर।

नैतिक सिद्धांत और आगे का रास्ता

नैतिक स्तंभ

- **जवाबदेही (*धर्म*):** AI का हर फ़ैसला एक ज़िम्मेदार इंसान तक पहुंचना चाहिए।
- **न्याय :** सिस्टम निष्पक्ष, समझाने लायक होने चाहिए और भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए **/**
- **ट्रांसपेरेंसी:** नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि वे किसी एल्गोरिदम या सिंथेटिक मीडिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं।

2026 की रणनीति

- **लीड रेगुलेटर:** अलग-अलग मंत्रालयों पर एक जैसी निगरानी के लिए एक ऑटोनॉमस डिजिटल रेगुलेटर बनाना।

RACE IAS

- **' CrediMark ' को लागू करना:** सभी सिंथेटिक कंटेंट के लिए ज़रूरी, लगातार डिजिटल टैग (प्रोवेंस)। इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
- **3-घंटे का टेकडाउन नियम: नए आईटी नियम संशोधन (20 फरवरी, 2026 से प्रभावी) के तहत प्लेटफॉर्म को फ्लैग किए गए** डीपफेक को **2-3 घंटे** के भीतर हटाना होगा ।
- **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:** स्टार्टअप्स को सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में एडवांस्ड डिटेक्शन टूल्स को टेस्ट करने की अनुमति देना।
- **नेशनल मीडिया-फोरेंसिक लैब्स:** नागरिकों और अधिकारियों को नकली धोखे की पहचान करने में मदद करने के लिए लेटेस्ट लैब्स में इन्वेस्ट करना।

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 की ओर भारत का रास्ता एक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल पर निर्भर करता है जो तेज़ी से इनोवेशन और संवैधानिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। कंटेंट की जानकारी को ज़रूरी बनाकर और जवाब देने का समय कम करके, भारत एक भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है जो इंसानी गरिमा को बनाए रखता है।

संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रसंग

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भारतीय संस्कृति और भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन पर एक पूरा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में बताया गया है कि कैसे पुरानी विरासत और मॉडर्न डिजिटल पार्टिसिपेशन के बीच के गैप को भरने के लिए नेशनल AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फोकस सिर्फ़ बचाने से हटकर एक्टिव कल्चरल एंगेजमेंट पर शिफ्ट हो रहा है।

समाचार के बारे में

- **स्ट्रेटेजिक बदलाव:** यह पहल कल्चरल रिसोर्स को स्टैटिक आर्काइव्ज़ से इंटरैक्टिव डिजिटल एसेट्स में बदल रही है, जिससे मैन्युस्क्रिप्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और ओरल ट्रेडिशन्स तक पहुंच आसान हो रही है।
- **फिलॉसफी:** यह AI को **"मानवता के लिए टेक्नोलॉजी" के तौर पर दिखाता है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली भलाई (** *सर्वोदय*) के बड़े नेशनल विज़न से मेल खाता है ।
- **मुख्य उद्देश्य:** यह पक्का करना कि डिजिटल बदलाव में भारत की सभ्यता की पहचान खत्म न हो, इसके लिए हर नागरिक को उनकी मातृभाषा में विरासत उपलब्ध कराना।

संरक्षण में AI की भूमिका

- **मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइज़ेशन:** हाई-स्पीड स्कैनिंग और मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन उन पुरानी चीज़ों को कैटलॉग करते हैं जो फिजिकली खराब होने का खतरा रहता है।
  - **उदाहरण** : ज्ञान **भारतम मिशन ने** इंटेलिजेंट AI कैटलॉगिंग का इस्तेमाल करके **44 लाख से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को** डॉक्यूमेंट किया है ।
- **कई भाषाओं में एक्सेस:** रियल-टाइम स्पीच-टू-टेक्स्ट और ट्रांसलेशन से पढ़ने-लिखने में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं।
  - *उदाहरण:* **काशी तमिल संगमम 2.0** में , हिंदी भाषणों को **भाषिनी** प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल-टाइम में तमिल में ट्रांसलेट किया गया ।
- **लुप्तप्राय भाषाओं को बचाना:** AI उन भाषाओं के लिए बोलचाल की लोककथाओं को लिखता है जिनकी कोई फ़ॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं है।
  - **उदाहरण** : आदि **वाणी** प्लेटफॉर्म संताली, भीली और गोंडी जैसी आदिवासी भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन देता है।
- **कारीगरों के लिए डिजिटल वैल्यू चेन:** AI टूल्स कारीगरों को उनकी अपनी भाषाओं में ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में मदद करते हैं।
  - *उदाहरण:* **GI-टैग वाले प्रोडक्ट्स** के लिए कई भाषा वाले कैटलॉग बिचौलियों पर निर्भरता कम करते हैं।
- **तीर्थयात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना:** बड़े पैमाने पर होने वाले हेरिटेज समारोहों के लिए ऑटोमेटेड मदद।
  - **उदाहरण** : कुंभ **सह'ऐ'यक** महाराष्ट्र में चैटबॉट ने **11 भाषाओं** में नेविगेशन दिया कुंभ 2025.

महत्वपूर्ण पहल

- **भाषिनी (नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन):** एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जो 22 अनुसूचित भाषाओं में AI-आधारित सेवाएं प्रदान करता है।
- **अनुवादिनी :** एक AICTE प्लेटफॉर्म जो ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए टेक्निकल और एकेडमिक टेक्स्टबुक्स को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है।
- **ज्ञान भारतम मिशन (2024–31): ₹482.85 करोड़** के खर्च वाला एक नेशनल मिशन, जो भारत की बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट विरासत को डिजिटाइज़ करने पर फोकस करता है।
- **आदि वाणी :** आदिवासी बोलियों के लिए एक खास AI प्लेटफॉर्म, जो हेल्थ एडवाइस और सरकारी मैसेज को उनकी अपनी भाषाओं में सपोर्ट करता है।
- **भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट (TDIL):** भारतीय लिपियों के लिए OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन) और मशीन ट्रांसलेशन को स्टैंडर्ड बनाने पर फोकस करता है।

RACE IAS

चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड:** दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले कई कल्चरल लोगों के पास मुश्किल AI इंटरफेस को समझने के लिए डिजिटल लिटरेसी की कमी है।
- **डॉक्यूमेंटेड बनाम प्राइवेट संपत्ति:** भारत की मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट *मठों* या मंदिरों में है, जहाँ के रखवाले सेंट्रलाइज़्ड डिजिटाइज़ेशन को लेकर सावधान हो सकते हैं।
- **कम रिसोर्स वाले डेटासेट: खतरे में पड़ी भाषाओं में सही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) को** ट्रेन करने के लिए ज़रूरी बड़े "टेक्स्ट कॉर्पोरा" (डेटा) की कमी होती है ।
- **असली होने की चिंता:** यह पक्का करना कि पारंपरिक डिज़ाइनों (GI-टैग वाले प्रोडक्ट) के डिजिटाइज़्ड वर्शन बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले नकली प्रोडक्ट से सुरक्षित रहें।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** AI मॉडल्स को अक्सर हाई-स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो अक्सर ग्रामीण विरासत वाली जगहों या आदिवासी इलाकों में नहीं मिलता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **DPI के तौर पर भाषा:** "लैंग्वेज लेयर" को बढ़ाना ताकि स्टार्टअप और सरकारी संस्थाएं बिना ज़्यादा शुरुआती इन्वेस्टमेंट के सबको साथ लेकर चलने वाले ऐप बना सकें।
- **वेरिफ़ायेबल डिजिटल क्रेडेंशियल:** कारीगरों के लिए AI-ट्रैक्ड स्किल सर्टिफ़िकेट लागू करना ताकि मार्केट में भरोसा और फ़ॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो सके।
- **लोकल इनोवेशन:** लोकल भाषा में कंटेंट बनाने और स्किलिंग में मदद के लिए ज़िला लेवल पर **डिजिटल वर्क हब** बनाना ।
- **ओपन-सोर्स मॉडल:** ओपन-सोर्स AI की तरफ़ जाना, ताकि यह पक्का हो सके कि कल्चरल प्रोटेक्शन टूल्स प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के बजाय पब्लिक गुड बने रहें।
- **ऑफ़लाइन AI:** ऐसे "एज" AI मॉडल बनाना जो लास्ट-माइल एक्सेसिबिलिटी के लिए स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी काम कर सकें।

निष्कर्ष

सभ्यता की पहचान के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है । भाषिनी और ज्ञान जैसे मिशन के ज़रिए भारतम के ज़रिए, देश यह पक्का कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की भाषाई विविधता की कीमत पर न हो। AI को सोशल एम्पावरमेंट के साथ जोड़कर, भारत की समृद्ध विरासत को डिजिटल युग के लिए एक जीती-जागती, सांस लेने वाली चीज़ में बदला जा रहा है।

प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक संबंध

प्रसंग

रिसर्चर्स ने चेन्नई में तमिल एपिग्राफी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नई खोज पेश कीं, जिसमें मिस्र की **वैली ऑफ़ द किंग्स** की चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों में मिले लगभग **30 पुराने भारतीय शिलालेखों का पता चला** । 2024 और 2025 के बीच डॉक्यूमेंट की गई ये खोजें, पहली से तीसरी सदी CE के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप और रोमन साम्राज्य के बीच मज़बूत, दो-तरफ़ा व्यापार संबंधों का "पक्का सबूत" देती हैं।

डिस्कवरी के बारे में

भाषा से जुड़ी चीज़ें: ये लिखावटें थेबन नेक्रोपोलिस में छह कब्रों पर मिलीं। पिछली खोजें सिर्फ़ तटीय बंदरगाहों तक ही सीमित थीं, लेकिन ये दिखाती हैं कि भारतीय यात्री घूमने-फिरने या लंबे समय तक रुकने के लिए मिस्र के अंदरूनी इलाकों में जाते थे।

- **भाषाएँ: 20 शिलालेख तमिल- ब्राह्मी** (तमिली) में हैं , जबकि बाकी 10 **संस्कृत** , **प्राकृत** और **गांधारी-खरोष्ठी में हैं** ।
- **कुंजी का नाम - " Cikai कोर्रान ":** * यह नाम पांच अलग-अलग कब्रों पर **आठ बार आता है।**
  - **सिकाई :** संस्कृत *शिखा से जुड़ा हुआ* , जिसका अर्थ है "गुच्छा" या "मुकुट।"
  - **कोर्रान :** एक खास तमिल नाम जो *कोर्रम* (जीत/मारना) से लिया गया है। यह चेर योद्धा देवी *कोर्रवई और कोर्रवन* (राजा) शब्द से जुड़ा है।
- **अन्य नाम:** " कोपन " (मकबरे 1 में *कोपन* शब्द के साथ पाया गया) *वरता कांतन* - " कोपन आया और देखा"), " कैटन " और " किरण ।"

रणनीतिक स्थान:

- **वैली ऑफ़ द किंग्स:** मकबरे की दीवारों पर "ग्रैफ़िटी" के तौर पर लिखा हुआ, कभी-कभी 4 मीटर तक ऊँचा, जो ग्रीक और रोमन विज़िटर्स के मौजूदा रिवाज़ की नकल करता है।
- **बेरेनिके पोर्ट:** लाल सागर का एक ज़रूरी ट्रेड हब, जहाँ रोमन सम्राटों और भारतीय देवी-देवताओं (जैसे बुद्ध) के बारे में ज़िक्र वाले पुराने संस्कृत शिलालेख मिले हैं।
- **कुसेर -अल- कदीम :** प्रसिद्ध " पनाई " के लिए जाना जाता है ओरि (*रस्सी के जाल में बर्तन*) तमिल- ब्राह्मी मिट्टी के बर्तन मिले ।

भूगोल: नील नदी प्रणाली

ट्रेड रूट को समझने के लिए नील नदी की जानकारी होना ज़रूरी है, जो लाल सागर के पोर्ट से मेडिटेरेनियन तक मुख्य ट्रांसपोर्ट का ज़रिया थी।

संगम: नील नदी खार्तूम (सूडान) में दो बड़ी सहायक नदियों के मिलने से बनती है :

1. **व्हाइट नाइल:** * **स्रोत:** लेक विक्टोरिया (युगांडा/तंजानिया/केन्या)।
   - **स्मृति सहायक:** *"विजेता सफ़ेद पहनते हैं"* (विक्टोरिया = विजय = विजेता).
2. **ब्लू नाइल:** * **स्रोत:** लेक ताना (इथियोपिया)।

- **स्मृति सहायक:** "हारे हुए लोग ' *ताना ' कहकर चिढ़ाए जाते हैं और नीला पहनते हैं"* (नीला = दुख/हार).

खोजों का महत्व

- **दो-तरफ़ा व्यापार:** इससे यह पक्का होता है कि व्यापार सिर्फ़ रोमन लोग ही नहीं थे जो काली मिर्च के लिए भारत आते थे, बल्कि भारतीय व्यापारी भी मिस्र में रहकर और वहाँ से होकर यात्रा करके सक्रिय रूप से व्यापार करते थे।
- **ज़्यादा लिटरेसी:** इससे पता चलता है कि पुराने तमिल व्यापारी शायद कई भाषाएँ बोलते थे, ग्रीक ग्रैफ़िटी पढ़ते थे और अपनी मौजूदगी अपनी लोकल स्क्रिप्ट में लिखते थे।
- **डिप्लोमैटिक लिंक:** एक संस्कृत शिलालेख में एक **क्षहारात राजा** (वेस्टर्न सैट्रैप्स) के दूत का ज़िक्र है, जो भारतीय राजघराने और रोमन प्रशासन के बीच ऑफिशियल डिप्लोमैटिक मिशन का संकेत देता है।

निष्कर्ष

सिकाई " की उपस्थिति फिरौन की कब्रों में " कोरान " संगम -युग के भारत और रोमन-युग की नील घाटी के बीच की खाई को भरता है। ये शिलालेख पुराने भारतीयों के बारे में हमारी समझ को सिर्फ़ "मसालों के सप्लायर" से बदलकर रोमन दुनिया की ग्लोबलाइज़्ड संस्कृति में एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देते हैं।

रक्षा कर्मियों द्वारा पुस्तकों पर नियम

प्रसंग

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा कर्मियों की किताबें पब्लिश करने के लिए गाइडलाइंस के एक डिटेल्ड सेट को फॉर्मल बनाने का कदम उठाया। इस कदम की वजह पूर्व आर्मी चीफ (COAS), **जनरल MM नरवणे की यादों की किताब "फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी" को लेकर हुआ बड़ा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी विवाद था** । किताब के पब्लिश न होने और MoD से मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार करने के बावजूद, लीक हुए हिस्से और डिजिटल "प्री-प्रिंट" कॉपी सोशल मीडिया पर फैल गईं, जिससे ऑपरेशनल सीक्रेसी को लेकर पार्लियामेंट में गरमागरम बहस हुई।

अंक: "भाग्य के चार सितारे"

विवाद किताब में बताए गए इन खुलासों पर है:

- **ऑपरेशनल डिटेल्स: 2020 के गलवान घाटी टकराव** और लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर गतिरोध के दौरान हाई-लेवल पर फ़ैसले लेना ।
- **पॉलिसी क्रिटिक्स: अग्निपथ स्कीम** और ट्रूप मोबिलाइज़ेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अंदरूनी चर्चा ।
- **बिना इजाज़त सर्कुलेशन:** संसद में एक हार्डबाउंड कॉपी (विपक्ष के नेता द्वारा इस्तेमाल की गई) और एक PDF ऑनलाइन लीक होना, जबकि MoD ने ज़रूरी **प्री-पब्लिकेशन क्लीयरेंस नहीं दिया था** ।

नया ढांचा और दिशानिर्देश (2026)

अधिकारियों के लिए पहले से मौजूद "लीगल ग्रे एरिया" को ठीक करने के लिए , सरकार ने नीचे दिए गए नियमों को आसान बनाया है:

1. ज़रूरी प्री-पब्लिकेशन क्लीयरेंस:

- **स्कोप:** रेगुलर आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स के **मौजूदा और रिटायर्ड,** दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होता है ।
- **प्रोसेस: मैन्युस्क्रिप्ट** MoD को जमा करनी होंगी (आमतौर पर **डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ मिलिट्री इंटेलिजेंस** या संबंधित सर्विस हेडक्वार्टर के ज़रिए)।
- **जांच:** कंटेंट को सेंसिटिव ऑपरेशनल डेटा, इंटेलिजेंस इनपुट, इक्विपमेंट की क्षमता और ऐसी जानकारी के लिए रिव्यू किया जाता है जो विदेशी संबंधों पर असर डाल सकती है।

2. स्थायी जवाबदेही (आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम):

- कर्मचारियों को याद दिलाया जाता है कि **ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA), 1923** , ज़िंदगी भर के लिए लागू होता है।
- रिटायर्ड अधिकारियों को अपने कार्यकाल के दौरान मिली क्लासिफाइड जानकारी के मामले में आम लोगों जैसी इम्यूनिटी नहीं मिलती है।

3. पेंशन नियम (2021 संशोधन एकीकरण):

- केंद्रीय **सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2021** , विशेष रूप से नियम 8, अब एक निवारक के रूप में कार्य करता है।
- **पेंशन रोकना:** इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी से जुड़े संगठनों (RTI एक्ट के दूसरे शेड्यूल में लिस्टेड) के रिटायर्ड अधिकारियों की **पेंशन रोकी जा सकती है या निकाली जा सकती है,** अगर वे बिना पहले से मंज़ूरी के सेंसिटिव "डोमेन से जुड़ी" जानकारी पब्लिश करते हैं।

तुलना: सेवारत बनाम सेवानिवृत्त कर्मचारी

विशेषता	सेवारत कार्मिक	सेवानिवृत्त कार्मिक
प्राथमिक विनियमन	सेवा अधिनियम (सेना/नौसेना/वायु सेना अधिनियम)	आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और पेंशन नियम
अनुमति	**साफ़ तौर पर ज़रूरी** है ।	आम तौर पर "सर्विस मामलों" पर लिखते समय क्लियरेंस लेने की उम्मीद की जाती है।

कानूनी स्थिति	मिलिट्री कानून से चलता है।	कानूनी/सिविल कानून के तहत।
उल्लंघन के लिए दंड	कोर्ट मार्शल / अनुशासनात्मक कार्रवाई।	OSA के तहत क्रिमिनल केस; पेंशन का नुकसान।

उद्देश्य: अधिकारों और सुरक्षा में संतुलन

सरकार का मकसद इनके बीच एक स्थिर संतुलन बनाना है:

- **नेशनल सिक्योरिटी:** टैक्टिकल स्ट्रेटेजी, ट्रूप मूवमेंट और डिप्लोमैटिक बारीकियों की सुरक्षा करना, जिनका दुश्मन फायदा उठा सकते हैं।
- **बोलने की आज़ादी:** वेटरन्स को मिलिट्री हिस्ट्री, लीडरशिप थ्योरी और स्ट्रेटेजिक बातचीत में योगदान देने की इजाज़त देना, बिना फोर्स के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को "रोके"।

निष्कर्ष

की **गाइडलाइंस** बिना इजाज़त मिलिट्री यादों के मामले में "ज़ीरो-टॉलरेंस" पॉलिसी की तरफ़ बदलाव दिखाती हैं। पब्लिकेशन क्लियरेंस को पेंशन बेनिफिट्स और OSA से जोड़कर, रक्षा मंत्रालय का मकसद " नरवणे -स्टाइल" वाले डेडलॉक को दोबारा होने से रोकना है , और यह पक्का करना है कि "स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी" को सिर्फ़ नेशनल सेफ्टी के नज़रिए से ही शेयर किया जाए।

महाद्वीपीय मेंटल भूकंप

प्रसंग

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (जर्नल *साइंस में पब्लिश) ने* **दुर्लभ कॉन्टिनेंटल मेंटल भूकंपों** का पहला ग्लोबल मैप जारी किया । 1990 से रिकॉर्ड की गई 46,000 से ज़्यादा भूकंप की घटनाओं का एनालिसिस करके, रिसर्चर्स ने **459** खास घटनाओं की पहचान की जो कॉन्टिनेंटल ज़मीन के नीचे मेंटल में गहराई में हुईं, जिससे इस पुरानी सोच को चुनौती मिली कि मेंटल इतना लचीला है कि "टूट" नहीं सकता और भूकंप नहीं ला सकता।

कॉन्टिनेंटल मेंटल भूकंपों के बारे में

वे क्या हैं? ज़्यादातर भूकंप पृथ्वी की नाजुक **परत** (ऊपरी 10–29 km) में आते हैं। कॉन्टिनेंटल मेंटल भूकंप ऐसी असामान्य घटनाएँ हैं जो बहुत गहराई से शुरू होती हैं, अक्सर **मोहोरोविकिक डिसकंटीन्यूटी (मोहो) से 80 km** से भी ज़्यादा नीचे , जो परत और मेंटल के बीच की सीमा है।

ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन: हालांकि ये घटनाएं दुनिया भर में होती हैं, लेकिन ये रैंडम नहीं होतीं। स्टडी में दो प्राइमरी क्लस्टर की पहचान की गई:

- **हिमालयन कोलिजन ज़ोन:** जहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाती है । तिब्बती पठार इन मेंटल भूकंपों से लगभग "घेरा हुआ" है।
- **बेरिंग जलडमरूमध्य:** एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच का क्षेत्र, आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में।
- **दूसरे जाने-माने इलाके:** अल्पाइन-हिमालयन बेल्ट, रोमानिया का व्रेंसिया ज़ोन, और ईरान के ज़ाग्रोस पहाड़।

वे कैसे उत्पन्न होते हैं

दशकों तक, साइंटिस्ट इस बात पर बहस करते रहे कि क्या मेंटल भूकंप को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और प्रेशर से चट्टानें आमतौर पर प्लास्टिक (डक्टाइल) की तरह बहती हैं, टूटने (ब्रिटल) की तरह नहीं।

- **थर्मल बदलाव:** मेंटल के अंदर लोकल "ठंडे" ज़ोन (अक्सर सबडक्टिंग प्लेटों से) इतने कमज़ोर रह सकते हैं कि ज़्यादा गहराई पर भी टूट सकते हैं।
- **स्ट्रेस ट्रांसफर: क्रस्टल टकराव से होने वाला तेज़ टेक्टोनिक स्ट्रेस** मोहो में घुस सकता है , जिससे ऊपरी मैंटल में दरारें आ सकती हैं।
- **मेंटल कन्वेक्शन:** अंदर की गर्मी से चलने वाली "चट्टानों की नदियाँ" पुराने क्रस्टल स्लैब को रीसायकल करती हैं, जो नीचे आते समय टूट सकते हैं।

तुलना: क्रस्टल बनाम मेंटल भूकंप

विशेषता	क्रस्टल भूकंप	महाद्वीपीय मेंटल भूकंप
मूल गहराई	आमतौर पर 10–29 किमी	मोहो से 80 किमी नीचे
भौतिक अवस्था	भंगुर चट्टान	आम तौर पर डक्टाइल (भूकंप कभी-कभी भंगुर जगहों पर आते हैं)
भूकंपीय तरंग अनुपात	उच्च **Lg तरंगें** (क्रस्टल-यात्रा)	उच्च **Sn तरंगें** (मेंटल-ट्रैवलिंग)
सतही प्रभाव	बहुत विनाशकारी हो सकता है	बहुत कम; सतह पर कंपन बहुत कम महसूस होता है
आवृत्ति	बहुत आम	दुर्लभ (पहचानी गई गहरी घटनाओं का लगभग 3-4%)

डिटेक्शन टेक्नोलॉजी: "वेवफॉर्म सिग्नेचर"

स्टैनफोर्ड टीम ने इन भूकंपों की पहचान करने के लिए दो खास सीस्मिक तरंगों के अनुपात की तुलना करके एक "गेम-चेंजर" तरीका इस्तेमाल किया:

RACE IAS

1. **Lg Waves:** हाई-फ़्रीक्वेंसी तरंगें जो क्रस्ट से होकर उछलती हैं।
2. **Sn (Lid) Waves:** शियर वेव्स जो मेंटल की सबसे ऊपरी परत ("lid") से होकर गुज़रती हैं।

ज़्यादा **Sn / Lg एम्प्लिट्यूड रेश्यो** एक "फिंगरप्रिंट" का काम करता है, जो यह कन्फर्म करता है कि भूकंप की एनर्जी क्रस्टल बाउंड्री के नीचे से निकली थी।

महत्व

- **पृथ्वी के अंदर का "सोनोग्राम":** ये भूकंप एक नेचुरल अल्ट्रासाउंड की तरह काम करते हैं, जो मेंटल के स्ट्रेस और टेम्परेचर का डेटा देते हैं, जहाँ हम ड्रिलिंग से नहीं पहुँच सकते।
- **पहाड़ बनना:** हिमालय में, मेंटल भूकंप इस बात का सुराग देते हैं कि कैसे गहरी टेक्टोनिक प्रक्रियाएं **ओरोजेनी** (पहाड़ बनने) को बढ़ावा देती हैं।
- **आपस में जुड़ा हुआ साइकिल:** स्टडी से पता चलता है कि क्रस्ट और मेंटल एक ही "आपस में जुड़ा हुआ भूकंप साइकिल" है, जहाँ गहरी दरारें भविष्य में आने वाले हल्के, खतरनाक भूकंपों पर असर डाल सकती हैं।

' वंदे मातरम

प्रसंग

गृह मंत्रालय (MHA) ने राष्ट्रीय गीत ' **वंदे भारत ' के प्रोटोकॉल को औपचारिक रूप देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। ' मातरम् ' । यह ऑर्डर इस गाने के बनने की 150वीं सालगिरह (नवंबर 1875)** के पूरे देश में चल रहे जश्न के साथ आया है । पहली बार, सरकार ने ऑफिशियल फंक्शन में ओरिजिनल कंपोज़िशन के **सभी छह स्टैंज़ा को गाना ज़रूरी कर दिया है।**

नए दिशा-निर्देशों के बारे में

गाने का स्टैंडर्डाइज़ेशन: MHA ने नोटिफ़ाई किया है कि नेशनल सॉन्ग के "ऑफिशियल वर्शन" में अब **बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे सभी छह स्टैंज़ा शामिल हैं** । इससे पूरी ओरिजिनल लंबाई वापस आ गई है, जिसे पहले 1937 में पहले दो स्टैंज़ा तक छोटा कर दिया गया था।

मुख्य प्रोटोकॉल विशेषताएं:

- **ऑफिशियल समय:** पूरे छह-स्टैंज़ा के गाने के लिए तय समय **3 मिनट और 10 सेकंड** (190 सेकंड) है।
- **प्रदर्शन का क्रम:** जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों (*जन गण) एक साथ बजाए जाएं जब राष्ट्रगान (मन*) एक साथ बजाया जाता है, तो **पहले राष्ट्रीय गीत बजाया जाना चाहिए** ।
- **ज़रूरी मौके:**
  - **यूनियन लेवल: सिविल इनवेस्टीचर सेरेमनी के दौरान और** फॉर्मल स्टेट फंक्शन में **भारत के प्रेसिडेंट** के आने/जाने पर बजाया जाता है ।
  - **स्टेट लेवल:** सरकारी कामों में **गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर** के आने/जाने पर बजाया जाता है ।
  - **पब्लिक मीडिया:** आकाशवाणी (AIR) और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के भाषण से पहले और बाद में ब्रॉडकास्ट ।
  - **इवेंट्स:** सेरेमोनियल या कल्चरल फंक्शन में नेशनल फ्लैग फहराने के दौरान बजाया जाता है।
- **स्कूल:** MHA ने सलाह दी है कि सभी स्कूलों में दिन का काम मिलकर राष्ट्रीय गीत **गाने से शुरू हो सकता है, ताकि स्टूडेंट्स में जान-पहचान बढ़े।**

प्रोटोकॉल और शिष्टाचार

- **ऑडियंस का पोस्चर:** जब भी ऑफिशियल वर्जन बजाया या गाया जाता है, तो ऑडियंस को **अटेंशन में खड़ा होना चाहिए** ।
- **छूट:** सिनेमा हॉल में जब गाना किसी फिल्म, न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के तौर पर बजाया जाता है, तो खड़े होना **ज़रूरी नहीं** है, ताकि देखने के अनुभव में कोई रुकावट न आए।
- **औपचारिक संकेत:**
  - **ड्रम रोल :** जब बैंड द्वारा बजाया जाता है, तो गाने से पहले ड्रम (या मृदंगम / तुरही) की आवाज़ होनी चाहिए।
  - **मार्चिंग ड्रिल:** मार्चिंग के मामले में, गाना शुरू होने से पहले ड्रम की आवाज़ धीमी गति से मार्च करते हुए **सात कदम** तक चलनी चाहिए ।
- **ज़्यादा लोगों की भागीदारी:** गाइडलाइंस पब्लिक इवेंट्स में "बड़े पैमाने पर गाने" को बढ़ावा देती हैं, और एक सुर पक्का करने के लिए गाना बजाने वालों के ग्रुप और प्रिंटेड लिरिक्स बांटने का सुझाव देती हैं।

ऐतिहासिक और महत्व

- **150वीं वर्षगांठ:** यह गीत मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा **7 नवंबर, 1875** को रचा गया था (अक्षय नवमी)। 150 साल का यह उत्सव नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक चलेगा।
- **कल्चरल रीअफर्मेशन:** गाइडलाइंस का मकसद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नारे के तौर पर गाने के ओरिजिनल स्टेटस को वापस लाना है।
- **कानूनी मान्यता:** हालांकि राष्ट्रगान को साफ़ कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन यह आदेश राष्ट्रगान के गायन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए **पहले फ़ॉर्मल एग्ज़ीक्यूटिव प्रोटोकॉल के तौर पर काम करता है।**

निष्कर्ष

MHA की 2026 की गाइडलाइंस ' वंदे भारत ' में बदलाव के लिए ' मातरम् ' को एक फ्लेक्सिबल कल्चरल भजन से एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ फॉर्मली रेगुलेटेड नेशनल सिंबल बनाया गया

है। पूरे छह छंदों को ज़रूरी बनाकर और नेशनल एंथम से पहले इसे प्राथमिकता देकर, सरकार का मकसद गाने के 150 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक कंटिन्यूटी और नेशनल प्राइड को मज़बूत करना है।

बी-रेडी मूल्यांकन

प्रसंग

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने घोषणा की है कि भारत वर्ल्ड बैंक के **बिजनेस रेडी (B-READY) 2026** असेसमेंट के लिए तैयार है। यह इस बात में एक बड़ा बदलाव है कि दुनिया भर में भारत के इन्वेस्टमेंट माहौल का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, जो बंद हो चुकी "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" रैंकिंग से आगे बढ़कर एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और होलिस्टिक फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेगा।

B-READY असेसमेंट के बारे में

B-READY क्या है? बिज़नेस **रेडी (B-READY)** वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई कॉर्पोरेट फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो दुनिया भर में बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के माहौल का आकलन करती है। **2024 में लॉन्च होने वाली** यह रिपोर्ट पहले की *डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR) की जगह लेगी*, जिसे डेटा इंटीग्रिटी की चिंताओं के कारण 2020 में बंद कर दिया गया था।

मुख्य स्ट्रक्चरल पिलर्स: यह असेसमेंट तीन अलग-अलग पिलर्स पर आधारित है जो बिज़नेस फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल बेनिफिट्स के बीच बैलेंस को इवैल्यूएट करते हैं:

- **स्तंभ I – विनियामक ढांचा: किसी व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक कानूनों (डी ज्यूर)** की गुणवत्ता और स्पष्टता को मापता है ।
- **पिलर II – पब्लिक सर्विसेज़:** सरकार द्वारा दिए गए इंस्टीट्यूशन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे, डिजिटल पोर्टल्स, यूटिलिटी रिलायबिलिटी) की क्वालिटी का मूल्यांकन करता है।
- **स्तंभ III – परिचालन दक्षता:** नियमों का पालन करने और सेवाओं का उपयोग करने में व्यवसायों के वास्तविक दुनिया के अनुभव (**वास्तविक) को मापता है।**

मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली

- **लाइफ़साइकल अप्रोच:** किसी फ़र्म के लाइफ़साइकल से जुड़े 10 मुख्य टॉपिक का मूल्यांकन करता है:
  1. व्यवसाय प्रवेश
  2. व्यावसायिक स्थान
  3. उपयोगिता सेवा
  4. श्रम
  5. वित्तीय सेवाएं
  6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
  7. कर लगाना
  8. विवाद समाधान
  9. बाजार प्रतिस्पर्धा
  10. व्यावसायिक दिवालियापन
- **क्रॉस-कटिंग थीम:** अपने पहले वाले से अलग, B-READY सभी 10 टॉपिक में **डिजिटल एडॉप्शन** , **एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी** और **जेंडर इन्क्लूजन को जोड़ता है।**
- **डुअल डेटा कलेक्शन: इसमें एक्सपर्ट कंसल्टेशन** (कानूनी फ्रेमवर्क के लिए) को देश भर में **फर्म-लेवल सर्वे (वर्ल्ड बैंक एंटरप्राइज सर्वे के ज़रिए) के साथ** मिलाकर ज़मीनी हकीकत का पता लगाया जाता है।

बी-रेडी 2026 के लिए भारत की रणनीति

भारत ने 2026 के असेसमेंट में मज़बूत स्थिति बनाने के लिए "प्रो-बिज़नेस" सुधारों की एक सीरीज़ शुरू की है:

- **रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन (RCB):** पिछले पांच सालों में **47,000** से ज़्यादा कंप्लायंस कम किए गए हैं, जिसमें 16,109 चीज़ों को आसान बनाना और 4,623 नियमों को गैर-अपराधीकरण करना शामिल है।
- **जन विश्वास बिल 2025:** "इज़ ऑफ़ लिविंग" और "इज़ ऑफ़ बिज़नेस" को बढ़ावा देने के लिए 355 प्रोविज़न में छोटी-मोटी टेक्निकल और प्रोसिजरल गलतियों को डीक्रिमिनलाइज़ करने का एक बड़ा कानूनी प्रयास।
- **नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS):** एक डिजिटल "वन-स्टॉप शॉप" जो 32 सेंट्रल मिनिस्ट्री और 33 राज्यों/UTs को जोड़ता है, और 3,300 से ज़्यादा अप्रूवल का एक्सेस देता है।
- **बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP):** सातवां एडिशन (2024–25) अभी चल रहा है, जिसका फोकस राज्यों में बिल्डिंग परमिशन को आसान बनाने और इंस्पेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने पर है।

मूल्यांकन में चुनौतियाँ

- **"पब्लिक सर्विसेज़ गैप":** शुरुआती B-READY पायलट रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज़्यादातर इकॉनमीज़, उन्हें लागू करने के लिए ज़रूरी *पब्लिक सर्विसेज़ (पिलर II)* के मुकाबले *रेगुलेशन (पिलर I) पर ज़्यादा स्कोर करती हैं।*
- **कानूनी तौर पर बनाम असल में:** हालांकि भारत में कागज़ पर मज़बूत कानून हैं, लेकिन B-READY सर्वे-बेस्ड तरीका (पिलर III) ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कमियों और सरकारी देरी को सामने ला सकता है।
- **सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स:** एनवायरनमेंटल और जेंडर बेंचमार्क को शामिल करने के लिए भारतीय कंपनियों को पहले से ज़्यादा ग्रीन प्रैक्टिस और ज़्यादा इनक्लूसिव लेबर पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

B-READY 2026 असेसमेंट में भारत का शामिल होना " विकसित भारत" विज़न के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करता है। सिर्फ़ "आसान" से "तैयारी" पर फ़ोकस करके, वर्ल्ड बैंक भारत पर न

सिर्फ़ अपने कानूनों को आसान बनाने के लिए बल्कि अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और यह पक्का करने के लिए भी दबाव डाल रहा है कि सुधार सबसे छोटे एंटरप्राइज़ तक पहुँचें।

आईटी नियम संशोधन 2026

प्रसंग

10 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार ने **इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) अमेंडमेंट रूल्स, 2026 को नोटिफाई किया। यह लैंडमार्क अपडेट** डीपफेक और गलत जानकारी के बढ़ने को रोकने के लिए है, जिसमें **3 घंटे का** तेज़ टेकडाउन विंडो और सभी AI-जेनरेटेड कंटेंट के लिए ज़रूरी लेबलिंग शामिल है।

आईटी नियम संशोधन 2026 के बारे में

सिंथेटिक तरीके से बनाई गई जानकारी (SGI) की परिभाषा: इस बदलाव में "SGI" का मतलब किसी भी ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट से है, जिसे एल्गोरिदम से बनाया या बदला गया हो ताकि वह असली लगे या किसी आम इंसान या असल दुनिया की घटना जैसा लगे।

मुख्य प्रावधान:

- **कानूनी पहचान:** सिंथेटिक कंटेंट के लिए एक टेक्निकल परिभाषा देता है, खास तौर पर **डीपफेक** और **AI की नकल को टारगेट करता है** , जबकि अच्छे इरादे वाले एडिट (जैसे, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स) को छूट देता है।
- **ज़रूरी लेबलिंग : * विज़ुअल/ऑडियो:** AI से बने वीडियो में दिखने वाले वॉटरमार्क होने चाहिए; ऑडियो में बोले गए डिस्क्लेमर होने चाहिए।
    - **मेटाडेटा:** प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल किए गए खास AI टूल से कंटेंट के ओरिजिन का पता लगाने के लिए "प्रोवेंस मार्कर" (डिजिटल फिंगरप्रिंट) एम्बेड करने होंगे।
- **गैर-कानूनी AI कंटेंट पर रोक:** इंटरमीडियरीज़ को इन्हें ब्लॉक करने के लिए ऑटोमेटेड फ़िल्टर का इस्तेमाल करना होगा:
    - **CSAM और NCII:** बच्चों के साथ गलत व्यवहार से जुड़ी सामग्री और बिना सहमति के डीपफेक नग्नता।
    - **पब्लिक सेफ्टी रिस्क:** एक्सप्लोसिव या हथियारों के लिए AI से बने निर्देश।
    - **धोखा:** ऐसा कंटेंट जो अधिकारियों की नकल करने या धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाया गया हो।
- **तेज़ी से हटाने का टाइम:** * **3 घंटे:** कोर्ट या सरकार द्वारा फ़्लैग किए गए गैर-कानूनी कंटेंट के लिए स्टैंडर्ड टाइम।
    - **2 घंटे:** बिना सहमति के डीपफेक न्यूडिटी जैसे हाई-सेंसिटिविटी उल्लंघन के लिए ज़रूरी समय।
- **सेफ़ हार्बर कंडीशनैलिटी:** अगर इंटरमीडियरी AI कंटेंट को लेबल नहीं करते हैं या ज़रूरी टेकडाउन डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो वे अपना **सेक्शन 79 प्रोटेक्शन (यूज़र के पोस्ट किए गए कंटेंट से इम्यूनिटी) खो देते हैं।**

संशोधन का महत्व

- **व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा:** बिना सहमति वाली AI इमेजरी के शिकार लोगों के लिए तेज़ी से समाधान, जिससे प्रतिष्ठा को होने वाला ऐसा नुकसान रोका जा सके जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
- **चुनावी ईमानदारी:** यह संवेदनशील चुनाव के समय उम्मीदवारों की AI-क्लोन की गई आवाज़ों या मॉर्फ्ड वीडियो के इस्तेमाल से बचाता है।
- **बिज़नेस अकाउंटेबिलिटी:** ग्लोबल टेक कंपनियों को इंडिया-स्पेसिफिक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और बड़ी ग्रीवांस टीम में भारी इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है।
- **कानूनी तालमेल:** डिजिटल नियमों को **भारतीय संविधान के साथ जोड़ता है न्याय संहिता (बीएनएस), 2023** , पुराने आईपीसी संदर्भों की जगह लेगा।

चुनौतियां

- **टेक्निकल एक्यूरेसी:** ऑटोमेटेड फिल्टर्स को हाई-क्वालिटी डीपफेक और असली सटायर या पैरोडी के बीच फर्क करने में मुश्किल होती है।
- **रिसोर्स की कमी: छोटे प्लेटफॉर्म के लिए 180 मिनट के टेकडाउन** मैंडेट को पूरा करने के लिए 24/7 लीगल टीम बनाए रखना लॉजिस्टिकली नामुमकिन हो सकता है।
- **सेंसरशिप की चिंताएँ:** छोटी विंडो से "प्रॉक्सी सेंसरशिप" हो सकती है, जहाँ प्लेटफ़ॉर्म कानूनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए ज़्यादा कंटेंट हटा देते हैं।
- **प्राइवेसी बनाम ट्रेसेबिलिटी:** मेटाडेटा की ज़रूरतें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से टकरा सकती हैं, जिससे यूज़र की एनोनिमिटी खतरे में पड़ सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडर्ड वॉटरमार्किंग:** ऐसे डिजिटल वॉटरमार्क के लिए ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाना जो फ़ाइल कम्प्रेशन में भी टिके रहें।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** लोकल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स को सिंथेटिक नुकसान को सही तरीके से पहचानने और प्रोसेस करने की ट्रेनिंग देना।
- **इंडिपेंडेंट ओवरसाइट:** टेकडाउन ऑर्डर को रिव्यू करने और पॉलिटिकल गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोनॉमस एक्सपर्ट बॉडी बनाना।

- **रिसर्च को बढ़ावा देना:** क्षेत्रीय भाषाओं के लिए खास तौर पर AI-डिटेक्शन टूल बनाने में भारतीय स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना।

निष्कर्ष

2026 के IT रूल्स अमेंडमेंट से भारत में अनरेगुलेटेड जेनरेटिव AI का अंत हो गया है, क्योंकि अब **सच का बोझ प्लेटफॉर्म्स पर आ गया है। हालांकि एग्रेसिव टेकडाउन विंडो लॉजिस्टिक रुकावटें पैदा करती हैं, लेकिन यह बदलाव सेफ हार्बर के बजाय पब्लिक सेफ्टी** की साफ पॉलिसी प्रायोरिटी को दिखाता है । इन नियमों की लंबे समय तक सफलता, बेसिक फ्री स्पीच की सुरक्षा के साथ सख्ती से लागू करने के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करेगी।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025

प्रसंग

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2025 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) जारी किया, जिसमें भारत 182 देशों में **91वें नंबर पर है** । यह पिछले साल के 96वें रैंक से पांच पायदान ऊपर है। हालांकि यह बढ़त थोड़ी तरक्की दिखाती है, लेकिन भारत का **39 का स्कोर** ग्लोबल एवरेज से नीचे है, जो दिखाता है कि करप्शन एक सिस्टमिक स्ट्रक्चरल चुनौती बना हुआ है।

CPI 2025 के बारे में

इंडेक्स: CPI देशों को पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के माने गए लेवल के आधार पर **0 (बहुत ज़्यादा भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ़) के स्केल पर रैंक करता है** । यह एक्सपर्ट्स और बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स के 13 अलग-अलग सर्वे और असेसमेंट से डेटा इकट्ठा करता है।

मुख्य वैश्विक अंतर्दृष्टि:

- **शीर्ष प्रदर्शक: डेनमार्क (89)** , फ़िनलैंड और सिंगापुर दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों के रूप में अग्रणी बने हुए हैं।
- **सबसे कम प्रदर्शन करने वाले: सोमालिया और दक्षिण सूडान (9)** सबसे नीचे बने हुए हैं, जो संघर्ष और भ्रष्टाचार के बीच संबंध को उजागर करता है।
- **डेमोक्रेसी में गिरावट: UK (20th)** और **US (29th)** जैसे देशों में कमजोर स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता न होने की वजह से गिरावट देखी गई है।
- **रीजनल ट्रेंड्स:** एशिया-पैसिफिक रीजन में Gen Z की लीडरशिप में गैर-जिम्मेदार लीडरशिप और खराब पब्लिक सर्विस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए (जैसे, नेपाल और इंडोनेशिया में)।

भारत में भ्रष्टाचार के बने रहने के कारण

- **ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप:** मुश्किल नियम और साफ़ न दिखने वाले अप्रूवल प्रोसेस " गेटकीपिंग " के मौके बनाते हैं। 2024 में, राज्य में ज़मीन अधिग्रहण की कई जांचों में पता चला कि अधिकारी प्रोसेस में होने वाली देरी से बचने के लिए रिश्वत मांग रहे थे।
- **पत्रकारों को निशाना बनाना:** 2025 की रिपोर्ट में खास तौर पर भारत को भ्रष्टाचार की जांच करने वाले **पत्रकारों के लिए खतरनाक बताया गया है** । दुनिया भर में पत्रकारों की हत्याओं में से 90% चौंकाने वाली बात यह है कि ये हत्याएं 50 से कम स्कोर वाले देशों में होती हैं।
- **व्हिसलब्लोअर की कमज़ोर सुरक्षा:** मौजूदा कानूनों के बावजूद, माइनिंग या रेत माफिया का पर्दाफ़ाश करने वाले लोगों को गंभीर शारीरिक धमकियों और परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- **पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता:** चुनावों में पैसे का असर एक भ्रष्ट इकोसिस्टम को बनाए रखता है, और 2025 की बहसें पिछली बॉन्ड स्कीमों को खत्म करने के बाद फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर फोकस कर रही हैं।
- **'स्पीड मनी' का नॉर्मल होना:** *जुगाड़ (शॉर्टकट)* की तरफ समाज का झुकाव RTO ड्राइविंग टेस्ट जैसी बेसिक सर्विस के लिए छोटी-मोटी रिश्वतखोरी को आम बना देता है।

पहल और चुनौतियाँ

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय:

- **डिजिटलाइजेशन: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)** और ई-गवर्नेंस के विस्तार ने कई बिचौलियों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है।
- **कानूनी मजबूती: भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) एक्ट 2024 में** सख्त सज़ा और संपत्ति ज़ब्त करने के नियम पेश किए गए।
- **टेक इंटीग्रेशन:** राज्य ज़मीन के रिकॉर्ड को बदलने के लिए **ब्लॉकचेन अपना रहे हैं** और फाइनेंशियल फ्रॉड का पता लगाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) के अंदर AI-पावर्ड टूल्स अपना रहे हैं।

प्रमुख कार्यान्वयन बाधाएँ:

- **न्यायिक बैकलॉग:** 2010 के दशक के हाई-प्रोफाइल घोटालों के ट्रायल 2025 में भी पेंडिंग हैं, जिससे कानून का रोकने वाला असर काफी कम हो गया है।
- **क्रॉस-बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी:** विदेशी टैक्स हेवन से गैर-कानूनी फंड रिकवर करना मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स **हवाला नेटवर्क** हैं जो फॉर्मल बैंकिंग को बायपास करते हैं।
- **टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल:** धोखेबाज अब "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम और दूसरी तरह की जबरन वसूली के लिए **डीपफेक और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी:** CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों को तय समय और ज़्यादा आज़ादी देना ताकि पॉलिटिकल दखल कम हो सके।

RACE IAS

- **फास्ट-ट्रैक न्याय:** ऐसी खास अदालतें बनाना जिन्हें **एक साल के समय में भ्रष्टाचार के मुकदमों को खत्म करने का काम सौंपा गया हो** ।
- **फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी:** गैर-कानूनी कॉर्पोरेट असर को रोकने के लिए पब्लिक-फंडेड इलेक्शन मॉडल की ओर बढ़ना।
- **एथिक्स एजुकेशन:** लंबे समय के कल्चरल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के करिकुलम और सिविल सर्विस इंडक्शन में इंटीग्रिटी ट्रेनिंग को शामिल करना।

निष्कर्ष

भारत का 91वीं रैंक पर आना धीरे-धीरे हो रही तरक्की का एक अच्छा संकेत है, फिर भी 39 का स्कोर गहरी बीमारी की चेतावनी देता है। भारत को टॉप टियर में आने के लिए, फोकस सुधार के डिजिटल सिंबल से हटकर **असल में लागू करने** और सत्ता से सच बोलने वालों की सुरक्षा पर होना चाहिए।

आयुष्मान सहकार योजना

प्रसंग

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने राज्यसभा में आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में अपडेट दिया । अपडेट में कोऑपरेटिव संस्थाओं के ज़रिए ग्रामीण हेल्थकेयर को मज़बूत करने में स्कीम की भूमिका और 2025-26 के समय के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) द्वारा दी गई फंडिंग पर ज़ोर दिया गया ।

योजना के बारे में

- **यह क्या है: नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC)** द्वारा बनाई गई एक खास हेल्थकेयर फंडिंग स्कीम, जिसका मकसद कोऑपरेटिव सोसाइटियों को हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे मॉडर्न बनाने में मदद करना है।
- **लॉन्च:** 19 अक्टूबर, 2020 (COVID-19 महामारी के मद्देनजर)।
- **मंत्रालय: कोऑपरेशन मिनिस्ट्री** (नए मिनिस्ट्री के बनने के बाद एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मिनिस्ट्री से ट्रांसफर किया गया)।
- **फाइनेंशियल कॉर्पस:** NCDC ने कोऑपरेटिव्स को पांच साल के समय में टर्म लोन के लिए **₹10,000 करोड़ तय किए हैं।**

प्रमुख विशेषताऐं

- **एलिजिबिलिटी:** कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी (स्टेट या मल्टी-स्टेट) जिसके बाय-लॉज़ में हेल्थकेयर सर्विसेज़ का प्रोविज़न हो। इसमें कोऑपरेटिव्स द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल और डॉक्टरों द्वारा बनाई गई कोऑपरेटिव्स भी शामिल हैं।
- **व्यापक वित्तीय सहायता:**
    - **स्कोप:** इसमें हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज (MBBS/BDS/AYUSH), डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी की स्थापना, मॉडर्नाइज़ेशन, विस्तार और मरम्मत शामिल है।
    - **लोन की जानकारी: लोन प्रोजेक्ट की लागत का 90%** तक कवर करता है (हाल ही में क्रेडिट मिलना आसान बनाने के लिए इसे 70% से 90% कर दिया गया है)।
    - **अवधि: 8 वर्ष** तक , जिसमें मूलधन चुकौती पर 1-2 वर्ष की रोक शामिल है।
- **महिलाओं के लिए प्रोत्साहन:** जिन कोऑपरेटिव में महिला सदस्य ज़्यादातर हैं, उन्हें टर्म लोन पर **1% ब्याज में छूट (कटौती) मिलती है।**
- **वर्किंग कैपिटल:** हेल्थकेयर सुविधाओं के रोज़ाना के कामकाज को आसान बनाने के लिए "मार्जिन मनी" और वर्किंग कैपिटल देता है।

महत्व

- **ग्रामीण हेल्थ को मज़बूत करना:** ग्रामीण भारत में कोऑपरेटिव के गहरे नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर, सस्ती, कम्युनिटी की हेल्थकेयर देना, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सुविधाएँ कम हो सकती हैं।
- **आयुष को बढ़ावा देना: खास तौर पर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी** के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को बढ़ावा देना , जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के साथ अलाइन है।
- **डिजिटल इंटीग्रेशन: यह कोऑपरेटिव्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** में भाग लेने के लिए बढ़ावा देता है , जिससे ज़मीनी स्तर पर एक डिजिटाइज़्ड हेल्थकेयर इकोसिस्टम बनता है।
- **कॉम्प्लिमेंट्री रोल:** एग्रीकल्चरल और दूसरी कोऑपरेटिव्स के बिज़नेस को सर्विस सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके सरकार के **"सहकार-से-समृद्धि" (कोऑपरेशन से प्रॉस्पेरिटी) के मकसद को सपोर्ट करता है।**

चुनौतियां

- **कम जानकारी:** कई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) को हेल्थकेयर सर्विस में डायवर्सिफाई करने के लिए उपलब्ध फंडिंग के बारे में पता नहीं है।
- **टेक्निकल क्षमता:** ज़मीनी स्तर की कोऑपरेटिव में अक्सर मुश्किल मेडिकल सुविधाओं या बड़े मेडिकल कॉलेजों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी टेक्निकल जानकारी की कमी होती है।
- **ज्योग्राफिकल असंतुलन:** सफलता ज़्यादातर उन राज्यों में मिली है जहाँ मज़बूत कोऑपरेटिव कल्चर है (जैसे केरल और महाराष्ट्र), जबकि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में इसका इस्तेमाल कम हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

RACE IAS

- **कन्वर्जेंस: आयुष्मान सहकार को आयुष्मान भारत (PM-JAY)** जैसी दूसरी सेंट्रल स्कीमों के साथ मिलाएं, ताकि यह पक्का हो सके कि कोऑपरेटिव हॉस्पिटल कैशलेस इलाज के लिए पैनल में शामिल हों।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** MoSPI और NCDC को हेल्थकेयर में आने वाली सोसाइटियों को ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद देनी चाहिए।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट:** यह पक्का करने के लिए रेगुलर ऑडिट कि 90% फंडिंग से नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (NABH) के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाला क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।

निष्कर्ष

आयुष्मान सहकार एक बड़ी पहल है जो हेल्थकेयर को पूरी तरह से कमर्शियल या राज्य के मॉडल से **कम्युनिटी के मॉडल में बदल रही है** । कोऑपरेटिव को हेल्थकेयर प्रोवाइडर बनने के लिए मज़बूत बनाकर, सरकार का मकसद ग्रामीण-शहरी हेल्थ के बीच के अंतर को कम करना है और साथ ही कोऑपरेटिव सदस्यों के बीच आर्थिक मज़बूती को बढ़ावा देना है।

PAIMANA वेब पोर्टल

प्रसंग

मिनिस्ट्री **ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने हाल ही में PAIMANA वेब पोर्टल** के बारे में लोकसभा में अपडेटेड डेटा पेश किया । यह प्लेटफॉर्म हाई-वैल्यू सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइमरी डिजिटल वॉचडॉग के तौर पर काम करता है, जिससे नेशनल डेवलपमेंट में अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है।

PAIMANA वेब पोर्टल के बारे में

- **पूर्ण प्रपत्र: परियोजना** मूल्यांकन **, बुनियादी** ढांचे की निगरानी **और** राष्ट्र - निर्माण के लिए विश्लेषण **।**
- **मकसद: ₹150 करोड़ और उससे ज़्यादा** बजट वाले **सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स** की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक एडवांस्ड वेब-बेस्ड सिस्टम ।
- **लेगेसी:** यह पुराने **OCMS-2006** (ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम) की जगह लेता है, और प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए मॉडर्न एनालिटिक्स लाता है।

मुख्य विशेषताएं और एकीकरण

- **"एक डेटा, एक एंट्री" का सिद्धांत:** एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का इस्तेमाल करके, डेटा सिस्टम के बीच अपने आप फ्लो होता है। इससे फालतू की मैनुअल एंट्री की ज़रूरत खत्म हो जाती है और इंसानी गलती भी कम हो जाती है।
- **इंटर-डिपार्टमेंटल सिनर्जी:** PAIMANA को **DPIIT** (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) द्वारा मैनेज किए जाने वाले **इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल (IPMP) के साथ इंटीग्रेट किया गया है।**
- **ऑटोमेटेड ट्रैकिंग:** अभी, सड़क, पेट्रोलियम और कोयला जैसे ज़रूरी सेक्टर **के लगभग 60% प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेशन के ज़रिए ऑटो-अपडेट हो जाते हैं।**
- **ब्रॉड कवरेज: 17 अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों** में हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखता है , और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप का सेंट्रलाइज़्ड बर्ड्स-आई व्यू देता है।

पोर्टल का महत्व

- **रियल-टाइम ओवरसाइट:** यह लागू करने वाली एजेंसियों और मंत्रालयों को प्रोजेक्ट का स्टेटस डिजिटली अपडेट करने और देखने की सुविधा देता है, जिससे देरी होने पर जल्दी दखल देने में मदद मिलती है।
- **फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी:** ₹150 करोड़+ के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करके, सरकार कॉस्ट ओवररन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है और यह पक्का कर सकती है कि बड़े पैमाने पर टैक्सपेयर के इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल हो।
- **डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस:** PAIMANA का "एनालिटिक्स" हिस्सा प्रोजेक्ट की रुकावटों में पैटर्न पहचानने में मदद करता है, जिससे भविष्य के पॉलिसी फैसलों में मदद मिलती है।

बुनियादी ढांचे की निगरानी में चुनौतियाँ

- **डेटा लेटेंसी:** जबकि 60% ऑटोमेटेड है, बाकी 40% अभी भी अलग-अलग फील्ड एजेंसियों के मैनुअल अपडेट पर निर्भर है, जिससे रिपोर्टिंग में देरी हो सकती है।
- **इंटर-मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन:** 17 मिनिस्ट्रीज़ में अलग-अलग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को एक जैसा करना MoSPI के लिए एक मुश्किल काम बना हुआ है।
- **बाहरी वजहें:** पोर्टल प्रोग्रेस को ट्रैक तो करता है, लेकिन यह ज़मीन खरीदने के झगड़ों या एनवायरनमेंटल मंज़ूरी जैसे बाहरी मामलों को सीधे हल नहीं कर सकता, जो प्रोजेक्ट में देरी की मुख्य वजहें हैं।

निष्कर्ष

PAIMANA वेब पोर्टल गवर्नेंस में **"डिजिटल इंडिया" की ओर एक बड़ी छलांग है** । मैनुअल-हैवी OCMS-2006 से हटकर API-इंटीग्रेटेड, एनालिटिकल प्लेटफॉर्म पर जाकर, MoSPI देश के भविष्य को बनाने के तरीके को आसान बना रहा है। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिर्फ़ रिकॉर्ड रखने से बदलकर प्रोएक्टिव, डेटा-लेड मॉनिटरिंग में बदल देता है।

16वां वित्त आयोग और राज्य

प्रसंग

वें **फाइनेंस कमीशन (FC) ने 2026-31** के लिए अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं । यह भारत के फिस्कल फेडरलिज्म में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें "GDP में योगदान" क्राइटेरिया शुरू किया गया है और राज्यों पर घाटे की लिमिट और ऑफ-बजट उधारी खत्म करके सख्त फिस्कल डिसिप्लिन लागू किया गया है ।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** वित्त आयोग एक **संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) है** जो संघ और राज्यों के बीच (**वर्टिकल डिवोल्यूशन**) और राज्यों के बीच (**हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन**) केंद्रीय करों के "विभाज्य पूल" के वितरण की सिफारिश करता है।
- **शेयर्ड टैक्स:** इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, CGST, और IGST में केंद्र का हिस्सा शामिल है।
- **राज्यों की मांगें:**
  - **ज़्यादा वर्टिकल शेयर: 18 राज्यों ने** बढ़ते वेलफेयर खर्च (जैसे, केरल का हेल्थ और एजुकेशन खर्च) को कवर करने के लिए **41% से 50% तक** बढ़ोतरी की रिक्वेस्ट की ।
  - **सेस/सरचार्ज को शामिल करना:** तमिलनाडु जैसे राज्यों का तर्क है कि इन्हें हटाने से उनका असरदार हिस्सा 30% से कम हो जाता है।
  - **एफिशिएंसी के लिए इनाम:** इंडस्ट्रियलाइज़्ड राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात) ने मांग की कि **GDP कंट्रीब्यूशन को** डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किया जाए।
  - **फ्लेक्सिबल ग्रांट:** राज्य की खास ज़रूरतों (जैसे, कर्नाटक की शहरी चुनौतियाँ) के लिए कम "टाईड" ग्रांट की रिक्वेस्ट करें।

प्रमुख सिफारिशें (2026-31)

- **वर्टिकल डिवोल्यूशन: 41%** पर बनाए रखा गया , राज्यों की ज़्यादा मांग के बावजूद स्टेटस को बनाए रखा गया।
- **नया क्षैतिज मानदंड: 10% भारांक के साथ "जीडीपी में योगदान" की** शुरुआत की गई , जिससे उच्च आर्थिक उत्पादन वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- **राजकोषीय अनुशासन:**
  - **फिस्कल डेफिसिट कैप: GSDP के 3%** पर सख्ती से कैप किया गया ।
  - **ऑफ-बजट उधार:** सरकारी कंपनियों की सभी देनदारियों को अब राज्य के मुख्य बजट में साफ़ तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।
- **सेक्टर में सुधार:** बढ़ते सरकारी कर्ज़ को कम करने के लिए **DISCOMs के प्राइवेटाइज़ेशन** की सिफारिश की गई ।
- **लोकल बॉडी ग्रांट: लोकल बॉडी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ₹9.47 लाख करोड़** दिए गए , जबकि राज्य-खास ग्रांट बंद कर दिए गए।

सिफारिशों का विश्लेषण

विशेषता	**प्रभाव/सकारात्मक**	**चिंता/नकारात्मक**
जीडीपी वेटेज	**ग्रोथ के लिए इनाम:** तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को बिज़नेस का माहौल बेहतर बनाने के लिए बढ़ावा देता है।	**इक्विटी की चिंताएं:** "इनकम डिस्टेंस" का वेट कम करने से उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे गरीब राज्यों को नुकसान हो सकता है।
पारदर्शिता	**कर्ज़ की क्लैरिटी:** ऑफ-बजट उधार खत्म करने से फाइनेंशियल हेल्थ की सही तस्वीर मिलती है (तेलंगाना/आंध्र प्रदेश के लिए सही)।	**फिस्कल स्पेस:** वर्टिकल शेयर को 41% पर रखने से महंगाई की वजह से राज्यों के लिए कम होते फिस्कल स्पेस को नज़रअंदाज़ किया जाता है।
शहरी फोकस	**इंफ्रास्ट्रक्चर:** "अर्बनाइज़ेशन प्रीमियम" ग्रांट पुणे या अहमदाबाद जैसे शहरों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं।	**पॉलिसी में दखल:** बिना शर्त कैश ट्रांसफर (जैसे, गृह लक्ष्मी) के खिलाफ चेतावनियों को राज्य की पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है।
पर्यावरण	**जंगल का बचाव: जंगल के** *बढ़ते एरिया को* इनाम देने से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एक्टिव कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है।	**पावर सेक्टर:** ज़रूरी DISCOM प्राइवेटाइज़ेशन से पंजाब जैसे राज्यों में सामाजिक अशांति हो सकती है, जहाँ बिजली सब्सिडी सेंसिटिव है।

चुनौतियां

- **कम्प्लायंस-ड्रिवन फेडरलिज्म:** इक्विटी के बजाय एफिशिएंसी की ओर बदलाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल के आधार पर राज्यों के बीच "विनर्स और लूज़र्स" वाला सिनेरियो बनाता है।

RACE IAS

- **रुका हुआ ट्रांसफर:** 41% की लिमिट बनाए रखने और सेस को हटाने से, यूनियन के पास असरदार टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा बना रहता है।
- **One-Size-Fits-All:** घाटे की सख्त लिमिट और ज़रूरी सुधार, अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक सच्चाइयों को ध्यान में नहीं रख सकते।

निष्कर्ष

16वां फाइनेंस कमीशन **इकोनॉमिक एफिशिएंसी और फिस्कल डिसिप्लिन की ओर एक धुरी दिखाता है** । हालांकि यह आखिरकार देश के खजाने में इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों के योगदान को पहचानता है, लेकिन राज्यों की पूरी फिस्कल ऑटोनॉमी पर दबाव बना हुआ है। हाई-ग्रोथ इंजन की जरूरतों और पिछड़े राज्यों की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना इंडियन फेडरलिज्म की मुख्य चुनौती बनी हुई है।

डिजिटल गोपनीयता और डेटा संप्रभुता

प्रसंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY) ने **डेटा सॉवरेनिटी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने के मकसद से नए निर्देश जारी किए हैं** । यह इंटरनेशनल टेक कंपनियों द्वारा पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा की बिना इजाज़त कटाई और भारतीय नागरिकों की "डिजिटल पहचान" की सुरक्षा की ज़रूरत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद किया गया है।

समाचार के बारे में

- **बैकग्राउंड:** एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई थी, जब ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि कई क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स ऐप्स, बिना किसी साफ और बारीक सहमति के, नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर मौजूद सर्वर्स पर फेशियल रिकग्निशन पैटर्न और गेट एनालिसिस सहित सेंसिटिव यूज़र डेटा स्टोर कर रहे थे।
- **सरकार/न्यायालय की टिप्पणियाँ:**
  - **डेटा एक नेशनल एसेट के तौर पर:** पर्सनल डेटा सिर्फ़ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की पहचान का एक हिस्सा है।
  - **जानकारी देकर सहमति:** नियम और शर्तें आसान होनी चाहिए; यूज़र्स को डेटा शेयर करने के लिए धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले "डार्क पैटर्न" कानूनी तौर पर सही नहीं हैं।
  - **लोकलाइज़ेशन:** ज़रूरी पर्सनल डेटा को लोकल लेवल पर मिरर या स्टोर किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि देश अपने नागरिकों को विदेशी निगरानी से बचा सके।
- **तुरंत कार्रवाई:** सरकार ने "सिग्निफ़िकेंट डेटा फ़िड्यूशरीज़" के लिए अपने स्टोरेज प्रोटोकॉल का ऑडिट करने और एक लोकल शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए 90-दिन का कम्प्लायंस विंडो ज़रूरी कर दिया है।

गोपनीयता पर संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में मौलिक अधिकार के रूप में **निजता का अधिकार शामिल है** (न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017)।
- **आर्टिकल 19:** प्राइवेसी को बोलने की आज़ादी के असरदार इस्तेमाल के लिए एक ज़रूरी शर्त माना जाता है; निगरानी बोलने की क्षमता पर "चिलिंग इफ़ेक्ट" डालती है।
- **उचित प्रतिबंध:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा
  - अपराध की रोकथाम
  - दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा
- **न्यायिक मिसालें:**
  - **केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):** राज्य के हस्तक्षेप के लिए तीन गुना परीक्षण स्थापित किया गया: वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता।
  - **विनीत कुमार बनाम CBI (2019):** कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए; सिर्फ़ शक के आधार पर प्राइवेसी ब्रीच को सही नहीं ठहराया जा सकता।

डेटा सुरक्षा: कानूनी विकास

- **IT एक्ट, 2000:** शुरुआती फोकस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर क्राइम पर था, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए सीमित प्रोविज़न थे (सेक्शन 43A)।
- **जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण कमेटी (2018):** इसने "डेटा प्रिंसिपल" अधिकारों पर ज़ोर देते हुए एक बड़े डेटा प्रोटेक्शन कानून की नींव रखी।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023: * डेटा फिड्यूशरीज** की अवधारणा पेश की गई ।
  - "नोटिस और सहमति" सिस्टम पर ध्यान दिया गया।
- **अभी का नज़रिया:** सिर्फ़ सुरक्षा से आगे बढ़कर **डेटा सॉवरेनिटी की ओर बढ़ना** , यह पक्का करना कि भारतीय डेटा की इकोनॉमिक वैल्यू से घरेलू इकोसिस्टम को फ़ायदा हो।

चुनौतियां

- **टेक्नोलॉजिकल गैप:** जनरेटिव AI में तेज़ी से हो रही तरक्की की वजह से स्टैटिक कानूनों के लिए डेटा डीअनोनिमाइज़ेशन के नए तरीकों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है।

- **क्रॉस-बॉर्डर एनफोर्समेंट:** भारतीय रेगुलेटर्स को "डेटा हेवन" में मौजूद कंपनियों से "राइट टू बी फॉरगॉटन " एनफोर्समेंट की मांग करते समय अधिकार क्षेत्र की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- **कम्प्लायंस का बोझ:** छोटे स्टार्टअप्स का कहना है कि सख्त लोकलाइज़ेशन और ऑडिटिंग की ज़रूरतें एंट्री में बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं, जिससे इनोवेशन में रुकावट आ सकती है।
- **निगरानी की चिंताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि "डेटा सॉवरिन्टी" को सरकार के बड़े पैमाने पर निगरानी या असहमति को दबाने का टूल नहीं बनना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कानूनी सुधार:** AI से बने सिंथेटिक डेटा के लिए खास सुरक्षा शामिल करने के लिए DPDP नियमों को लगातार अपडेट करें।
- **डिज़ाइन से प्राइवेसी:** टेक डेवलपर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आर्किटेक्चरल स्टेज पर प्राइवेसी फीचर्स (जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और लोकल प्रोसेसिंग) को इंटीग्रेट करने के लिए बढ़ावा दें।
- **डिजिटल लिटरेसी:** यूज़र्स को "डेटा हाइजीन" और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहमति कैसे रद्द करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए नेशनल कैंपेन शुरू करें।
- **इंटरनेशनल सहयोग:** इंटरनेशनल बॉर्डर पर पर्सनल जानकारी के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, इसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक "ग्लोबल डेटा अकॉर्ड" की वकालत करें।

निष्कर्ष

डेटा सॉवरेनिटी की तरफ बदलाव भारत की डिजिटल युग में आगे रहने की इच्छा को दिखाता है, साथ ही अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा भी करता है। डेटा की आर्थिक क्षमता को प्राइवेसी के बिना मोलभाव वाले अधिकार के साथ बैलेंस करके, इस फ्रेमवर्क का मकसद एक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और सॉवरेन डिजिटल भविष्य बनाना है।

आगे की पुनर्कल्पना का रोडमैप

प्रसंग

नीति **आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने** *"टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ – रीइमेजिनेशन अहेड"* नाम से एक बड़ा 10-साल का स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट जारी किया है । यह रोडमैप **2035 तक भारत के टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ सेक्टर को $850 बिलियन** के वैल्यूएशन तक बढ़ाने का एक पक्का रास्ता बताता है ।

रोडमैप के बारे में

यह क्या है? यह एक विज़नरी फ्रेमवर्क है जिसे भारत की टेक इंडस्ट्री को ट्रेडिशनल "लेबर-आर्बिट्रेज" (कम लागत वाली आउटसोर्सिंग) मॉडल से **AI-नेटिव, IP-लेड और प्लेटफॉर्म-ड्रिवन इकोसिस्टम में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है** ।

मुख्य उद्देश्य:

- **इकोनॉमिक स्केलिंग:** इस सेक्टर को 2035 तक $850 बिलियन के लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी बढ़ाना।
- **आर्किटेक्चरल लीडरशिप:** बैक-ऑफिस सपोर्ट से ग्लोबल **AI सिस्टम आर्किटेक्चर को लीड करने की ओर शिफ्ट होना** ।
- **वैल्यू इवोल्यूशन:** "टाइम-एंड-मटीरियल" बिलिंग से प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) से चलने वाली **आउटकम-ओरिएंटेड सर्विसेज़ की ओर बढ़ना।**

पाँच प्राथमिकता वाले विकास लीवर

रोडमैप में इस दशकीय बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए पांच खास पिलर्स की पहचान की गई है:

- **एजेंटिक AI:** अलग-अलग इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में खुद से फैसले लेने और मुश्किल काम करने में सक्षम ऑटोनॉमस AI सिस्टम बनाना।
- **सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स:** "सिर्फ़ सर्विस" एक्सपोर्ट से ज़्यादा मार्जिन वाले **SaaS (सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस)** प्लेटफॉर्म और ब्रांडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बदलाव को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: सॉवरेन क्लाउड सर्विसेज़,** हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स और घरेलू **सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम** के विस्तार को प्राथमिकता देना ।
- **इनोवेशन-लेड इंजीनियरिंग:** डीप-टेक R&D, स्पेशलाइज्ड चिप डिजाइन (VLSI), और एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग को बढ़ाना।
- **इंडिया-फॉर-इंडिया सॉल्यूशंस:** हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस में घरेलू चुनौतियों के लिए खास AI सॉल्यूशंस बनाना, जिन्हें बाद में दूसरे उभरते मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सके।

तुलना तालिका: पीढ़ीगत बदलाव

विशेषता	पारंपरिक श्रम-आर्बिट्रेज मॉडल	AI-नेटिव / IP-लेड रोडमैप (2035)
प्राथमिक मूल्य चालक	कॉस्ट एफिशिएंसी: सैलरी के अंतर (मैन-आवर्स) के आधार पर बचत।	वैल्यू क्रिएशन: बिज़नेस के नतीजों और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पर आधारित रेवेन्यू।
बिलिंग संरचना	समय और सामान: लोगों की संख्या और काम किए गए घंटों के हिसाब से चार्ज करना।	परिणाम-उन्मुख: परिणाम, प्रदर्शन या सदस्यता (SaaS) के लिए शुल्क लेना।
विकास इंजन	हेडकाउंट बढ़ाना: स्केलिंग के लिए एक के बाद एक ज़्यादा कर्मचारियों को हायर करने की ज़रूरत होती है।	टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा: AI एजेंट और प्रोप्राइटरी सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए स्केलिंग।

RACE IAS

मुख्य पेशकश	सिर्फ़ सर्विस: इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और बैक-ऑफ़िस सपोर्ट।	IP-ड्रिवन: सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, AI मॉडल्स और " एजेंटिक " सिस्टम्स का ओनरशिप।
प्रतिभा फोकस	स्टैंडर्ड स्किल्स: डेवलपर्स और सपोर्ट स्टाफ का बड़ा पूल।	डीप टेक एक्सपर्टाइज़: AI आर्किटेक्चर, चिप डिज़ाइन और R&D में स्पेशलाइज़्ड रोल।
प्रतिस्पर्धा में बढ़त	ऑपरेशनल स्केल: "दुनिया का बैक ऑफिस" होना।	स्ट्रेटेजिक इनोवेशन: "AI एंटरप्राइजेज का आर्किटेक्ट" बनना।

सामरिक महत्व

रोडमैप AI को सिर्फ़ एक टूल के तौर पर नहीं, बल्कि एक **स्ट्रक्चरल बदलाव के पॉइंट के तौर पर दिखाता है** । "AI-नेटिव" सर्विसेज़ पर फ़ोकस करके, भारत का मकसद ग्लोबल वैल्यू चेन के टॉप लेवल पर कब्ज़ा करना है, यह पक्का करते हुए कि " विकसित भारत" विज़न सिर्फ़ इम्पोर्टेड सिस्टम के बजाय देसी टेक्नोलॉजिकल सफलताओं से चले।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्किल री-ओरिएंटेशन:** मौजूदा वर्कफोर्स को जेनरेटिव AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर अपस्किल करना ।
- **IP प्रोटेक्शन:** फर्मों को सर्विस डिलीवरी से प्रोडक्ट बनाने की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए पेटेंट सिस्टम को मजबूत करना।
- **कंप्यूट एक्सेस:** इंडियाAI मिशन के ज़रिए स्टार्टअप्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) तक सस्ती पहुंच पक्का करना ।

भारत की विदेश नीति को फिर से तैयार करना

प्रसंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ऑफिशियली **"न्यू वर्ल्ड ऑर्डर" को** माना । यह **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी** के ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन से एक प्रोएक्टिव, इंटरेस्ट-बेस्ड फ्रेमवर्क की ओर एक निर्णायक बदलाव को दिखाता है, जो स्पष्ट रूप से विकसित भारत 2047 (2047 तक डेवलप्ड इंडिया) के विज़न के साथ जुड़ा **हुआ है** ।

समाचार के बारे में

यह क्या है? नया फ्रेमवर्क "टैक्टिकल न्यूट्रैलिटी" से **मकसद पर आधारित जुड़ाव की ओर बदलाव दिखाता है** । जबकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने पावर ब्लॉक्स से बाहर रहने को प्राथमिकता दी, यह नया युग हाई-इनकम स्टेटस और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पाने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप का फायदा उठाने पर फोकस करता है।

बहुपक्षवाद का क्षरण:

- **खराब संस्थाएं: WTO** जैसी पारंपरिक संस्थाएं तेज़ी से बेकार होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए, 2025 में, भारत को दोतरफ़ा "मिनी-ट्रेड डील" करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बड़ी ताकतों ने ग्लोबल विवाद के तरीकों को नज़रअंदाज़ कर दिया था।
- **लेन-देन की डिप्लोमेसी: ग्लोबल रिश्ते अब** शेयर्ड लिबरल वैल्यूज़ के बजाय "अमेरिका फर्स्ट" या "चाइना-सेंट्रिक" लेन-देन से गाइड होते हैं।
- **ट्रेड का हथियार बनाना :** टैरिफ और बैन का इस्तेमाल अक्सर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। 2025 में, US ने रूस के साथ भारत के लगातार एनर्जी ट्रेड पर 50% स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ को जोड़ा।
- **चीन का इंस्टीट्यूशनल कब्ज़ा:** UN एजेंसियों में बीजिंग के दबदबे ने ग्लोबल साउथ में भारत की पारंपरिक लीडरशिप को चुनौती दी है।

सामरिक स्वायत्तता की सीमाएं

- **कोल्ड वॉर का पुराना होना:** नॉन-अलाइमेंट को बाइपोलर दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज के टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन के ज़माने में, अनअलाइमेंट रहने से ज़रूरी सप्लाई चेन से बाहर होने का खतरा रहता है।
- **आर्थिक कमज़ोरी:** घरेलू इंडस्ट्रियल ताकत के बिना "ऑटोनॉमी" पर निर्भर रहना एक खोखली पॉलिसी मानी जाती है। भारत की ईस्ट एशियन सेमीकंडक्टर्स पर **90% निर्भरता** (2025 डेटा) ने इंडिपेंडेंट टेक नॉर्म्स सेट करने की उसकी क्षमता को कम कर दिया है।
- **"स्विंग स्टेट" लेबल:** बड़ी ताकतें अब भारत को एक "वेरिएबल" के तौर पर देखती हैं, जिसे एक लगातार न्यूट्रल ताकत के बजाय एक खास गुट में शामिल होने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
- **बंटा हुआ ग्लोबल साउथ:** डेवलपिंग देशों के अब बहुत अलग-अलग हित हैं (जैसे, आइलैंड देशों के लिए खास क्लाइमेट एजेंडा), जिससे एक "नॉन-अलाइंड" आवाज़ को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।

नई रणनीतिक वास्तविकता

- **एसिमेट्रिक पावर पॉलिटिक्स:** ग्लोबल रिश्ते "जिसकी ताकत ही सही" स्टाइल में लौट आए हैं। **इंडिया-US इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट (Feb 2026) के** तहत टैरिफ में राहत पाने के लिए इंडिया को कुछ इंपोर्ट को दोगुना करना था।
- **टेक्नोलॉजिकल सॉवरिनिटी:** पावर अब AI और स्पेस से तय होती है। **NavIC और GLONASS ग्राउंड स्टेशनों को** जोड़ने के लिए 2025 का **भारत-रूस एग्रीमेंट** एक नॉन-वेस्टर्न नेविगेशन इकोसिस्टम की ओर एक कदम दिखाता है।
- **कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग:** भारत को ऐसी दुनिया में मुकाबला करना होगा जहां चीन की "मल्टीलेटरल लैडर"

RACE IAS

को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट **₹4 लाख पर पहुंचा** 2025 तक **100 करोड़ रुपये का कारोबार हो जाएगा, लेकिन वियतनाम से कड़ी टक्कर मिलेगी।**

- **पड़ोस में उतार-चढ़ाव:** बांग्लादेश और पाकिस्तान में चीन के बढ़ते असर ने भारतीय डिप्लोमेसी के लिए "2.5-फ्रंट" सिक्योरिटी चुनौती खड़ी कर दी है।

भारतीय विदेश नीति का पुनर्निर्धारण

- **अंदरूनी ताकत पहले: चीनी प्रोसेसिंग को बायपास करने के लिए PLI स्कीम** और "रेयर अर्थ कॉरिडोर" (यूनियन बजट 2026-27) पर फोकस करने के लिए लो इंटरनेशनल प्रोफाइल अपनाना ।
- **एग्रेसिव ट्रेड डायवर्सिफिकेशन: इंडिया-EU FTA (Jan 2026)** को फाइनल करके ट्रेडिशनल मार्केट से आगे बढ़ना , जो इंडिया के एक्सपोर्ट ट्रेड वैल्यू का 99% कवर करता है।
- **टेक-सेंट्रिक अलायंस:** स्पेस, क्वांटम और साइबर टेक्नोलॉजी के लिए इश्यू-बेस्ड कोएलिशन (जैसे, BRICS ट्रेड के लिए डिजिटल करेंसी को जोड़ना) को प्रायोरिटी देना।
- **पैसिव रीजनल रवैया:** आस-पड़ोस के मुद्दों को मुख्य रूप से फॉरेन पॉलिसी की चुनौतियों के तौर पर मैनेज करना, ताकि घरेलू इकॉनमिक फोकस बिना रुके बना रहे।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति 1991 के बाद से सबसे बड़े बदलाव से गुज़र रही है। डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से एक मज़बूत **विकसित भारत** विज़न की ओर शिफ्ट होकर, भारत का मकसद एक फॉलोअर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पोल के तौर पर और 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी के तौर पर बंटती दुनिया में आगे बढ़ना है।

काम पर महिलाओं की सुरक्षा

प्रसंग

महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस समिट में **वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013 (SH Act) को मज़बूत करने और शिकायत** निवारण के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पर नए **SHe -Box पोर्टल को प्रमोट करने पर फोकस किया गया** ।

समाचार के बारे में

परिभाषा: काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा में एक कानूनी और संस्थागत ढांचा शामिल है जिसे यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका समाधान करने के लिए बनाया गया है। **SH Act, 2013** इन सुरक्षाओं के लिए मुख्य कानूनी आधार के तौर पर काम करता है।

मुख्य डेटा और तथ्य:

- **बढ़ती भागीदारी: जुलाई 2025 में** नेट महिला पेरोल में बढ़ोतरी लगभग **4.42 लाख तक पहुंच गई** , जिससे फॉर्मल सेफ्टी प्रोटोकॉल की तुरंत ज़रूरत का पता चलता है।
- **रिपोर्टिंग गैप: स्टडीज़ से पता चलता है कि** प्रोफेशनल बदले के डर से लगभग **दो-तिहाई हैरेसमेंट की घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो पातीं।**
- **NCRB ट्रेंड्स:** ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हर साल **400 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं** , हालांकि एक्सपर्ट्स इसे असल में मामलों का बहुत कम आंकलन मानते हैं।
- **कम्प्लायंस डेफिसिट:** 2024-25 के एक सर्वे में पाया गया कि **53% HR प्रोफेशनल्स** अभी भी POSH (प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट) इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिकल बारीकियों से जूझ रहे हैं।

सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता

- **संवैधानिक जनादेश: सम्मान की रक्षा करना आर्टिकल 14, 15 और 21** के तहत एक ज़रूरी ज़िम्मेदारी है । *ऑरेलियानो* में *फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य मामले* में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएच अधिनियम के प्रवर्तन में खामियां इन मौलिक गारंटियों का उल्लंघन करती हैं।
- **आर्थिक लक्ष्य: 70% महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के विकसित भारत टारगेट को** पाने के लिए एक सुरक्षित माहौल की ज़रूरत है। सुरक्षा की चिंताओं की वजह से अभी कई शहरी इलाकों में लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) कम है।
- **टैलेंट रिटेंशन:** ज़्यादा एट्रिशन रेट, खासकर टेक सेक्टर में, अक्सर बायस्ड या बेअसर POSH मैकेनिज्म से जुड़े होते हैं।
- **अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर प्रोटेक्शन:** लाखों घरेलू और खेती के काम करने वाले मज़दूर अभी भी कमज़ोर हैं; 2025 के सर्वे **लोकल कमेटियों (LCs) के बारे में जानकारी की बहुत कमी दिखाते हैं** ।
- **मेंटल हेल्थ:** हैरेसमेंट से गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। **प्रोजेक्ट स्त्री जैसी पहल मनोरक्षा (2025) का** लक्ष्य सर्वाइवर्स को ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड सपोर्ट देना है।

की गई पहल

- **SHe -Box पोर्टल (2024 में नया रूप):** सभी सेक्टर में शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड, कई भाषाओं वाला प्लेटफ़ॉर्म।
- **ज़रूरी जानकारी: कंपनी (अकाउंट) नियमों** में बदलाव के तहत अब कंपनियों को अपनी सालाना बोर्ड रिपोर्ट में POSH मामलों की संख्या बतानी होगी।

RACE IAS

- **नेशनल वर्कप्लेस सेफ्टी प्लेज:** 2026 MoWCD की एक पहल, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में "ज़ीरो-टॉलरेंस" कल्चर को बढ़ावा देगी।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग: ISTM** के साथ डेवलप किए गए स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल अब **iGOT** पर उपलब्ध हैं । **कर्मयोगी** प्लेटफॉर्म।
- **न्यायिक निगरानी:** सुप्रीम कोर्ट इंटरनल कमेटियों (ICs) के कामकाज को पक्का करने के लिए राज्य सरकारों की निगरानी करता रहता है।

चुनौतियां

- **जानकारी की कमी:** सिर्फ़ **8% वर्कर को** अपनी कंपनी की खास POSH पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी है; कई लोगों को फाइलिंग के लिए 3 महीने के लिमिटेशन पीरियड के बारे में पता नहीं है।
- **बदले की कार्रवाई का डर:** स्पोर्ट्स और हाई-लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में, पीड़ितों को "ब्लैकलिस्टिंग" या करियर खत्म होने का डर रहता है।
- **इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया:** बड़ी फर्मों में ICs तो होती हैं, लेकिन अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए **लोकल कमेटियां (LCs) अक्सर बंद हो जाती हैं या उनके पास फंड की कमी होती है।**
- **डिजिटल डिवाइड: खेती और गांव के मजदूरों में अक्सर** SHe -Box पोर्टल को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी डिजिटल लिटरेसी की कमी होती है ।
- **जेंडर न्यूट्रैलिटी पर बहस:** मौजूदा कानून सिर्फ़ महिलाओं को शिकायत दर्ज करने की इजाज़त देते हैं, जिससे 2025 तक पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में कानूनी चर्चा होगी।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **यूनिवर्सल ट्रेनिंग:** एक बार के ऑनबोर्डिंग वीडियो से सभी स्टाफ लेवल के लिए समय-समय पर, ज़रूरी सेंसिटाइज़ेशन वर्कशॉप में बदलाव।
- **लोकल कमेटियों को मज़बूत करना: राज्य सरकारों को LCs को फंड देना चाहिए और** पंचायत और ज़िला लेवल पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिश करनी चाहिए ।
- **सुरक्षा को बढ़ावा देना:** सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी को SHe -Box रिपॉजिटरी पर किसी फर्म की "सेफ वर्कप्लेस" रेटिंग से जोड़ें।
- **ग्रासरूट आउटरीच:** खास तौर पर कंस्ट्रक्शन और घरेलू काम करने वालों के लिए मोबाइल सेफ्टी यूनिट और अवेयरनेस कैंप लगाएं।
- **सख्त सज़ा:** बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए लाइसेंस कैंसल करने का नियम लागू करें, ताकि यह दिखाया जा सके कि सुरक्षा बिज़नेस की मुख्य प्राथमिकता है।

निष्कर्ष

भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए "कागज़ पर पालन" से "असल में सुरक्षा" में बदलाव ज़रूरी है। हालांकि SH Act और SHe -Box एक मज़बूत कानूनी ढांचा देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर का एक्टिव जुड़ाव और सख्त कानूनी निगरानी हर महिला के लिए हैरेसमेंट-फ्री वर्कप्लेस पक्का करने की चाबी बनी हुई है।

कोरम संवेदन

प्रसंग

माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में हाल की सफलताओं ने बैक्टीरियल कम्युनिकेशन में **कोरम सेंसिंग (QS) को एक ज़रूरी मैकेनिज्म के तौर पर सामने लाया है। जैसे-जैसे ग्लोबल हेल्थ एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)** के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है , बैक्टीरिया कैसे "बात करते हैं" यह समझना एक खास बायोलॉजिकल जिज्ञासा से अगली पीढ़ी के मेडिकल इलाज का आधार बन गया है।

विज्ञान के बारे में

बैकग्राउंड: बैक्टीरिया को लंबे समय तक अकेला जीव माना जाता था। हालांकि, बायोल्यूमिनसेंट समुद्री बैक्टीरिया (जैसे *विब्रियो फिशरी) पर रिसर्च से पता चला कि वे तभी चमकते हैं जब उनकी आबादी एक तय डेंसिटी तक पहुंच जाती है। इससे कोरम सेंसिंग की खोज हुई, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया* **ऑटोइंड्यूसर** नाम के केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल बनाते और पहचानते हैं ।

कार्रवाई की प्रणाली:

- **डेंसिटी डिटेक्शन:** अलग-अलग बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं।
- **थ्रेशोल्ड अचीवमेंट:** जैसे-जैसे बैक्टीरिया की आबादी बढ़ती है, इन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है।
- **कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स:** एक बार "कोरम" (थ्रेशहोल्ड) पर पहुंचने के बाद, मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में जीन एक्सप्रेशन में एक साथ बदलाव शुरू हो जाता है।

संचार पदानुक्रम

बैक्टीरिया असल में "मल्टीलिंगुअल" होते हैं, जो अपने ऑडियंस के आधार पर अलग-अलग केमिकल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं:

- **इंट्रा-स्पीशीज़ कम्युनिकेशन:** खास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स (जैसे ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया में एसाइलेटेड होमोसरीन लैक्टोन) का इस्तेमाल करके अपनी ही स्पीशीज़ के सदस्यों से खास तौर पर बात करना, एक "प्राइवेट भाषा।"
- **प्रजातियों के बीच कम्युनिकेशन:** यूनिवर्सल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स (जैसे ऑटोइंड्यूसर-2) का इस्तेमाल, जो बैक्टीरिया की अलग-अलग प्रजातियों को एक-दूसरे को समझने और जवाब देने में मदद करता है, एक "यूनिवर्सल भाषा" है।

RACE IAS

प्रमुख जीवाणु व्यवहार

जब कोरम पूरा हो जाता है, तो बैक्टीरिया अलग-अलग बचे हुए बैक्टीरिया से एक कोऑर्डिनेटेड "सुपर-ऑर्गेनिज्म" में बदल जाते हैं, और कई तरह के व्यवहार दिखाते हैं:

- **बायोफिल्म बनना:** बैक्टीरिया एक चिपचिपा मैट्रिक्स निकालकर सुरक्षा परतें (बायोफिल्म) बनाते हैं। ये बनावट एंटीबायोटिक्स और इंसानी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होती हैं।
- **विरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेशन:** पैथोजेनिक बैक्टीरिया अक्सर तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक उनकी संख्या काफी न हो जाए, फिर वे होस्ट पर हावी होने के लिए टॉक्सिन छोड़ते हैं।
- **बायोल्यूमिनेसेंस और मोटिलिटी:** माहौल में घूमने या होस्ट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड चमक या मूवमेंट (झुंड में घूमना)।

चुनौतियाँ और AMR संकट

- **एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस:** पारंपरिक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारकर या उनकी ग्रोथ को रोककर काम करते हैं। इससे "इवोल्यूशनरी प्रेशर" बनता है, जिससे रेजिस्टेंट स्ट्रेन बच जाते हैं।
- **बायोफिल्म बैरियर:** बायोफिल्म, फ्री-फ्लोटिंग बैक्टीरिया की तुलना में एंटीबायोटिक्स के प्रति 1,000 गुना ज़्यादा रेसिस्टेंट हो सकते हैं।
- **सिग्नल कॉम्प्लेक्सिटी:** केमिकल सिग्नल की बहुत ज़्यादा वैरायटी की वजह से "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" इन्हिबिटर डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है।

आगे का रास्ता: कोरम पूरा करना

बैक्टीरिया को मारने के बजाय, वैज्ञानिक **कोरम क्वेंचिंग (QQ) विकसित कर रहे हैं** , जो रेडियो सिग्नल को "जैमिंग" करने जैसा बायोलॉजिकल तरीका है।

- **सिग्नल डिस्ट्रक्शन:** ऑटोइंड्यूसर को दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचने से पहले तोड़ने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करना।
- **रिसेप्टर ब्लॉकिंग:** "डिकॉय" मॉलिक्यूल बनाना जो बैक्टीरियल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे असली सिग्नल आपस में जुड़ नहीं पाते।
- **एंटी-वायरलेंस थेरेपी:** बातचीत तोड़कर, बैक्टीरिया अपनी नुकसान न पहुंचाने वाली, अलग अवस्था में रहते हैं। क्योंकि इससे वे मरते नहीं हैं, इसलिए यह रेज़िस्टेंस बनाने के लिए कम दबाव डालता है, जो **AMR के खिलाफ़ एक टिकाऊ हथियार देता है** ।

निष्कर्ष

कोरम सेंसिंग से पता चलता है कि माइक्रोबियल दुनिया पहले सोची गई दुनिया से कहीं ज़्यादा सोशल और स्ट्रेटेजिक है। कोरम क्वेंचिंग के ज़रिए बैक्टीरिया को "मारने" से उन्हें "चुप" करने की ओर बढ़ते हुए, साइंस ड्रग रेजिस्टेंस की आग को भड़काए बिना इन्फेक्शन को मैनेज करने का एक तरीका ढूंढ सकता है।

62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC 2026)

प्रसंग

13-15 फरवरी, 2026 को जर्मनी के म्यूनिख में हुई 62वीं MSC ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए एक अहम समय पर हुई। **"अंडर डिस्ट्रक्शन" थीम के तहत,** कॉन्फ्रेंस का फोकस 1945 के बाद के इंटरनेशनल ऑर्डर के तेज़ी से खत्म होने पर था, जिसकी पहचान "रेकिंग-बॉल पॉलिटिक्स" और यूनिवर्सल नॉर्म्स के बजाय ट्रांजैक्शनल डील्स से बनने वाली दुनिया की ओर बदलाव थी।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़्यादा देशों और सरकारों के हेड्स ने हिस्सा लिया, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों भी शामिल थे। झगड़े का एक बड़ा मुद्दा पश्चिम का अंदरूनी बँटवारा था, जिसे ज़्यादा अकेलेपन वाले US एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी गारंटी को लेकर ट्रांसअटलांटिक मतभेदों के गहराने से बढ़ावा मिला।

भारत की मौजूदगी: विदेश मंत्री **एस. जयशंकर ने भारतीय डेलीगेशन को लीड किया, और भारत को एक उलझी हुई मल्टीपोलर दुनिया में एक "स्टेबलाइजिंग फोर्स" के तौर पर पेश किया। भारत की भागीदारी** जनवरी 2026 में हुए एक लैंडमार्क **इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA)** के "आफ्टरग्लो" से पहचानी गई।

भारत का रणनीतिक रुख

"स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" की पॉलिसी बताई , और कहा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी देश के हित और मल्टीपोलैरिटी के लिए "तेज़ और डायनामिक" अप्रोच से गाइड होती है।

- **तेल खरीद और एनर्जी पॉलिसी: * जयशंकर ने भारत के रूसी तेल खरीदने का बचाव करते हुए कहा कि यह उपलब्धता, लागत और जोखिम** के आधार पर कमर्शियली लिया गया फैसला है ।
  - उन्होंने उन दावों का जवाब दिया कि US के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील (जिसमें भारतीय एक्सपोर्ट पर US टैरिफ में कमी आई) के तहत भारत को रूसी इंपोर्ट रोकना होगा, और कहा कि भारत "स्वतंत्र सोच वाला" है।
- **मल्टीपोलैरिटी बनाम एंटी-वेस्टर्निज़्म:**
  - भारत ने अपनी पहचान **"नॉन-वेस्टर्न" देश के तौर पर दोहराई** , लेकिन "एंटी-वेस्टर्न" देश के तौर पर नहीं।
  - G7 के साथ जुड़ाव को समुद्री सुरक्षा और मज़बूत कनेक्टिविटी में "कॉमन ग्राउंड" और साझा हितों को खोजने के तरीके के तौर पर हाईलाइट किया गया।

वैश्विक सुरक्षा चिंताएँ

RACE IAS

कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट और चर्चाओं में "व्यवस्था के संकट" पर ज़ोर दिया गया, जहाँ UN और WTO जैसे संस्थानों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है:

- **नियम-आधारित व्यवस्था का खत्म होना:** एकतरफ़ा कार्रवाइयों के बढ़ने से, खासकर US और चीन की तरफ़ से, वह हुआ है जिसे MSC रिपोर्ट **"रेकिंग-बॉल पॉलिटिक्स" कहती है।**
- **टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी:** पहली बार, साइबर रिस्क और AI को पारंपरिक मिलिट्री हार्डवेयर के बराबर सिक्योरिटी के लिए कोर आर्किटेक्चर माना गया।
- **UN रिफॉर्म: भारत ने UN@80 एजेंडा** को लीड किया , और 21वीं सदी की असलियत दिखाने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में ज़रूरी रिफॉर्म की मांग की।

चुनौतियां

- **लेन-देन की डिप्लोमेसी:** सिद्धांत आधारित सहयोग से "द्विपक्षीय डील-मेकिंग" की ओर बदलाव छोटे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **ट्रांसअटलांटिक दरारें:** यूरोपियन नेताओं ने US सिक्योरिटी सिग्नल में उतार-चढ़ाव पर गहरी चिंता जताई, जिससे यूरोपियन "जियोपॉलिटिकल पावर" की मांग उठी।
- **कनेक्टिविटी में रुकावटें:** वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण **इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC)** जैसे प्रोजेक्ट्स उम्मीद से धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज़्म:** देश तेज़ी से "मल्टी-अलाइनमेंट" अपना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संबंधों से फ़ायदा उठा रहे हैं।
- **मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर:** समुद्री कम्युनिकेशन लाइनों की सुरक्षा और मज़बूत सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान पर फोकस।
- **मल्टीलेटरलिज़्म में सुधार:** ग्लोबल संस्थाओं को फिर से ज़िंदा करने की तुरंत ज़रूरत है, इससे पहले कि वे क्षेत्रीय दबद ... कर दें।

निष्कर्ष

62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पुरानी ग्लोबल स्थिति काफी हद तक खत्म हो रही है। भारत का रुख बताता है कि "रेकिंग-बॉल पॉलिटिक्स" के इस नए दौर में, सिक्योरिटी का रास्ता कई ऑप्शन बनाए रखने, भरोसे पर आधारित पार्टनरशिप को बढ़ावा देने और बिखरी हुई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए काफी "फुर्तीला" बने रहने में है।

महिला-नेतृत्व वाली अक्षय ऊर्जा (डीआरई)

प्रसंग

फरवरी 2026 में , **इंडिया डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी समिट (IDRES)** ने महिलाओं के नेतृत्व वाली DRE को भारत के नेट-ज़ीरो ट्रांज़िशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक पिलर के तौर पर हाईलाइट किया। साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार ने **"अंजोर विज़न 2047" पेश किया,** जो एक लैंडमार्क रोडमैप है जिसका मकसद 2030 तक 5,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले DRE सॉल्यूशन बनाना और 50,000 ग्रीन जॉब्स बनाना है।

महिला-नेतृत्व वाली DRE के बारे में

परिभाषा: महिलाओं के नेतृत्व वाला DRE एक बदलाव लाने वाला मॉडल है जो गांव की महिलाओं को पैसिव "लास्ट-माइल कंज्यूमर" से छोटे लेवल के एनर्जी सिस्टम (जैसे, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और सोलर ड्रायर) के एक्टिव **डिजाइनर, मालिक और ऑपरेटर बनाता है।**

कोर फिलॉसफी: यह एनर्जी एक्सेस को **जेंडर इक्विटी के साथ जोड़ता है** , यह पक्का करता है कि क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकल महिला ग्रुप्स, जैसे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) मैनेज करें, ताकि घरेलू ज़रूरतों और गांव की रोजी-रोटी, दोनों को पावर मिल सके।

मुख्य डेटा और तथ्य

सूचक	**वैश्विक औसत**	**भारत वर्तमान (2025-26)**
कार्यबल प्रतिनिधित्व	32%	**11%**
संचालन और रखरखाव	-	**< 1%**
आय पर प्रभाव	-	**90%** महिला यूज़र्स ने इनकम में बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी

- **आर्थिक संभावना:** एनर्जी सेक्टर में महिलाओं को मज़बूत बनाने से 2025-26 तक भारत की अर्थव्यवस्था में **$2.9 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं।**
- **हेल्थ पर असर:** पारंपरिक बायोमास से बदलाव करके भारत में हर साल लगभग **200,000 समय से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सकता है** , खासकर महिलाओं में।
- **आजीविका का स्तर:** सोलर सिल्क-रीलिंग जैसी टेक्नोलॉजी ने आदिवासी बुनकरों की महीने की इनकम **₹1,500 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी है।**

महिला-नेतृत्व वाली DRE की आवश्यकता

- **भरोसे की कमी को पूरा करना:** हालांकि ग्रिड कनेक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन गांवों में अक्सर एक जैसा कनेक्शन कम होता है; DRE जंगल के किनारे के हेल्थ

सेंटर में वैक्सीन रेफ्रिजरेशन जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए लगातार बिजली पक्का करता है।

- **"समय की कमी" को कम करना:** गांव की महिलाएं रोज़ाना 3-4 घंटे ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने में बिताती हैं। DRE मुश्किल कामों को ऑटोमेट करता है, जिससे पढ़ाई और आराम के लिए समय मिलता है।
- **एनर्जी का प्रोडक्टिव इस्तेमाल (PURE):** सस्ती एनर्जी से राजस्थान में सोलर पावर से चलने वाले बल्क मिल्क चिलर जैसे छोटे बिज़नेस को मशीन से चलाया जा सकता है—ताकि वे मार्केट में मुकाबला कर सकें।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंस:** खराब मौसम की घटनाओं के दौरान, लोकल महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाने वाले डीसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम अक्सर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए पावर का एकमात्र चालू सोर्स बने रहते हैं।

पहल और रूपरेखा

- **PM सूर्य घर (सोलर विलेज):** 2030 तक 10,000 सोलर विलेज बनाने का टारगेट, जिसमें कम्युनिटी और महिलाओं के मैनेजमेंट पर फोकस होगा।
- **लखपति दीदी स्कीम:** फ़ूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल में SHG के बिज़नेस में DRE टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना।
- **अंजोर विज़न 2047 (छत्तीसगढ़):** महिलाओं की लीडरशिप वाली "सोलर दीदी" के ज़रिए RE शेयर को 66% तक बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड स्टेट रोडमैप।
- **सूर्य सखी (UP):** हर ग्राम पंचायत में सोलर इंस्टॉलेशन और आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए 57,000 महिलाओं को सोलर एंटरप्रेन्योर के तौर पर ट्रेनिंग देना।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **शुरू में ज़्यादा लागत: सोलर बल्क मिल्क चिलर की लागत ₹25 लाख** तक हो सकती है , जो कम ब्याज वाले ग्रीन क्रेडिट के बिना आम गांव के SHG के लिए बहुत ज़्यादा रकम है।
- **टेक्निकल स्किल की कमी:** लोकल महिला टेक्नीशियन (**ऊर्जा सखियों**) की कमी की वजह से अक्सर सिस्टम महीनों तक खराब रहता है, जब पुरुष टेक्नीशियन मौजूद नहीं होते।
- **गहरी पैट्रियार्की: भारत में** महिलाओं के पास सिर्फ़ **13.9% ज़मीन है** , जिससे सोलर पंप जैसे एनर्जी एसेट्स के लिए बैंक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एसेट ओनरशिप:** उज्ज्वला योजना मॉडल की सफलता को दिखाते हुए, महिलाओं को एनर्जी एसेट्स का प्राइमरी या जॉइंट ओनर बनाना ज़रूरी है।
- **ग्रीन क्रेडिट एक्सेस:** खास तौर पर महिलाओं के क्लीन-टेक एंटरप्राइज़ के लिए डेडिकेटेड क्रेडिट लाइन और **फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी (FLDG) लॉन्च करें।**
- **सोलर दीदी और ऊर्जा सखी:** मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स का लोकल कैडर बनाने के लिए STEM और टेक्निकल रोल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ाएं।
- **पंचायत इंटीग्रेशन:** ग्राम पंचायतों को महिलाओं के ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मज़बूत बनाना ताकि वे "एनर्जी-एज़-ए-सर्विस" दे सकें।

निष्कर्ष

भारत का एनर्जी ट्रांज़िशन तभी सही मायने में सही होगा जब "लास्ट माइल" पर मौजूद महिलाएं बेनिफिशियरी से लीडर बन जाएंगी। लास्ट माइल को तरक्की की फ्रंट लाइन में बदलकर, भारत एक साथ एनर्जी गरीबी, क्लाइमेट टारगेट और जेंडर इनइक्वालिटी को दूर कर सकता है, जिससे **विकसित भारत की राह तेज़ हो जाएगी** ।

सेवा तीर्थ

प्रसंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में **'सेवा तीर्थ' को** देश को समर्पित किया, जो **'नागरिकदेवो भव' (नागरिक ही भगवान है) के गाइडिंग प्रिंसिपल को इंस्टीट्यूशनल बनाता है। यह पहल "इंडिया फर्स्ट"** के बड़े विज़न के तहत **नागरिक-केंद्रित शासन** के लिए सरकार के कमिटमेंट को एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल मज़बूती देती है।

अवधारणा के बारे में

परिभाषा:

'नागरिकदेवो भव' का मतलब है **"नागरिक को भगवान जैसा माना जाए।" यह** *अतिथि देवो भव* (मेहमान भगवान है) की पुरानी भारतीय सोच का एक बदलाव है , जिसे सरकार और लोगों के बीच के रिश्ते के लिए बनाया गया है।

मुख्य उद्देश्य:

यह **हर नागरिक को एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया के सेंटर में रखता है** , और पब्लिक सर्विस को सिर्फ़ एक ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के बजाय एक **पवित्र ड्यूटी (*सेवा*) के तौर पर फिर से डिफाइन करता है।**

दार्शनिक और संवैधानिक आधार

नागरिकदेवो भव की भावना चार अलग-अलग स्तंभों पर बनी है:

- **सभ्यता के मूल्य: यह** *सेवा* (निस्वार्थ सेवा) और *धर्म (कर्तव्य-बद्ध आचरण)* के कॉन्सेप्ट से लिया गया है , जहाँ शासक को लोगों का पहला सेवक माना जाता है।
- **गांधीवादी दर्शन: अंत्योदय** से मेल खाता है , जो लाइन में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता देने का सिद्धांत है।
- **संवैधानिक नैतिकता: यह** भारतीय संविधान के **आर्टिकल 14 (समानता)** और **21 (गरिमा)** के मुताबिक है , और यह पक्का करता है कि राज्य की मशीनरी हर नागरिक के साथ सम्मान से पेश आए।

RACE IAS

- **एथिकल गवर्नेंस:** यह पावर के "ट्रस्टीशिप" मॉडल को दिखाता है, जहाँ पब्लिक ऑफिस नागरिकों की ओर से एक ट्रस्ट (*लोक सेवा) के रूप में होता है।*

आधुनिक शासन में महत्व

अथॉरिटी-ड्रिवन से सर्विस-ड्रिवन स्टेट में बदलाव के कई प्रैक्टिकल मतलब हैं:

आयाम	**प्रभाव**
सेवा वितरण	बिचौलियों को खत्म करने के लिए **डिजिटल इंडिया** , **JAM ट्रिनिटी** और **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)** जैसे सुधारों को मजबूत किया गया ।
जवाबदेही	ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव शिकायत निवारण सिस्टम (जैसे, CPGRAMS) बनाता है।
नैतिक वैधता	यह सिर्फ़ कानूनी अधिकार के बजाय दया और सहानुभूति के नज़रिए से राज्य की शक्ति को सही ठहराता है।
समावेशी विकास	यह पक्का करके कि विकास का फ़ायदा "हाशिए पर पड़े भगवान" यानी गरीब और कमज़ोर लोगों तक पहुँचे, **विकसित भारत 2047 विज़न को** सपोर्ट करता है।

निष्कर्ष

'नागरिकदेवो भव' भारतीय प्रशासन में एक बड़ा बदलाव दिखाता है—एक शासक और प्रजा की "कॉलोनियल सोच" से एक सेवक और देवता की "डेमोक्रेटिक सोच" की ओर बढ़ना। नागरिक को सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर मानकर, सरकार का मकसद भारतीय राज्य के चरित्र को एक ज़्यादा दयालु, कुशल और इज्ज़तदार संस्था में बदलना है।

भारत में जजों के खिलाफ शिकायतें

प्रसंग

फरवरी 2026 में , केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया कि **भारत के चीफ जस्टिस (CJI) के ऑफिस को 2016 और 2025 के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें** मिलीं । इस खुलासे ने ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी और "इन-हाउस प्रोसीजर" की ट्रांसपेरेंसी पर देश भर में बहस फिर से शुरू कर दी है।

समाचार के बारे में

शिकायतों की प्रकृति:

भ्रष्टाचार , **यौन दुर्व्यवहार** , **अधिकार का गलत इस्तेमाल** , या **गंभीर गड़बड़ी** के आरोप शामिल होते हैं । न्यायिक फैसले (जजमेंट) के गुण-दोष से जुड़ी शिकायतों को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें अपील के ज़रिए चुनौती दी जानी चाहिए।

मुख्य डेटा और रुझान (2016–2025):

- **कुल संख्या:** 8,630 फॉर्मल शिकायतें।
- **शीर्ष वर्ष:** हाल के वर्षों (2023-2025) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, 2024 में **शिकायतों की संख्या 1,170 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई** ।
- **रूटिंग:** ज़्यादातर केस सीधे CJI को भेजे जाते हैं, लेकिन अब कई केस **CPGRAMS** (सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) के ज़रिए फाइल किए जा रहे हैं और फिर ज्यूडिशियरी को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं।

कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारतीय न्यायपालिका जवाबदेही के लिए दो-लेवल का तरीका अपनाती है, जिसमें "मामूली गलत काम" और "साबित गलत काम" के बीच फ़र्क किया जाता है।

तंत्र	**रूपरेखा**	**उद्देश्य**
इन-हाउस प्रक्रिया (1999)	सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित (*सी. रविचंद्रन अय्यर केस*)	हटाने की लिमिट से नीचे के गलत कामों को ठीक करता है।
संवैधानिक निष्कासन	**अनुच्छेद 124(4) और 217** + **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968**	संसद से जुड़े "साबित गलत व्यवहार या अक्षमता" के लिए।

आंतरिक प्रक्रिया

क्योंकि सरकार का हायर ज्यूडिशियरी पर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल नहीं है, इसलिए SC ने 1999 में एक इंटरनल मैकेनिज्म अपनाया:

1. **शुरुआती जांच:** CJI (या HC चीफ जस्टिस) जांच करते हैं कि शिकायत बेकार है या नहीं।
2. **फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी:** अगर मामला गंभीर हो, तो जांच के लिए जजों की 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई जाती है।
3. **कार्रवाई:** * अगर नाबालिग है: जज को चेतावनी दी जाती है।
    - अगर मामला गंभीर है: CJI जज को **इस्तीफा देने** या **वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं** ।
    - अगर जज मना कर दें: CJI **न्यायिक काम वापस ले सकते हैं** और संसद से इंपीचमेंट शुरू करने की सिफारिश कर सकते हैं।

RACE IAS

प्रमुख चुनौतियाँ

- **ट्रांसपेरेंसी की कमी:** "इन-हाउस" प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है। आम लोगों और शिकायत करने वालों को अक्सर नतीजों या की गई खास कार्रवाई के बारे में पता नहीं होता।
- **शक्तियों का बंटवारा:** एग्जीक्यूटिव इन शिकायतों में दखल नहीं दे सकता, जिससे "जज जजों को जज कर रहे हैं" वाली स्थिति बन जाती है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इसमें स्वतंत्र निगरानी की कमी है।
- **पेंडेंसी:** इन-हाउस जांच पूरी करने के लिए कोई तय टाइमलाइन नहीं है, जिससे जज और शिकायत करने वाले दोनों के लिए लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी: एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क (जैसे लैप्स हो चुका** *ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी बिल)* को फिर से शुरू करने की मांग बढ़ रही है, जो बाहरी जांच के साथ आज़ादी को बैलेंस करता हो।
- **रिपोर्ट का पब्लिकेशन:** इन-हाउस कमेटियों के नतीजों को पब्लिक करने (प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए) से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है।
- **एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाना:** न्यायिक शिकायतों को संभालने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाने से प्रोसेस आसान होगा और CJI के ऑफिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम होगा।

निष्कर्ष

हालांकि शिकायतों की बढ़ती संख्या लोगों में बढ़ती जागरूकता और फाइलिंग में आसानी को दिखाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नतीजे की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" बनाए रखना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि न्यायिक स्वतंत्रता जवाबदेही के खिलाफ ढाल न बन जाए।

विमुक्त जनजातियाँ (DNTs)

प्रसंग

फरवरी 2026 में, "टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट" सेक्शन में एक खास फीचर में **डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स (DNTs) की चल रही मांगों पर ज़ोर दिया गया था** । ये समुदाय दशकों से चले आ रहे सिस्टेमैटिक हाशिए पर रहने को दूर करने के लिए एक अलग सेंसस क्लासिफिकेशन और साफ कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान की अपनी मांग तेज़ कर रहे हैं।

समाचार के बारे में

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871:** ब्रिटिश राज के दौरान, 200 से ज़्यादा समुदायों को खानदानी अपराधी के तौर पर "नोटिफ़ाई" किया गया था।
- **रद्द करना (1952):** आज़ादी के बाद, भारत सरकार ने इस एक्ट को रद्द कर दिया, और इन जनजातियों को "डीनोटिफ़ाई" कर दिया। लेकिन, उनकी जगह **हैबिचुअल ऑफ़ेंडर्स एक्ट ने ले ली** , जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक बदनामी और पुलिस की परेशानी का सिलसिला जारी रहा।

मुख्य मांगें:

- **अलग सेंसस कैटेगरी:** अभी का डेटा SC, ST और OBC कैटेगरी में बंटा हुआ है, जिससे वेलफेयर स्कीम को असरदार तरीके से टारगेट करना मुश्किल हो जाता है।
- **संवैधानिक स्थिति:** उनकी खास सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक खास संवैधानिक ढांचा।

प्रमुख आयोग और रूपरेखाएँ

हालांकि यह देश में बार-बार होने वाली चर्चा का विषय है, लेकिन DNT मुद्दे को समझने के लिए ये बातें अहम हैं:

- **रेनके कमीशन (2008) :** यह पहला कमीशन था जिसने बताया कि लगभग 90% DNTs के पास जाति सर्टिफिकेट या राशन कार्ड जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसने सिफारिश की कि DNTs को SC/STs जैसे ही फायदे दिए जाएं।
- **इडेट कमीशन (2015):** DNTs के लिए एक परमानेंट कमीशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और इन ग्रुप्स को डिफाइन करने और उनकी सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सुझाव दिया।
- **DWBDNC: डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए** डेवलपमेंट **और वेलफेयर बोर्ड** 2019 में **SEED (DNTs के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए स्कीम) जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स की देखरेख के लिए बनाया गया था** ।

चुनौतियां

- **"अदृश्य" आबादी:** अपने खानाबदोश स्वभाव के कारण, कई DNTs लोकल वोटर लिस्ट या जनगणना डेटा में शामिल नहीं हैं, जिससे "नागरिकता का अंतर" पैदा होता है।
- **समाज में बदनामी:** 70 से ज़्यादा सालों से "डीनोटिफ़ाइड" होने के बावजूद, इन समुदायों को अक्सर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और समाज की तरफ़ से "संभावित अपराध" का सामना करना पड़ता है।
- **ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन:** कई DNTs एक राज्य में OBC में आते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में SC या ST में, जिससे फ़ायदों का एक "पैचवर्क" बन जाता है जिसे समझना मुश्किल होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

RACE IAS

- **पूरी गिनती:** 2026 की जनगणना (या उसके बाद के सर्वे) में DNTs के लिए एक खास सब-कैटेगरी शामिल होनी चाहिए ताकि उनकी असली आबादी और ज़रूरतों का पता लगाया जा सके।
- **कानूनी सुधार:** "आदतन अपराधी" वाली सोच को बदलकर, सुधार वाले न्याय और सामाजिक एकता पर ध्यान देना।
- **स्किल डेवलपमेंट:** SEED स्कीम को मॉडर्न वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करना, साथ ही पारंपरिक खानाबदोश स्किल्स (जैसे, कारीगरी, पशुपालन) का सम्मान करना।

निष्कर्ष

"क्रिमिनल ट्राइब्स" से "डीनोटिफाइड ट्राइब्स" बनना एक कानूनी कदम था, लेकिन "इक्वल सिटिज़न्स" बनना अभी अधूरा है। रेनके और इदाते कमीशन की मांगों को पूरा करना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि ये "भूले हुए" समुदाय भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो सकें।

कॉपर क्रंच

प्रसंग

कॉपर की कीमतें "स्ट्रक्चरल बुल फेज़" में आ गई हैं, जो **$13,000 प्रति टन के करीब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं** । सप्लाई में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद, मार्केट एक बड़ी कमी से जूझ रहा है। **इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने** हाल ही में चेतावनी दी थी कि कॉपर ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन और बढ़ते AI सेक्टर के लिए एक स्ट्रेटेजिक "चोक-पॉइंट" बन रहा है।

मांग में उछाल क्यों?

- **इलेक्ट्रिफिकेशन इंजन:** कॉपर अपनी बेजोड़ कंडक्टिविटी के कारण ग्रीन इकॉनमी का "ब्लडस्ट्रीम" है।
- **इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंटेंसिटी:** एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लगभग **80kg** कॉपर की ज़रूरत होती है, जो एक ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) कार से लगभग **4 गुना ज़्यादा है।**
- **"AI मल्टीप्लायर":** एक AI डेटा सेंटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हाई-कैपेसिटी वायरिंग और स्पेशल कूलिंग सिस्टम के लिए **28–30 टन कॉपर इस्तेमाल कर सकता है।**
- **सप्लाई-डिमांड का अंतर: एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि** अगर नए माइनिंग इन्वेस्टमेंट में तेज़ी नहीं आई, तो 2030 तक प्राइमरी सप्लाई में **8 मिलियन से 10 मिलियन टन की कमी आ सकती है।**

कॉपर साइंस: स्ट्रेटेजिक मेटल

- **गुण:**
  - **कंडक्टिविटी:** चांदी के बाद दूसरा, जो इसे बड़े ग्रिड के लिए सबसे सस्ता कंडक्टर बनाता है।
  - **टिकाऊपन:** लचीला, लचीला, और जंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी।
  - **इनफिनिट रीसायकलेबिलिटी:** इसकी इलेक्ट्रिकल या थर्मल प्रॉपर्टीज़ को खोए बिना इसे बार-बार रीसायकल किया जा सकता है।
- **"ओर ग्रेड" चैलेंज:** दुनिया भर में एवरेज ओर ग्रेड कम हो रहे हैं (अब अक्सर **<0.6%) । सिर्फ़ 1 टन कॉपर** बनाने के लिए , माइनर्स को लगभग **500 टन रॉक प्रोसेस करना पड़ता है** , जो एक बहुत बड़ा एनर्जी और लॉजिस्टिक काम है।
- **सामान्य अयस्क: चाल्कोपाइराइट** (सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सल्फाइड अयस्क), चाल्कोसाइट और बोर्नाइट।

वैश्विक और भारतीय भंडार

वैश्विक भूगोल:

- **चिली:** दुनिया का सबसे बड़ा रिज़र्व (**190M टन**) इसके पास है और यह सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, खासकर एंडीज़ के **पोर्फिरी कॉपर** डिपॉज़िट से।
- **प्रमुख खिलाड़ी:** पेरू (**100M टन**), ऑस्ट्रेलिया (**100M टन**), और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (उच्च श्रेणी के भंडार में उभरता हुआ नेता)।

भारतीय भूगोल:

- **सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य:**
  - **मध्य प्रदेश:** मुख्य उत्पादक (मलंजखंड)।
  - **राजस्थान:** महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आधुनिक उत्पादन (खेतड़ी)।
  - **झारखंड:** सिंहभूम बेल्ट में प्रमुख भंडार।
- **प्रमुख खदानें:**
  - **मलांजखंड (MP):** भारत की सबसे बड़ी ओपन-पिट कॉपर माइन।
  - **खेतड़ी (राजस्थान):** हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) द्वारा मैनेज किया जाता है।
  - **सिंहभूम (झारखंड):** घाटशिला स्मेल्टर का घर।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **इम्पोर्ट पर निर्भरता:** भारत अभी अपनी रिफाइंड कॉपर की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है, खासकर स्टरलाइट के तूतीकोरिन स्मेल्टर (जो कभी 36% डिमांड पूरी करता था) जैसे बड़े प्लांट के बंद होने के बाद।
- **AI और ग्रिड पर दबाव:** इकोनॉमिक सर्वे 2026 में बताया गया है कि 1 GW विंड टर्बाइन के लिए **2,866 टन** कॉपर की ज़रूरत होती है, जिससे बड़े पैमाने पर "पिट-टू-प्रोडक्ट" घरेलू क्षमता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।
- **सर्कुलर इकॉनमी: कॉपर स्क्रैप रीसाइक्लिंग को बढ़ाने से 2030 तक दुनिया भर की डिमांड का 40%** तक पूरा हो सकता है , जिससे प्राइमरी माइनिंग का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम हो जाएगा।

निष्कर्ष

"कॉपर क्रंच" का मतलब है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन अब सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं है, बल्कि मिनरल रेस भी है। भारत के लिए, घरेलू माइनिंग बढ़ाने और इंटरनेशनल "ऑफ-टेक" एग्रीमेंट के ज़रिए कॉपर की स्टेबल सप्लाई पक्का करना, "कमोडिटी सीलिंग" तक पहुँचे बिना $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है।

ग्रीन स्टील की ओर बदलाव: भारत का डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप

प्रसंग

2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन पाने के भारत के कमिटमेंट के साथ तालमेल बिठाने के लिए , स्टील सेक्टर, जो "कठिन-से-कम" होने वाली इंडस्ट्रीज़ में से एक है, एक बड़े बदलाव से गुज़र रहा है। सरकार ने **ग्रीन स्टील पर अपना फ़ोकस तेज़ कर दिया है** ताकि यह पक्का किया जा सके कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्लाइमेट टारगेट को पटरी से न उतारे और साथ ही उभरते ग्लोबल कार्बन टैक्स से एक्सपोर्ट को बचाया जा सके।

स्टील पर फोकस क्यों?

- **एमिशन का बड़ा देश:** स्टील सेक्टर भारत में CO_2 का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सोर्स है, जो देश के कुल एमिशन में लगभग **12% का हिस्सा है।**
- **वैश्विक प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर, इस्पात उत्पादन उत्सर्जन का **8-10% हिस्सा है।**
- **तीव्रता:** पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस तरीके (BF-BOF) कार्बन-हैवी रहते हैं, जो हर 1 टन स्टील के प्रोडक्शन पर लगभग **1.5 से 3 टन CO_2 पैदा करते हैं।**

ग्रीन स्टील को परिभाषित करना

ग्रीन स्टील का मतलब है वह स्टील जो काफी कम या लगभग ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ बनाया जाता है।

- **प्रौद्योगिकियाँ: ग्रीन हाइड्रोजन** (H_2-DRI) का उपयोग , इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) को बिजली देने के लिए **नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन), और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS)** ।
- **भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी (दुनिया में पहली):**
  - **थ्रेशहोल्ड:** स्टील "ग्रीन" तभी माना जाएगा जब एमिशन इंटेंसिटी **2.2 t-CO2e/tfs** (तैयार स्टील के प्रति टन CO_2 के बराबर टन) से कम हो।
  - **स्टार रेटिंग सिस्टम:**
    - **5-स्टार:** तीव्रता **< 1.6** t-CO2e/tfs.
    - **4-स्टार:** तीव्रता **1.6 – 2.0** t-CO2e/tfs.
    - **3-स्टार:** तीव्रता **2.0 – 2.2** t-CO2e/tfs.
  - **नोडल एजेंसी:** नेशनल **इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST)** मेज़रमेंट और सर्टिफ़िकेशन का काम संभालती है।

संक्रमण के लिए प्रेरक कारक

- **EU का CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म): 1 जनवरी, 2026** से , EU ने इंपोर्ट पर कार्बन कॉस्ट लागू करना शुरू कर दिया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इन टैक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कीमतों में **15–22% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है** , जिससे मार्केट एक्सेस के लिए लो-कार्बन स्टील में बदलाव एक ज़रूरी शर्त बन जाएगा।
- **एनर्जी सिक्योरिटी:** भारत हर साल **50 मिलियन टन से ज़्यादा कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है** । हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ़ बढ़ने से अस्थिर ग्लोबल फ़ॉसिल फ़्यूल मार्केट पर निर्भरता कम होती है।
- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** 2030 तक हाइड्रोजन-बेस्ड स्टीलमेकिंग को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए पायलट स्टील प्रोजेक्ट्स के लिए खास **₹455 करोड़ के खर्च के साथ एक स्ट्रेटेजिक पुश।**

चुनौतियां

- **ग्रीन प्रीमियम:** महंगे इलेक्ट्रोलाइज़र और हाइड्रोजन की वजह से ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट अभी पारंपरिक तरीकों से **30% से 54% ज़्यादा है।**
- **स्क्रैप क्वालिटी:** इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) में बदलने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले स्टील स्क्रैप की ज़रूरत होती है, जिसकी अभी देश में कमी है और अक्सर यह गंदगी से मिला होता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन पाइपलाइन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (GPP):** सरकार का लक्ष्य है कि **FY28 से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (रेलवे, NHAI) के लिए कम से कम कुछ प्रतिशत सर्टिफाइड ग्रीन स्टील खरीदें** ।
- **डिमांड एग्रीगेशन: "उजाला LED मॉडल" को फॉलो करते हुए, सरकारी टेंडर के ज़रिए डिमांड एग्रीगेट करने से** तीन साल के अंदर ग्रीन स्टील की कीमतें लगभग **15–20% तक कम हो सकती हैं।**
- **मार्केट डाइवर्सिफिकेशन:** बदलाव के दौरान, एक्सपोर्टर तुरंत लगने वाले "CBAM शॉक" को कम करने के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कम कड़े मार्केट की ओर देख रहे हैं।

निष्कर्ष

ग्रीन स्टील अब सिर्फ़ पर्यावरण के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक **रणनीतिक आर्थिक ज़रूरत है** । नई ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फ़ायदा उठाकर, भारत का लक्ष्य कम कार्बन वाली मैन्युफ़ैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनना

RACE IAS

है, और यह पक्का करना है कि "विकसित भारत 2047" एक टिकाऊ नींव पर बने।

ग्रेट निकोबार परियोजना

प्रसंग

हाल की घटनाओं में, **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने** ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस दे दी है। ट्रिब्यूनल ने यह नतीजा निकाला कि मुख्य एनवायरनमेंटल चुनौतियों को कम करने के प्लान के ज़रिए सुलझा लिया गया है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रोजेक्ट भारत की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक "ज़रूरी ज़रूरत" है।

समाचार के बारे में

प्रोजेक्ट ओवरव्यू:

- **जगह:** ग्रेट निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड ग्रुप का सबसे दक्षिणी आइलैंड।
- **इन्वेस्टमेंट:** अनुमानित **₹92,000 करोड़** (शुरुआती ₹72,000 करोड़ से बढ़ाकर)।
- **मुख्य घटक:**
    - **इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT):** ग्लोबल ट्रेड को आसान बनाने के लिए एक डीप-सी पोर्ट।
    - **इंटरनेशनल एयरपोर्ट:** सिविलियन और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।
    - **गैस और सोलर पावर प्लांट:** द्वीप के लिए एनर्जी में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
    - **टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट:** वर्कफोर्स और सिक्योरिटी कर्मचारियों को सपोर्ट करने के लिए एक अर्बन इकोसिस्टम बनाना।

भौगोलिक और रणनीतिक ढांचा

- **अंडमान बनाम निकोबार:** अंडमान समूह उत्तर में स्थित है, जबकि निकोबार समूह दक्षिण में स्थित है।
- **10 डिग्री चैनल:** यह खास लैटीट्यूड अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स से अलग करता है।
- **इंदिरा पॉइंट:** ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित, यह भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है।

सामरिक महत्व:

- **मलक्का स्ट्रेट से नज़दीकी:** यह आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी एंट्रेंस के पास है, जो हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक मुख्य समुद्री चोकपॉइंट है।
- **जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग:** यह भारत की "एक्ट ईस्ट" पॉलिसी को बढ़ाता है और बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के कोको आइलैंड्स में विदेशी नेवी की बढ़ती मौजूदगी (खासकर चीन) के लिए एक ज़रूरी काउंटरवेट का काम करता है।

पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ

पारिस्थितिक जोखिम:

- **बायोडायवर्सिटी का नुकसान:** अंडमान सागर में पुराने रेनफॉरेस्ट के डायवर्जन और **कोरल रीफ को नुकसान को लेकर चिंता।**
- **खतरे में पड़े जीव-जंतु: गैलाथिया खाड़ी में लेदरबैक कछुओं** के घोंसले बनाने की जगहों के खत्म होने का खतरा और **निकोबार मेगापोड** (एक दुर्लभ टीला बनाने वाला पक्षी) के लिए खतरा।

जनजातीय अधिकार:

- **PVTG विस्थापन:** आलोचक **शोम्पेन** जनजाति (एक खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूह) और **निकोबारी** समुदायों पर पड़ने वाले असर को हाईलाइट करते हैं, उन्हें पारंपरिक शिकारगाहों और सांस्कृतिक पहचान के खत्म होने का डर है।

NGT की टिप्पणियां:

- **कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) के** नियमों का उल्लंघन नहीं करता है ।
- **कोरल को फिर से बनाने** और कछुओं के लिए नई नेस्टिंग सैंक्चुअरी बनाने के ज़रूरी कदम लागू किए जाने चाहिए।

चुनौतियां

- **भूकंप की कमज़ोरी:** इस इलाके में भूकंप और सुनामी आने का खतरा बहुत ज़्यादा है (जैसा कि 2004 में देखा गया था), जिससे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लंबे समय तक चलने को लेकर चिंता बढ़ गई है।
- **कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन:** आलोचकों का कहना है कि भारत की मुख्य ज़मीन पर पेड़ लगाने से निकोबार आइलैंड्स के अनोखे, पुराने ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की जगह नहीं ली जा सकती।
- **बैलेंसिंग एक्ट:** पर्यावरण कानून के "एहतियाती सिद्धांत" को बनाए रखते हुए "होलिस्टिक डेवलपमेंट" पक्का करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कड़ी मॉनिटरिंग:** रियल-टाइम में एनवायरनमेंटल सेफ़्टी मेज़र्स को लागू करने पर नज़र रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएं।
- **सबको साथ लेकर चलने वाला शासन:** यह पक्का करें कि शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों से लगातार सलाह ली जाए, ताकि बिना मर्ज़ी के लोगों को हटाने या रोज़ी-रोटी के नुकसान को रोका जा सके।
- **टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन:** पोर्ट और टाउनशिप के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इको-फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
- **स्ट्रेटेजिक सिनर्जी:** ₹92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को भारत के बड़े मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ अलाइन करें।

RACE IAS

निष्कर्ष
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समुद्री रणनीति और आर्थिक कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। हालांकि NGT की मंज़ूरी कानूनी हरी झंडी देती है, लेकिन प्रोजेक्ट की सफलता भारत की इस काबिलियत पर निर्भर करती है कि वह यह साबित कर सके कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ दुनिया की सबसे नाजुक इकोलॉजिकल और आदिवासी सीमाओं में से एक के बचाव के साथ-साथ हो सकती है।

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (ISS)

प्रसंग
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के बाद इंडियन साइंटिफिक सर्विस (ISS) के प्रपोज़ल को काफ़ी तेज़ी मिली है । जैसे-जैसे भारत "डीप-टेक" और AI-फर्स्ट गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है, **एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप की हाई-लेवल मीटिंग्स** ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि तेज़ी से मुश्किल होते टेक्निकल पॉलिसी फ़ैसलों को संभालने के लिए एक स्पेशल कैडर की तुरंत ज़रूरत है।

इंडियन साइंटिफिक सर्विस (ISS) क्या है?
ISS को साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट का एक **परमानेंट, ऑल-इंडिया स्पेशलाइज़्ड कैडर माना जाता है** । जनरल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) के उलट, ISS में ये काम होंगे:

- **डायरेक्ट इंटीग्रेशन:** साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ को सीधे मिनिस्ट्रीज़ के फैसले लेने वाले सिस्टम में शामिल करें।
- **स्पेशलाइज़्ड सर्विस रूल्स:** ऐसे नियमों के तहत काम करें जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रैलिटी के बजाय **साइंटिफिक इंटीग्रिटी** और पीयर रिव्यू को प्रायोरिटी देते हैं।
- **मॉडर्न करियर पाथ:** रिसर्चर्स को कॉलोनियल ज़माने के ब्यूरोक्रेटिक नियमों (CCS कंडक्ट रूल्स 1964) की रुकावटों के बिना पॉलिसी पर असर डालने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता देना।

भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख रुझान

- **ग्लोबल इनोवेशन: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025** में भारत **38वें स्थान पर पहुंच गया है** , जो पिछले 15 सालों से निम्न-मध्यम आय वाले देशों में सबसे आगे है।
- **R&D खर्च:** तरक्की के बावजूद, भारत का R&D पर ग्रॉस खर्च (GERD) **GDP के 0.64% पर स्थिर है** , जो US (3.48%) और साउथ कोरिया (4.91%) से पीछे है।
- **पेटेंट ग्रोथ:** 2020 और 2025 के बीच एप्लीकेशन लगभग दोगुने हो गए; भारत अब **दुनिया भर में 6th रैंक पर है** ।
- **मिशन मोड: नेशनल क्वांटम मिशन** (₹6,003 करोड़) और **इंडियाAI मिशन** का ऑपरेशनलाइज़ेशन, सर्विसेज़ से हाई-एंड हार्डवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) क्रिएशन की ओर एक बदलाव दिखाता है।

एक समर्पित ISS की आवश्यकता

- **मॉडर्न गवर्नेंस की मुश्किल:** जनरलिस्ट के पास अक्सर बायोटेक्नोलॉजी या AI जैसे फील्ड को रेगुलेट करने के लिए टेक्निकल गहराई की कमी होती है।
  - *उदाहरण:* **डिजिटल इंडिया एक्ट 2025** का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एल्गोरिदमिक बायस की बारीक समझ की ज़रूरत थी।
- **"मौत की घाटी" को पाटना:** भारत लैब रिसर्च (TRL 1-3) को मार्केट-रेडी प्रोडक्ट्स (TRL 7-9) तक ले जाने में संघर्ष कर रहा है। **ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए खास निगरानी की ज़रूरत है** ।
- **साइंटिफिक ईमानदारी:** अभी, साइंटिस्ट को ऑफिशियल पॉलिसी के उलट सबूत पेश करने पर सज़ा दी जा सकती है। एक ISS "सत्ता से सच बोलने" के लिए कानूनी सुरक्षा देगा।
  - *उदाहरण:* हिमालय के इकोलॉजिकल संकट के दौरान पर्यावरण की चेतावनियों को डॉक्यूमेंट करने में अक्सर ब्यूरोक्रेटिक विरोध का सामना करना पड़ता है।
- **साइंटिस्ट-डिप्लोमैट:** ग्लोबल सप्लाई चेन (जैसे, सेमीकंडक्टर) पर बातचीत करने के लिए ऐसे नेगोशिएटर की ज़रूरत होती है जो **लिथोग्राफी और मटीरियल साइंस को** बारीक लेवल पर समझते हों।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **जनरलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट टकराव:** सीनियरिटी और अथॉरिटी को लेकर IAS और ISS अधिकारियों के बीच संभावित "टर्फ वॉर"।
- **लैटरल एंट्री रेजिस्टेंस:** मिड-करियर एक्सपर्ट्स को लाने के खिलाफ ट्रेडिशनल सर्विसेज़ से सिस्टेमैटिक पुशबैक।
- **सैलरी पैरिटी:** सरकारी पे स्केल के सख्त होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर या सिलिकॉन वैली से टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने में मुश्किल होती है।
- **बाउंड्री की परिभाषा:** बैलेंस बनाना जहाँ पूरी तरह से साइंटिफिक सलाह खत्म होती है और पॉलिटिकल/इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **पायलट कैडर: इंडियन एनवायर्नमेंटल एंड इकोलॉजिकल सर्विस** और **इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस की** स्थापना से शुरुआत करें ।
2. **स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन:** कानूनी तौर पर यह ज़रूरी करें कि साइंटिफिक असेसमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हों, भले ही फाइनल पॉलिसी अलग हो।

RACE IAS

3. **डायनामिक पे:** ग्लोबल टेक कंपनियों के पास "ब्रेन ड्रेन" को रोकने के लिए परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव लागू करें।
4. **जॉइंट ट्रेनिंग: IAS और ISS अधिकारियों के लिए LBSNAA (मसूरी)** में मिलकर सेशन करना ताकि "पूरी सरकार" वाला नज़रिया अपनाया जा सके।

निष्कर्ष

ISS का बनना, भारत के एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव देश से एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी से चलने वाली ताकत बनने का आखिरी कदम है। एक्सपर्टीज़ को इंस्टीट्यूशनल बनाकर, भारत यह पक्का कर सकता है कि उसकी पॉलिसी न सिर्फ़ एफिशिएंट हों, बल्कि **साइंटिफिकली सही और फ्यूचर-प्रूफ़ हों।**

क्रिएटिव इंडस्ट्रीज

प्रसंग

भारत के **यूनियन बजट 2026-27** और **इकोनॉमिक सर्वे 2025-26** ने ऑफिशियली "ऑरेंज इकॉनमी" को इकोनॉमिक ग्रोथ के अगले फेज़ के लिए एक प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर चुना है। 2030 तक AVGC (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) सेक्टर में **2 मिलियन प्रोफेशनल्स की अनुमानित ज़रूरत को देखते हुए** , सरकार ने "रेडी-टू-क्रिएट" वर्कफोर्स बनाने के लिए स्कूलों में **15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब्स के बड़े रोलआउट की घोषणा की है।**

ऑरेंज इकॉनमी क्या है?

ऑरेंज इकॉनमी शब्द का मतलब एक सोशियो-इकोनॉमिक इकोसिस्टम से है, जहाँ **क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP)** से वैल्यू बनती है ।

- **कन्वर्जेंस:** यह पारंपरिक विरासत (हैंडीक्राफ्ट, त्योहार) और लेटेस्ट डिजिटल इंडस्ट्रीज़ (VFX, गेमिंग, OTT) के बीच की दूरी को कम करता है।
- **सिंबॉलिज़्म:** ऑरेंज रंग ट्रेडिशनली दुनिया के कई इलाकों में कल्चर और क्रिएटिविटी से जुड़ा है, जो "इमेजिनेशन का कमोडिटीकरण" दिखाता है।

भारत की क्रिएटिव इकॉनमी पर मुख्य आँकड़े (2024-26)

- **मार्केट वैल्यूएशन:** मीडिया और एंटरटेनमेंट (M&E) सेक्टर 2024 में **₹2.5 ट्रिलियन ($30 बिलियन) तक पहुंच गया और 2027 तक ₹3.06 ट्रिलियन** तक पहुंचने की राह पर है ।
- **रोज़गार: 10 मिलियन** से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है । खास बात यह है कि क्रिएटिव रोल में, दूसरे नॉन-क्रिएटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के मुकाबले लगभग **88% ज़्यादा सैलरी मिलती है।**
- **एक्सपोर्ट में उछाल:** क्रिएटिव सर्विसेज़ एक्सपोर्ट (VFX और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सहित) 2023 में **20% बढ़ा** , जिससे भारत की पूरी तरह से IT-बेस्ड सर्विसेज़ पर निर्भरता कम हुई।
- **गेमिंग पावरहाउस:** भारत में अब लगभग **500 मिलियन गेमर्स हैं** , जो इसे दुनिया भर में यूज़र बेस के हिसाब से सबसे बड़े गेमिंग मार्केट में से एक बनाता है।

क्रिएटिव सेक्टर का मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट

- **बहुत ज़्यादा नौकरियां:** AVGC **-XR** (एक्सटेंडेड रियलिटी) सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हेवी इंडस्ट्री के उलट, यह पुणे और इंदौर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों से टैलेंट को काम पर रख सकता है, जहाँ एनिमेशन हब तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
- **सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी:** *प्रोजेक्ट K* और *RRR* जैसी सफलताओं ने सिनेमा की जगहों को ग्लोबल टूरिज्म मैग्नेट में बदल दिया है, जिससे भारत की इमेज "बैक-ऑफिस" से "क्रिएटिव फ्रंटलाइन" बन गई है।
- **टेक्नोलॉजी का असर: अनरियल इंजन** (*ब्लैक मिथ: वुकोंग स्टाइल विज़ुअल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला)* जैसे हाई-एंड टूल्स को भारतीय कंपनियां मेडिकल सिमुलेशन और डिफेंस "डिजिटल ट्विन्स" के लिए दोबारा इस्तेमाल कर रही हैं।
- **अर्बन इकोनॉमिक स्टिमुलस: बड़े पैमाने पर होने वाले लाइव इवेंट (जैसे, नवी मुंबई में स्टेडियम कॉन्सर्ट) से** लोकल होटल ऑक्यूपेंसी और ट्रांसपोर्ट डिमांड में तुरंत **40%** तक की बढ़ोतरी होती है ।

प्रमुख सरकारी पहल

- **वेव्स समिट (2025):** "वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट" ने **वेव्स बाज़ार की स्थापना की** , जो एक ऐसा मार्केटप्लेस है जो भारतीय स्क्रिप्ट, म्यूज़िक और एनिमेशन राइट्स के लिए बिलियन-डॉलर की डील्स को आसान बनाता है।
- **IICT मुंबई:** इंडियन **इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ को ₹391 करोड़ के खर्च** से "नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस" के तौर पर डेवलप किया जा रहा है , जो क्रिएटिव एजुकेशन को फॉर्मल बनाने के लिए IITs की तरह होगा।
- **कंटेंट क्रिएटर लैब्स:** बजट 2026-27 में **15,000 सेकेंडरी स्कूलों** में हाई-टेक क्रिएशन पॉड लगाने के लिए **₹250 करोड़ दिए गए** , जिससे स्टूडेंट्स को डिजिटल स्टोरीटेलिंग और 3D मॉडलिंग को कोर सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा सके।
- **क्रिएट इन इंडिया चैलेंज:** यह एक देश भर में होने वाला टैलेंट हंट है, जिसका मकसद गांव के क्रिएटर्स को टोक्यो और मैड्रिड कल्चरल फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- **प्लेटफ़ॉर्म ट्रैप:** क्रिएटर्स ग्लोबल टेक जायंट्स के ओपेक एल्गोरिदम के शिकार हो सकते हैं। अचानक पॉलिसी में

बदलाव से माइक्रो-इन्फ्लुएंसर के **रेवेन्यू में रातों-रात 30% की गिरावट आ सकती है।**

- **IP फाइनेंसिंग गैप:** बैंक अक्सर क्रिएटिव MSMEs को लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास "फिजिकल" कोलैटरल (ज़मीन/मशीनरी) की कमी होती है। डिजिटल कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को अभी तक वैलिड एसेट के तौर पर बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया है।
- **स्किल-इंडस्ट्री का मेल नहीं:** "सॉफ्टवेयर ऑपरेटर" ज़्यादा हैं, लेकिन ओरिजिनल कहानी सुनाने वालों और गेम डिज़ाइनरों की कमी है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत:** CGI रेंडरिंग के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) महंगा बना हुआ है, जिससे छोटे भारतीय स्टूडियो को विदेशी सर्वरों को रेंडरिंग आउटसोर्स करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **IP-बैक्ड लेंडिंग:** RBI और I&B मंत्रालय को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि **कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को** इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए कोलैटरल माना जा सके।
- **सिंगल-विंडो क्लीयरेंस:** प्रस्तावित **लाइव एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट सेल (LEDC) को चालू करना** ताकि एक कॉन्सर्ट के लिए अभी ज़रूरी 10-15 अलग-अलग परमिट खत्म हो जाएं।
- **ओरिजिनल IP पर फोकस:** "सर्विस प्रोवाइडर" (हॉलीवुड के लिए आउटसोर्सिंग) से हटकर ओरिजिनल इंडियन IP के "क्रिएटर" बनें, जिसे दुनिया भर में लाइसेंस दिया जा सके।
- **AI-नेटिव टूल्स:** डबिंग और लोकलाइज़ेशन के लिए घरेलू AI डेवलप करने से भारतीय रीजनल कंटेंट (तमिल, तेलुगु, बंगाली) को मौजूदा लागत के एक हिस्से पर ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

ऑरेंज इकॉनमी भारत के "ज्ञान और कल्पना" की सुपरपावर बनने के बदलाव को दिखाती है। क्रिएटिविटी को सजावटी एक्सेसरी के बजाय एक हार्ड इकोनॉमिक इंजन मानकर, भारत यह पक्का कर रहा है कि उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ग्लोबल **क्रिएटिव डिविडेंड बन जाए** ।

पीएम राहत योजना

प्रसंग

फरवरी 2026 में शुरू की गई **PM RAHAT (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइज़ेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट)** स्कीम एक देशव्यापी पहल है जिसे तुरंत, कैशलेस मेडिकल केयर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़रूरी "गोल्डन ऑवर" के दौरान पैसे की रुकावटों को दूर करके, सरकार का मकसद पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को बहुत कम करना है।

पीएम राहत योजना के बारे में

यह क्या है? PM RAHAT एक **नेशनल कैशलेस इमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्रेमवर्क है जो** एक्सीडेंट के बाद पहले **7 दिनों के लिए हर विक्टिम को ₹1.5 लाख** तक का फाइनेंशियल कवरेज देता है ।

शामिल मुख्य संगठन:

- **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH):** पॉलिसी की निगरानी करता है और **eDAR** (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) प्लेटफॉर्म को मेंटेन करता है।
- **नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA): TMS 2.0** (ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम) के ज़रिए क्लेम प्रोसेसिंग को मैनेज करता है , जिससे हॉस्पिटल में आसानी से तालमेल बना रहता है।

मुख्य उद्देश्य

- **ज़ीरो फ़ैटलिटी गोल:** यह पक्का करना कि किसी की जान सिर्फ़ इसलिए न जाए क्योंकि तुरंत मेडिकल फ़ंड मौजूद नहीं थे।
- **गोल्डन आवर इंटरवेंशन:** एक्सीडेंट के बाद पहले 60 मिनट को प्रायोरिटी देना, जो मेडिकली सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी माना गया है।
- **हॉस्पिटल एश्योरेंस:** हॉस्पिटल को पेमेंट की गारंटी देना ताकि वे पेमेंट की दिक्कतों की वजह से इलाज से मना न करें।

मुख्य विशेषताएं और डिजिटल एकीकरण

- **यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी:** इसमें किसी भी कैटेगरी की सड़क (नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, या लोकल सड़कें) पर सभी पीड़ित (विदेशी नागरिकों सहित) शामिल हैं।
- **स्टेबिलाइज़ेशन विंडो:** * **24 घंटे:** ऐसी चोटों के लिए जो जानलेवा न हों।
  - **48 घंटे:** जानलेवा चोटों के लिए, पुलिस ऑथेंटिकेशन के अधीन।
- **इमरजेंसी सपोर्ट: 112 ERSS हेल्पलाइन** के साथ इंटीग्रेटेड । अच्छे लोग (*राह-वीर*) या आस-पास के लोग 112 डायल करके सबसे पास के तय हॉस्पिटल का पता लगा सकते हैं और एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- **फंडिंग मैकेनिज्म:** पेमेंट **मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड (MVAF) से लिया जाता है** ।
  - इंश्योर्ड गाड़ियों के लिए: इंश्योरेंस कंपनियों से कंट्रीब्यूशन।
  - बिना इंश्योरेंस वाले/हिट एंड रन मामलों के लिए: केंद्र सरकार से बजट में मदद।
- **टाइम-बाउंड पेमेंट: अस्पतालों को** स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ से मंज़ूरी मिलने के **10 दिनों** के अंदर क्लेम सेटलमेंट मिल जाता है ।

योजना का महत्व

- **आर्थिक झटके से बचाव:** यह परिवारों को "बहुत ज़्यादा हेल्थ खर्च" और अचानक मेडिकल संकट के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा उधार लेने से बचाता है।
- **गुड सेमेरिटन सपोर्ट:** *राह-वीरों* को कानूनी या पैसे के नुकसान के डर के बिना मदद करने के लिए मज़बूत बनाना , क्योंकि अब अस्पतालों को बिना पहले से पैसे लिए इलाज करना ज़रूरी है।
- **डेटा-ड्रिवन सेफ्टी: iRAD (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस)** के साथ इंटीग्रेशन, भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए "ब्लैक स्पॉट्स" (एक्सीडेंट-प्रोन एरिया) की पहचान करने में मदद करता है।

चुनौतियां

- **हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट:** यह पक्का करना कि दूर-दराज के इलाकों के प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल हों और स्कीम के रेट लेने को तैयार हों।
- **डिजिटल अपटाइम: यह स्कीम eDAR** और **TMS 2.0** के सिंक्रोनाइज़ेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ; कोई भी प्लेटफ़ॉर्म डाउनटाइम हॉस्पिटल में भर्ती होने में रुकावट डाल सकता है।
- **वेरिफिकेशन टाइमलाइन:** 24–48 घंटों के अंदर ज़रूरी पुलिस ऑथेंटिकेशन के लिए लोकल पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करना होगा ताकि इलाज "बिना रुके" चलता रहे।

निष्कर्ष

"सिटीजन-फर्स्ट" सेफ्टी मॉडल की ओर एक बदलाव है । इमरजेंसी केयर को खास अधिकार के बजाय अधिकार मानकर, यह स्कीम भारत के ट्रॉमा केयर इकोसिस्टम को मजबूत करती है और देश को 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है।

सीबीडीसी-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रसंग

15 फरवरी, 2026 को , केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) लॉन्च किया। यह पायलट "प्रोग्रामेबल मनी" में एक ग्लोबल माइलस्टोन है, जहाँ डिजिटल रुपया (e₹)** का इस्तेमाल खास तौर पर यह पक्का करने के लिए किया जाता है कि खाने की सब्सिडी बिना किसी डायवर्जन या बिचौलियों के सही लाभार्थी तक पहुँचे।

CBDC-आधारित PDS क्या है?

यह एक "पर्पस-बाउंड" डिजिटल करेंसी सिस्टम है। ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक दुकानों से कैश या फिजिकल अनाज लेने के बजाय, बेनिफिशियरी को उनके RBI-इनेबल्ड डिजिटल वॉलेट में **प्रोग्रामेबल डिजिटल फूड कूपन मिलते हैं।**

- **लॉजिक:** ये डिजिटल टोकन **सिर्फ़** कुछ खास चीज़ों (जैसे चावल, गेहूं, या दालें) के लिए ऑथराइज़्ड **फेयर प्राइस शॉप्स (FPS)** या **अनाज ATM पर वैलिड होने के लिए कोड (प्रोग्राम) किए जाते हैं** ।

संगठन और तकनीकी ढांचा

- **नोडल मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (निगरानी) और गृह मंत्रालय।
- **बैंकिंग पार्टनर: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ई-करेंसी जारी करेगा, जबकि **पंजाब नेशनल बैंक (PNB)** पायलट के लिए शुरुआती टेक्निकल डिप्लॉयमेंट को मैनेज करेगा।
- **"अन्नपूर्णा" मशीन (अनाज ATM):**
  - एक "मेड इन गुजरात" इनोवेशन।
  - 99.9% एक्यूरेसी के साथ **25 kg अनाज** दे सकता है ।
  - वज़न करने में इंसानी गलती खत्म होती है और इंतज़ार का समय कम होता है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ

- **बायोमेट्रिक फेलियर को खत्म करना:** आम तौर पर, घिसे हुए फिंगरप्रिंट (जो बुजुर्गों और मज़दूरों में आम है) या खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाते थे। CBDC सिस्टम **QR कोड या SMS-बेस्ड वाउचर का इस्तेमाल करता है** , जिससे ऑफ़लाइन या तुरंत ऑथेंटिकेशन हो जाता है।
- **"हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार":** यह नारा इस बात पर ज़ोर देता है कि केंद्र से भेजा गया हर अनाज नागरिक की थाली तक पहुंचे।
- **मर्चेंट बाइंडिंग:** जमाखोरी रोकने के लिए कूपन एक तय समय में एक्सपायर हो जाते हैं और ये सिर्फ़ ऑथराइज़्ड मर्चेंट तक ही सीमित होते हैं, जिससे सब्सिडी के पैसे का इस्तेमाल गैर-ज़रूरी चीज़ों के लिए नहीं हो पाता।
- **रियल-टाइम सेटलमेंट:** फेयर प्राइस शॉप के मालिकों को उनका कमीशन तुरंत उनके डिजिटल अकाउंट में मिल जाता है, जिससे उनके बिज़नेस की लिक्विडिटी बेहतर होती है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- **डिजिटल लिटरेसी:** हालांकि QR कोड आसान हैं, लेकिन जो लोग स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते, उन्हें शुरुआती दौर में मदद के लिए बहुत सारे "डिजिटल मित्र" (वॉलंटियर) की ज़रूरत होती है।
- **स्मार्टफोन पर निर्भरता:** हालांकि फीचर फोन यूज़र SMS-बेस्ड वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में इसे शुरू करने के लिए दूर-दराज के "एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स" में हाई नेटवर्क रिलायबिलिटी की ज़रूरत होगी।

RACE IAS

- **सिस्टम इंटीग्रेशन: eDAR** (एक्सीडेंट डेटाबेस), **आधार** और **RBI CBDC प्लेटफॉर्म को** सिंक करने के लिए 80 करोड़ बेनिफिशियरी को हैंडल करने के लिए बड़े सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **पूरे देश में रोलआउट:** गांधीनगर पायलट के बाद, यह सिस्टम 2026 के आखिर तक **चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली तक फैल जाएगा।**
- **सबका अपनाना:** सरकार का लक्ष्य अगले **3-4 सालों में पूरे देश को कवर करना है** , जिससे "घोस्ट राशन कार्ड" और फिजिकल लीकेज का दौर खत्म हो जाएगा।
- **पॉलिसी इंटीग्रेशन:** यह सिस्टम फर्टिलाइज़र सब्सिडी या एजुकेशन स्कॉलरशिप जैसे दूसरे "कंडीशनल कैश ट्रांसफर" के लिए एक मॉडल का काम करता है।

निष्कर्ष

CBDC-बेस्ड PDS सिर्फ़ एक पेमेंट सिस्टम से कहीं ज़्यादा है; यह करप्शन के ख़िलाफ़ एक **"डिजिटल सत्याग्रह" है** । पॉलिसी के इरादे को सीधे करेंसी में शामिल करके, भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ वेलफेयर डिलीवरी की गारंटी कोड से होगी, जिससे यह पक्का होगा कि लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को उसका पूरा हक मिले।

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0)

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने **₹10,000 करोड़ के कॉर्पस** के साथ **स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को मंज़ूरी दी। अपने पहले वाले (FFS 1.0) की दस साल की सफलता के आधार पर, यह दूसरा फेज़ खास तौर पर डीप-टेक** और **हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग** के लिए लंबे समय के घरेलू वेंचर कैपिटल को जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जो "विकसित भारत @ 2047" विज़न के साथ है।

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के बारे में

यह क्या है? FoF 2.0 एक सरकारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो सीधे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। इसके बजाय, यह **"फंड ऑफ फंड्स" के तौर पर काम करता है,** जिसका मतलब है कि यह SEBI-रजिस्टर्ड **अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) में इन्वेस्ट करता है** , जो फिर उस कैपिटल को अच्छे भारतीय स्टार्टअप्स में लगाते हैं।

FFS 1.0 से विकास:

- **FFS 1.0 (2016):** बेसिक वेंचर कैपिटल आर्किटेक्चर बनाने पर फोकस किया गया। इसने अपना पूरा ₹10,000 करोड़ का कॉर्पस **145 AIFs को दिया** , जिससे 1,370+ स्टार्टअप्स में कुल **₹25,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ।**
- **FoF 2.0 (2026):** पूरी तरह से "इकोसिस्टम बनाने" से "स्ट्रेटेजिक क्षमता बनाने" की ओर बदलाव, जिसमें ज़्यादा जोखिम वाले, लंबे समय तक चलने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा।

FoF 2.0 की मुख्य विशेषताएं

- **टारगेटेड सेगमेंटेशन: डीप-टेक** (AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर) और **इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग को** प्राथमिकता देता है , जिसके लिए धैर्यवान कैपिटल की ज़रूरत होती है।
- **अर्ली-ग्रोथ सेफ्टी नेट:** इसका मकसद "प्रोटोटाइप" से "प्रोडक्ट-मार्केट फिट" स्टेज में जाने वाले फाउंडर्स के लिए फेलियर रेट को कम करना है।
- **नेशनल रीच:** AIFs को बड़े मेट्रो शहरों (दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई) से आगे बढ़कर Tier-2 और Tier-3 रीजनल क्लस्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है।
- **छोटे AIFs के लिए सपोर्ट:** इसे छोटे, खास फंड्स को सपोर्ट करके घरेलू VC बेस को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस करते हैं।
- **ऑपरेटिंग एजेंसी: DPIIT** की निगरानी में **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा प्रबंधित ।

महत्व और प्रभाव

- **आत्मनिर्भरता:** हार्डवेयर और IP-आधारित स्टार्टअप्स की ओर कैपिटल लगाकर, भारत का लक्ष्य इम्पोर्टेड ज़रूरी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करना है।
- **काउंटर-साइक्लिकल भूमिका:** "फंडिंग विंटर्स" के दौरान घरेलू कैपिटल का एक स्थिर सोर्स देता है, जब विदेशी वेंचर कैपिटल उभरते बाज़ारों से पीछे हट सकता है।
- **जॉब क्रिएशन:** डीप-टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप हाई-क्वालिटी, हाई-पेइंग टेक्निकल जॉब के बड़े ड्राइवर हैं।
- **इकोनॉमिक रेजिलिएंस:** स्टार्टअप नैरेटिव को "सर्विस-बेस्ड ऐप्स" से "ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैंपियंस" में बदलकर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है।

चुनौतियां

- **जेस्टेशन पीरियड:** डीप-टेक ब्रेकथ्रू को कमर्शियलाइज़ होने में अक्सर 7–10 साल लगते हैं; धीमे शुरुआती रिटर्न के बावजूद फंड को "सब्र" बनाए रखना चाहिए।
- **डिप्लॉयमेंट स्पीड:** FoF 2.0 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि SIDBI कितनी जल्दी AIF एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकता है और वे फंड स्टार्टअप तक कितनी तेज़ी से पहुंच सकते हैं।
- **गवर्नेंस:** फंड के ज्योग्राफिकल और सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना।

निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 भारत की एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के मैच्योर होने को दिखाता है। पहले फेज़ ने रास्ता बनाया, लेकिन यह दूसरा फेज़ भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाने की दिशा तय करता है, जहाँ वह सिर्फ़ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स, हाई-इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ में एक ग्लोबल इनोवेटर होगा।

प्राइवेसी बनाम ट्रांसपेरेंसी

प्रसंग

सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट, 2005 और **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023** के बीच एक बड़ा संवैधानिक टकराव सामने आया है । यह टकराव इस बात पर है कि एक नागरिक का जानने का अधिकार कहाँ खत्म होता है और एक व्यक्ति का डिजिटल प्राइवेसी का अधिकार कहाँ से शुरू होता है।

मुख्य संघर्ष

यह तनाव दो अलग-अलग मकसद वाले अहम कानूनों से पैदा होता है:

- **ट्रांसपेरेंसी (RTI):** इसका मकसद नागरिकों को जानकारी तक पहुंच देकर सरकार को जवाबदेह बनाना है।
- **प्राइवेसी (DPDP):** इसका मकसद लोगों के पर्सनल डेटा को बिना इजाज़त के जानकारी या प्रोसेसिंग से बचाना है।

विधायी ढांचा: पहले बनाम बाद में

DPDP एक्ट ने पूरी तरह से बदल दिया है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ पर्सनल डेटा से जुड़ी जानकारी के अनुरोधों को कैसे संभालती हैं।

विशेषता	आरटीआई अधिनियम (मूल धारा 8(1)(जे))	डी.पी.डी.पी. अधिनियम (संशोधित धारा 44(3))
मानक	अगर पर्सनल जानकारी **बड़े पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हो** या पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हो, तो उसे बताने की इजाज़त है।	पब्लिक इंटरेस्ट की परवाह किए बिना पर्सनल जानकारी शेयर करने पर पूरी तरह **रोक है ।**
विवेक	पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIOs) प्राइवेसी और जनता की जानने की ज़रूरत के बीच बैलेंस बना सकते हैं।	अपनी मर्ज़ी की पावर हटा दी गई है; पर्सनल डेटा अब पूरी तरह से छूट है।
जवाबदेही	नागरिक बेनिफिशियरी लिस्ट, सरकारी अधिकारियों की सैलरी और संपत्ति वेरिफाई कर सकते हैं।	सरकारी ऑफिस अब पर्सनल डेटा की सुरक्षा का हवाला देकर इन डिटेल्स को देने से मना कर सकते हैं।

प्रमुख चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **आरटीआई का कमजोर होना: आलोचकों का तर्क है कि डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1**)(जे) में संशोधन करके सरकार ने जांच के खिलाफ एक "कानूनी ढाल" बना लिया है।
- **भ्रष्टाचार का खतरा:** सरकारी भर्ती, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरी (जैसे MGNREGA), और सरकारी अधिकारियों के काम से जुड़ी जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है, जिससे "घोस्ट बेनिफिशियरी" या भाई-भतीजावाद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा।
- **"पर्सनल जानकारी" का बहाना:** सरकारी ऑफिस पर्सनल डेटा की बड़ी परिभाषा का इस्तेमाल करके सही और ज़रूरी जानकारी देने से मना कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है।
- **अदालत का रुख:** सुप्रीम कोर्ट ने (जैसे, *जस्टिस केएस पुट्टास्वामी* केस में) माना कि दोनों अधिकार बुनियादी हैं। हालांकि, DPDP एक्ट में मौजूदा "पूरी तरह" रोक को कई लोग ज़्यादा मानते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **तालमेल:** कानून का मतलब "प्राइवेट" पर्सनल डेटा (घर का पता, मेडिकल रिकॉर्ड) और "पब्लिक" पर्सनल डेटा (प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी के नाम, ऑफिशियल खर्च) के बीच फर्क करना चाहिए।
- **पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड:** DPDP फ्रेमवर्क के अंदर "पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट" को फिर से शुरू करना ताकि यह पक्का हो सके कि सीक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी की बलि न दी जाए।
- **इंडिपेंडेंट ओवरसाइट:** डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और इन्फॉर्मेशन कमीशन को डेटा डिस्क्लोजर से जुड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने के लिए सशक्त बनाना।
- **एनॉनिमाइज़ेशन: पब्लिक अथॉरिटीज़ एनॉनिमाइज़्ड फ़ॉर्मेट** में डेटा देने के लिए टेक्नोलॉजी अपना सकती हैं , जिससे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पूरी होती है और लोगों की पहचान भी सुरक्षित रहती है।

निष्कर्ष

प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस कोई ज़ीरो-सम गेम नहीं है। 21वीं सदी में डिजिटल डेटा की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओपेसिटी का टूल नहीं बनना चाहिए। एक मज़बूत

RACE IAS

डेमोक्रेसी के लिए एक फाइन-ट्यून्ड लीगल सिस्टम की ज़रूरत होती है जो पब्लिक की आँखों को बंद किए बिना इंडिविजुअल डिग्निटी का सम्मान करे।

संसदीय विशेषाधिकार और समिति

प्रसंग

2026 में भारतीय शासन के बदलते माहौल में, **पार्लियामेंट्री प्रिविलेज** कानूनी आज़ादी का आधार बने रहेंगे। ये सुरक्षा यह पक्का करती है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें, और बोलने की आज़ादी की ज़रूरत और सदन की गरिमा के बीच बैलेंस बना सकें।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में क्या रहे हैं?

पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वे ख़ास अधिकार, इम्यूनिटी और छूट हैं जो पार्लियामेंट के हाउस, उनकी कमेटियों और उनके सदस्यों को मिलती हैं। ये लेजिस्लेचर के लिए अपनी अथॉरिटी, आज़ादी और इज्ज़त बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।

संवैधानिक आधार:

- **आर्टिकल 105:** संसद, उसके सदस्यों और कमेटियों के खास अधिकार बताता है।
- **आर्टिकल 194:** राज्य विधानसभाओं के लिए संबंधित विशेषाधिकार बताता है।

विशेषाधिकारों के प्रकार

निजी आज़ादी और सामूहिक अधिकार, दोनों को पक्का करने के लिए खास अधिकारों को मोटे तौर पर दो तरह से बांटा गया है:

- **व्यक्तिगत विशेषाधिकार:**
  - **बोलने की आज़ादी:** हाउस में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए मेंबर्स को किसी भी कोर्ट में ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
  - **गिरफ्तारी से आज़ादी: सिविल मामलों में** सेशन के दौरान और 40 दिन पहले/बाद में गिरफ्तारी से छूट । (ध्यान दें: यह क्रिमिनल मामलों या प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होता है)।
  - **जूरी सर्विस से छूट:** जब पार्लियामेंट चल रहा हो, तो सदस्य गवाह के तौर पर कोर्ट में आने से मना कर सकते हैं।
- **सामूहिक विशेषाधिकार:**
  - **पब्लिश करने का अधिकार:** रिपोर्ट और कार्यवाही पब्लिश करने की शक्ति और दूसरों को ऐसा करने से रोकने का अधिकार।
  - **अजनबियों को बाहर रखने का अधिकार:** सेंसिटिव मामलों पर चर्चा करने के लिए "सीक्रेट सिटिंग" करने की शक्ति।
  - **सज़ा देने की शक्ति:** "विशेषाधिकार के उल्लंघन" या "सदन की अवमानना" के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों, दोनों को सज़ा देने का अधिकार।
  - **अंदरूनी मामलों का रेगुलेशन:** सदन का अपने काम करने के तरीके और कामकाज को रेगुलेट करने का अधिकार।

विशेषाधिकार समिति

प्रिविलेज कमिटी एक **क्वासी-ज्यूडिशियल स्टैंडिंग कमिटी के तौर पर काम करती है** । इसका मुख्य काम "विशेषाधिकार के उल्लंघन" के मामलों की जांच करना और हाउस को सही कार्रवाई की सलाह देना है।

विशेषता	लोकसभा समिति	राज्य सभा समिति
सदस्यता	15 सदस्य	10 सदस्य
द्वारा मनोनीत	वक्ता	अध्यक्ष
समारोह	उल्लंघन की जांच करता है, गवाहों की जांच करता है, और हाउस को रिपोर्ट देता है।	एक जैसे काम; यह पक्का करता है कि अपर हाउस की इज्ज़त बनी रहे।

राज्य विधानसभा: कमेटियों में आम तौर पर **9 से 15 सदस्य होते हैं** , जो विधानसभा के आकार और उसके काम करने के खास नियमों पर निर्भर करता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- **कोडिफिकेशन की कमी:** कई दूसरी डेमोक्रेसी के उलट, भारत ने इन खास अधिकारों को पूरी तरह से कोडिफाई नहीं किया है। वे अभी भी काफी हद तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के उदाहरणों पर आधारित हैं, जैसे वे 26 जनवरी, 1950 को मौजूद थे।
- **फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराव: पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और** नागरिकों और प्रेस के **बोलने की आज़ादी के अधिकार (आर्टिकल 19)** के बीच अक्सर "टकराव" होता है ।
- **साफ़ नहीं:** "हाउस की अवमानना" शब्द की परिभाषा बहुत ज़्यादा है, जिससे राजनीतिक आलोचकों या पत्रकारों के खिलाफ़ इसके गलत इस्तेमाल की चिंता होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कोडिफिकेशन:** कानूनी एक्सपर्ट अक्सर खास अधिकारों को कोडिफाई करने का सुझाव देते हैं ताकि लोगों को साफ़ तौर पर जानकारी मिल सके और वे

नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के साथ ओवरलैप न हों।

- **न्यायिक निगरानी:** हालांकि कोर्ट आम तौर पर अंदरूनी कानूनी कार्रवाई में दखल नहीं देते, लेकिन अगर कोई खास अधिकार "बेसिक स्ट्रक्चर" या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है (जैसा कि *MSM शर्मा* और *केशव सिंह* केस में देखा गया है) तो वे दखल दे सकते हैं।
- **खुद पर काबू:** लेजिस्लेचर को इन शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और सदन की *आलोचना करने वालों को* सज़ा देने के बजाय सदन के *कामकाज को बचाने पर ध्यान देना चाहिए।*

निष्कर्ष

पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब लेजिस्लेटर को "कानून से ऊपर" रखना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि वे बिना किसी डर या पक्षपात के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे-जैसे भारत का डेमोक्रेसी मैच्योर हो रहा है, इन पुरानी सुरक्षाओं को मॉडर्न ट्रांसपेरेंसी के साथ बैलेंस करना एक ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल काम बना हुआ है।

ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)

प्रसंग

ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) खास गेमिंग कॉम्पोनेंट्स से ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरी रीढ़ बन गए हैं। वे अभी **जेनरेटिव AI** , रियल-टाइम इंडस्ट्रियल "डिजिटल ट्विन्स," और बड़े क्लाउड-बेस्ड हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) क्लस्टर्स के मुख्य ड्राइवर हैं।

ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के बारे में

परिभाषा: GPU एक खास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे मेमोरी में तेज़ी से बदलाव करने और उसे बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि डिस्प्ले पर आउटपुट के लिए फ्रेम बफर में इमेज बनने में तेज़ी आए।

- **कोर फिलॉसफी:** जबकि एक **CPU** (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) एक "जनरलिस्ट" है जिसे सीक्वेंशियल लॉजिक और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक **GPU** एक "स्पेशलिस्ट" है जिसे **बड़े पैमाने पर पैरेललिज़्म के लिए डिज़ाइन किया गया है** ।

ओरिजिन: यह शब्द 1999 में Nvidia द्वारा **GeForce 256** के रिलीज़ के साथ पॉपुलर हुआ , यह पहला चिप था जिसने एक ही प्रोसेसर पर ट्रांसफ़ॉर्म, लाइटिंग, ट्रायंगल सेटअप/क्लिपिंग और रेंडरिंग इंजन को इंटीग्रेट किया था।

यह कैसे काम करता है: रेंडरिंग और कंप्यूट पाइपलाइन

GPU एक बड़े टास्क को हज़ारों छोटे, एक साथ होने वाले ऑपरेशन में तोड़कर "शर्मनाक पैरेलल" वर्कलोड को हैंडल करता है:

1. **वर्टेक्स प्रोसेसिंग:** वर्चुअल स्पेस में 3D ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स मैथ का इस्तेमाल करता है।
2. **रैस्टराइज़ेशन:** उन ज्योमेट्रिक शेप्स (आमतौर पर ट्रायंगल) को पिक्सल या "फ़्रैगमेंट्स" के ग्रिड में बदलता है।
3. **शेडिंग:** हज़ारों छोटे कोर का इस्तेमाल करके हर पिक्सेल के लिए रंग, लाइट और शैडो को एक साथ कैलकुलेट करता है।
4. **आउटपुट:** फ़ाइनल फ्रेम **VRAM** (वीडियो RAM) में स्टोर होता है और डिस्प्ले पर भेजा जाता है।

AI पिवट: AI एप्लीकेशन में, GPU विज़ुअल रेंडरिंग स्टेप्स को छोड़ देता है। इसके बजाय, यह अपने कोर को **मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रीपर्पस करता है** , जो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन और चलाने के लिए ज़रूरी बेसिक मैथ है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **पैरेलल आर्किटेक्चर:** मॉडर्न GPU में हज़ारों **CUDA कोर** (Nvidia) या **स्ट्रीम प्रोसेसर** (AMD) होते हैं। डीप लर्निंग मैथ को तेज़ करने के लिए अब खास तौर पर स्पेशलाइज़्ड **टेंसर कोर शामिल किए गए हैं।**
- **हाई मेमोरी बैंडविड्थ: यह GDDR6X** या **HBM3 (हाई बैंडविड्थ मेमोरी)** जैसी अल्ट्रा-फास्ट मेमोरी का इस्तेमाल करता है ताकि डेटा बिना किसी रुकावट के प्रोसेसर तक पहुंच सके।
- **प्रोग्रामेबिलिटी: CUDA** या **OpenCL** जैसे फ्रेमवर्क के ज़रिए , GPU अब सिर्फ़ ग्राफ़िक्स तक ही सीमित नहीं हैं; वे कोई भी मैथमेटिकल काम कर सकते हैं (**GPGPU** - GPU पर जनरल-पर्पस कंप्यूटिंग)।
- **थर्मल और एनर्जी की मांग:** 2026 में हाई-एंड AI GPU (जैसे ब्लैकवेल या रुबिन आर्किटेक्चर) हर चिप पर **1000W से ज़्यादा हो सकते हैं** , जिससे डेटा सेंटर में एडवांस्ड लिक्विड-कूलिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी।

अनुप्रयोग

क्षेत्र	**प्रयोग**
कृत्रिम होशियारी	बड़े भाषा मॉडल (LLM) और रियल-टाइम AI इंफरेंस की ट्रेनिंग।
गेमिंग और मेटावर्स	रियल-टाइम **रे ट्रेसिंग** (लाइट की नकल) और 8K रिज़ॉल्यूशन रेंडरिंग।
वैज्ञानिक अनुसंधान	क्लाइमेट चेंज, दवा की खोज के लिए प्रोटीन फोल्डिंग और एस्ट्रोफिजिक्स को सिमुलेट करना।

औद्योगिक एआई	बनाने से पहले एफिशिएंसी को सिमुलेट करने के लिए पूरी फैक्ट्रियों के "डिजिटल ट्विन्स" बनाना।
ब्लॉकचेन	डीसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क के लिए मुश्किल क्रिप्टोग्राफ़िक हैश चलाना।

चुनौतियां

- **सप्लाई चेन कंसंट्रेशन:** प्रोडक्शन कुछ प्लेयर्स (डिज़ाइन के लिए Nvidia, फैब्रिकेशन के लिए TSMC) पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिससे "GPU की कमी" होती है और सेमीकंडक्टर एक्सेस को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है।
- **बिजली की खपत:** GPU-हैवी डेटा सेंटर का बहुत ज़्यादा एनर्जी फुटप्रिंट ग्लोबल नेट-ज़ीरो सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के लिए एक चुनौती है।
- **सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी:** GPU के लिए कोड लिखना CPU के मुकाबले काफी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए पैरेलल प्रोग्रामिंग की खास जानकारी की ज़रूरत होती है।

निष्कर्ष

GPU चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति का "इंजन" बन गया है। जैसे-जैसे AI मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, GPU कंप्यूट पावर की मांग डिजिटल करेंसी का एक नया रूप बन गई है, जो हर साइंटिफिक और कमर्शियल फील्ड में इनोवेशन की रफ़्तार तय कर रही है।

भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल

प्रसंग

चौथे भारत-यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान , भारत और यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर **भारत-यूके ऑफशोर विंड टास्कफोर्स को लॉन्च किया। इंडिया-यूके विजन 2035 फ्रेमवर्क** के तहत काम करते हुए , टास्कफोर्स का लक्ष्य ऑफशोर विंड सेक्टर में स्ट्रेटेजिक सहयोग और एग्जीक्यूशन में तेजी लाना है।

भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल के बारे में

परिभाषा: एक बाइलेटरल वर्किंग सिस्टम (जिसे यूनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने **"ट्रस्टफोर्स" बताया है**) जिसे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑफशोर विंड एनर्जी को बढ़ाने में UK की ग्लोबल लीडरशिप को इंडिया के बड़े मार्केट स्केल और लंबे समय की रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड के साथ जोड़ता है।

उद्देश्य:

- **डिप्लॉयमेंट में तेज़ी लाएँ:** टाइम-बाउंड वर्कस्ट्रीम और मेज़रेबल माइलस्टोन पाने के लिए सिंबॉलिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ें।
- **इकोसिस्टम बनाना:** ऑफशोर विंड में भारत की **70 GW क्षमता को** सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग को कवर करने वाला एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाना।
- **एनर्जी ट्रांज़िशन:** विज़न 2035 के तहत ग्रिड स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ऑफशोर विंड को एक स्ट्रेटेजिक पिलर के तौर पर रखें।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **स्ट्रेटेजिक लीडरशिप:** दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें **डेनमार्क** (ऑफशोर टेक्नोलॉजी में दुनिया का एक पायनियर) का एक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा।
- **तीन प्राथमिकता वाले स्तंभ:**
  - **इकोसिस्टम प्लानिंग और मार्केट डिज़ाइन:** सीबेड लीज़िंग फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना और भरोसेमंद रेवेन्यू-सरटेन्टी मैकेनिज्म बनाना।
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन:** पोर्ट का मॉडर्नाइज़ेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग (टावर, ब्लेड, केबल), और खास समुद्री जहाजों का डेवलपमेंट।
  - **फाइनेंसिंग और रिस्क कम करना:** लंबे समय के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जुटाना और मिले-जुले फाइनेंस मॉडल का इस्तेमाल करना।
- **पहचाने गए ज़ोन: शुरुआती फ़ोकस गुजरात** (36 GW पोटेंशियल) और **तमिलनाडु** (35 GW पोटेंशियल) के तटों से दूर उम्मीद वाले ज़ोन पर होगा ।
- **फाइनेंशियल सपोर्ट:** शुरुआती प्रोजेक्ट्स का रिस्क कम करने के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा मंज़ूर **₹7,453 करोड़ (~£710 मिलियन) की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम** के साथ इंटीग्रेशन।

रणनीतिक संबंध

- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** उम्मीद है कि ऑफशोर विंड से कोस्टल इंडस्ट्रियल और ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर्स को लगातार, हाई-क्वालिटी रिन्यूएबल पावर मिलेगी।
- **एनर्जी माइलस्टोन्स:** यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने **272 GW** नॉन-फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी (जिसमें 141 GW सोलर और 55 GW विंड शामिल हैं) को पार कर लिया है।
- **ग्रिड स्टेबिलिटी:** सोलर के उलट, ऑफशोर विंड ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन फैक्टर (CUF) देती है, जिससे ग्रिड में उतार-चढ़ाव को मैनेज करने और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद मिलती है।

अपतटीय पवन ऊर्जा में चुनौतियाँ

- **कैपिटल इंटेंसिटी:** मुश्किल सीबेड फाउंडेशन और मरीन लॉजिस्टिक्स की वजह से ऑफशोर प्रोजेक्ट्स,

RACE IAS

ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स के मुकाबले काफी ज़्यादा महंगे होते हैं।

- **टेक्निकल मुश्किल:** इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए खास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और खास जहाज़ों की ज़रूरत होती है।
- **टैरिफ वायबिलिटी:** शुरुआती प्रोजेक्ट्स में जेनरेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसके लिए VGF और आकर्षक पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPA) के ज़रिए सरकारी मदद की ज़रूरत होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एग्ज़िक्यूशन फोकस:** टास्कफ़ोर्स ग्लोबल सबक को "इंडियनाइज़्ड" सॉल्यूशन में बदलने के लिए रेगुलर मीटिंग करेगी।
- **सप्लाई चेन लोकलाइज़ेशन:** इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने और प्रोजेक्ट की लागत कम करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाना।
- **ग्रिड इंटीग्रेशन:** शुरुआती **10 GW** इवैक्युएशन कैपेसिटी (गुजरात और तमिलनाडु दोनों के लिए 5 GW) के लिए ट्रांसमिशन प्लानिंग को मज़बूत करना।

निष्कर्ष

इंडिया-UK ऑफशोर विंड टास्कफोर्स हाई-लेवल बातचीत से **एग्जीक्यूशन-लेवल सहयोग की ओर एक बदलाव दिखाता है**। फाइनेंसिंग और स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स जैसी स्ट्रक्चरल रुकावटों को दूर करके , यह पार्टनरशिप इंडिया के बड़े मैरीटाइम विंड रिसोर्स को अनलॉक करेगी , जिससे देश अपने 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के करीब पहुंच जाएगा।

भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

प्रसंग

फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों **AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने** और **2026 इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए भारत आए** । इस दौरे के दौरान, दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को **"स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" तक बढ़ाया,** जिससे 2047 तक सहयोग के लिए एक पूरा रोडमैप मिला।

समाचार के बारे में

परिभाषा: "स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" एक हाई-लेवल डिप्लोमैटिक अपग्रेड है जो रिश्ते को सेक्टोरल कोऑपरेशन से ग्लोबल स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले लॉन्ग-टर्म अलायंस में बदल रहा है।

मुख्य स्तंभ:

- **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** दोनों देशों के लिए सॉवरेनिटी और स्वतंत्र फैसले लेने को मजबूत करना।
- **ग्लोबल गवर्नेंस:** मैक्रोइकोनॉमिक इम्बैलेंस और क्लाइमेट संकट से निपटने के लिए एक जॉइंट फोर्स के तौर पर काम करना।
- **सिक्योरिटी और इनोवेशन:** AI, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी में को-डेवलपमेंट को गहरा करना और साथ ही मज़बूत सप्लाई चेन को सुरक्षित करना।

ऐतिहासिक विकास:

- **1947:** सॉवरेनिटी के शेयर्ड विज़न पर आधारित डिप्लोमैटिक रिलेशन की स्थापना।
- **1998:** फ्रांस भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाली पहली पश्चिमी ताकत बना, खास तौर पर भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बैन लगाने से मना कर दिया।
- **2008:** NSG से छूट मिलने के बाद फ्रांस भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन करने वाला पहला देश बना।
- **होराइजन 2047:** भारत की आज़ादी के 100वें साल तक रिश्तों को गाइड करने के लिए 2023 में अपनाया गया एक रोडमैप।
- **आपसी सम्मान:** बड़े सम्मान, जिसमें बैस्टिल डे (2023) में PM मोदी का गेस्ट ऑफ़ ऑनर होना और भारत के रिपब्लिक डे (2024) में प्रेसिडेंट मैक्रों का गेस्ट ऑफ़ ऑनर होना शामिल है।

प्रमुख समझौते और रणनीतिक पहल

- **इनोवेशन का साल 2026:** हेल्थकेयर, AI और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हाई-इम्पैक्ट कोलेबोरेशन।
- **डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप:** फाइटर जेट इंजन (**सफ्रान-HAL) के को-प्रोडक्शन और 26 राफेल-मरीन** जेट की खरीद पर फोकस।
- **न्यूक्लियर एनर्जी:** भारत के 100 GW न्यूक्लियर टारगेट को सपोर्ट करने के लिए **छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को** मिलकर डेवलप करने का वादा ।
- **इंडो-पैसिफिक सिनर्जी:** तीसरे देशों में हेल्थ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए त्रिकोणीय सहयोग को मजबूत करना।
- **हेल्थकेयर और AI: AIIMS नई दिल्ली** और **पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट** के बीच जॉइंट रिसर्च सेंटर ।
- **स्पेस ऑटोनॉमी:** ह्यूमन स्पेसफ्लाइट और सैटेलाइट लॉन्चर में **CNES-ISRO पार्टनरशिप को** बढ़ाना ।
- **मोबिलिटी: फ्रेंच एयरपोर्ट पर भारतीयों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रांज़िट** के लिए छह महीने का पायलट प्रोजेक्ट ; 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स का टारगेट।

चुनौतियां

- **अलग-अलग जियोपॉलिटिकल विचार:** ग्लोबल झगड़ों (जैसे, यूक्रेन युद्ध) पर अलग-अलग बातों के लिए लगातार डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है।
- **रेगुलेटरी रुकावटें:** लेबर, एनवायरनमेंट और डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स के बारे में **इंडिया-EU FTA बातचीत** में लंबे समय से रुकावटें हैं ।

RACE IAS

- **न्यूक्लियर इम्प्लीमेंटेशन:** टेक्निकल दिक्कतों और सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी की चिंताओं के कारण **जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट** जैसे प्रोजेक्ट्स में दशकों से देरी हो रही है ।
- **टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शनिज़्म:** "मेक इन इंडिया" लक्ष्यों के बावजूद सेंसिटिव मिलिट्री हार्डवेयर के लिए पूरी **टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT)** पाने में मुश्किलें ।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता: मिडिल ईस्ट के संघर्षों से इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC)** के कामयाब होने पर खतरा है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **IMEC को चालू करना:** कॉरिडोर को कॉन्सेप्ट से असलियत में बदलने के लिए 2026 की मिनिस्टीरियल मीटिंग को प्राथमिकता देना।
- **AI का डेमोक्रेटाइज़ेशन:** ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को कम करना ताकि डेवलपिंग देशों को सुरक्षित AI टूल्स का एक्सेस मिल सके।
- **UNSC सुधार:** सुधार वाली UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए मिलकर लॉबिंग तेज़ करना।
- **ग्रीन ट्रांज़िशन:** ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट रेजिलिएंस को फंड करने के लिए **इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)** का इस्तेमाल करना ।
- **एजुकेशनल एक्सचेंज:** अलग-अलग तरह के भारतीय स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंच एजुकेशन को आसान बनाने के लिए "इंटरनेशनल क्लासेस" का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलाव, पारंपरिक बायर-सेलर डायनामिक से एक कोलेबोरेटिव अलायंस में बदलाव को दिखाता है। **होराइजन 2047 रोडमैप को** शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ अलाइन करके, भारत और फ्रांस खुद को एक स्टेबल, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रूरी पिलर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं।

कृषि में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था

प्रसंग

फरवरी 2026 में, भारत सरकार ने **"सर्कुलर इकॉनमी इन एग्रीकल्चर: वेस्ट टू वेल्थ" नाम की एक अहम रिपोर्ट जारी की।** रिपोर्ट में **GOBARdhan (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) स्कीम की बढ़ती सफलता पर ज़ोर दिया गया** , जो अब **भारत के 51.4% से ज़्यादा ज़िलों में फैली हुई है** , जो वेस्ट-इंटेंसिव खेती से रीजेनरेटिव और रिसोर्स-एफिशिएंट खेती की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है । यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट मिटिगेशन और किसानों के लिए इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाता है।

कृषि में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के बारे में

परिभाषा

खेती में सर्कुलर इकॉनमी एक **रीजेनरेटिव प्रोडक्शन सिस्टम है जो** *"टेक–मेक–डिस्पोज़"* के पारंपरिक लीनियर मॉडल को एक **क्लोज्ड-लूप सिस्टम से बदल देता है** , जहाँ खेती के कचरे को प्रोडक्शन साइकिल में फिर से जोड़ दिया जाता है। यह **6 Rs के सिद्धांत पर आधारित है — रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल, रिफर्बिश, रिकवर और रिपेयर , जिससे बायोलॉजिकल रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का होता है। यह तरीका फसल के बचे हुए हिस्से, मवेशियों के गोबर और खाने के कचरे जैसे ऑर्गेनिक कचरे को बायो-CNG, बायोगैस, कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायोचार** जैसे कीमती आउटपुट में बदल देता है , जिससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होता है और रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है।

मुख्य डेटा और तथ्य

- **खेती का कचरा पैदा होना:** भारत में हर साल लगभग **350 मिलियन टन खेती का कचरा पैदा होता है** , जिसमें फसल के बचे हुए हिस्से और जानवरों का कचरा शामिल है।
- **एनर्जी बनाने की क्षमता: अकेले फसल के बचे हुए हिस्से से हर साल 18,000 MW से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी** बनाने की क्षमता है , जो भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन में अहम योगदान दे रहा है।
- **इकोनॉमिक पोटेंशियल:** भारत की सर्कुलर इकोनॉमी की इकोनॉमिक वैल्यू 2050 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचने **और लगभग 10 मिलियन नौकरियां पैदा करने का अनुमान है** , जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इसकी भूमिका को दिखाता है।
- **खाने की बर्बादी:** दुनिया भर में हर साल लगभग **1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद होता है** , जबकि भारत में लगभग **60% खाना घरों में बर्बाद होता है** , जो बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट तरीकों की ज़रूरत दिखाता है।
- **गोबरधन की प्रगति:** जनवरी 2026 तक, **979 बायोगैस और बायो-CNG प्लांट चालू हैं** , जो ऑर्गेनिक कचरे को क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद में बदल रहे हैं।

कृषि में सर्कुलर अर्थव्यवस्था का महत्व

- **मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापन**
  केमिकल खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। खेती के कचरे से बनी **बायोगैस स्लरी, कम्पोस्ट और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल** मिट्टी की बनावट को ठीक करने, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बेहतर बनाने और लंबे समय तक खेती की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन**
  खेती के कचरे के सड़ने से मीथेन निकलती है, जो एक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है। सर्कुलर इकॉनमी के

तरीके बायोगैस प्लांट के ज़रिए मीथेन को पकड़ते हैं और उसे एनर्जी में बदलते हैं, जिससे एमिशन कम होता है। यह सीधे तौर पर **पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत के कमिटमेंट और 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट को सपोर्ट करता है** । **यूनिफाइड GOBARdhan पोर्टल** कम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन और एमिशन में कमी को मॉनिटर करने में मदद करता है।

- **किसानों की आय बढ़ाना**
  सर्कुलर एग्रीकल्चर कचरे को इकोनॉमिक एसेट में बदलता है। किसान फसल के बचे हुए हिस्से को बेचकर, बायोगैस प्लांट को गोबर देकर या ऑर्गेनिक खाद बनाकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। इससे **किसानों की इनकम दोगुनी करने** और गांव की रोजी-रोटी को मजबूत करने के लक्ष्य को सपोर्ट मिलता है।
- **जल संसाधन संरक्षण**
  जल शक्ति मिशन जैसे प्रोग्राम के तहत सिंचाई के लिए ट्रीट किए गए गंदे पानी और ग्रेवॉटर का दोबारा इस्तेमाल करने से ग्राउंडवॉटर पर निर्भरता कम होती है, मीठे पानी के रिसोर्स बचते हैं, और ग्रामीण इलाकों में पानी की सस्टेनेबिलिटी बेहतर होती है।
- **संसाधन दक्षता और स्थिरता**
  सर्कुलर एग्रीकल्चर सिंथेटिक इनपुट पर डिपेंडेंस कम करता है और नेचुरल रिसोर्स के अच्छे इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। यह **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) 2 (ज़ीरो हंगर)** और **SDG 12 (रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन) के साथ अलाइन है** । बायोचार जैसे इनोवेशन मिट्टी में नमी बनाए रखने और सूखे से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं।

प्रमुख सरकारी पहल

- **गोबरधन योजना**
  गोबरधन स्कीम मवेशियों के गोबर और ऑर्गेनिक कचरे को **बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG), और ऑर्गेनिक खाद में बदलने को बढ़ावा देती है** , जिससे साफ़ एनर्जी बनाने और गांव की साफ़-सफ़ाई में मदद मिलती है।
- **फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना**
  सरकार ने फसल अवशेष मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए **₹3,926 करोड़ (2018–2026) दिए हैं। 42,000 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs)** बनाए गए हैं, जिससे किसानों को अवशेष मैनेजमेंट मशीनरी मिल सके और पराली जलाना कम हो सके।
- **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)**
  AIF ने **1.5 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए ₹80,224 करोड़ मंज़ूर किए हैं** , जिसमें ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और बायोएनर्जी जेनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)**
  ₹15,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ , यह फंड जानवरों के वेस्ट और बाय-प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, वैल्यू एडिशन और सर्कुलर लाइवस्टॉक मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0**
  यह पहल **सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करती है** , जिससे गांवों को **ODF Plus स्टेटस पाने में मदद मिलती है** , साथ ही रिसोर्स रिकवरी और सस्टेनेबल सैनिटेशन को बढ़ावा मिलता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक निवेश**
  बायो-CNG प्लांट, कम्पोस्ट यूनिट और वेस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। छोटे और मार्जिनल किसानों को अक्सर फाइनेंस और क्रेडिट नहीं मिल पाता है।
- **रसद संबंधी बाधाएँ**
  अलग-अलग ज़मीनों से भारी खेती के कचरे को इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना और प्रोसेस करना महंगा और समय लेने वाला काम है, खासकर कटाई और बुआई के बीच के छोटे से समय में।
- **तकनीकी सीमाएँ**
  मॉड्यूलर बायोगैस रिएक्टर और कुशल बायोमास प्रोसेसिंग सिस्टम जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक सीमित पहुंच, बड़े पैमाने पर अपनाने में रुकावट डालती है।
- **व्यवहारिक और सामाजिक बाधाएँ**
  सुविधा, जागरूकता की कमी और तुरंत आर्थिक कारणों से पराली जलाने जैसे पारंपरिक तरीके जारी हैं, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में।
- **कमजोर बाजार संबंध**
  ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूरिया जैसे बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले केमिकल फर्टिलाइज़र से कड़ी टक्कर मिलती है, जिससे उनके कमर्शियल फ़ायदे और मार्केट में उनकी स्वीकार्यता पर असर पड़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

कार्बन क्रेडिट तंत्र को बढ़ावा देना

सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके अपनाने वाले किसानों को कार्बन मार्केट में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे कार्बन क्रेडिट के ज़रिए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें।

- **किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत बनाना**
  FPOs डीसेंट्रलाइज़्ड बायो-CNG प्लांट्स लगाने और उन्हें मैनेज करने, बड़े पैमाने पर इकॉनमी को बेहतर बनाने और अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट को पक्का करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- **अनुसंधान और नवाचार में निवेश**

एडवांस्ड माइक्रोबियल सॉल्यूशन, कुशल बायोमास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और सस्ते डीसेंट्रलाइज़्ड वेस्ट-टू-एनर्जी सिस्टम बनाने के लिए रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।

- **नीति और सब्सिडी सहायता सुनिश्चित करना** ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिए बराबर पॉलिसी सपोर्ट, सब्सिडी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देने से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इसे अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
- **जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना** ज़मीनी स्तर पर कचरा अलग करने और सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कैंपेन और कम्युनिटी की भागीदारी के ज़रिए व्यवहार में बदलाव ज़रूरी है।

निष्कर्ष

खेती में सर्कुलर इकॉनमी में बदलाव, भारत में सस्टेनेबल, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट और आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद खेती की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है। खेती के कचरे को कीमती संसाधनों में बदलकर, GOBARdhan, फसल अवशेष मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी पहल पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम कर रही हैं, साथ ही किसानों की इनकम और एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ा रही हैं। इस मॉडल को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और किसानों की भागीदारी को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी होगा। सर्कुलर एग्रीकल्चरल इकॉनमी में खेती के कचरे को पर्यावरण के बोझ से एक बड़े आर्थिक मौके में बदलने की क्षमता है, जो **2047 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विकसित भारत बनाने के भारत के विज़न में अहम योगदान देगा** ।

न्यायपालिका में विविधता

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, राज्यसभा MP पी. विल्सन ने **संविधान (संशोधन) बिल, 2026 पेश किया** । यह प्राइवेट मेंबर बिल हायर ज्यूडिशियरी में **सोशल डाइवर्सिटी को ज़रूरी बनाने की कोशिश करता है और** न्याय तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की **रीजनल बेंच बनाने का प्रस्ताव करता है।**

समाचार के बारे में

ज्यूडिशियल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट: इसका मतलब है कोर्ट सिस्टम में अलग-अलग सोशल, जेंडर , जाति और रीजनल ग्रुप्स का बराबर रिप्रेजेंटेशन । एक डाइवर्स बेंच यह पक्का करती है कि ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन भारत के मल्टी-लेयर्ड समाज के कलेक्टिव लाइव्ड एक्सपीरियंस को दिखाए।

भारतीय न्यायपालिका पर मुख्य आँकड़े:

- **जाति का प्रतिनिधित्व:** 2018 और 2024 के बीच, हाई कोर्ट के लगभग **78%** जज ऊंची जातियों के थे। इसके उलट, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) में से हर एक की हिस्सेदारी सिर्फ़ लगभग **5% थी** ।
- **जेंडर गैप:** अगस्त 2024 तक, हाई कोर्ट के जजों में सिर्फ़ **14% महिलाएँ हैं** । अभी, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ **एक महिला जज (जस्टिस बी.वी. नागरत्ना) हैं।**
- **माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन:** पिछले छह सालों में हायर ज्यूडिशियरी में अपॉइंट किए गए जजों में धार्मिक माइनॉरिटी **5% से भी कम हैं।**
- **पेंडेंसी और वैकेंसी:** जनवरी 2026 तक, सुप्रीम कोर्ट में **90,000 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं** । इसके अलावा, हाई कोर्ट में लगभग **33% वैकेंसी रेट से जूझना पड़ रहा है** , जिससे न्याय की स्पीड में बहुत रुकावट आ रही है।

संवैधानिक ढांचा

- **आर्टिकल 124:** यह भारत के चीफ जस्टिस (CJI) की सलाह से प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को कंट्रोल करता है।
- **आर्टिकल 217:** हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस और क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है।
- **आर्टिकल 130:** CJI को राष्ट्रपति की मंज़ूरी से, सुप्रीम कोर्ट के लिए "दूसरी जगहों" को सीट के तौर पर अपॉइंट करने का अधिकार देता है, जो रीजनल बेंच के लिए कानूनी आधार देता है।

न्यायपालिका में विविधता की आवश्यकता

- **पब्लिक का भरोसा बढ़ा: रिप्रेजेंटेशन से इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी मज़बूत होती है। उदाहरण के लिए, जस्टिस बीआर गवई** की पदोन्नति ने कानून के सबसे ऊंचे लेवल पर पिछड़े समुदायों को शामिल करने के कमिटमेंट का संकेत दिया।
- **इंटरप्रिटेशन में सबको शामिल करना:** अलग-अलग बैकग्राउंड होने से जजों को झगड़ों के सामाजिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, महिला जज अक्सर घरेलू हिंसा और जेंडर सेंसिटाइज़ेशन से जुड़े मामलों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लाती हैं।
- **ऐतिहासिक बहिष्कार को ठीक करना:** सुधार सिस्टम की रुकावटों को दूर करता है; भारत में सात दशकों से ज़्यादा समय से महिला चीफ़ जस्टिस की कमी, स्ट्रक्चरल बदलाव की ज़रूरत को दिखाता है।
- **बार का डेमोक्रेटाइज़ेशन:** टॉप पर दिखने वाले रोल मॉडल पहली पीढ़ी के वकीलों और पिछड़े स्टूडेंट्स को लिटिगेशन करियर बनाने के लिए बढ़ावा देते हैं।
- **सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना:** एक अलग-अलग तरह की बेंच, केस करने वालों की अलग-अलग सामाजिक सच्चाइयों को दिखाकर, बराबरी के संवैधानिक लक्ष्यों के साथ ज्यूडिशियरी को जोड़ती है।

चुनौतियां

- **अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम:** मौजूदा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी "एलीट नेटवर्क" को बनाए रख सकती है, जिससे अक्सर पिछड़े बैकग्राउंड के काबिल कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं।
- **महिलाओं के लिए स्ट्रक्चरल रुकावटें:** इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी (जैसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग वॉशरूम की कमी) और पुरुष-प्रधान सोच वाले नियम "फ़नल इफ़ेक्ट" पैदा करते हैं, जहाँ कम महिलाएँ सीनियर पोस्ट तक पहुँच पाती हैं।
- **फॉर्मल रिज़र्वेशन की कमी:** लोअर ज्यूडिशियरी के उलट, हायर ज्यूडिशियरी में जाति या जेंडर के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा नहीं है, जिससे डाइवर्सिटी ज्यूडिशियल विवेक पर निर्भर करती है।
- **ज्योग्राफ़िकल रुकावटें:** सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में सेंट्रलाइज़ेशन होने से दूर के इलाकों (जैसे नॉर्थ-ईस्ट या साउथ इंडिया) के वकीलों के लिए ऊंचाई के लिए ज़रूरी विज़िबिलिटी पाना मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डाइवर्सिटी मेट्रिक्स को इंस्टीट्यूशनल बनाना:** ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए **मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP)** में डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को एक क्राइटेरिया के तौर पर फॉर्मल रूप से शामिल करें ।
- **रीजनल बेंच बनाना:** आने-जाने का खर्च कम करने और न्याय को डीसेंट्रलाइज़ करने के लिए **चेन्नई, मुंबई और कोलकाता** में सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट बेंच बनाना।
- **टाइम-बाउंड अपॉइंटमेंट्स:** अलग-अलग कैंडिडेट्स के "पॉकेट वीटो" को रोकने के लिए कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए नामों को क्लियर करने के लिए सरकार को 90 दिन का समय देना ज़रूरी है।
- **अपॉइंटमेंट रिफॉर्म्स को फिर से शुरू करना: NJAC** जैसी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी पर विचार करें , जो ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी की निगरानी के बीच बैलेंस बनाए।
- **पाइपलाइन मेंटरशिप:** पहली पीढ़ी के और पिछड़े वकीलों को सपोर्ट करने के लिए फॉर्मल प्रोग्राम बनाएं, ताकि भविष्य में न्यायिक भूमिकाओं के लिए अलग-अलग तरह के टैलेंट का लगातार आना पक्का हो सके।

निष्कर्ष

अलग-अलग तरह की ज्यूडिशियरी की कोशिश का मतलब मेरिट से समझौता करना नहीं है; बल्कि, यह उसे बेहतर बनाना है। पी. विल्सन बिल में सुझाए गए सुधारों को लागू करके, भारत यह पक्का कर सकता है कि उसके "न्याय के मंदिर" सही मायने में उस समाज को दिखाएं जिसकी वे सेवा करते हैं। एक जज जो केस लड़ने वाले के सामाजिक हालात को समझता है, वह संविधान का ज़्यादा असरदार रखवाला होता है।

केंद्र-राज्य संबंध

प्रसंग

इंडियन फेडरलिज्म पर बहस अपने चरम पर पहुंच गई है। संवैधानिक पावर बैलेंस को फिर से तय करने की कोशिश में, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच स्ट्रक्चरल तनाव की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई।

कुरियन जोसेफ समिति

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की मौजूदा स्थिति का रिव्यू करने के लिए **जस्टिस कुरियन जोसेफ (रिटायर्ड) की अगुवाई में तीन सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है।**

- **उद्देश्य:** यह मूल्यांकन करना कि हाल की केंद्रीय नीतियों ने राज्य की स्वायत्तता पर कैसे असर डाला है और संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुझाना।
- **निष्कर्ष:** कमिटी की रिपोर्ट में **"धीरे-धीरे बढ़ते सेंट्रलिज़्म" की चेतावनी दी गई है** , जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में मौजूद फेडरल भावना के लिए ख़तरा है।

प्रमुख घर्षण बिंदु

रिपोर्ट में चार ज़रूरी एरिया बताए गए हैं जहाँ रिश्ते दुश्मनी वाले हो गए हैं:

1. राज्यपाल की भूमिका:

- **मुद्दा:** चुने हुए राज्य कैबिनेट और गवर्नर के बीच बिल पास करने और यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं।
- **प्रस्तावित सुधार:** कमिटी का सुझाव है कि गवर्नर को **कार्यकाल की सुरक्षा दी जाए** और यह पक्का किया जाए कि वे **राजनीतिक रूप से न्यूट्रल** हों, ताकि वे यूनियन के एजेंट के तौर पर काम न कर सकें।

2. वित्तीय स्वायत्तता:

- **फिस्कल फेडरलिज्म: फाइनेंस कमीशन के ज़रिए रिसोर्स के एकतरफ़ा बंटवारे और सेस और सरचार्ज** पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंताएं , जिन्हें राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता।
- **प्रोग्राम में दखल:** केंद्र पर आरोप है कि वह **MGNREGA** और **NHM जैसी स्कीमों में** राज्यों से सलाह लिए बिना बदलाव कर रहा है, जबकि राज्यों को इसे लागू करने में काफी खर्च उठाना पड़ रहा है।

3. डिलिमिटेशन की डेडलाइन:

- **"साउथ-नॉर्थ" डिवाइड:** दक्षिणी राज्यों को डर है कि आने वाला **डिलिमिटेशन कमीशन** (अगली जनगणना के आधार पर) उनके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को कम कर देगा, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तरी राज्यों के उलट, पॉपुलेशन कंट्रोल को सफलतापूर्वक लागू किया है।

4. अखिल भारतीय सेवाएँ (एआईएस):

- कैडर मैनेजमेंट नियमों में हाल के बदलावों से यह डर पैदा हो गया है कि केंद्र सरकार एकतरफ़ा IAS/IPS अधिकारियों को बुला सकती है, जिससे राज्य का अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कम हो जाएगा।

RACE IAS

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाम आधुनिक वास्तविकता

- **1947–1950:** एक नए आज़ाद देश को टूटने से बचाने और बंटवारे के बाद के हालात को संभालने के लिए एक "मज़बूत सेंटर" ऐतिहासिक ज़रूरत थी।
- **2026 का नज़रिया:** कमिटी का कहना है कि देश की एकता के लिए एक मज़बूत सेंटर की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन अब इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल **रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करने** और खेती, शिक्षा और हेल्थ जैसे मामलों में राज्य विधानसभाओं को बायपास करने के लिए किया जा रहा है।

सुझाए गए सुधार

फेडरल बैलेंस को फिर से बनाने के लिए, रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं:

- **आर्टिकल 356 में सुधार:** राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से हटाने से रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस।
- **इंटरनेशनल काउंसिल को मज़बूत बनाना :** इसे एक सलाहकार संस्था से विवाद सुलझाने के लिए एक मज़बूत फ़ोरम में बदलना।
- **फाइनेंशियल रीडिज़ाइन:** टैक्स के डिवाइडेबल पूल में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर कम से कम **50% करना** , ताकि उनकी बढ़ती वेलफेयर ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखा जा सके।

निष्कर्ष

कुरियन जोसेफ कमेटी की रिपोर्ट "कोऑपरेटिव फेडरलिज्म" के लिए एक मैनिफेस्टो का काम करती है। इसमें कहा गया है कि एक मजबूत भारत किसी हावी सेंटर से नहीं, बल्कि मजबूत, ऑटोनॉमस राज्यों से बनता है। जैसे-जैसे 2026 का डिलिमिटेशन करीब आ रहा है, इस कमेटी की सिफारिशें कॉन्स्टिट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग पर एक नेशनल बातचीत का आधार बन सकती हैं।

जेन Z और डेमोक्रेटिक जुड़ाव

प्रसंग

जैसे-जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए **जेनरेशन Z (Gen Z)** के लोग ग्लोबल और घरेलू पॉलिटिक्स में एक डिसरप्टिव ताकत के तौर पर उभरे हैं। डेमोक्रेटिक जुड़ाव के लिए उनका तरीका पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है, जिसमें डिजिटल फ़्लूएंसी, इमोशनल रेडिकलिज़्म और पारंपरिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को नकारना शामिल है।

जनरेशन Z की विशेषताएं

Gen Z को अक्सर "रेडिकल ऑथेंटिसिटी" से डिफाइन किया जाता है जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी में शामिल हो जाती है:

- **हाइपर-ट्रांसपेरेंट:** पुरानी पीढ़ी के उलट, जो पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं, Gen Z अपनी कमियों, पैसे की तंगी और मेंटल हेल्थ के बारे में साफ-साफ बात करते हैं।
- **डिजिटल नेटिव्स:** वे इंटरनेट को सिर्फ़ एक टूल के तौर पर नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक बातचीत के लिए मुख्य "पब्लिक स्क्वायर" के तौर पर देखते हैं।
- **अनप्रेडिक्टेबिलिटी:** उनके वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल झुकाव, पुरानी पार्टी की लॉयल्टी से कम और ख़ास, तुरंत होने वाले सोशल कारणों से ज़्यादा जुड़े होते हैं।

खास बात: "Gen Z हमें उम्मीद के मुताबिक जवाब देकर निराश करती रहेगी, लेकिन ऐसे जवाब देकर हमें हैरान कर देगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा।"

लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शनों में भूमिका

बांग्लादेश और नेपाल में 2024-25 के आंदोलन शामिल हैं , ने एक्टिविज़्म के ख़ास "Gen Z स्टाइल" को हाईलाइट किया है:

- **हाई एनर्जी, लो स्ट्रक्चर:** वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, फिर भी इन आंदोलनों में अक्सर सेंट्रलाइज़्ड लीडरशिप या फॉर्मल मैनिफेस्टो की कमी होती है।
- **गैर-राजनीतिक शुरुआत:** Gen Z के नेतृत्व वाले कई विरोध प्रदर्शन बिना किसी पार्टी के आंदोलनों के तौर पर शुरू होते हैं, जो किसी विचारधारा के बजाय खास शिकायतों (जैसे, नौकरी का कोटा, भ्रष्टाचार) पर केंद्रित होते हैं।
- **ग्लोबल एकजुटता:** वे लोकल मुद्दों को ग्लोबल आंदोलनों (जैसे क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन राइट्स) से जोड़ने की ज़्यादा संभावना रखते हैं, और अपने संघर्ष को यूनिवर्सल नज़रिए से देखते हैं।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

बदलाव लाने में असरदार होने के बावजूद, Gen Z के जुड़ाव को सस्टेनेबिलिटी को लेकर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है:

- **"तुरंत नतीजे" का जाल:** तुरंत खुशी के ज़माने में पली-बढ़ी यह पीढ़ी अक्सर तुरंत पॉलिसी में बदलाव की मांग करती है और अगर नतीजे जल्दी नहीं दिखते तो यह अपनी रफ़्तार खो सकती है।
- **सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे: किसानों के विरोध प्रदर्शन (2020-21)** के उलट , जिसमें सालों तक लॉजिस्टिकल और ऑर्गेनाइज़ेशनल तौर पर मज़बूती दिखी, Gen Z आंदोलन आम तौर पर विरोध के "फ्लैश-मॉब" होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कम समय के लिए होते हैं।
- **लीडर न होने की कमज़ोरी:** साफ़ लीडर न होने की वजह से इन आंदोलनों के लिए सरकार से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, जिससे अक्सर पावर का वैक्यूम बन जाता है जिसे पुरानी, ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड पॉलिटिकल संस्थाएँ भर देती हैं।

RACE IAS

डिजिटल विरोधाभास

Gen Z के लिए, डेमोक्रेसी एक 24/7 एंगेजमेंट है, लेकिन यह अक्सर "स्लैक्टिविज़्म" की सीमा पर होता है:

- **फायदे:** वे रियल-टाइम में "फैक्ट-चेकिंग" करने और वायरल कंटेंट के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल पाखंड को सामने लाने में सबसे अच्छे हैं।
- **नुकसान:** बहुत ज़्यादा डिजिटल थकान और एल्गोरिदम वाले इको चैंबर के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सकता है।

निष्कर्ष

अथॉरिटी के बजाय असलियत को प्राथमिकता देकर डेमोक्रेटिक जुड़ाव के नियमों को फिर से लिख रहा है । हालांकि उनके पारंपरिक संगठन की कमी उनके आंदोलनों की लंबे समय की सफलता के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन तुरंत इकट्ठा होने की उनकी क्षमता यह पक्का करती है कि सरकारें अब असहमति को दबाने के लिए पारंपरिक "वेट-एंड-वॉच" स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं कर सकतीं।

चुनाव आयोग (ईसीआई) बनाम सुप्रीम कोर्ट

प्रसंग

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) और **ज्यूडिशियरी** के बीच एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक टकराव सामने आया है । इस झगड़े की जड़ में वोटर रोल का **स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शामिल है** , जो वोटर लिस्ट को साफ करने के मकसद से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने का एक ड्राइव है, जिसे आलोचकों और राज्य सरकारों ने वोटर लिस्ट से वंचित करने के एक संभावित टूल के तौर पर चुनौती दी है।

मुद्दा: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)

जून 2025 में SIR लॉन्च किया , जिसकी शुरुआत बिहार से हुई और इसे पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया गया। रेगुलर समरी रिविज़न के उलट, SIR में ये शामिल हैं:

- **नई गिनती:** बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर वोटर को वेरिफ़ाई करने के लिए घर-घर जाते हैं।
- **टारगेट: डुप्लीकेट ID** , **मरे हुए वोटर्स** , और **विदेशी नागरिकों (खासकर पड़ोसी देशों से आए घुसपैठियों का ज़िक्र करते हुए)** को हटाना , जो शायद रोल में आ गए हों।
- **बिहार नतीजे (सितंबर 2025):** फाइनल लिस्ट में ड्राफ़्ट रोल के मुकाबले लगभग **4.7 मिलियन वोटर्स की कमी देखी गई, जिसमें 21.5 लाख नए नाम जुड़े और बड़ी संख्या में नाम हटाए गए।**

आलोचना और चिंताएँ:

- **अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण:** आलोचकों का तर्क है कि ECI नागरिकता के लिए एक "पुलिसकर्मी" के रूप में कार्य कर रहा है - एक ऐसा क्षेत्र जो मुख्य रूप से **गृह मंत्रालय (MHA) से संबंधित है** ।
- **वोट देने का अधिकार छीनना:** इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि पिछड़े ग्रुप और बाहर से आए मज़दूर "लिगेसी डॉक्यूमेंट्स" की कमी या BLO के विज़िट में शामिल न होने की वजह से अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने रिवीजन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और "नेचुरल जस्टिस" पक्का करने के लिए दखल दिया है।

- **पश्चिम बंगाल केस (Feb 2026):** एक "असाधारण" कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटरों के दावों और आपत्तियों की जांच में मदद के लिए **न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया।**
- **वोटर डॉक्यूमेंटेशन:** कोर्ट ने ECI को पहचान के सबूत के लिए **आधार को** एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करने का आदेश दिया (जिससे कुल 12 स्वीकृत डॉक्यूमेंट हो गए), हालांकि उसने यह भी साफ़ किया कि आधार **नागरिकता का सबूत नहीं है** ।
- **ट्रांसपेरेंसी मैंडेट:** जस्टिस सूर्यकांत ने मशहूर टिप्पणी की थी, *"अगर पूनम देवी का नाम हटाया गया है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों,"* और आदेश दिया कि हटाए गए नामों की बूथ-वाइज़ लिस्ट लोकल पंचायत ऑफिस में दिखाई जाए।

संवैधानिक चिंताएँ: शक्तियों का पृथक्करण

यह टकराव **आर्टिकल 50** (ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना) के बारे में एक नाजुक बैलेंस को दिखाता है:

- **ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म बनाम ओवररीच:** ECI का तर्क है कि **आर्टिकल 324 के तहत** , उसके पास अपनी मर्ज़ी से चुनाव कराने की "पूरी शक्तियाँ" हैं। वे वोटर लिस्ट के सिस्टम में ज्यूडिशियल दखल को शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन मानते हैं।
- **कोर्ट का स्टैंड:** कोर्ट का कहना है कि वह SIR को रोक तो नहीं सकता, लेकिन उसे यह पक्का करना होगा कि प्रोसेस **"बिना रोक-टोक या बिना नियम के" न हो। वह वोट देने के अधिकार (Article 326**) जैसे फंडामेंटल राइट्स पर असर डालने वाले एक्शन का रिव्यू करने के अपने अधिकार पर ज़ोर देता है ।

सुझाए गए सुधार

"ताश के पत्तों के घर" वाले वेरिफिकेशन प्रोसेस से आगे बढ़ने के लिए, कई टेक्नोलॉजी वाले सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है:

- **अपनी मर्ज़ी से आधार लिंकिंग: EPIC (वोटर ID) को आधार से लिंक करने के लिए Form 6B** का इस्तेमाल करना । हालांकि अभी यह अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन सपोर्ट करने वालों का कहना है कि देश भर में डुप्लीकेट लोगों को असरदार तरीके से हटाने का यही एकमात्र तरीका है।

RACE IAS

- **बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन:** पोलिंग बूथ पर नकली पहचान को खत्म करने के लिए फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल करना।
- **रियल-टाइम अपडेट:** ECI डेटाबेस को डिजिटल डेथ और बर्थ रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना ताकि डिलीट और एडिशन को ऑटोमेट किया जा सके।

निष्कर्ष

2026 का ECI-SC टकराव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अहम मोड़ है। यह टेस्ट करता है कि क्या ECI सबसे कमज़ोर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना इलेक्टोरल रोल को मॉडर्न बना सकता है, और क्या ज्यूडिशियरी एग्जीक्यूटिव के ज़रूरी कामों में रुकावट डाले बिना निगरानी कर सकती है।

US टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स

प्रसंग

यूनाइटेड स्टेट्स में एक अहम कानूनी फैसले के बाद ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। **US सुप्रीम कोर्ट ने** प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल को रद्द कर दिया , जिससे तुरंत दूसरे ट्रेड कानूनों की तरफ झुकाव हुआ, जिसने दुनिया के साथ अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को फिर से तय किया है ।

हालिया घटनाक्रम: टैरिफ़ की खींचतान

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (20 फरवरी, 2026): कोर्ट ने **6-3 से फैसला सुनाया** कि *इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)* राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।

- **नतीजा:** IEEPA के तहत लगाए गए सभी "रेसिप्रोकल टैरिफ" और इमिग्रेशन से जुड़े शुल्कों को **गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया** ।
- **मतलब:** केंद्र सरकार को जमा की गई **$160 बिलियन से ज़्यादा** की ड्यूटी वापस करनी पड़ सकती है, हालांकि यह प्रोसेस कानूनी तौर पर विवादित है।

सेक्शन 122 की ओर झुकाव: कोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटों के अंदर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने **1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 को लागू करके** नए **10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज की घोषणा की** ।

- **कानूनी आधार:** सेक्शन 122 "बुनियादी इंटरनेशनल पेमेंट समस्याओं" (ट्रेड डेफिसिट) को ठीक करने के लिए 15% तक के टेम्परारी (150-दिन) सरचार्ज की इजाज़त देता है।
- **भारत की स्थिति:** ग्लोबल सरचार्ज के बावजूद, फरवरी 2026 में साइन किया गया **18% टैरिफ ट्रेड डील** भारतीय सामानों के लिए बेसलाइन बना हुआ है, जिससे इस अफरा-तफरी के बीच कुछ कंटिन्यूटी बनी हुई है।

भारत पर प्रभाव

US की बदलती ट्रेड पॉलिसी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए "मिली-जुली" स्थिति पेश करती है:

- **एक्सपोर्ट का दबाव:** दोतरफ़ा डील के बाद भी, 10%–18% टैरिफ़ से भारतीय सामान घरेलू US ऑप्शन के मुकाबले ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जिससे इनकी मांग कम हो सकती है:
  - **वस्त्र और परिधान**
  - **जेनेरिक दवाएं** (फार्मास्यूटिकल्स)
  - **कृषि उत्पाद** (चावल, मसाले)
  - **मोती और आभूषण**
- **कॉम्पिटिटिव फ़ायदा:** क्योंकि ग्लोबल सरचार्ज सभी देशों पर लागू होता है, इसलिए भारत का **18% फिक्स्ड रेट** असल में चीन जैसे कॉम्पिटिटर के रेट से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जिन पर सेक्शन 301 के तहत और जांच होती है।

वैश्विक संदर्भ: WTO संकट

ग्लोबल ट्रेड "सेफ्टी नेट" अभी ठप है। **वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) अपीलेट बॉडी, जो असल में** इंटरनेशनल ट्रेड का सुप्रीम कोर्ट है, काम नहीं कर रही है।

- **ब्लॉकेड:** US नए सदस्यों की नियुक्ति को रोक रहा है (2025 के आखिर/2026 की शुरुआत तक 94 बार), और कोर्ट के दखल की चिंताओं का हवाला दे रहा है।
- **नतीजा:** ट्रेड विवादों को "खाली कर दिया जाता है।" बिना किसी काम करने वाले आर्बिटर के, देश तेज़ी से **प्रोटेक्शनिज़्म और आइसोलेशनिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं** , और बाइलेटरल "डील्स" के पक्ष में मल्टीलेटरल नियमों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

भारत के लिए आगे का रास्ता

ट्रेड डायवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपना रहा है :

1. **बढ़ते हुए क्षितिज: UK, यूरोपियन यूनियन और UAE** के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPAs) को फाइनल करना ।
2. **अफ्रीका पर फोकस:** इंजीनियरिंग सामान और डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA) का इस्तेमाल करना।
3. **"चाइना प्लस वन" को मज़बूत करना:** US-चीन के बीच ट्रेड में रुकावटों के और ज़्यादा बढ़ने की वजह से चीनी मार्केट से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाना।

निष्कर्ष

US सुप्रीम कोर्ट का दखल एक ऐसे अहम मोड़ पर है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कानून ग्लोबल ट्रेड से मिला। हालाँकि इस फैसले ने कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव पावर पर रोक लगाई, लेकिन सेक्शन 122 में तुरंत बदलाव यह इशारा करता है कि **प्रोटेक्शनिज़्म** अभी भी दुनिया का मुख्य ट्रेंड बना हुआ है। भारत के लिए, मज़बूती का रास्ता US के साथ अपने "शानदार रिश्ते" को

बैलेंस करने और दूसरी जगहों पर तेज़ी से नए ट्रेड कॉरिडोर बनाने में है।

बंधुआ मजदूरी

प्रसंग

फरवरी 2026 में **बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) एक्ट, 1976** की **50वीं सालगिरह है** । पांच दशकों के कानून के बावजूद, हाल की रिपोर्टें, खासकर ओडिशा जैसे राज्यों से, एक परेशान करने वाला ट्रेंड दिखाती हैं, जहां बचाए गए मजदूर रिहैबिलिटेशन में सिस्टमिक देरी के कारण फिर से बॉन्डिंग में चले जाते हैं।

बंधुआ मजदूरी खत्म होने के 50वें साल के बारे में

बैकग्राउंड: साल 2026 में आधी सदी हो जाएगी जब भारत ने आज के ज़माने की गुलामी को खत्म करने के लिए एक अहम कानूनी कदम उठाया था। हालांकि 1976 के एक्ट ने इस प्रथा को सफलतापूर्वक अपराध बना दिया था, लेकिन यह मील का पत्थर **कानूनी रिहाई** और **सामाजिक पुनर्वास के बीच लगातार अंतर की एक गंभीर याद दिलाता है** ।

1976 एक्ट की मुख्य बातें:

- **देनदारी खत्म करना:** एक्ट के शुरू होने पर "बॉन्डेड डेट" चुकाने की सभी ज़िम्मेदारियां खत्म हो गईं।
- **रिहाई और आज़ादी:** सिस्टम में फंसे किसी भी मज़दूर को ज़बरदस्ती काम करवाने की ज़िम्मेदारी से कानूनी तौर पर आज़ाद कर दिया जाता है।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी:** डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DMs) और विजिलेंस कमेटियों को मज़दूरों की पहचान करने, उन्हें छोड़ने और उनके रिहैबिलिटेशन का काम सौंपा गया है।
- **कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस: क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स (** *ठेकेदारों*) को रोकने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती बॉन्डिंग में डालना एक सज़ा वाला अपराध है ।
- **दायरा:** यह कानून आर्थिक कर्ज़-बंधन और खानदानी, जाति-आधारित गुलामी (जैसे, नाई या धोबी द्वारा दी जाने वाली आम सेवाएं) दोनों को कवर करता है।

डेटा और तथ्य:

- **नेशनल स्केल:** SECC-2011 के अनुसार, पूरे भारत में लगभग **1.65 लाख बंधुआ मजदूरों को कानूनी तौर पर रिहा किया गया।**
- **रीजनल फोकस (ओडिशा):** पिछले बड़े असेसमेंट में **8,304** से ज़्यादा बंधुआ मज़दूर (ज़्यादातर आदिवासी समुदायों से) की पहचान की गई थी।
- **फाइनेंशियल गैप: जिलों को तुरंत राहत के लिए ₹10 लाख का कॉर्पस फंड** रखना ज़रूरी है ; लेकिन, ओडिशा के लगभग 50% जिलों में यह फंड नहीं है।
- **रिहैबिलिटेशन स्केल:** 2022 की रिवाइज़्ड सेंट्रल स्कीम शोषण की गंभीरता के आधार पर **₹1 लाख से ₹3 लाख तक की ग्रेडेड मदद देती है।**
- **हालात:** रिपोर्ट्स बताती हैं कि मज़दूर अक्सर कामचलाऊ शेल्टर में **दिन में 14-15 घंटे काम करते हैं, जहाँ आने-जाने पर बहुत रोक होती है।**

उन्मूलन में चुनौतियाँ

- **फिर से गुलामी में जाना:** तुरंत पैसे की मदद के बिना बचाव करने पर पीड़ितों को शोषण करने वालों के पास वापस जाना पड़ता है। (जैसे, ओडिशा के पंचानन मुदुली मदद की कमी के कारण बचाव के सिर्फ़ पाँच महीने बाद ही वापस भट्टे पर चले गए)।
- **ब्यूरोक्रेटिक देरी:** सोर्स और डेस्टिनेशन राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण **रिलीज़ सर्टिफिकेट जारी होने में रुकावट आती है** , जो फाइनेंशियल मदद के लिए ज़रूरी हैं।
- **मॉनिटरिंग की कमी:** कई जिले ज़रूरी समय-समय पर सर्वे करने में फेल हो जाते हैं। SECC-2011 डेटा के बाद से 15 साल का गैप अपडेटेड नेशनल स्टैटिस्टिक्स की कमी दिखाता है।
- **जाति के आधार पर संस्था बनाना:** लोकल अधिकारी अक्सर पारंपरिक गुलामी के होने से इनकार करते हैं। पुरी में, **1,283 लोगों के सर्टिफिकेट** रद्द कर दिए गए क्योंकि अधिकारी जाति के बंधन के सिस्टमिक नेचर को पहचानने में नाकाम रहे।
- **कर्ज़ का जाल:** बचाए गए मज़दूरों के पास अक्सर अपने गांवों में ज़मीन या हुनर से चलने वाली रोज़ी-रोटी की कमी होती है, जिससे माइग्रेशन और दोबारा शोषण होना ज़रूरी हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **तुरंत राहत:** पक्का करें कि हर ज़िला अपना **₹10 लाख का कॉर्पस फंड एक्टिवेट करे** ताकि बचाव के 48 घंटे के अंदर बचे हुए लोगों को तुरंत पेमेंट मिल सके।
- **स्कीमों का मेल:** ज़रूरत पड़ने पर पलायन रोकने के लिए बचे हुए लोगों को तुरंत MGNREGS, PMAY (हाउसिंग), और राशन कार्ड से जोड़ें।
- **डिजिटल ट्रैकिंग:** रिलीज़ सर्टिफिकेट और फंड ट्रांसफर के स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए एक रियल-टाइम **इंटर-स्टेट ट्रैकिंग पोर्टल लागू करें।**
- **स्किल डेवलपमेंट:** बचे हुए लोगों को लोकल बिज़नेस शुरू करने में मदद करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग (जैसे, राजमिस्त्री, सिलाई) दें।
- **विजिलेंस को मज़बूत करना: सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन (CSOs)** की एक्टिव भागीदारी के साथ डिस्ट्रिक्ट और सब-डिवीज़नल विजिलेंस कमेटियों को फिर से बनाना ।

निष्कर्ष

एक्ट की 50वीं सालगिरह इस बात पर ज़ोर देती है कि **रिहैबिलिटेशन भी रेस्क्यू** जितना ही ज़रूरी है । आर्थिक सम्मान के बिना कानूनी आज़ादी खोखली है। गुलामी के इस चक्र को तोड़ने के लिए, भारत को रिएक्टिव, कानून लागू करने वाले तरीके से हटकर, परमानेंट सोशल रीइंटीग्रेशन के प्रोएक्टिव, वेलफेयर पर आधारित मॉडल की ओर बढ़ना होगा।

जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II)

प्रसंग

केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) लॉन्च किया** । इस पहल का मकसद बॉर्डर के गांवों में बड़े पैमाने पर विकास करना, कम्युनिटी इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी को मज़बूत करना है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के बारे में

यह क्या है? VVP-II एक **सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे भारत के इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर (ILBs)** से सटे ब्लॉक में बसे गांवों के पूरे डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है । यह डेवलपमेंट मॉडल को उन इलाकों तक बढ़ाता है जो शुरुआती उत्तरी बॉर्डर पर फोकस करने वाले VVP-I में कवर नहीं होते हैं।

समयसीमा और कार्यान्वयन:

- **अनुमोदन: वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26** के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित , वित्तीय सहायता **2028-29** तक बढ़ाई गई ।
- **ऑफिशियल लॉन्च:** फरवरी 2026 में असम के कछार जिले में।

सीमा विकास का विकास:

- **1986-87 : इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए** बॉर्डर **एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP)** शुरू किया गया। हालांकि, कई इलाकों में माइग्रेशन और डेवलपमेंट की कमी बनी रही।
- **2023 (VVP-I):** खास तौर पर उत्तरी बॉर्डर के लिए लॉन्च किया गया ताकि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कम हो और स्ट्रेटेजिक गांवों को मज़बूत किया जा सके।
- **2026 (VVP-II): इस मॉडल को 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों** में बाकी सभी इंटरनेशनल ज़मीनी बॉर्डर (इंडो-बांग्लादेश, इंडो-नेपाल, इंडो-म्यांमार, इंडो-भूटान और इंडो-पाकिस्तान) तक बढ़ाया गया ।

उद्देश्य और दृष्टि

- **इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़ी-रोटी:** कनेक्टिविटी और बेसिक सेवाओं में बड़ी कमियों को दूर करना और साथ ही टिकाऊ आर्थिक मौके बनाना।
- **स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन:** बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को देश की मुख्यधारा में शामिल करना, उन्हें बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली सेनाओं के लिए **"आँख और कान" के तौर पर काम करने के लिए मज़बूत बनाना।**
- **स्टेबिलिटी:** जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाकर बॉर्डर इलाकों से ज़बरदस्ती माइग्रेशन को रोकें, जिससे इलाके की एकता के लिए परमानेंट सिविलियन मौजूदगी बनी रहे।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- **फाइनेंशियल खर्च:** FY 2028-29 तक **₹6,839 करोड़** का एक खास बजट दिया गया है।
- **ज्योग्राफिकल पहुंच:** इसमें 15 राज्य और 2 UT शामिल हैं, और अलग-अलग इलाकों के हिसाब से एरिया-स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई गई हैं।
- **सैचुरेशन-बेस्ड अप्रोच:** यह पक्का करता है कि सभी एलिजिबल परिवारों को मौजूदा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के तहत 100% कवरेज मिले।
- **कन्वर्जेंस मॉडल:** रिसोर्स का सही इस्तेमाल और तेज़ी से डिलीवरी पक्का करने के लिए कई फ्लैगशिप स्कीम को एक साथ जोड़ता है।
- **स्ट्रेटेजिक पहचान: 1,954 स्ट्रेटेजिक गांवों** का फोकस्ड डेवलपमेंट ।

चार मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर थीम:

1. **सभी मौसम सड़क संपर्क:** PMGSY-IV के माध्यम से लागू किया गया।
2. **टेलीकॉम कनेक्टिविटी:** डिजिटल भारत निधि द्वारा संचालित।
3. **टेलीविज़न कनेक्टिविटी:** BIND स्कीम के ज़रिए दी गई।
4. **इलेक्ट्रिफिकेशन:** रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत मैनेज किया गया।

आजीविका और सामुदायिक सहभागिता

- **आर्थिक कारण:** बॉर्डर टूरिज्म, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन्स (FPOs), और स्पेशल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन:** दूर-दराज के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए बैंकिंग और क्रेडिट एक्सेस पक्का करना।
- **सिक्योरिटी आउटरीच:** लोकल लोगों और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच आपसी भरोसा और सहयोग बढ़ाने के लिए कम्युनिटी एक्टिविटी करना।

निष्कर्ष

VVP-II पारंपरिक बॉर्डर मैनेजमेंट से "बॉर्डर-लेड डेवलपमेंट" मॉडल में बदलाव को दिखाता है। दूर की चौकियों को "वाइब्रेंट विलेज" में बदलकर, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि भारत की सीमाएं सिर्फ़ मैप पर बनी लाइनें न हों, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और देश की मज़बूती के बढ़ते हुए हब हों।

न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना और नफ़रत भरे अपराध

प्रसंग

भारत के चीफ़ जस्टिस (CJI) ने **नस्ली गालियों** और **हेट क्राइम** , खासकर नॉर्थईस्ट भारत के लोगों को टारगेट करने वाले अपराधों को रोकने की बहुत ज़रूरत पर ज़ोर दिया। न्यायपालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का संवैधानिक "अलग-अलग तरह की चीज़ों में एकता" सिर्फ़ एक नारा नहीं है, बल्कि एक कानूनी आदेश है जिसके तहत सभी जातीय और क्षेत्रीय सीमाओं के पार आपसी सम्मान की ज़रूरत है।

समाचार के बारे में

न्यायिक असंवेदनशीलता: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हाल ही में **POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट** के तहत एक मामले में **इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले के बाद दखल दिया** ।

- हाई कोर्ट के जज ने सेक्शुअल असॉल्ट के चार्ज कम करने को सही ठहराने के लिए एक नाबालिग विक्टिम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया।
- SC ने ऐसी भाषा को "बहुत बुरा" बताया और कहा कि कोर्ट में सर्वाइवर्स की इज्ज़त बनाए रखनी चाहिए, न कि उन्हें फिर से सदमा देना चाहिए।

SC पैनल का गठन: भविष्य में न्यायिक पक्षपात या भाषाई असंवेदनशीलता की घटनाओं को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है।

- **संरचना: जस्टिस सूर्यकांत** (3 जजों की बेंच के साथ) और नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर **जस्टिस अनिरुद्ध बोस** के नेतृत्व में ।
- **मैंडेट:** कोर्टरूम में जेंडर-सेंसिटिव और कल्चरली-अवेयर कम्युनिकेशन के लिए एक "स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर" (SOP) बनाना।

नई गाइडलाइंस के मुख्य उद्देश्य

1. भाषा की संवेदनशीलता और निष्पक्षता: जजों को पुरुष प्रधान या नैतिकता वाली भाषा का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। ध्यान **आसान, बिना किसी परेशानी वाली इंग्लिश का इस्तेमाल करने पर है** , साथ ही ऐसे मुश्किल कानूनी शब्दों से बचना है जो आम नागरिक को अलग-थलग कर देते हैं।

2. रीजनल ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी: पैनल ने भारत के पॉलीग्लॉट समाज में एक क्रिटिकल "ट्रांसलेशन गैप" की पहचान की। रीजनल बारीकियों से गंभीर कानूनी गलतफहमियां हो सकती हैं:

- **उदाहरण:** तेलुगु शब्द *"रंडी"* दक्षिण भारत में एक इज्ज़तदार बुलावा ("प्लीज़ अंदर आइए") है, फिर भी यह उत्तर भारत में एक गंभीर गाली है।
- **ज़रूरत:** कोर्ट को वेरिफाइड, कॉन्टेक्स्ट-अवेयर ट्रांसलेटर पर भरोसा करना चाहिए ताकि कल्चरल गलत मतलब से न्यायिक नतीजों पर असर न पड़े।

3. रेशियल प्रोफाइलिंग से निपटना: गाइडलाइंस में नॉर्थईस्ट इंडिया के सोशियो-कल्चरल इतिहास पर खास मॉड्यूल शामिल होंगे, ताकि ज्यूडिशियल अधिकारियों को सिस्टमिक भेदभाव और कानूनी कार्रवाई में रेशियल गालियों के आम इस्तेमाल के खिलाफ जागरूक किया जा सके।

संवैधानिक एवं कानूनी ढांचा

- **आर्टिकल 14:** कानून के सामने बराबरी पक्का करता है; असंवेदनशील न्यायिक भाषा बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- **आर्टिकल 15:** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- **आर्टिकल 21:** फेयर ट्रायल के अधिकार में कोर्ट द्वारा सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार भी शामिल है।

चुनौतियां

- **गहरी जड़ें जमाए हुए भेदभाव:** गहरे बैठे सामाजिक भेदभाव अक्सर अनजाने में कोर्ट के कामों में भी आ जाते हैं (जैसे *अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य का* केस, जिसमें जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया गया था)।
- **बड़ा अधिकार क्षेत्र:** हज़ारों निचली अदालतों और कई भाषाओं में एक जैसे भाषा के स्टैंडर्ड लागू करना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक मुश्किल है।
- **ट्रांसलेशन की बारीकियां:** अलग-अलग भारतीय बोलियों के लिए एक स्टैंडर्ड कानूनी शब्दकोष की कमी के कारण अक्सर सबूत रिकॉर्ड करते समय "ट्रांसलेशन में खो जाने" की स्थिति पैदा हो जाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ज़रूरी ट्रेनिंग:** नेशनल **ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) को** सभी नए नियुक्त जजों के लिए फाउंडेशन कोर्स में सेंसिटाइज़ेशन मॉड्यूल शामिल करने चाहिए।
- **AI-असिस्टेड ट्रांसलेशन:** गवाहों के बयानों का कॉन्टेक्स्ट-सेंसिटिव ट्रांसलेशन देने के लिए खास कानूनी AI टूल्स का इस्तेमाल करना।
- **पब्लिक ऑडिट:** SC पैनल द्वारा फैसलों का समय-समय पर रिव्यू करना ताकि गलत या असंवेदनशील बातों की पहचान करके उन्हें हटाया जा सके।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का प्रोएक्टिव रुख यह दिखाता है कि **कानून की भाषा** भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि **कानून का अक्षर** । यह पक्का करके कि ज्यूडिशियरी हमदर्दी और कल्चरल सटीकता के साथ बात करे, भारत एक ऐसे लीगल सिस्टम के करीब पहुँचता है जो प्रिएंबल में किए गए वादे के मुताबिक "व्यक्ति की गरिमा" का सच में सम्मान करता है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति

प्रसंग

RACE IAS

23 फरवरी, 2026 को , गृह मंत्रालय (MHA) ने **PRAHAAR नाम की पॉलिसी पेश की** , जो भारत की पहली पूरी और एक जैसी नेशनल काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी है। यह अहम फ्रेमवर्क भारत को रिएक्टिव सिक्योरिटी पोजीशन से एक प्रोएक्टिव, मल्टी-डाइमेंशनल स्ट्रैटेजी में बदलता है, जिसे आज के एक्सट्रीमिस्ट खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नीति के बारे में

PRAHAAR फ्रेमवर्क: यह पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक एक्रोनिम पर बनी है जो इसके मुख्य पिलर्स को डिफाइन करती है:

- **P – रोकथाम:** कट्टरपंथ और आतंकी साजिशों को सामने आने से पहले रोकने के लिए "वैक्सीन-स्टाइल" तरीका अपनाना।
- **आर – रिस्पॉन्स:** एक्टिव खतरों को सटीकता के साथ बेअसर करने के लिए रैपिड-एक्शन प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज़ करना।
- **A – एग्रीगेटिंग:** CBI, IB, राज्य पुलिस और आर्म्ड फोर्सेज़ की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल क्षमताओं को एक ही छत के नीचे लाना।
- **H – ह्यूमन राइट्स और कानून का राज:** कड़ी नेशनल सिक्योरिटी और लोगों की सिविल लिबर्टी की सुरक्षा के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाना।
- **ए – कम करना:** चरमपंथी विचारधाराओं के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से कम करना और मौजूदा खतरों के प्रभाव को न्यूनतम करना।
- **A – अलाइन करना:** लोकल एनफोर्समेंट कोशिशों को इंटरनेशनल काउंटर-टेररिज्म कानूनों और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ तालमेल बिठाना।
- **आर – रिकवरी:** घटना के बाद समाज के पुनर्निर्माण और सामूहिक सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करके लचीलापन बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएं और दायरा

ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच: यह पॉलिसी आतंकवाद के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" रुख को ज़रूरी बनाती है, जिसमें सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को किसी खास धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से साफ़ तौर पर अलग किया जाता है।

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा: हाई-वैल्यू सेक्टर के लिए खास सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **एनर्जी और पावर:** न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और पावर ग्रिड।
- **ट्रांसपोर्ट:** एविएशन, रेलवे और बड़े समुद्री बंदरगाह।
- **स्ट्रेटेजिक एसेट्स:** डिफेंस फैसिलिटी, स्पेस रिसर्च सेंटर और एटॉमिक एनर्जी लैब।

मॉडर्न थ्रेट मिटिगेशन: PRAHAAR 21वीं सदी के युद्ध से निपटने के लिए **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) का इस्तेमाल करता है** , जैसे:

- **साइबर आतंकवाद:** डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना और डेटा ब्रीच को रोकना।
- **ड्रोन वॉरफेयर:** हवाई हमलों के खिलाफ एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी को लागू करना।
- **टेरर फाइनेंसिंग:** गैर-कानूनी फंड और स्लीपर सेल लॉजिस्टिक्स के फ्लो में रुकावट डालना।

संवैधानिक एवं कानूनी ढांचा

- **नेशनल सिक्योरिटी बनाम फंडामेंटल राइट्स:** हालांकि यह पॉलिसी राज्य को मज़बूत करती है, लेकिन यह ज्यूडिशियल रिव्यू के अधीन है ताकि यह पक्का हो सके कि यह **आर्टिकल 21** (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत दी गई सुरक्षा को बायपास न करे।
- **फ़ेडरल सहयोग:** सातवें शेड्यूल के तहत, "पब्लिक ऑर्डर" राज्य का विषय है, लेकिन PRAHAAR "नेशनल सिक्योरिटी" से जुड़ी चिंताओं के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को आसान बनाता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **इंटर-एजेंसी राइवलरी:** अलग-अलग इंटेलिजेंस और पुलिस विंग के बीच पारंपरिक दूरी को दूर करना।
- **टेक्नोलॉजिकल गैप:** टेरर मॉड्यूल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के तेज़ी से हो रहे डेवलपमेंट से आगे रहना।
- **कानूनी जांच:** यह पक्का करना कि "रोकथाम" के उपायों से किसी को मनमाने ढंग से हिरासत में न लिया जाए या प्राइवेसी का उल्लंघन न हो।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **संस्थागत मजबूती:** मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) की पहुंच को जिला स्तर तक बढ़ाना।
- **कम्युनिटी पुलिसिंग:** ज़मीनी स्तर पर कट्टरता को रोकने के लिए पॉलिसी के "कम करने" वाले फेज़ में मदद के लिए लोकल नेताओं को शामिल करना।
- **ग्लोबल सहयोग:** क्रॉस-बॉर्डर स्टेट-स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम को लीड करने के लिए "अलाइनिंग" पिलर का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

PRAHAAR भारत के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी रिकवरी को एक ही पॉलिसी में मिलाकर, सरकार का मकसद एक "टेररिज्म-फ्री" माहौल बनाना है जो फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की घुसपैठ को झेल सके और साथ ही रिपब्लिक के डेमोक्रेटिक मूल्यों को भी बनाए रखे।

सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्रसंग

संसद के खास अधिकार किसी भी लेजिस्लेचर के डेमोक्रेटिक कामकाज के लिए ज़रूरी हैं, जिससे यह पक्का होता है कि रिप्रेजेंटेटिव बाहरी कानूनी नतीजों के डर के बिना अपनी ड्यूटी निभा सकें। हाल के सालों में, हाउस के अंदर MP की पूरी

आज़ादी और स्पीकर की बातों को हटाने की पावर के बीच बैलेंस एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बहस का विषय रहा है।

समाचार के बारे में

- **आर्टिकल 105 (संसदीय विशेषाधिकार):** यह संवैधानिक नियम संसद सदस्यों (MPs) को सदन में **बोलने की पूरी आज़ादी देता है** । यह पक्का करता है कि संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी सदस्य पर किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी।
- **राज्य सादृश्य:** एक संगत प्रावधान, **अनुच्छेद 194** , राज्य विधानसभाओं में विधान सभा सदस्यों (एमएलए) को समान सुरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- **ऑफिशियल रिकॉर्ड:** MPs की बातें हाउस के ऑफिशियल परमानेंट रिकॉर्ड में दर्ज की जाती हैं, जिससे उन्हें सदन में दिए गए उनके भाषण के बारे में मानहानि या सिविल/क्रिमिनल केस से छूट मिलती है।

अध्यक्ष की शक्ति और नियम 380

हालांकि आज़ादी बड़ी है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए इसे अंदरूनी तौर पर रेगुलेट किया जाता है:

- **नियम 380 (हटा देना):** काम करने के तरीके और कामकाज के नियमों के तहत, स्पीकर के पास रिकॉर्ड से शब्दों को "हटा" देने का अधिकार होता है, अगर उन्हें **असंसदीय, अपमानजनक, अशोभनीय या अभद्र माना जाता है** ।
- **संवैधानिक सावधानी:** कानूनी जानकारों का कहना है कि स्पीकर कुछ खास अपमानजनक शब्दों को हटा सकते हैं, लेकिन **मनमाने ढंग से पूरे पैराग्राफ को दबाना** या किसी MP के भाषण के खास हिस्सों को हटाना आर्टिकल 105 के तहत मिली बुनियादी सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है।

संवैधानिक प्रतिबंध (अनुच्छेद 121)

संसद में बोलने की आज़ादी बाहरी कानूनी कार्रवाई के मामले में "पूरी" है, लेकिन यह कुछ खास संवैधानिक सीमाओं के तहत आती है:

- **न्यायाधीशों का आचरण: आर्टिकल 121** साफ़ तौर पर MPs को किसी भी **सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के काम** के बारे में चर्चा करने से रोकता है।
- **एक्सेप्शन: ऐसी चर्चा की इजाज़त तभी है जब जज को हटाने (इंपीचमेंट) के लिए** हाउस में फॉर्मल मोशन पर एक्टिवली विचार किया जा रहा हो।
- **सदन के नियम:** बोलने की बात भी अंदरूनी नियमों के तहत आती है, जो साथी सदस्यों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने या पर्सनल इल्ज़ाम लगाने से मना करते हैं।

चुनौतियां

- **"अनसंसदीय" की परिभाषा:** "अनसंसदीय" भाषा की परिभाषा अक्सर सब्जेक्टिव होती है, जिससे जब विपक्ष के भाषणों को बहुत ज़्यादा एडिट किया जाता है, तो पॉलिटिकल बायस के आरोप लगते हैं।
- **ज्यूडिशियल रिव्यू:** हालांकि कोर्ट आम तौर पर पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में दखल नहीं देते (आर्टिकल 122), लेकिन असहमति को दबाने के लिए "एक्सपंक्शन" का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक ग्रे एरिया बना हुआ है।
- **पब्लिक एक्सेस:** हटाई गई बातों को मीडिया को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए; लेकिन, लाइव टेलीकास्ट और सोशल मीडिया के ज़माने में, रिकॉर्ड से स्पीच को "डिलीट" करना टेक्निकली मुश्किल हो गया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस:** रूल 380 के इस्तेमाल के लिए साफ़, दोनों पार्टियों की गाइडलाइंस बनाना, ताकि यह पक्का हो सके कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल आलोचना को रोकने के बजाय तमीज़ बनाए रखने के लिए किया जाए।
- **नैतिकता को मज़बूत करना:** सांसदों के बीच सेल्फ़-रेगुलेशन को बढ़ावा देना ताकि वे पार्लियामेंट्री शिष्टाचार के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का पालन कर सकें, जिससे चेयर के दखल की ज़रूरत कम हो।
- **प्रिविलेज का कोडिफिकेशन:** इस बात पर समय-समय पर बहस होती है कि क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को फॉर्मली कोडिफाई किया जाना चाहिए ताकि फ्री स्पीच की लिमिट्स बनाम चेयर की पावर्स पर ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके।

निष्कर्ष

आर्टिकल 105 और **रूल 380** के बीच तालमेल पूरी आज़ादी और ज़रूरी शिष्टाचार के बीच एक नाजुक बैलेंस दिखाता है। एक मज़बूत डेमोक्रेसी के लिए, यह ज़रूरी है कि खास अधिकार की "ढाल" मज़बूत बनी रहे, जबकि हटाने की "तलवार" का इस्तेमाल सही बहस को दबाने के बजाय संस्था की पवित्रता को बचाने के लिए कम किया जाए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

प्रसंग

2023 में, भारतीय संसद ने **128वां संविधान संशोधन बिल पास किया** , जिसे **नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है** । यह ऐतिहासिक कानून महिला सांसदों के लिए एक तय कोटा ज़रूरी करके भारत की सबसे बड़ी कानूनी संस्थाओं में महिलाओं के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को दूर करने की कोशिश करता है।

समाचार के बारे में

- **बैकग्राउंड:** लगभग आधी आबादी होने के बावजूद, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में महिलाओं का

रिप्रेजेंटेशन लगातार कम रहा है। पुराने डेटा से पता चलता है कि सबको साथ लेकर चलने वाली भागीदारी से ज़्यादा मल्टी-डाइमेंशनल पॉलिसी बनती हैं और पानी और सैनिटेशन सेक्टर जैसे मामलों में बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है।

- **ऐतिहासिक मील का पत्थर:** इस आरक्षण की तलाश नई नहीं है; संसद में महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित करने वाला पहला आधिकारिक बिल लगभग तीन दशक पहले, **1996 में पेश किया गया था** ।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **1/3 आरक्षण: लोकसभा** और **राज्य विधानसभाओं** में महिलाओं के लिए **33% सीटें** आरक्षित करना अनिवार्य है ।
  - **छूट: यह रिज़र्वेशन राज्य सभा** (संसद का ऊपरी सदन) या **राज्य विधान परिषदों** तक नहीं है ।

प्रतिनिधित्व चुनौतियाँ

- **"प्रधान पति" वाली बात:** ज़मीनी राजनीति में एक बड़ी रुकावट प्रॉक्सी कल्चर है। अक्सर, जब औरतें चुनाव जीतती हैं, तब भी असली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर पुरुष रिश्तेदारों (पति, पिता, या ससुर) के पास होती है।
- **स्ट्रक्चरल रुकावटें:** फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी, पार्टी के अंदर का सिस्टम, और समाज की गलत सोच, इंडिपेंडेंट महिला लीडरशिप को पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में आने से रोकती हैं।

कार्यान्वयन समयरेखा और शर्तें

इस एक्ट में खास "लिंक्ड शर्तें" शामिल हैं, जिनकी वजह से इसका तुरंत लागू होना टाल दिया गया है:

1. **जनगणना की ज़रूरत:** रिज़र्वेशन अगली ऑफिशियल **जनगणना** होने और पब्लिश होने के बाद ही लागू किया जाएगा (2027 के आसपास होने की उम्मीद है)।
2. **डिलिमिटेशन एक्सरसाइज़:** सेंसस के बाद, एक **डिलिमिटेशन कमीशन** , जो एक कानूनी संस्था है, चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को फिर से बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए।
3. **अनुमानित तारीख:** क्योंकि डिलिमिटेशन एक समय लेने वाला कानूनी और भौगोलिक प्रोसेस है (जिसमें अक्सर 6 से 7 साल लगते हैं), कोटा का असल में लागू होना **2033 या 2034 तक ही पूरा होने की उम्मीद है**।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** लीगल कोटा के अलावा, महिला लीडर्स को ट्रेनिंग देने और उन्हें मज़बूत बनाने की ज़रूरत है ताकि "प्रॉक्सी" कल्चर खत्म हो सके और सही रिप्रेजेंटेशन पक्का हो सके।
- **प्रोसेस में तेज़ी लाना:** सेंसस और डिलिमिटेशन की टाइमलाइन को आसान बनाने से वोटर्स तक एक्ट का फ़ायदा मौजूदा दस साल के अनुमान से पहले पहुँचाया जा सकता है।
- **इंस्टीट्यूशनल सुधार:** पॉलिटिकल पार्टियों को कानूनी आदेश के लागू होने का इंतज़ार करने के बजाय, इस बीच महिलाओं को ज़्यादा टिकट देने चाहिए।

निष्कर्ष

नारी शक्ति एवं वंदन अधिनियम भारतीय शासन में जेंडर बराबरी की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। हालांकि जनगणना और डिलिमिटेशन से जुड़ी प्रक्रिया में देरी एक चुनौती है, लेकिन यह कानूनी प्रतिबद्धता महिलाओं की भागीदारी को संरक्षण के काम के बजाय एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की ओर एक बदलाव लाती है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी)

प्रसंग

भारत "दुनिया की GCC राजधानी" के तौर पर उभरा है, जो एक पारंपरिक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन से ग्लोबल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन्स के लिए एक सोफिस्टिकेटेड हब बन गया है। 2026 तक, यह सेक्टर भारत की डिजिटल इकॉनमी का आधार बना रहेगा और हाई-स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक मुख्य ड्राइवर बना रहेगा।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा: ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (GICs)** के नाम से भी जाने जाने वाले GCCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन्स (MNCs) द्वारा कोर बिज़नेस फंक्शन करने के लिए बनाए गए स्ट्रेटेजिक ऑफशोर यूनिट्स हैं।
- **भूमिका में बदलाव:** थर्ड-पार्टी आउटसोर्सिंग के उलट, GCCs की मालिकी पेरेंट कंपनी के पास होती है। वे सिंपल "बैक-ऑफिस" सपोर्ट से बढ़कर **रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D)** , इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) बनाने और एडवांस्ड IT सर्विसेज़ पर फोकस करने वाले सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस बन गए हैं।
- **इंडियन बूम:** भारत में अभी **1,800 से ज़्यादा GCC हैं, जिनमें 2 मिलियन** से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं । गूगल, मेटा और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी टेक और इंडस्ट्रियल कंपनियों ने देश में बड़ी R&D एंटिटीज़ बनाई हैं।

भारत क्यों? (वैल्यू प्रपोज़िशन)

GCC डेस्टिनेशन के तौर पर भारत को पसंद करने के कई स्ट्रक्चरल फायदे हैं:

- **टैलेंट पूल:** "मल्टी-डाइमेंशनल" टैलेंट पूल तक पहुंच। भारत एक ही जगह पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ (STEM) और मैनेजरियल स्किल्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देता है।

- **डेमोग्राफिक डिविडेंड:** बहुत स्किल्ड, युवा और इंग्लिश बोलने वाली वर्कफोर्स लंबे समय तक ह्यूमन रिसोर्स पाइपलाइन देती है।
- **कॉस्ट एफिशिएंसी:** हालांकि फोकस "वैल्यू" पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन वेस्टर्न मार्केट्स के मुकाबले सस्ते, हाई-क्वालिटी टैलेंट की अवेलेबिलिटी एक बड़ी कॉम्पिटिटिव बढ़त बनी हुई है।
- **इकोसिस्टम:** एक मैच्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम और अच्छी सरकारी पॉलिसी (जैसे SEZ के फायदे और डिजिटल इंडिया पहल) आसान सेटअप में मदद करती हैं।

आर्थिक प्रभाव

- **रोज़गार पैदा करना:** GCCs ज़्यादा सैलरी वाली व्हाइट-कॉलर नौकरियाँ देने वाले बड़े शहर हैं, खासकर Tier-1 और उभरते Tier-2 शहरों में।
- **GDP में योगदान:** वे भारत के सर्विस एक्सपोर्ट और पूरी आर्थिक ग्रोथ में अहम योगदान देते हैं।
- **नॉलेज ट्रांसफर:** ग्लोबल बड़ी कंपनियों की मौजूदगी लोकल वर्कफोर्स में इनोवेशन और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस का कल्चर बढ़ाती है।

चुनौतियां

- **टैलेंट के लिए मुकाबला:** 1,800+ सेंटर्स के साथ, "टैलेंट के लिए जंग" की वजह से नौकरी छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा हो गई है और सैलरी का खर्च भी बढ़ गया है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** तेज़ी से हो रहा विस्तार अक्सर दूसरे शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल पावर/इंटरनेट यूटिलिटीज़ के डेवलपमेंट से आगे निकल जाता है।
- **रेगुलेटरी कम्प्लायंस:** मुश्किल टैक्सेशन, डेटा प्राइवेसी कानून (जैसे DPDP एक्ट), और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर प्राइसिंग से निपटना नए लोगों के लिए एक मुश्किल बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **टियर-2 और टियर-3 विस्तार:** खर्च मैनेज करने और नए टैलेंट को लाने के लिए, GCCs अब बेंगलुरु और हैदराबाद के अलावा पुणे, अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहरों की ओर देख रहे हैं।
- **डीप टेक पर फोकस: भविष्य की ग्रोथ शायद जेनरेटिव AI** , क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी खास टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगी ।
- **पॉलिसी सपोर्ट:** "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" पर सरकार का लगातार ध्यान और R&D-हैवी यूनिट्स के लिए खास इंसेंटिव बहुत ज़रूरी होंगे।

निष्कर्ष

GCCs ने भारत की इमेज को "दुनिया के बैक ऑफिस" से बदलकर "दुनिया के इंजन रूम" बना दिया है। कॉस्ट-एफिशिएंसी और हाई-एंड इनोवेशन के बीच बैलेंस बनाकर, ये सेंटर भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में जोड़ने में अहम हैं, साथ ही घरेलू इकॉनमी को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं।

लापीस लाजुली

यह क्या है

लैपिस लाजुली एक चमकीला, गहरे नीले रंग का **मेटामॉर्फिक पत्थर है** जिसे हज़ारों सालों से सेमी-प्रेशियस जेमस्टोन के तौर पर कीमती माना जाता रहा है। कई जेम जो सिंगल मिनरल होते हैं (जैसे हीरे या नीलम), उनसे अलग लैपिस कई मिनरल का **मेल है**। टेक्निकली यह एक चट्टान है, जो आमतौर पर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से बनती है, जहाँ मैग्मा से निकलने वाली गर्मी लाइमस्टोन या मार्बल को बदल देती है।

संघटन

लैपिस लाजुली का खास रूप एक सटीक मिनरल मिश्रण का नतीजा है:

- **लाजुराइट (25–40%):** पत्थर के गहरे रॉयल ब्लू रंग का मुख्य सोर्स। यह सोडालाइट ग्रुप से जुड़ा एक सिलिकेट मिनरल है।
- **पाइराइट:** अक्सर "सुनहरे" धब्बों या धारियों जैसा दिखता है। ये असल में आयरन सल्फाइड के कण होते हैं जो पत्थर को आसमानी, तारों जैसा लुक देते हैं।
- **कैल्साइट:** सफेद नसों या धब्बों जैसा दिखता है। अच्छी क्वालिटी वाले "जेम-ग्रेड" लैपिस की कीमत इसलिए होती है क्योंकि इसमें कैल्साइट बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखता।
- **अन्य:** डायोपसाइड, सोडालाइट और माइका की थोड़ी मात्रा भी मौजूद हो सकती है।

वैश्विक स्थान और गुणवत्ता

- **अफ़गानिस्तान (बदख्शां):** सर **-ए-संग की** खदानें 6,000 से ज़्यादा सालों से दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के लैपिस का सबसे बड़ा सोर्स रही हैं। यहां के पत्थर अपने एक जैसे, गहरे नीले रंग के लिए जाने जाते हैं।
- **चिली:** फ्लोर **डे लॉस एंडिस** खदान में लैपिस का उत्पादन होता है जो अक्सर हल्के रंग का होता है और इसमें काफी अधिक ग्रे या सफेद कैल्साइट होता है।
- **रूस: बैकाल झील** के पास पाया जाता है , अक्सर इसकी पहचान एक खास "साइबेरियन" नीले रंग से होती है जिसमें पाइराइट का लेवल अलग-अलग होता है।
- **अन्य:** पाकिस्तान (चगाई), संयुक्त राज्य अमेरिका (कोलोराडो और कैलिफोर्निया), म्यांमार और ताजिकिस्तान में छोटे भंडार मौजूद हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

1. सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)

लैपिस लाजुली हड़प्पावासियों के लिए पुराने व्यापार की नींव थी।

RACE IAS

- **शॉर्टुघई कॉलोनी: हड़प्पा के लोगों ने शॉर्टुघई** (आज का अफ़गानिस्तान) में एक खास ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाया था, खास तौर पर लैपिस लाजुली की माइनिंग और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए।
- **ट्रेड रूट: मोहनजो-दारो** और **हड़प्पा** जैसी बड़ी IVC जगहों पर ऐसी चीज़ें मिली हैं , जिनसे साबित होता है कि इन्हें मोतियों, ताबीज़ों और जड़ाई के काम में बनाया गया था।

2. प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया

- **फैरोनिक रेगेलिया:** लैपिस को "स्वर्ग का पत्थर" माना जाता था। इसका इस्तेमाल तूतनखामुन के मशहूर **डेथ मास्क में किया गया था** और इसे पीसकर दुनिया का पहला नीला आईशैडो (क्लियोपेट्रा ने इस्तेमाल किया था) बनाया गया था।
- **सुमेरियन पौराणिक कथा:** *गिलगमेश महाकाव्य* में , लैपिस को देवताओं और राजघराने से जुड़ी एक पवित्र चीज़ के रूप में बताया गया है।

3. द रेनेसां और "अल्ट्रामरीन"

मिडिल एज और रेनेसां के दौरान, लैपिस को यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था और उससे **अल्ट्रामरीन बनाया जाता था** , जो सबसे महंगा और चमकीला नीला पिगमेंट था।

- **माइकल एंजेलो** और **वर्मीर** जैसे कलाकारों ने (जैसे, *गर्ल विद ए पर्ल इयररिंग में*) इस पिगमेंट को सबसे ज़रूरी चीज़ों, जैसे वर्जिन मैरी के कपड़े, के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि यह अक्सर सोने से भी ज़्यादा कीमती होता था।

आज का महत्व

प्रोवेंस रिसर्च में स्टडी का विषय बना हुआ है । क्योंकि अफ़गान लैपिस का केमिकल सिग्नेचर बहुत यूनिक है, आर्कियोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल इंसानी इतिहास के सबसे पुराने कमर्शियल ट्रेड रूट का मैप बनाने के लिए करते हैं, जिसे अक्सर **"लैपिस रोड" कहा जाता है।**

पीएम मोदी का इज़राइल का राजकीय दौरा

प्रसंग

25-26 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल का दो दिन का ऐतिहासिक स्टेट विज़िट किया। यह उनका दूसरा ऑफिशियल विज़िट है (पहला 2017 में था) और यह **भारत-इज़राइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करता है** । यह विज़िट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह 7 अक्टूबर, 2023 की घटनाओं के बाद पश्चिम एशिया में बदले हुए जियोपॉलिटिकल माहौल के बीच हो रहा है।

नेसेट को संबोधन

PM मोदी **नेसेट** (इज़राइल की संसद) को संबोधित करने वाले **पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।**

- **आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता:** उन्होंने "बर्बर" हमास हमले की निंदा की और बिना किसी दोहरे मापदंड के **"आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस" की भारत की पॉलिसी को दोहराया** , और 7 अक्टूबर के हमलों और 26/11 के दौरान भारत के अपने अनुभव के बीच समानताएं बताईं।
- **शांति के लिए सपोर्ट:** इज़राइल के साथ मज़बूती से खड़े रहते हुए, उन्होंने **गाज़ा पीस इनिशिएटिव** (UNSC-समर्थित) को "न्यायसंगत और टिकाऊ शांति" के रास्ते के तौर पर सपोर्ट किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि बातचीत और इंसानियत को आगे का रास्ता दिखाना चाहिए।

सामरिक एवं आर्थिक सहयोग

- **"आयरन अलायंस":** इज़राइली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिश्ते को "बहुत बड़ा मल्टीप्लायर" और दो मज़बूत डेमोक्रेसी के बीच "आयरन अलायंस" बताया।
- **टेक्नोलॉजी और इनोवेशन:** दोनों नेताओं ने येरुशलम में एक प्रदर्शनी देखी, जो इन विषयों पर केंद्रित थी:
  - **AI और क्वांटम कंप्यूटिंग:** स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में मिलकर रिसर्च।
  - **पानी और एग्री-टेक:** डीसेलिनेशन (वाटरजेन) और माइक्रो-इरिगेशन (एन-ड्रिप) के लिए समाधान।
  - **साइबर सिक्योरिटी:** एडवांस्ड थ्रेट प्रिवेंशन और डेटा सिक्योरिटी।
- **फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA):** दोनों देश एक बड़े FTA के लिए बातचीत को तेज़ करने पर सहमत हुए, ताकि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए ट्रेड पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके।

भू-राजनीतिक घटनाक्रम

1. हेक्सागोनल अलायंस (नेतन्याहू का विजन)

"हेक्सागन ऑफ़ अलायंसेस" नाम का एक नया जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर प्रपोज़ किया ।

- **स्ट्रक्चर:** 6 देशों का फ्रेमवर्क जिसमें **इज़राइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस** और कुछ चुने हुए अरब और अफ्रीकी देश शामिल हैं।
- **मकसद:** "रेडिकल एक्सिस" (ईरान के नेतृत्व वाली रेडिकल शिया एक्सिस और उभरती हुई रेडिकल सुन्नी एक्सिस, दोनों) का मुकाबला करने के लिए एक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक एक्सिस बनाना।
- **भारत का बैलेंसिंग एक्ट:** हालांकि भारत इस विज़न में एक "कोर पार्टनर" है, लेकिन नई दिल्ली सतर्क है। भारत **ईरान, सऊदी अरब और कतर के साथ ज़रूरी एनर्जी और सभ्यता से जुड़े रिश्ते बनाए रखता है, और आमतौर पर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी** बनाए रखने के लिए सख्त मिलिट्री-स्टाइल ब्लॉक से बचता है।

2. IMEC कॉरिडोर (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर)

- **स्टेटस:** कॉरिडोर के लिए नया जोश एक सेंट्रल थीम था। नेतन्याहू ने भारत और इज़राइल को इस एक्सिस का सबसे "सिक्योर एंकर" बताया।
- **कनेक्टिविटी:** इस प्रोजेक्ट का मकसद UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल (हाइफ़ा पोर्ट) के ज़रिए भारत को यूरोप से जोड़ना है।
- **अभी की मुश्किलें:** हालांकि गाजा लड़ाई की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन जनवरी 2026 में **इंडिया-EU ट्रेड डील** और 2025 के ट्राइस्टे समिट पर साइन होने से इस प्रोजेक्ट को स्वेज कैनाल और चीन के BRI के "फ्यूचर-प्रूफ" विकल्प के तौर पर नई जान मिल गई है।

यात्रा का महत्व

- **डी-हाइफ़नेशन:** भारत ने इज़राइल की सुरक्षा का समर्थन करते हुए अपनी "डी-हाइफ़नेटेड" पॉलिसी को सफलतापूर्वक दिखाया, साथ ही **टू-स्टेट सॉल्यूशन** और फ़िलिस्तीनी मानवीय ज़रूरतों का भी साफ़ तौर पर समर्थन किया।
- **डिफेंस संबंध:** भारत के लिए एक टॉप-टियर डिफेंस पार्टनर के तौर पर इज़राइल की भूमिका को फिर से पक्का किया गया, जो बायर-सेलर रिश्ते से आगे बढ़कर मिसाइलों और ड्रोन के जॉइंट डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है।
- **कल्चरल कनेक्ट:** PM मोदी ने **याद वाशेम** (होलोकॉस्ट मेमोरियल) का दौरा किया और भारतीय-यहूदी डायस्पोरा से बातचीत की, और दोनों देशों के बीच गहरे "खून और बलिदान" के रिश्तों पर ज़ोर दिया।

निष्कर्ष

2026 का दौरा भारत-इज़राइल संबंधों को एक शांत डिफेंस पार्टनरशिप से एक पब्लिक, कई पहलुओं वाले स्ट्रेटेजिक अलायंस में बदलने को पक्का करता है। भारत को "हेक्सागन" और IMEC कॉरिडोर के बीच में रखकर, दोनों देश एक अस्थिर दुनिया में खुशहाली का एक स्थिर, टेक्नोलॉजी से चलने वाला कॉरिडोर बनाना चाहते हैं।

दोहरा कराधान बचाव अभिसमय (DTAC)

प्रसंग

भारत और फ्रांस ने अपने 1992 के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन को अपडेट करने के लिए एक अहम **अमेंडिंग प्रोटोकॉल पर साइन किए। यह अपडेट, जिस पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के भारत के ऑफिशियल दौरे के दौरान साइन किया गया था, तीन दशक पुरानी इस ट्रीटी को मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स स्टैंडर्ड्स और OECD के BEPS** (बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग) फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है।

डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन (DTAC) के बारे में

- **यह क्या है:** दो देशों के बीच एक बाइलेटरल एग्रीमेंट जो एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लगने से रोकने के लिए बनाया गया है, एक बार **सोर्स कंट्री में** (जहां यह कमाई जाती है) और एक बार **रेजिडेंट कंट्री में** (जहां टैक्सपेयर रहता है)।
- **राहत के तरीके:**
  - **छूट का तरीका:** इनकम पर सिर्फ़ एक देश में टैक्स लगता है और दूसरे देश में पूरी तरह छूट है।
  - **टैक्स क्रेडिट मेथड:** इनकम पर दोनों में टैक्स लगता है, लेकिन रहने वाला देश सोर्स देश में दिए गए टैक्स के लिए क्रेडिट देता है।

2026 के संशोधित भारत-फ्रांस DTAC की मुख्य विशेषताएं

अमेंडिंग प्रोटोकॉल टैक्स चोरी को रोकने और इन्वेस्टमेंट के माहौल को आसान बनाने के लिए कई बड़े बदलाव लाता है:

- **कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार: भारत (सोर्स देश) के पास अब भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री से होने वाले फ़ायदे पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। पहले, कुछ मतलब निकालने पर छूट मिलती थी; इस बदलाव से फ्रांस की संधि भारत की मॉरिशस** और **सिंगापुर** के साथ हुई संधियों के बराबर हो गई है ।
- **टियर्ड डिविडेंड टैक्सेशन:** स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए पहले के फ्लैट 10% रेट को स्प्लिट-रेट स्ट्रक्चर से बदल दिया गया है:
  - **5% टैक्स:** कंपनी की कैपिटल का कम से कम **10% हिस्सा रखने वाले शेयरहोल्डर्स के लिए।**
  - **15% टैक्स:** बाकी सभी इन्वेस्टर्स (पोर्टफोलियो/माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स) के लिए।
- **MFN क्लॉज़ को हटाना:** मोस्ट **-फेवर्ड-नेशन (MFN)** क्लॉज़ को ऑफिशियली हटा दिया गया। यह 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (*नेस्ले SA केस*) के बाद हुआ है और इससे वे झगड़े खत्म हो गए हैं जिनमें ट्रीटी पार्टनर दूसरे देशों को दी गई कम रेट पर ऑटोमैटिकली क्लेम करते थे।
- **सर्विस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट (PE):** एक "सर्विस PE" क्लॉज़ जोड़ा गया, जिससे भारत के पास उन विदेशी एंटिटीज़ पर टैक्स लगाने का अधिकार बढ़ गया जो बिना किसी तय फिजिकल बेस के लंबे समय तक भारत में सर्विस देती हैं।
- **BEPS इंटीग्रेशन:** मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन्स को टैक्स से बचने के लिए "ट्रीटी शॉपिंग" का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए **मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट (MLI) प्रोविज़न को** सीधे तौर पर शामिल करता है ।

2026 प्रोटोकॉल का महत्व

- **इन्वेस्टमेंट बूस्ट:** एक साफ़, डुअल-रेट डिविडेंड स्ट्रक्चर देकर, यह भारत में बड़े पैमाने पर फ्रेंच **फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को बढ़ावा देता है।**

RACE IAS

- **कानूनी निश्चितता:** MFN क्लॉज़ को हटाने से "ऑटोमैटिक" टैक्स बेनिफिट्स को लेकर सालों से चल रही मुकदमेबाजी खत्म हो जाएगी, जिससे **कैपजेमिनी, सनोफी और लॉरियल जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए एक तय सिस्टम मिलेगा** ।
- **टैक्स चोरी विरोधी: जानकारी के लेन-देन** के लिए बेहतर नियम और **टैक्स कलेक्शन में मदद** पर एक नया आर्टिकल, दोनों देशों की फिस्कल चोरी और गैर-कानूनी फाइनेंशियल फ्लो को ट्रैक करने की क्षमता को मजबूत करता है।
- **रेवेन्यू प्रोटेक्शन:** यह घरेलू शेयरों की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने के भारत के अधिकार को सुरक्षित करता है, और देश के खजाने को प्रॉफिट शिफ्टिंग से बचाता है।

निष्कर्ष

इंडिया-फ्रांस DTAC में 2026 का बदलाव एक पुरानी ट्रीटी से एक मॉडर्न, एंटी-अब्यूज टैक्स फ्रेमवर्क में बदलाव को दिखाता है। हालांकि इससे कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन यह **इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगले फेज के लिए ज़रूरी लॉन्ग-टर्म ट्रांसपेरेंसी और निश्चितता देता है** ।

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन

प्रसंग

भारत सरकार ने पूरे देश में **ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑफिशियली शुरू करने की घोषणा की है** । सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के मकसद से, इस पहल में मुख्य बचाव के उपाय के तौर पर टीनएज लड़कियों पर फोकस किया गया है, जो महिलाओं की सेहत के लिए भारत के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रयासों में से एक है।

समाचार के बारे में

- **वैक्सीन:** एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो वायरस जैसे जेनेटिक मटीरियल (कोई लाइव वायरस नहीं) का इस्तेमाल करके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है।
- **लक्ष्य:** हाई-रिस्क HPV वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करना, जो भारत में लगभग **85% सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं।**
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी (2026):**
  - **सालाना बोझ: भारत में** हर साल लगभग **1.27 लाख नए मामले** और **लगभग 80,000 मौतें होती हैं।**
  - **मृत्यु दर:** इस रोकी जा सकने वाली बीमारी से हर आठ मिनट में लगभग एक महिला की मौत हो जाती है।
  - **ग्लोबल शेयर:** दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में भारत का हिस्सा लगभग **पांचवां हिस्सा है।**

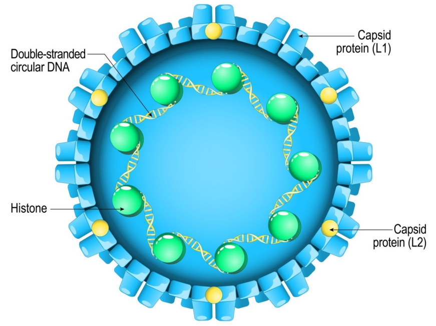

एचपीवी के लिए वेक्टर

- **मुख्य कारण:** हाई-रिस्क **ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV)** टाइप, खासकर **16 और 18** , जो ऑन्कोजेनिक होते हैं, से लगातार इन्फेक्शन।
- **ट्रांसमिशन:** एक आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STI) जो स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है।
- **प्रोग्रेशन: लगातार रहने वाले HPV इन्फेक्शन को इनवेसिव सर्वाइकल कैंसर बनने में** आमतौर पर **10 से 20 साल लगते हैं** , जिससे वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के ज़रिए जल्दी बचाव के लिए काफी समय मिल जाता है।

पहल की मुख्य विशेषताएं

- **टारगेट ग्रुप: हर साल 14 साल की** होने वाली लड़कियां (हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियां)। इस उम्र में वैक्सीनेशन सबसे मज़बूत इम्यून रिस्पॉन्स देता है और यह पोटेंशियल एक्सपोज़र से पहले होता है।
- **इस्तेमाल की गई वैक्सीन:** सरकार **गार्डासिल-4** (क्वाड्रिवेलेंट) का इस्तेमाल कर रही है, जो चार HPV टाइप से बचाता है: **16 और 18** (कैंसर पैदा करने वाले) और **6 और 11** (जेनिटल वार्ट्स पैदा करने वाले)।
  - *नोट:* जबकि स्वदेशी **सर्वावैक** (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) निजी बाजार में उपलब्ध है, सरकार वर्तमान में **गावी, वैक्सीन अलायंस के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय अभियान के लिए गार्डासिल का उपयोग करती है** ।
- **डोज़: 2022 WHO की सिफारिशों और ICMR गाइडेंस के आधार पर** सिंगल **-डोज़ शेड्यूल** अपनाया गया है, जो इस उम्र के ग्रुप के लिए मल्टी-डोज़ रेजीमेन जितना ही असरदार साबित हो रहा है।
- **लागू करना:** अपनी मर्ज़ी से और सरकारी जगहों (आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ज़िला अस्पताल) पर **मुफ़्त ।**

- **ट्रैकिंग:** आसान रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए **U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म** से मैनेज किया जाता है ।

महत्व

- **हाई इफ़ेक्टिवनेस:** शुरुआती टीनएज में वैक्सीनेशन लगवाने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा **90% से 95% तक कम हो सकता है।**
- **इक्विटी:** "प्राइस बैरियर" (प्राइवेट वैक्सीन की कीमत ₹3,000–₹4,000 प्रति डोज़) को हटाने से यह पक्का होता है कि सभी सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड की लड़कियों को सुरक्षा मिले।
- **आर्थिक असर:** कैंसर का बोझ कम करने से सीधे तौर पर लंबे समय की आर्थिक प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है और एडवांस्ड कैंसर इलाज पर पब्लिक हेल्थकेयर का खर्च कम होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन:** हालांकि अभी यह एक स्पेशल कैंपेन है, लेकिन इसका मकसद आखिर में HPV शॉट्स को **यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम (UIP) में शामिल करना है** ।
- **स्क्रीनिंग इंटीग्रेशन:** युवाओं के लिए वैक्सीनेशन को 30-65 साल की महिलाओं के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग (VIA/HPV DNA टेस्ट) के साथ मिलाना।
- **जागरूकता:** ASHA वर्कर्स और स्कूल-बेस्ड आउटरीच के ज़रिए कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता फैलाकर वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट को दूर करना।

निष्कर्ष

, 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के WHO के ग्लोबल टारगेट को पाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है । 14 साल की लड़कियों को प्राथमिकता देकर, भारत एक ऐसे भविष्य में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ "स्वस्थ नारी" (हेल्दी महिला) एक मज़बूत देश की नींव बनेगी।

केरलम

प्रसंग

यूनियन **कैबिनेट ने केरल** राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को ऑफिशियली मंज़ूरी दे दी है । **यह** फ़ैसला केरल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा 2023 और 2024 में एकमत से पास किए गए प्रस्तावों के बाद लिया गया है, जिसका मकसद राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल नाम को उसके ट्रेडिशनल मलयालम नाम के साथ जोड़ना है।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** इस मंज़ूरी से अंग्रेज़ी में अपनाए गए शब्द "केरल" से **"केरलम" में बदलाव हुआ है,** जो कि वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं।
- **कानूनी कदम:** कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, **केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 को** संविधान में औपचारिक बदलाव के लिए संसद में पेश किया जाएगा।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** यह मांग **ऐक्य केरल आंदोलन से जुड़ी है** , जिसने मलयालम बोलने वाले इलाकों को एक करने की वकालत की थी। चूंकि राज्य 1956 में भाषा के आधार पर बना था, इसलिए सरकार ने तर्क दिया कि नाम से उसकी भाषा की पहचान दिखनी चाहिए।

राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक ढांचा

किसी राज्य का नाम बदलने का प्रोसेस नीचे दिए गए संवैधानिक नियमों के तहत होता है:

- **आर्टिकल 3: पार्लियामेंट को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के** एरिया, बाउंड्री या नाम बदलने का अधिकार देता है ।
- **अनुच्छेद 3 की शर्त:**
  - नाम बदलने का बिल सिर्फ़ **राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है** ।
  - सिफारिश से पहले, राष्ट्रपति को बिल को तय समय में अपनी राय बताने के लिए **संबंधित राज्य विधानसभा को भेजना होगा।**
- **पहली अनुसूची:** इस अनुसूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट होती है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए इस अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

नाम बदलने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य के बीच बातचीत का एक खास क्रम शामिल होता है:

1. **राज्य का प्रस्ताव:** केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र से आर्टिकल 3 के तहत नाम बदलने की रिक्वेस्ट की।
2. **यूनियन स्क्रूटनी:** मिनिस्ट्री **ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA)** प्रपोज़ल को रिव्यू करता है, और अलग-अलग एजेंसियों (जैसे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रजिस्ट्रार जनरल) से "नो ऑब्जेक्शन" मांगता है।
3. **कैबिनेट की मंज़ूरी:** यूनियन कैबिनेट ने नाम बदलने वाले बिल का ड्राफ़्ट बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
4. **प्रेसिडेंशियल रेफरेंस:** प्रेसिडेंट प्रस्तावित बिल को राज्य विधानसभा के पास उनकी राय के लिए भेजते हैं (हालांकि यह राय पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी नहीं है)।
5. **पार्लियामेंट्री पास:** बिल को प्रेसिडेंट की सिफारिश पर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और इसे दोनों हाउस में **सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए।**
6. **नोटिफिकेशन:** राष्ट्रपति के बिल पर साइन करने के बाद, फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव किया जाता है, और नाम बदलने को गैजेट में नोटिफाई किया जाता है।

परिवर्तन का महत्व

RACE IAS

- **लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी:** मलयालम बोलने वाले लोगों की कल्चरल और लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी पर ज़ोर देता है।
- **नामकरण का डीकोलोनाइजेशन:** यह दूसरे राज्यों के उदाहरण पर आधारित है जिन्होंने अपनी विरासत को दिखाने के लिए नाम बदले (जैसे, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश, मद्रास का नाम तमिलनाडु, मैसूर का नाम कर्नाटक, और उड़ीसा का नाम ओडिशा)।
- **ऑफिशियल कंसिस्टेंसी:** यह पक्का करता है कि राज्य के रिकॉर्ड, लिटरेचर और रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल किया गया नाम ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री से मेल खाता हो।

निष्कर्ष

"केरलम" में बदलाव भारत के फ़ेडरल स्ट्रक्चर में एक सिंबॉलिक लेकिन अहम कदम है, जो उन भाषा के सिद्धांतों का सम्मान करता है जिन पर 1956 में राज्यों को फिर से बनाया गया था। आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके, केंद्र और राज्य सरकारें संवैधानिक कानून को क्षेत्रीय सांस्कृतिक भावना के साथ तालमेल बिठाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

हरा अमोनिया

प्रसंग

2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में, भारत ने क्लीन एनर्जी में ग्लोबल कामयाबी हासिल की। **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (SECI) के ज़रिए** , देश ने ग्रीन अमोनिया की रिकॉर्ड-कम कीमतें पाईं, जो यूरोपियन बेंचमार्क (H2Global) से लगभग **40%–50% कम थीं** । यह ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकॉनमी में कॉस्ट-लीडर के तौर पर भारत की उभरती भूमिका को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** ग्रीन अमोनिया हवा से सिंथेसाइज़्ड नाइट्रोजन और **ग्रीन हाइड्रोजन** (जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है) से बनता है।
- **"ज़ीरो-कार्बन" फ़ायदा:** "ग्रे अमोनिया" के उलट, जो नैचुरल गैस का इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा CO2 निकालता है, ग्रीन वैरिएंट का कार्बन फ़ुटप्रिंट लगभग ज़ीरो होता है।
- **मुख्य सांख्यिकी (2025–26):**
  - **रिकॉर्ड कम कीमत:** SECI नीलामी में कीमतें **₹49.75 से ₹64.74/kg** ($572–$744/टन) मिलीं, जबकि EU की कीमतें $1,153/टन थीं।
  - **डिमांड एग्रीगेशन:** टेंडर का टारगेट 13 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स में **724,000 टन सालाना डिमांड का था।**
  - **एमिशन सेविंग्स:** 2030 तक हर साल **CO_2 में 50 MMT** की कमी का टारगेट ।

हरे अमोनिया की क्षमता

- **खेती को डीकार्बनाइज़ करना:** फर्टिलाइज़र में फॉसिल-फ्यूल-बेस्ड फीडस्टॉक की जगह लेना।
  - *उदाहरण:* ओडिशा में **पारादीप फॉस्फेट्स को** हाल ही में 75,000 टन ग्रीन अमोनिया मिला, जो एक सेक्टर में बदलाव दिखाता है।
- **ज़ीरो-कार्बन मरीन फ्यूल:** अमोनिया लिक्विड हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी-डेंस और स्टोर करने में आसान है, जिससे यह शिपिंग के लिए आइडियल है।
  - *उदाहरण: इसे चालू करने के लिए* रॉटरडैम - **इंडिया-सिंगापुर** ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
- **हाइड्रोजन कैरियर:** इसकी स्टेबल केमिकल बनावट इसे दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा ज़रिया बनाती है।
- **एनर्जी स्टोरेज:** रिन्यूएबल एनर्जी में उतार-चढ़ाव के दौरान नेशनल ग्रिड को बैलेंस करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले स्टोरेज सॉल्यूशन के तौर पर काम करता है।

की गई पहल

- **SIGHT प्रोग्राम:** इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रीन हाइड्रोजन दोनों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) देने के लिए **₹17,490 करोड़** का खर्च ।
- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM): 2030 तक 5 MMTPA प्रोडक्शन कैपेसिटी** का लक्ष्य , जिससे ₹8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा।
- **ग्रीन हाइड्रोजन हब:** तीन बड़े पोर्ट **दीनदयाल (कांडला), पारादीप, और वीओ चिदंबरनार (तूतीकोरिन)** को हाइड्रोजन डेरिवेटिव के लिए खास हब के तौर पर पहचान दी गई है।
- **ISTS छूट:** दिसंबर 2030 से पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट्स के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज से छूट।

संबंधित चुनौतियाँ

- **"ग्रीन प्रीमियम":** कीमत में गिरावट के बावजूद, ग्रीन अमोनिया ग्रे अमोनिया (~$515/टन) से थोड़ा महंगा है, और कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए ज़रूरी ब्लेंडिंग नॉर्म्स की ज़रूरत है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** बंदरगाहों पर खास बंकरिंग, स्टोरेज और **अमोनिया क्रैकिंग यूनिट्स के लिए ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट।**
- **रेगुलेटरी फ्रैगमेंटेशन:** पावर बैंकिंग और ट्रांसमिशन सब्सिडी पर राज्य लेवल की अलग-अलग पॉलिसी।
- **सुरक्षा और टॉक्सिसिटी:** अमोनिया बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है; मरीन फ्यूल के तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए कड़े नए सुरक्षा प्रोटोकॉल और इंजन री-इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **ज़रूरी ब्लेंडिंग:** गारंटीड मार्केट पक्का करने के लिए रिफाइनरियों और फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए कंजम्प्शन ज़रूरी बनाएं।
- **ग्लोबल स्टैंडर्ड:** एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए भारत के ग्रीन सर्टिफ़िकेशन को इंटरनेशनल नियमों (जैसे EU का RFNBO) के साथ अलाइन करें।
- **ब्लेंडेड फाइनेंस:** शुरुआती "वायबिलिटी गैप" को भरने के लिए मल्टीलेटरल बैंकों से कम ब्याज वाली कैपिटल का इस्तेमाल करें।
- **स्वदेशी टेक्नोलॉजी:** इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

भारत की ग्रीन अमोनिया स्ट्रैटेजी **एनर्जी सिक्योरिटी से एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर एक पिवट है। SIGHT प्रोग्राम और कॉम्पिटिटिव SECI ऑक्शन का** फ़ायदा उठाकर , भारत तेज़ी से फॉसिल फ्यूल के साथ प्राइस गैप को कम कर रहा है। इस "ग्रीन मॉलिक्यूल" को सफलतापूर्वक बढ़ाना **, 2070 तक नेट ज़ीरो** की ओर भारत के सफ़र का आधार होगा ।

महिलाएं, बिज़नेस और कानून

प्रसंग

फरवरी 2026 में जारी वर्ल्ड बैंक की **विमेन, बिज़नेस एंड द लॉ (WBL)** रिपोर्ट के 11वें एडिशन से पता चलता है कि कागज़ पर बने कानूनों और उनके असल में लागू होने के बीच "चौंकाने वाला बड़ा" अंतर है। हालांकि कानूनी सुधार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में महिलाओं को अभी भी कमज़ोर तरीके से लागू करने और चाइल्डकेयर और सुरक्षा सेवाओं जैसे मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्ट के बारे में

- **यह क्या है: 190 इकॉनमी** में महिलाओं के आर्थिक मौकों के लिए अच्छे माहौल को मापने वाली एक सालाना स्टडी ।
- **WBL 2.0 फ्रेमवर्क:** पहली बार, रिपोर्ट तीन अलग-अलग पिलर्स पर प्रोग्रेस को बेंचमार्क करती है:
  1. **लीगल फ्रेमवर्क:** किताबों में लिखे कानून (*De Jure*)।
  2. **सपोर्टिव फ्रेमवर्क:** पॉलिसी, संस्थाएं और सर्विस (जैसे, चाइल्डकेयर, हॉटलाइन) जो कानून को लागू करती हैं।
  3. **प्रवर्तन धारणाएँ:** कानूनी विशेषज्ञ व्यवहार में लागू किए जा रहे कानूनों को कैसे देखते हैं (*वास्तविक में*)।

प्रमुख वैश्विक हाइलाइट्स

- **इम्प्लीमेंटेशन गैप: लीगल फ्रेमवर्क** के लिए ग्लोबल एवरेज स्कोर **67.9 है , लेकिन सपोर्टिव फ्रेमवर्क के लिए** यह गिरकर 47.3 और **एनफोर्समेंट परसेप्शन के लिए 53.4 हो जाता है** ।
- **4% बेंचमार्क:** दुनिया भर में सिर्फ़ 4% महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जिन्होंने "लगभग पूरी कानूनी बराबरी" हासिल कर ली है (तीनों पिलर्स में 90+ स्कोर)।
- **आर्थिक दांव:** लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में जेंडर गैप को कम करने से अगले दशक में ग्लोबल GDP **में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।**
- **सेफ्टी संकट:** दुनिया भर में सेफ्टी सबसे कम स्कोर वाली कैटेगरी है। सिर्फ़ एक-तिहाई ज़रूरी सेफ्टी कानून मौजूद हैं, और तब भी, लगभग **80% बार उन्हें लागू करने में नाकामयाबी मिलती है** ।
- **चाइल्डकेयर की कमी:** कम इनकम वाली इकॉनमी में, अभी सिर्फ़ **1% ज़रूरी चाइल्डकेयर सपोर्ट सिस्टम** मौजूद हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- **इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन:** सफल इकॉनमी (जैसे, **मिस्र** , जो इस साल दुनिया का टॉप रिफॉर्मर है) कानूनी बदलावों को डेडिकेटेड बजट और स्पेशलाइज़्ड जेंडर-पुलिस यूनिट्स के साथ अलाइन करती हैं।
- **देखभाल को बढ़ावा देना:** जो देश बच्चों की देखभाल के लिए सीधे सब्सिडी देते हैं और **माता-पिता दोनों के लिए पेड पैरेंटल लीव ज़रूरी करते हैं** , वहां महिलाओं की वर्कफोर्स में हिस्सेदारी में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
- **जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्रोक्योरमेंट: वियतनाम** जैसे देश पब्लिक प्रोक्योरमेंट कानूनों का इस्तेमाल खास तौर पर महिलाओं के बिजनेस को सपोर्ट करने और इकॉनमी में शामिल करने के लिए करते हैं।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- **मदरहुड पेनल्टी:** सस्ते चाइल्डकेयर की कमी महिलाओं के वर्कफोर्स छोड़ने की मुख्य वजह है।
- **फाइनेंशियल एक्सक्लूजन:** दुनिया की सिर्फ़ आधी इकॉनमी में ही ऐसे कानून हैं जो फाइनेंशियल सर्विस/क्रेडिट एक्सेस में **जेंडर-बेस्ड भेदभाव को साफ़ तौर पर रोकते हैं।**
- **कमज़ोर मॉनिटरिंग:** ज़्यादातर सरकारों के पास **जेंडर के हिसाब से अलग-अलग डेटा नहीं होता** , जिससे यह पता चल सके कि प्राइवेट सेक्टर में "बराबर काम के लिए बराबर वेतन" जैसी पॉलिसी का असल में पालन हो रहा है या नहीं।
- **टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल रुकावटें:** कानूनी अधिकारों के बावजूद, समाज के गहरे नियम अक्सर महिलाओं को समाज में अलग-थलग किए जाने के डर के बिना उनका इस्तेमाल करने से रोकते हैं।

पश्चिमी गोलार्ध

- **इम्प्लीमेंटेशन गैप को कम करें:** नए कानून पास करने के बजाय उन्हें लागू करने के लिए ज़रूरी एजेंसियों और सर्विसेज़ (कोर्ट, हॉटलाइन, नर्सरी) की फंडिंग पर ध्यान दें।
- **"केयर इंफ्रास्ट्रक्चर" में इन्वेस्ट करें:** बच्चों की देखभाल को परिवार का निजी मामला मानने के बजाय एक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता मानें।
- **सभी को क्रेडिट मिलना ज़रूरी:** ऐसे कानून बनाएं और लागू करें जो लोन देने वालों को बिज़नेस लोन के लिए जेंडर को रिस्क फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकें।
- **सुरक्षा सेवाओं को मज़बूत करें:** महिलाएं बिना किसी डर के यात्रा और काम कर सकें, यह पक्का करने के लिए 24/7 कानूनी मदद और खास सुरक्षा यूनिट बनाएं।

निष्कर्ष

2026 की रिपोर्ट डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक तनाव में दुनिया के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल का काम करती है। यह इस बात पर ज़ोर देती है कि **कागज़ पर लिखे अधिकार असल में अधिकार नहीं होते** । इस दशक में वर्कफोर्स में आने वाली 600 मिलियन लड़कियों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए, सरकारों को "सपोर्टिव फ्रेमवर्क" में इन्वेस्ट करना होगा जो एक कानूनी मील के पत्थर को जीती हुई सच्चाई में बदल दे।

समुद्री श्रम सम्मेलन (एमएलसी), 2006

प्रसंग

23 फरवरी, 2026 को, **इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन (ILO)** और **इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) ने** MLC, 2006 की 20वीं सालगिरह मनाई। यह मील का पत्थर कन्वेंशन की ग्लोबल "सीफ़ेयरर्स बिल ऑफ़ राइट्स" के तौर पर भूमिका के दो दशकों का जश्न मनाता है, जो लाखों मैरीटाइम वर्कर्स की सुरक्षा और सम्मान पक्का करता है।

मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC), 2006 के बारे में

- **यह क्या है:** एक पूरी इंटरनेशनल ट्रीटी जो नाविकों के काम करने और रहने की लगभग हर चीज़ के लिए मिनिमम ज़रूरतें तय करती है। इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेटरी सिस्टम का **"चौथा पिलर" माना जाता है।**
- **स्थापना: 23 फरवरी 2006 को** जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस द्वारा अपनाया गया ।
- **लक्ष्य:** * लगभग 70 मौजूदा समुद्री श्रम इंस्ट्रूमेंट्स को एक सिंगल, कोहेरेंट कन्वेंशन में एक साथ लाना।
    - यह पक्का करना कि दुनिया भर में नाविकों को, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या जहाज़ का झंडा कुछ भी हो, अच्छा काम मिल सके।
    - घटिया जहाज़ों से गलत कॉम्पिटिशन को रोककर जहाज़ मालिकों के लिए बराबरी का मौका बनाना।

कन्वेंशन की मुख्य विशेषताएं

MLC को पाँच "टाइटल्स" के आस-पास बनाया गया है जो खास स्टैंडर्ड्स को ज़रूरी बनाते हैं:

- **मिनिमम ज़रूरतें: मिनिमम उम्र** (16 साल), मेडिकल सर्टिफ़िकेशन, और ज़रूरी ट्रेनिंग/क्वालिफ़िकेशन के लिए सख़्त स्टैंडर्ड तय करता है ।
- **नौकरी की शर्तें: नौकरी के एग्रीमेंट, सही वेतन, काम और आराम के तय घंटे, और** नाविक के लिए बिना किसी खर्च के घर **वापसी** का अधिकार रेगुलेट करता है।
- **रहने की जगह और मनोरंजन:** इसमें ऑन-बोर्ड रहने के लिए खास क्वालिटी स्टैंडर्ड ज़रूरी हैं, जिसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग और मनोरंजन की सुविधाएं शामिल हैं।
- **हेल्थ और मेडिकल केयर:** यह पक्का करता है कि नाविकों को जहाज़ पर और पोर्ट पर वैसी ही मेडिकल केयर मिले जैसी किनारे पर काम करने वालों को मिलती है।
- **सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन:** सदस्य देशों को बीमारी, बेरोज़गारी और काम से जुड़ी चोटों के लिए कवरेज सहित सोशल सिक्योरिटी ब्रांच देना ज़रूरी है।

अनुपालन और प्रवर्तन

कन्वेंशन में दुनिया भर में पालन पक्का करने के लिए "डबल-लॉक" सिस्टम है:

1. **फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन:** जिस देश में जहाज़ रजिस्टर्ड है, वह जहाज़ का इंस्पेक्शन करने और यह सर्टिफ़ाई करने के लिए ज़िम्मेदार है कि जहाज़ MLC स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है।
2. **पोर्ट स्टेट कंट्रोल:** विदेशी पोर्ट्स के पास जहाजों की जांच करने का अधिकार होता है और अगर वे बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वे जहाजों को तब तक रोक सकते हैं जब तक लेबर वायलेशन ठीक नहीं हो जाते।

महत्व

- **नाविकों का कल्याण:** वेतन, सुरक्षा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, खासकर 2020 की शुरुआत में "क्रू चेंज क्राइसिस" के दौरान इस पर ज़ोर दिया गया।
- **फेयर ग्लोबल ट्रेड:** एक जैसे लेबर स्टैंडर्ड लागू करके, यह "नीचे की ओर दौड़" को रोकता है, जहाँ जहाज़ के मालिक मज़दूरों का शोषण करके खर्च कम कर सकते हैं।
- **यूनिवर्सल एप्लीकेशन:** क्योंकि यह मंज़ूरी देने वाले देशों के पोर्ट में आने वाले सभी जहाजों पर लागू होता है, इसलिए यह असल में **दुनिया के 90% से ज़्यादा जहाज़ों के बेड़े को कवर करता है** ।

निष्कर्ष

RACE IAS

बीस साल बाद भी, MLC, 2006 समुद्री सामाजिक न्याय की नींव बना हुआ है। जैसे-जैसे इंडस्ट्री ऑटोमेशन और ग्रीन शिपिंग की ओर बढ़ रही है, यह कन्वेंशन ग्लोबल ट्रेड के दिल में मौजूद इंसानी पहलू की रक्षा के लिए बदलावों के ज़रिए लगातार बदल रहा है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0)

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने **नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0) लॉन्च किया** । यह दूसरा फेज़ ऑपरेशनल पब्लिक एसेट्स की वैल्यू को अनलॉक करके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को तेज़ करने के शुरुआती फ्रेमवर्क पर बना है।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** NMP 2.0 एक मीडियम-टर्म रोडमैप (FY 2026–2030) है जिसे **ब्राउनफील्ड** (मौजूदा/ऑपरेशनल) पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **कोर फ़िलॉसफ़ी:** "एसेट रीसाइक्लिंग", पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स से बेकार कैपिटल को निकालकर नए "ग्रीनफ़ील्ड" इंफ़्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ंड देना।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां: * नीति आयोग** द्वारा विकसित।
  - वित्त मंत्रालय के तहत **एसेट मोनेटाइजेशन (CGAM) पर सचिवों के कोर ग्रुप** द्वारा मॉनिटर किया जाता है ।

NMP 2.0 की मुख्य विशेषताएं

- **कुल क्षमता:** वित्त वर्ष 2026-2030 की अवधि के लिए **₹16.72 लाख करोड़** का लक्ष्य ।
- **प्राइवेट पार्टिसिपेशन: लगभग ₹5.8 लाख करोड़** का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है ।
- **मोनेटाइज़ेशन मॉडल:** इसमें अलग-अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जैसे:
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) रियायतें।
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (**InvITs**)।
  - कैश फ्लो का सिक्योरिटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक ऑक्शन।
- **रेवेन्यू फ्लो:** कमाई को भारत के कंसोलिडेटेड फंड, संबंधित PSUs, या राज्य कंसोलिडेटेड फंड में भेजा जाता है, जिसे CAPEX में फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा।
- **स्टैंडर्डाइज़ेशन:** NMP 1.0 से मिले फ़ीडबैक और सबक के आधार पर आसान प्रोसेस और टाइम-बाउंड एग्ज़िक्यूशन।

सेक्टरवार आवंटन (टॉप 5 शेयर)

पाइपलाइन में कई सेक्टर शामिल हैं, जिनमें से वैल्यूएशन का बड़ा हिस्सा इन पांच सेक्टर का है:

क्षेत्र	शेयर करना (%)	संभावित मूल्य (₹ लाख करोड़)
राजमार्ग, एमएमएलपी और रोपवे	26%	4.42
विद्युत क्षेत्र	17%	2.76
रेलवे	16%	2.62
बंदरगाहों	16%	2.63
कोयला	13%	2.16

महत्व

- **फिस्कल एफिशिएंसी:** देश का कर्ज़ या फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए बिना नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स जुटाता है।
- **कैपिटल रीसाइक्लिंग:** इससे सरकार "मैच्योर" एसेट्स से बाहर निकल सकती है और उससे मिले पैसे को ज़्यादा रिस्क वाले, शुरुआती स्टेज के प्रोजेक्ट्स में फिर से इन्वेस्ट कर सकती है।
- **इन्वेस्टमेंट विज़िबिलिटी:** यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (जैसे पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड) को इंडिया की ग्रोथ में हिस्सा लेने के लिए एक साफ़, लंबे समय का रास्ता देता है।
- **ऑपरेशनल एफिशिएंसी:** प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से अक्सर मौजूदा पब्लिक यूटिलिटीज़ का बेहतर मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होता है।

चुनौतियाँ और निगरानी

- **एग्ज़िक्यूशन रिस्क:** पुराने एसेट्स की टाइम-बाउंड बिडिंग और ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन पक्का करना।
- **मार्केट की पसंद:** InvITs और नीलामी के लिए ग्लोबल और घरेलू फाइनेंशियल मार्केट की स्थितियों पर निर्भरता।
- **निगरानी:** लगातार निगरानी का सिस्टम **कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक एम्पावर्ड इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप चलाता है** ।

निष्कर्ष

NMP 2.0 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लक्ष्यों के लिए एक ज़रूरी इंजन का काम करता है। एसेट्स के "मालिक" होने से हटकर उनकी वैल्यू को "मैनेज" करने पर ध्यान देकर, सरकार का मकसद इन्वेस्टमेंट का एक सेल्फ-सस्टेनिंग साइकिल बनाना है जो

RACE IAS

फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे।

किशोर मानसिक स्वास्थ्य

प्रसंग

गाजियाबाद में किशोरों की दुखद मौतों की एक सीरीज़ ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। इन घटनाओं ने "शांत संकट" को उजागर किया, जो पढ़ाई के दबाव, डिजिटल लत और जल्दी इलाज की कमी की वजह से भारत के युवाओं में मेंटल हेल्थ की दिक्कतों में बढ़ोतरी है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** "शांत संकट" का मतलब है एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी अनदेखी साइकोलॉजिकल परेशानियां जो 4-5 साल की उम्र में ही दिखने लगती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें "फेज़" कहकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- **मुख्य डेटा (2025–26):**
    - **फैलाव:** 7% से 10% भारतीय किशोरों में डायग्नोसेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन है।
    - **ADHD का बोझ:** स्कूल जाने वाले 5% से 7% बच्चों में ADHD के लक्षण दिखते हैं।
    - **डिजिटल बदलाव:** कई बच्चे रोज़ाना 6-7 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं; भारत में अब 800 मिलियन से ज़्यादा कम कीमत वाले इंटरनेट यूज़र हैं।
    - **इलाज में कमी:** बहुत बड़ी कमी है, 1.4 बिलियन लोगों के लिए 10,000 से भी कम साइकेट्रिस्ट हैं।

संकट के कारण

- **अनरेगुलेटेड डिजिटल माहौल:** ज़्यादा स्क्रीन टाइम से "ब्रेन रॉट", नींद में दिक्कत और इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है।
- **पढ़ाई का दबाव:** स्कूल अक्सर इमोशनल मज़बूती के बजाय कॉम्पिटिटिव रैंकिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं। **ASER 2024 की रिपोर्ट में** सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल के बावजूद पढ़ाई में ज़्यादा चिंता देखी गई।
- **डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट:** डिजिटल डिवाइस "बेबीसिटर" की तरह काम करते हैं, जो हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी सेंसरी प्ले की जगह ले लेते हैं।
- **सोशल तुलना:** 2025 की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में **65% टीनएज लड़कियां** ऑनलाइन बॉडी इमेज की तुलना और FOMO से जुड़ी परेशानी बताती हैं।
- **जल्दी पहचान न होना:** स्टिग्मा की वजह से परिवार इमोशनल डिसऑर्डर की शुरुआती शुरुआत में मदद नहीं ले पाते हैं।

कानूनी और नीतिगत ढांचा

- **टेली-MANAS:** क्राइसिस काउंसलिंग और डिजिटल एडिक्शन के लिए 24/7 नेशनल हेल्पलाइन (14416)।
- **ऑनलाइन गेमिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2025:** इसका मकसद असली पैसे वाले गेमिंग की लत और पैसे की तंगी को रोकना है।
- **आयुष्मान भारत:** स्कूल लेवल की प्राइमरी हेल्थकेयर में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग को शामिल करना।
- **सोशल मीडिया पर रोक का प्रस्ताव:** सरकार अभी ऑस्ट्रेलियाई नियमों की तरह उम्र के आधार पर रोक (16 साल से कम) लगाने पर विचार कर रही है।

चुनौतियां

- **मैनपावर की भारी कमी: ANCIPS 2026** के एक्सपर्ट्स ने बताया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी के कारण इलाज में 85% का अंतर है।
- **टेक्नोलॉजिकल वर्कअराउंड: टेक-सैवी नाबालिग अक्सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP)** नियमों को बायपास करने के लिए VPN या नकली अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं ।
- **फैला हुआ कलंक:** कई छोटे शहरों में मेंटल हेल्थ की समस्याओं को अभी भी "बुरा व्यवहार" या अपनी कमज़ोरी के तौर पर देखा जाता है।
- **इंस्टीट्यूशनल विरोध: टेक कंपनियों ने** उम्र वेरिफिकेशन के लिए **आधार-लिंक्ड लॉगिन के** प्रस्ताव पर चिंता जताई है ।
- **अलग-अलग रेफरल रास्ते:** जब स्कूल समस्याओं की पहचान भी कर लेते हैं, तब भी अक्सर स्टूडेंट्स को स्पेशलिस्ट से जोड़ने के लिए कोई साफ़ फ़ॉलो-अप सिस्टम नहीं होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिजिटल वेलनेस करिकुलम:** स्कूल के सब्जेक्ट्स में स्क्रीन-टाइम मैनेजमेंट और साइबर-सेफ्टी को शामिल करें।
- **ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटी:** न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाने और सुस्त डिजिटल आदतों से निपटने के लिए रोज़ाना खेलना ज़रूरी करें।
- **रूटीन स्कूल स्क्रीनिंग:** स्टैंडर्ड फिजिकल ग्रोथ मॉनिटरिंग के साथ-साथ यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ चेक-अप लागू करें।
- **पेरेंटल सपोर्ट ग्रुप:** ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड पेरेंटिंग एजुकेशन के लिए कम्युनिटी स्पेस बनाएं।
- **उम्र के हिसाब से एक्सेस:** सोच-समझकर डिजिटल लिमिट लागू करें, साथ ही यह पक्का करें कि पिछड़े युवाओं को ज़रूरी डिजिटल लाइफलाइन मिलती रहें।

निष्कर्ष

टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का आधार है। मुश्किल समय में तुरंत मदद करने से लेकर पहले से देखभाल करने तक, माता-पिता, शिक्षकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मिलकर कोशिश की ज़रूरत है। इस मुश्किल समय में चुप्पी

तोड़ना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि बचपन अकेलेपन के बजाय हिम्मत का समय बना रहे।

पश्चिम एशिया नीति

प्रसंग

फरवरी 2026 में , प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल का सरकारी दौरा एक ऐतिहासिक पड़ाव था, जिसने रिश्ते को **"स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" तक पहुंचा दिया।** साथ ही, भारत ने अरब दुनिया, खासकर **सऊदी अरब और UAE के साथ अपने "एक्सटेंडेड** नेबरहुड " जुड़ाव को और गहरा किया है, और **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और "डी-हाइफ़नेशन"** की पॉलिसी के ज़रिए पश्चिम एशिया की मुश्किल जियोपॉलिटिकल दुश्मनी को संभाला है ।

प्रमुख रणनीतिक स्तंभ

1. डी-हाइफ़नेशन पॉलिसी:

भारत ने इज़राइल के साथ अपने रिश्तों को फ़िलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों से सफलतापूर्वक अलग कर लिया है। हर रिश्ते को एक अलग बाइलेटरल ट्रैक माना जाता है, जिससे भारत फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए पारंपरिक सपोर्ट बनाए रखते हुए इज़राइल के साथ गहरे डिफ़ेंस और टेक रिश्ते बना सकता है।

2. "थिंक वेस्ट" स्ट्रेटेजी:

एनर्जी के अलावा, भारत अब इस क्षेत्र में एक "सिक्योरिटी प्रोवाइडर" और "टेक्नोलॉजी पार्टनर" भी है।

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** ट्रांज़ैक्शनल तेल खरीदने से लॉन्ग-टर्म इक्विटी और गैस पैक्ट्स की ओर शिफ्ट होना (जैसे, 2026 **HPCL-ADNOC 10-साल का LNG डील**)।
- **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** भारत "बीच का रास्ता" अपनाता है, ईरान और सऊदी के नेतृत्व वाले गुट, दोनों के साथ बातचीत करते हुए सांप्रदायिक गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है।

प्रमुख रणनीतिक मंच

रम के लिए	सदस्यों	प्राइमरी फोकस (2025-26 अपडेट)
I2U2 (पश्चिम एशिया क्वाड)	भारत, इज़राइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात	फ़ूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी में **"बैंकेबल प्रोजेक्ट्स"** पर फ़ोकस करें । प्रोग्रेस में भारत में **UAE से फ़ंडेड $2 बिलियन के फ़ूड पार्क** और गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
आईएमईसी	भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी, यूरोपीय संघ, अमेरिका	चीन के BRI के विकल्प के तौर पर डिज़ाइन किया गया। इलाके में तनाव के बावजूद, 2026 में स्टेकहोल्डर मोमेंटम बनाए रखने के लिए **अलग-अलग हिस्सों** (पोर्ट-टू-रेल लिंक) के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
शांति बोर्ड (गाजा)	अमेरिका के नेतृत्व में (भारत पर्यवेक्षक के रूप में)	भारत को 2025 के आखिर में गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $7 बिलियन के फंड में एक **ऑब्ज़र्वर के तौर पर बुलाया गया, जिससे एक भरोसेमंद, बिना किसी भेदभाव के स्टेबलाइज़र के तौर पर उसकी भूमिका का संकेत मिला।**

फ़िलिस्तीन प्रश्न और दो-राज्य समाधान

इज़राइल के साथ बढ़ती नज़दीकी के बावजूद, भारत ने अपने पारंपरिक रुख को फिर से दोहराया है:

- **UN वोटिंग (सितंबर 2025): भारत ने "न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन"** के पक्ष में वोट किया , जिसमें एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल फ़िलिस्तीन देश का समर्थन किया गया।
- **डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग:** जनवरी 2026 में, **इंडिया-अरब लीग जॉइंट स्टेटमेंट में** 1967 की सीमाओं और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराया गया।
- **मानवीय सहायता:** भारत UNRWA में लगातार योगदान देता रहा है और उसने गाजा में संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में हिस्सा लेने का वादा किया है।

चुनौतियां

- **इलाके में उतार-चढ़ाव:** 2025-26 में इज़राइल और ईरान के बीच तनाव, और लाल सागर में हूथी की धमकियों ने **IMEC** समुद्री लिंक को मुश्किल बना दिया है ।
- **अलाइनमेंट की सोच:** UAE के साथ नई **स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप (Jan 2026 में साइन की गई) को इज़राइल के साथ डिफेंस संबंधों के साथ बैलेंस करना, बिना किसी रीजनल मिलिट्री ग्रुप में शामिल हुए।**
- **चीन फैक्टर:** गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे, UAE का खलीफा पोर्ट) में चीनी इन्वेस्टमेंट का मुकाबला करना, जो I2U2 जैसे प्लुरिलैटरल फ्रेमवर्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकता है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इकोनॉमिक इंटीग्रेशन: इंडिया-इज़राइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA)** को फाइनल करना और **इंडिया-UAE**

CEPA को बढ़ाकर 2032 तक $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट हासिल करना।

- **डिफेंस को-प्रोडक्शन:** *आत्मनिर्भर भारत* के तहत "क्रेता-विक्रेता" से "को-डेवलपमेंट" की ओर बदलाव , AI, ड्रोन और मिसाइल डिफेंस (जैसे, इज़राइल का **आयरन बीम** लेजर सिस्टम) पर फोकस।
- **डिजिटल कॉरिडोर: सॉवरेन डेटा और** फिनटेक इंटरऑपरेबिलिटी (UPI-JAYWAN इंटीग्रेशन) को सुरक्षित करने के लिए अरब पार्टनर्स के साथ **"डेटा एम्बेसी"** और सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएं ।

निष्कर्ष

"स्ट्रेटेजिक प्रैग्मैटिज्म" की ओर बदलाव दिखाती है । खुद को एक "स्विंग पावर" के तौर पर बनाकर, जो सभी पक्षों से बात कर सकती है, भारत ने इस इलाके की पुरानी गलतियों में फंसे बिना अपनी एनर्जी, डायस्पोरा और सिक्योरिटी के हितों को सुरक्षित किया है ।

सोशल मीडिया का रेगुलेशन और सेफ हार्बर

प्रसंग

डीपफेक , कोऑर्डिनेटेड गलत जानकारी और साफ़ कंटेंट के तेज़ी से फैलने की वजह से भारत सरकार को बिग टेक की जवाबदेही पर फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। मेटा, यूट्यूब और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म को उनके होस्ट किए जाने वाले कंटेंट के लिए कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार बनाने की मांग बढ़ रही है ताकि एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम पक्का हो सके।

समाचार के बारे में

मुख्य मुद्दा:

सरकार नुकसानदायक डिजिटल कंटेंट को फैलने से रोकने के लिए इंटरमीडियरीज़ की सख्त जवाबदेही की ज़रूरत पर विचार कर रही है, जो सामाजिक मेलजोल और लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा है।

सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत (धारा 79, आईटी अधिनियम, 2000):

- **परिभाषा:** डिजिटल प्लेटफॉर्म को कानूनी छूट देता है, यह पक्का करता है कि वे अपने द्वारा होस्ट की गई थर्ड-पार्टी जानकारी या डेटा के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं।
- **कंडीशनैलिटी:** यह इम्यूनिटी अभी "कंडीशनल" है, जिसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स को अपना प्रोटेक्टेड स्टेटस बनाए रखने के लिए "ड्यू डिलिजेंस" का पालन करना होगा।

सरकार का रुख और कार्रवाई:

- **रद्द करने की चेतावनी:** सरकार ने संकेत दिया है कि अगर प्लेटफ़ॉर्म फ़्लैग किए गए, आपत्तिजनक या डीपफ़ेक कंटेंट को तुरंत हटाने में नाकाम रहते हैं, तो "सेफ़ हार्बर" सुरक्षा वापस ली जा सकती है।
- **अकाउंटेबिलिटी:** प्रोएक्टिव मॉडरेशन पक्का करने के लिए बोझ को सिर्फ़ यूज़र से हटाकर प्लेटफ़ॉर्म पर डालना।

नियामक ढांचा

आईटी अधिनियम की धारा 69A:

केंद्र और राज्य सरकारों को इनके हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक या डिलीट करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
- किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाने से रोकना

आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:

शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति को ज़रूरी बनाता है और कंटेंट हटाने के लिए टाइमलाइन देता है (जैसे, साफ़ कंटेंट के लिए 24 घंटे)।

एनालिसिस: फायदे और नुकसान

पेशेवरों (शासन और सुरक्षा)	विपक्ष (अधिकार और अभिव्यक्ति)
गलत जानकारी से लड़ता है: फेक न्यूज़ और डीपफेक के वायरल फैलाव को रोकता है ।	**असहमति को दबाना:** आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक आलोचना को चुप कराने के लिए बड़ी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेशनल सिक्योरिटी: हिंसा या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कंटेंट पर तेज़ी से कार्रवाई करने में मदद करता है।	**सेंसरशिप की चिंताएँ:** "ओवर-कम्प्लायंस" का डर, जहाँ प्लेटफ़ॉर्म ज़िम्मेदारी से बचने के लिए कानूनी बातों को हटा देते हैं।
विक्टिम प्रोटेक्शन: बिना सहमति के साफ़ तस्वीरों को तुरंत हटाना पक्का करता है।	**साफ़ न होना:** "ऑब्जेक्टिव कंटेंट" की सही परिभाषा न होने से मनमाने तरीके से इसे लागू किया जा सकता है।

चुनौतियां

- **कंटेंट का स्केल:** डेटा की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण मैन्युअल मॉडरेशन नामुमकिन हो जाता है, जिससे खराब एल्गोरिदम पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **फ्री स्पीच बनाम सिक्योरिटी:** "सेफ हार्बर" इम्यूनिटी (जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है) और स्टेट कंट्रोल (जो ऑर्डर पक्का करता है) के बीच बैलेंस बनाना।
- **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन:** WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म के लिए , किसी मैसेज के "पहले ओरिजिनेटर" की पहचान

RACE IAS

करना एक टेक्निकल और प्राइवेसी से जुड़ी मुश्किल बनी हुई है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कानूनी स्पष्टता:** प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट में कंटेंट की उन कैटेगरी को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए जिनसे सेफ हार्बर का नुकसान होता है।
- **ज्यूडिशियल सेफगार्ड्स:** "नेचुरल जस्टिस" प्रिंसिपल्स को लागू करना, जहाँ यूज़र्स को कंटेंट हटाने के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाता है।
- **टेक्नोलॉजिकल ऑडिट:** प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले AI मॉडरेशन टूल्स की ज़रूरी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट ऑडिट।
- **इंटरनेशनल अलाइनमेंट:** दुनिया भर में सबसे अच्छे तरीकों (जैसे EU का डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट) को अपनाना, जो इंटरमीडियरीज़ को उनके साइज़ और रिस्क के आधार पर कैटेगरी में बांटते हैं।

निष्कर्ष

इंटरनेट की शुरुआती ग्रोथ के लिए "सेफ हार्बर" प्रिंसिपल ज़रूरी था, लेकिन AI के ज़माने में अपडेटेड अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। भारत के लिए चुनौती एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम बनाने में है जो बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार पर "चिलिंग इफ़ेक्ट" डाले बिना डिजिटल नुकसान को खत्म करे।

NCERT की किताबों को याद करना

प्रसंग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने* (खुद से) क्लास 8 की नई छपी NCERT टेक्स्टबुक्स पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इन किताबों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया क्योंकि इनमें ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अपमानजनक कंटेंट माना गया था।

समाचार के बारे में

मुद्दा: विवादित टेक्स्टबुक्स में एक चैप्टर खास तौर पर **"ज्यूडिशियरी में करप्शन" और** अलग-अलग कोर्ट में बहुत ज़्यादा **पेंडिंग केस पर रोशनी डालता था।**

कोर्ट की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं:

- **न्याय की धारणा:** वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ज्यूडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ाने से समय से पहले ही नेगेटिव सोच बनती है और ज्यूडिशियरी को "स्कैंडलाइज" करती है।
- **इंस्टीट्यूशनल माफ़ी:** कोर्ट के सख़्त रुख़ के बाद, **NCERT** और **केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोनों** ने माफ़ी मांगी और 2 लाख से ज़्यादा प्रिंटेड कॉपियां वापस लेने का वादा किया।
- **जानकारी का बैलेंस:** हालांकि पेंडेंसी का डेटा पब्लिक है, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एजुकेशनल मटीरियल को कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

मुख्य संवैधानिक अवधारणाओं पर चर्चा

1. शीघ्र सुनवाई का अधिकार (अनुच्छेद 21)

- जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, एक तेज़ और निष्पक्ष सुनवाई को एक **मौलिक अधिकार माना गया है।**
- अभी के मामलों के बैकलॉग को देखते हुए, यह कहावत **"न्याय में देरी न्याय से इनकार है" एक मुख्य चिंता का विषय बनी हुई है।**

2. जेल सुधार और विचाराधीन कैदी

- **डेटा:** भारत में लगभग **75% कैदी** अंडरट्रायल हैं (जो ट्रायल या फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं)।
- **कानूनी सिद्धांत:** यह स्थिति इस बुनियादी सिद्धांत को चुनौती देती है कि **"बेल नॉर्म है, जेल एक्सेप्शन है।"** अंडरट्रायल लोगों को ज़्यादा हिरासत में रखना आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है।

3. शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन

- **आर्टिकल 50:** राज्य को पब्लिक सर्विसेज़ में ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का निर्देश देता है।
- **भारतीय मॉडल: USA में देखे जाने वाले "वाटर-टाइट" अलगाव के उलट, भारत "चेक और बैलेंस"** का सिस्टम अपनाता है ।
  - **लेजिस्लेचर/एग्जीक्यूटिव:** जजों को अपॉइंट करता है और हटाने (इंपीचमेंट) की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
  - **न्यायपालिका: ज्यूडिशियल रिव्यू** के ज़रिए संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है ।

4. न्यायिक समीक्षा और बुनियादी ढांचा

- **ज्यूडिशियल रिव्यू:** कानूनी कामों और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संवैधानिकता की जांच करने की कोर्ट की शक्ति।
- **मूल संरचना सिद्धांत:** एक न्यायिक नवाचार (केशवानंद भारती केस, 1973) में कहा गया है कि संसद संविधान की बुनियादी बातों में बदलाव नहीं कर सकती। नोट: इस शब्द का संविधान के टेक्स्ट में **साफ़ तौर पर ज़िक्र नहीं है।**

शासन में चुनौतियाँ

- **करिकुलम का स्टैंडर्डाइज़ेशन:** यह पक्का करना कि एजुकेशनल कंटेंट फैक्ट्स पर आधारित हो, बिना डेमोक्रेटिक पिलर की "इज्ज़त" को कम किए।
- **कोर्ट का दखल बनाम एक्टिविज़्म:** इस बात पर बहस जारी है कि क्या टेक्स्टबुक कंटेंट में कोर्ट का दखल उसकी इमेज की ज़रूरी सुरक्षा है या एग्जीक्यूटिव (एजुकेशन मिनिस्ट्री) के अधिकार क्षेत्र में दखल है ।

RACE IAS

- **पेंडेंसी पर ध्यान देना: हालांकि "स्कैंडलस" टेक्स्ट हटा दिया गया, लेकिन** लगभग **5 करोड़ पेंडिंग केस का** असली मुद्दा भारतीय सरकार के लिए एक स्ट्रक्चरल चुनौती बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मिलकर रिव्यू:** स्कूल की किताबों में सेंसिटिव पॉलिटिकल और लीगल टॉपिक को रिव्यू करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स और एकेडेमिक्स की एक जॉइंट कमेटी बनाना।
- **सिस्टम में सुधार:** सिर्फ़ पेंडेंसी का ज़िक्र हटाने के बजाय, **"ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट" पर ध्यान देना** और असली वजह को हल करने के लिए निचली अदालतों की ताकत बढ़ाना।
- **ऑब्जेक्टिव सिविक एजुकेशन:** "नेगेटिव" चित्रण से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक की ओर बदलाव, जो यह समझाए कि ज्यूडिशियरी *कैसे काम करती है और इसके सुधार के लिए कौन से तरीके मौजूद हैं।*

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का दखल शिक्षा में **बोलने की आज़ादी और संवैधानिक संस्थाओं की ईमानदारी** की रक्षा की ज़रूरत के बीच नाजुक संतुलन को दिखाता है । आगे बढ़ते हुए, कानून की गरिमा बनाए रखते हुए, स्टूडेंट्स को भारत की लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में एक संतुलित नज़रिया देने पर ध्यान देना चाहिए।

RACE IAS

RACE IAS®

Since 2010

RACE IAS

Congratulations..

"सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई"

ADMISSION OPEN FOR NEW SESSION 2026-27

UTKARSH PROGRAM
(3 Years Course)
for **IAS/PCS**
After 10+2 (Intermediate)

FOUNDATION COURSE
for **GRADUATES**
with **SANKALP PROGRAM**
GENERAL STUDIES PRE CUM MAINS

ONLINE NCERT BATCH
999/- Only

PRELIMS TEST SERIES FOR UPSC/PCS

ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिये
RACE IAS मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

GET IT ON Google Play

Download from Windows Store

KANPUR CENTRE : CALL: 9044327779, 7355556256

CALL : 7388114444, 9044137462, 8917851448

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

Join our Telegram Channel
raceiaslucknow

Follow us on :

www.raceias.com

RACE IAS®
Since 2010

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
MAINS TEST SERIES -2025
सामान्य अध्ययन, हिन्दी एवं निबंध

Test No.	Paper	Set	Date	Topic
1	GS	Sectional	13 Dec., 25	Polity + Constitution
2	GS	Sectional	20 Dec., 25	Governance + Social Justice + IR
3	GS	Sectional	27 Dec., 25	History + Art & Culture
4	GS	Sectional	3 Jan., 26	Geography + Indian Society
5	GS	Sectional	10 Jan., 26	Environment & Ecology + Disaster Management
6	GS	Sectional	17 Jan., 26	Science & Tech. + Economy + Internal Security
7	GS 4	Full Length	24 Jan., 26	Ethics Integrity & Aptitude
8	GS 5	Full Length	31 Jan., 26	UP Special
9	GS 6	Full Length	07 Feb., 26	UP Special
10	GS 1	Full Length	14 Feb., 26	GS Paper 1 (Full Syllabus)
11	GS 2	Full Length	21 Feb., 26	GS Paper 2 (Full Syllabus)
12	GS 3	Full Length	28 Feb., 26	GS Paper 3 (Full Syllabus)
13	Essay	Full Length	07 March, 26	Essay (All three Section)
14	Hindi	Full Length	14 March, 26	Hindi (Full Syllabus)

प्रारंभ 13 दिसम्बर 2025

REGISTRATION OPEN

Mode: Offline I Online

Available in English & हिन्दी

Every Saturday

Time : 3:00 to 6:00 PM

प्रश्नों की प्रकृति

परम्परागत, अवधारणात्मक
एवं करेंट अफेयर्स आधारित

Total 14 Tests

Fee ₹ 5,000/-

Contact for info.:

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779

Scan the QR CODE for more information